वार्षिक रिपोर्ट और लेखा
2021-2022

कोल इंडिया
Coal India

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(एक मिनी रत्न कंपनी)

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का सुदृढ़ीकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनी रत्न कंपनी

विषय

005 संकल्पना एवं लक्ष्य

006 सूचना

011 वर्ष के दौरान प्रबंधन

012 बैंकर एवं लेखा परीक्षक

014 निदेशक मंडल

015 अध्यक्ष का वक्तव्य

020 संचालन आंकड़े

032 निदेशकों की रिपोर्ट

113 सीएसआर रिपोर्ट

124 अनुसंधान एवं विकास तथा कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

132 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

142 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणपत्र

143 सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा प्रबंधन के जवाब

161 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

165 सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

169 सेबी का विनियमन 33

171 तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

173 लाभ-हानि लेखा

175 नकदी एवं नकदी समतुल्य के प्रवाह का विवरण

177 इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

179 कॉरपोरेट सूचना

180 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति

202 तुलन-पत्र पर टिप्पणियां

230 लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणियां

241 लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

हमारी संकल्पना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की संकल्पना है – खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के माध्यम से सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध संगठन और संस्कृति के साथ देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन करना।

हमारा लक्ष्य

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का लक्ष्य है – सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता प्रदान करते हुए दक्षतापूर्ण और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयले का उत्पादन करना।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
BHARAT COKING COAL LIMITED
(एक मिनी रत्न कंपनी)
(A Mini Ratna Company)
(कोल इंडिया लि. का एक अंग)
(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
(www.bcclweb.in)

पं.का.:- कोयला भवन कोयला नगर,
धनबाद - 826005
Regd. Off: Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad – 826005
CIN: U10101JH1972GOI000918
दूरभाष :**0326-2230190**
ई-मेल : cos.bccl@coalindia.in

बोर्ड सचिवालय /Board Secretariat

संदर्भ सं.: BCCL:CS:F-AGM/2022/143 दिनांक : 22.07.2022

51 वीं आम बैठक की संशोधित सूचना

दिनांक 25 जुलाई (सोमवार) 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से आयोजित होने वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 51वीं वार्षिक आम बैठक कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है। अब इस बैठक का आयोजन दिनांक 26 जुलाई (मंगलवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे किया जाएगा। इस सूचना की अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

असुविधा के लिए खेद है।

बोर्ड के आदेश से

(बी.के. पारुई)
कंपनी सचिव

प्रतिलिप:

i. बीसीसीएल के सभी निदेशकगण
ii. मेसर्स एनसी बनर्जी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखा परीक्षक
iii. मेसर्स जेके दास एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक
iv. मैसर्स संजीबन एण्ड कंपनी, लागत लेखा परीक्षक

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
BHARAT COKING COAL LIMITED
(एक मिनी रत्न कंपनी)
(A Mini Ratna Company)
(कोल इंडिया लि. का एक अंग)
(A Subsidiary of Coal India Ltd.)
(www.bcclweb.in)

पं.का.:- कोयला भवन कोयला नगर,
धनबाद - 826005
Regd. Off: Koyla Bhawan, Koyla Nagar
Dhanbad – 826005
CIN: U10101JH1972GOI000918
दूरभाष :**0326-2230190**
ई-मेल : cos.bccl@coalindia.in

बोर्ड सचिवालय /Board Secretariat

संदर्भ सं.: BCCL:CS:F-AGM/2022/139 दिनांक :19.07.2022

सूचना

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक इसके पंजीकृत कार्यालय: कोयला भवन, डाकघर: कोयला नगर, धनबाद में दिनांक 25 जुलाई, 2022 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11.30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से होगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2022 को अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि विवरणी सहित 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ ही उसपर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति, विवेचान एवं ग्रहण करने हेतु।

2. श्री समीरन दत्ता, डीआइएन सं. 08519303, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

3. श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, डीआइएन सं. 08753287, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु। योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

विशेष कार्य:

मद सं. 4.

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्पों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:
संकल्पित किया गया कि कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों (किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन/ संशोधनों या उस समय प्रभावी पुन: अधिनियमित होने सहित), वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च को छोड़कर) ₹ 20,85,000.00 (बीस लाख पचासी हजार रुपए मात्र) एवं करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाना है, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 15.09.2021 को 382वीं बोर्ड बैठक में मद सं. 382 पीओटी (4) के तहत एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है और एतद्द्वारा अनुसमर्थित किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार

(श्री बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
कोयला भवन, पो. कोयला नगर, जिला - धनबाद
दिनांकः 19.07.2022

टिप्पणी

1. वर्तमान कोविड -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने इसके परिपत्र के साथ-साथ 05 मई, 2020; 08 अप्रैल, 2020; 13 अप्रैल; 2020; 13 जनवरी, 2021; 08 दिसंबर, 2021 तथा 14 दिसंबर, 2021 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) को एक साथ पढ़ा तथा एक सामान्य जगह पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" / "मीटिंग") आयोजित करने की अनुमति दी है। एनसीए परिपत्रों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जा रही है। वार्षिक आम बैठक के मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

   विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी की अधिकृत ईमेल आईडी से पहले ही लिंक प्रदान किया जाएगा तथा बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले उपलब्ध होगी तथा निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा।

2. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के तहत / कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार एक कम समय की सूचना पर बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

3. चूंकि, एमसीए परिपत्रों के अनुसार यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची यहां संलग्न नहीं हैं।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(ख) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए रजिस्टरों को खुला रखना आवश्यक है, ताकि यह बैठक के दौरान बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ होगा।

5. एजीएम में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसार एक विवरण "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है।

6. इस बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक का विवरण "अनुलग्नक ख" में दिया गया है।

प्रतिलिपि:

i. बीसीसीएल के सभी निदेशकगण
ii. मेसर्स एनसी बनर्जी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखा परीक्षक
iii. मेसर्स जेके दास एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक
iv. मेसर्स संजीवन एण्ड कंपनी, लागत लेखा परीक्षक

सूचना का अनुलग्नक

अनुलग्नक - क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत आवश्यक है, निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण दिनांक 19.07.2022 की संलग्न सूचना की मद संख्या 4 के तहत उल्लिखित व्यवसाय से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है।

मद संख्या 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की संपुष्टि

निदेशक मंडल ने दिनांक 15.09.2021 को आयोजित अपनी 382वीं बोर्ड बैठक में मद सं. 382 पीओटी (4) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। बोर्ड ने कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) अधिनियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनिमय, 2013 की धारा 148 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक (कुल शुल्क के 50% की सीमा तक खर्च को छोड़कर) को भी मंजूरी दी लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को बाद में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थित करने की आवश्यकता होगी।

निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों द्वारा संपुष्टि के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित कर दिया है।

कंपनी के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार कंपनी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों की सीमा को छोड़कर उक्त संकल्प से संबंधित नहीं है या रुचि (वित्तीय या अन्यथा) नहीं रखते।

अनुलग्नक - ख

वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:-

सामान्य बैठक ("एसएस-2") पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण निम्नलिखित है-

निदेशक का नाम एवं पदनाम	**श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार**	**श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (कार्मिक)**
डीआईएन	08519303	08753287
जन्मतिथि	20.08.1965	01.08.1962
राष्ट्रीयता	भारतीय	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	18.07.2019	01.06.2020
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें और मांगे गए पारिश्रमिक तथा अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता और अनुभव	भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के एसोसिएट सदस्य	कार्मिक प्रबंधक एवं औद्योगिक संबंध में बी.कॉम, पीजी डिप्लोमा
कंपनी में शेयरधारिता	₹ 1000 का एक (1) इक्विटी शेयर/ कोल इंडिया लिमिटेड के नामित शेयरधारक	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और दूसरे केएमपी. के साथ संबंध	शून्य	शून्य
वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड बैठक में उपस्थिति	1 1	1 1
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद की सूची	शून्य	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार।
बीसीसीएल में अन्य समिति के अध्यक्ष /सदस्यता	बीसीसीएल की लेखा परीक्षा समिति	बीसीसीएल की सीएसआर समिति, जोखिम प्रबंधन समिति

वर्ष 2021-22 दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री समीरन दत्ता	:	(28.12.2021 से निरंतर)
श्री पी. एम. प्रसाद	:	(01.02.2021 से 28.12.2021 तक)

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री जे. पी. दत्ता	:	तकनीकी (01.04.2021 से 05.02.2022)
श्री समीरण दत्ता	:	वित्त (18.07.2019 से निरंतर)
श्री चंचल गोस्वामी	:	तकनीकी (04.11.2019 से 28.02.2022 तक)
श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव	:	कार्मिक (01.06.2020 से निरंतर)
श्री संजय सिंह	:	तकनीकी (05.02.2022 से निरंतर)

अंशकालिक निदेशक

श्री बी. वीरा रेड्डी	:	निदेशक (तक.), सीआइएल, कोलकाता (24.02.2022 से निरंतर)
श्री बिनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी), सीआइएल, कोलकाता (09.11.2017 से 31.01.2022 तक)
श्री आनंदजी प्रसाद	:	परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय सरकार द्वारा नामित (03.01.2022 से निरंतर)
श्री बी.पी.पति	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय सरकार द्वारा नामित (03.10.2018 से 03.01.2022)

स्वतंत्र निदेशक

श्री नरेंद्र सिंह	:	(10.07.2019 से निरंतर)
श्रीमती शशि सिंह	:	(01.11.2021 से निरंतर)
श्री अलोक कुमार अग्रवाल	:	(01.11.2021 से निरंतर)
श्री सत्यव्रत पांडा	:	(01.11.2021 से निरंतर)
श्री राम कुमार रॉय	:	(31.12.2011 से निरंतर)

बैंकर एवं लेखा परीक्षक

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूको बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब नेशनल बैंक
इंडियन बैंक
कोटक महिन्द्रा बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एन. सी. बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार, बोकारो

शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स सुशील कुमार शर्मा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार, रांची
मैसर्स अमोल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, धनबाद
मैसर्स वी रोहतगी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार, रांची
मैसर्स के. एल. बनर्जी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार, धनबाद
मैसर्स दत्ता पी. कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, गिरीडीह
मैसर्स आर के जे एस एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार, धनबाद
मैसर्स गुहा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, धनबाद
मैसर्स एडीडी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, कोलकाता

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स एस जे के दास एण्ड एसोसिएट्स, कोलकाता
कंपनी सचिव

आतंरिक लेखाकार

मैसर्स गुहा नंदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मैसर्स डी.एन. डोकानिया एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, धनबाद

मैसर्स आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, सिलचर

मैसर्स एम सी भंडारी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मैसर्स केएएसजी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, धनबाद

मैसर्स एच.पी. झुनझुनवाला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मैसर्स एस के मलिक एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मैसर्स डीबीके एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, 24 परगना (एस)

मैसर्स वीके जिंदल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, रांची

मैसर्स डी चक्रवर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मैसर्स प्रणब घोष एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, हुगली

मैसर्स के बी डी एस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, दिल्ली

मैसर्स जीजीएम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, कोलकाता

मैसर्स एस ए आर सी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स संजीवन एण्ड कंपनी, धनबाद
मैसर्स तिलक खरे एण्ड कंपनी, लखनऊ
मैसर्स एस शेखर एण्ड कंपनी, दिल्ली

16 जून, 2022 को प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) – अतिरिक्त प्रभाग

श्री समीरन दत्ता

पूर्णकालिक निदेशक

श्री संजय कुमार सिंह
निदेशक (तकनीकी)

श्री पी. वी. के. आर. मल्लिकार्जुन राव
निदेशक (कार्मिक)

अंशकालिक निदेशक

श्री बी वीरा रेड्डी
निदेशक (तकनीकी), सीआईएल, कोलकाता

श्री आनंदजी प्रसाद
परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित

स्वतंत्र निदेशक

श्री आलोक कुमार अग्रवाल

श्रीमती शशि सिंह

श्री नरेंद्र सिंह

श्री सत्यब्रत पंडा

श्री राम कुमार राय

कंपनी सचिव

श्री बी. के. पारुई

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 51वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह वर्ष एक महत्वपूर्ण वित्तीय वर्ष है, साथ-ही-साथ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा राष्ट्र की सेवा में 50 वर्ष (1971-2022) पूरा करने का एक प्रतीक वर्ष भी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षित लेखा पर सांविधिक अंकेक्षणों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षण और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट एवं समीक्षा आपको पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। आपकी अनुमति से मैं इसका वाचन करता हूं।

वर्ष 2021-22 की शुरूआत हमने महामारी से पैदा हुए चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच की थी, किंतु चुनौतियों के बावजूद हमने वर्ष के लिए निर्धारित कोयला उत्पादन एवं ऑफ-टेक दोनों लक्ष्यों को सफलता पूर्वक प्राप्त किया।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रेषण को बढ़ाने और ग्राहकों से भुगतान प्राप्ति में सुधार करने के लिए विपणन एवं बिक्री क्षेत्र में कई रणनीतिक निर्णय लिए। जिसके परिणामस्वरूप, कंपनी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 98% की वृद्धि करते हुए ₹ 15,900 करोड़ की शुद्ध बिक्री का रिकार्ड लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही। परिणामस्वरूप, ग्राहकों पर बकाया राशि, जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ₹ 3500 करोड़ थी वह वर्ष के अंत में घटकर ₹ 1300 करोड़ तक कम हो गई। इसने कंपनी को लगभग ₹ 2100 करोड़ का उधार चुकाने में सक्षम बनाया, जो महामारी के दौरान हो गया था। सभी हितधारकों के निरंतर प्रयास और सहयोग से आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करते हुए निवल मूल्य में ₹184.96 करोड़ का सुधार किया जो 31 मार्च 2022 तक ₹3273.77 करोड़ था।

1. **कार्य प्रदर्शन अवलोकन**

वर्ष के दौरान कंपनी ने 30.00 एमटी के लक्ष्य के समक्ष 30.51 एमटी का उत्पादन किया और 32.00 एमटी के लक्ष्य के समक्ष 32.25 एमटी का ऑफटेक हासिल किया। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की कुल आय ₹ 10579.83 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष के दौरान ₹ 6749.57 करोड़ थी। हम वर्ष के लिए निर्धारित ₹ 850 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए ₹ 857 करोड़ का कैपेक्स हासिल करने में भी सफल रहे। वर्ष के दौरान मांग में वृद्धि के कारण बिक्री (सांविधिक लेवी का शुद्ध) ₹ 3295.78 करोड़ बढ़कर ₹ 6149.81 करोड़ से ₹ 9445.58 करोड़ (53.59% की वृद्धि) हो गई। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में ₹ 1202.48 करोड़ के शुद्ध हानि के समक्ष ₹ 111.62 करोड़ का शुद्ध लाभ (PAT) अर्जित किया।

वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष 0.76 मि. टन के समक्ष 1.17 मि. टन धुले हुए कोयले की आपूर्ति कर 54 %की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है। माननीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा 5.0 मि.ट. प्रति वर्ष (एमटीपीए) की क्षमता वाली एक नई वाशरी, मधुबन का उद्घाटन किया गया है, जो वर्तमान में परीक्षण के अधीन है।

वर्ष के दौरान हासिल किए गए विभिन्न उल्लेखनीय कार्य निम्नलिखित हैं:

- पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक कोयला उत्पादन एवं उठाव (ऑफटेक)।
- 25 मार्च, 2022 को 1.88 एल टन ऑफ-टेक की रिकॉर्ड मात्रा के साथ एक दिन में 48 रेकों का अब तक का सबसे अधिक प्रेषण।
- डब्ल्यूजे क्षेत्र (प्रमुख कोकिंग कोल यूजी माइन) ने हासिल किया:
  - एक दिन में सर्वाधिक उत्पादन (4500 टन)
  - एक दिन में सर्वाधिक प्रेषण (4724 टन)
  - लांग वाल से सार्वधिक कटाई (9 कट)
  - एक महीने में सबसे ज्यादा उत्पादन (93,550 टन)
  - एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन (5,93,641 टन)

कंपनी के उपर्युक्त प्रदर्शन से यह पता चलता है कि आने वाले वर्षों में और सुधार होने की संभावना है, जिसमें अनुबंध के माध्यम से उत्पादन के लिए नए पैच की पहचान, बीओएम (बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन) मॉडल के तहत नई वाशरियों की स्थापना और आर ओ एम (रेनावेट-ऑपरेट-मेंटेन) के तहत मौजूदा वाशरीज का नवीनीकरण शामिल है। इस दिशा में कंपनी द्वारा उठाए गए कई कदमों को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:

i. वर्ष 2021-22 के दौरान 45.5 मिलियन टन कोयला भंडार और 12.4 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता सहित 16 हायर्ड पैचों की पहचान की गई है, जो कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं।

ii. एमओडी मोड के तहत कपूरिया यूजी (1.83 एमटीवाई क्षमता) के लिए निविदा।

iii. 2.5 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी (निर्माणाधीन), 2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी (निर्माणाधीन) एवं 2.5 मुनीडीह वाशरी (निविदा के तहत) नामक तीन नई वाशरियों का निर्माण।

iv. आर ओ एम के तहत मौजूदा मधुबन एवं मुनिडीह वाशरियों का जीर्णोद्धार, दोनों निविदा प्रक्रिया में है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने झरिया सीबीएम ब्लॉक-I से सीबीएम निकालने के लिए मेसर्स प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक राजस्व साझेदारी समझौता भी किया है, जो आने वाले वर्षों में कंपनी के लिए विविधीकरण एवं सतत विकास के नए रास्ते खोलेगा।

2. उत्पादन और सेवा गुणवत्ता पर जोर

बीसीसीएल सदा से ही निर्धारित ग्रेड के अनुरूप कोयला उत्पादन करने के लिए ग्राहकों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के प्रति प्रयत्नशील रहा है। इसे पूरा करने हेतु उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई उचित मांग होने पर भी कोयला प्रेषण के सभी माध्यमों में तृतीय पक्ष सैंपलिंग को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। कंपनी भर में कोयले के ग्रेड को एकसमान बनाए रखने के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया को भी लागू किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के दौरान 65% की तुलना में वर्ष के दौरान 82% कोयले की आपूर्ति ग्रेड के अनुरूप हुई है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 (अब तक) के लिए बीसीसीएल की ग्रेड कन्फर्मेशन कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है।

3. एसएपी (सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम) का सूत्रपात

कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में एसएपी आधारित ईआरपी समाधान लागू किया गया है और बीसीसीएल में इसका कार्यान्वयन दूसरे चरण में किया गया है, यहाँ पर इसके माध्यम से कार्य करने की शुरुआत 1 अगस्त , 2021 से कर दी गयी है। बीसीसीएल के पद्धति विभाग ने कंपनी में सैप कार्यान्वयन हेतु सिस्टम इंटेग्रेटर मैसर्स एसेंचर के साथ निम्नलिखित 7 मॉड्युलों के लागू करने के लिए समन्वयन किया है:

i. **एफआईसीओ-** सभी वित्तीय लेनदेन की रिकार्डिंग हेतु।

ii. **एमएम मॉड्यूल-** खरीद आवश्यकताएं, खरीद आदेश, सामग्री के हस्तांतरण, सेवा प्रविष्टि पत्रक के निर्माण के लिए।

iii. **पीएम मॉड्यूल-** उत्खनन, ईएंडएम और वाशरी विभागों द्वारा रखरखाव आदेशों के लिए, उत्पादन प्रणाली में सर्वे ऑफ (तकनीकी) के विन्यास, एचईएमएम चलने के घंटे, एचईएमएम के लिए निवारक रखरखाव में प्रयुक्त।

iv. **एसडी मॉड्यूल-** सभी प्रकार के बिक्री आदेश और अनुबंधों को तैयार करने के लिए

v. **पीपी मॉड्यूल -** उत्पादन रिकॉर्डिंग के लिए सभी खानों और वाशरियों में उपयोग।

vi. **प्रोजेक्ट सिस्टम-** प्रोजेक्ट की परिभाषा और विकासशील परियोजनाओं के लिए कार्य बाधा संरचना के निर्माण के लिए।

vii. **ह्युमन कैपिटल मैनेजमेंट-** कार्मिक संबंधी सभी सूचनाओं का रखरखाव।

4. सुरक्षा उपाय

बीसीसीएल के एजेंडे में खान और खनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीसीसीएल सुरक्षा पहलुओं पर उतना ही महत्व देता है जितना कि वह अपने प्रदर्शन मानकों पर देता है। बीसीसीएल की प्राथमिक चिंता अपनी प्रमुख संपत्तियों – कर्मियों, खानों और मशीनों की सुरक्षा करना है। बीसीसीएल में, सभी खनन कार्यों को सुरक्षित और जोखिम मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा मानदंडों को समग्र रूप से देखा जाता है। 'शून्य दुर्घटना' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी नियमित रूप से योजनाबद्ध तरीके से खुद को तैयार करती है।

साल के दौरान 2021-22 , घातक दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले वर्ष के दौरान 5 की तुलना में कुल मृत्यु केवल 1 तक ही सीमित थी। इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में गंभीर दुर्घटनाओं और चोटों की घटनाओं में भी काफी कमी आई है। कर्मियों, खानों और मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निवारक उपाय किए गए हैं जैसे:

i. सांविधिक प्रावधानों के अनुसार और डीजीएमएस द्वारा दी गई अनुमति की आवश्यकताओं के अनुसार खनन गतिविधियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए वैधानिक व्यक्तियों की तैनाती,
ii. सुरक्षा समिति एवं कामगार निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण
iii. आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का बैकशिफ्ट निरीक्षण,
iv. आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का औचक निरीक्षण,
v. डीजीएमएस, आईएसओ और अन्य एजेंसियों आदि द्वारा बताए गए उल्लंघनों का अनुपालन।

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के सुरक्षा प्रदर्शन का भी नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है।

सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षित वातावरण पर रोड मैप के कार्यान्वयन की स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान विशेष अभियान चलाए गए जिसमें वरिष्ठ कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य परामर्श, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच, खतरे को कम करने के लिए तैयारियों का आकलन, फीडर ब्रेकर, विद्युत सब-स्टेशनों और खनन संचालन के अन्य संवेदनशील बिंदुओं में आग के कारण, विद्युत स्टेशनों में एलओटीओ (लॉक आउट टैग आउट) प्रणाली और शटडाउन प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता का आकलन आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

5. पारिस्थितिकी और पर्यावरण

पर्यावरण की रक्षा और वनस्पतियों व जीवों के संरक्षण के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना कंपनी के व्यापार-दर्शन में विहित है। आपकी कंपनी ने विभिन्न पर्यावरण हितैषी पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से कोयला खदानों एवं उसके परिधीय क्षेत्रों के वातावरण को स्वच्छ बनाने हेतु कई आवश्यक कदम उठाए हैं।

आपकी कंपनी खनन की जा चुकी विकृत भूमि और ओवरबर्डेन डंपों पर प्राकृतिक वन संबंधी संस्थानों के साथ इको-पार्क विकसित कर रही है और खनन उद्योग में बीसीसीएल इको-पार्क स्थापित करने में अग्रणी है। इस अवधि के दौरान कंपनी ने 90 हेक्टेयर बिक्री भूमि पर जैविक सुधार करते हुए इस पर 1.86 लाख से अधिक पौध-रोपण किया है। इसके अतिरिक्त आस-पास के क्षेत्रों में वायु-गुणवत्ता की सतत मानिटरिंग के लिए 40 'ऑनलाइन पी.एम. 10 एनलाइजर' तथा खदानों के आस-पास के क्षेत्रों में धूलकणों की सफाई एवं पानी की बौछार के लिए 9 फॉग-कैनन (ट्रक एवं ट्राली युक्त) की खरीदारी की गई है।

हालांकि बीसीसीएल ने प्रभावी पर्यावरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं, लेकिन यह विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के बिना सफल नही हो सकता है। इस दिशा में बीसीसीएल ने सभी हितधारकों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाने के लिए पर्यावरण कार्यशालाओं के आयोजन के साथ-साथ इको-माइनिंग टूरिज्म के माध्यम से एक बेहतर वातावरण विकसित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर)

कंपनी, अपनी मुख्य गतिविधियों को जारी रखते हुए , शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से अपने परिचालन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट होने के नाते, बीसीसीएल ने अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने में अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जारी रखा है। बीसीसीएल की सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013, सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों और सीआईएल की सीएसआर नीति के तहत इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं।

बीसीसीएल ने 2021-22 में सीआईएल की संशोधित सीएसआर नीति को अपनाया है। 2021-22 में कंपनी ने 100 फीसदी सीएसआर खर्च करने का लक्ष्य हासिल किया। हमने वर्ष 2021-22 में 'आजादी का अमृत महोत्सव ' भी मनाया है और देश भर में चल रहे उत्सव के अनुरूप 62 सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया है। 2021-22 के दौरान, बीसीसीएल ने सीएसआर के तहत 15 चल रही परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जिसमें धनबाद में COVID-19 जैसी महामारी स्थितियों का मुकाबला करने के लिए डीसी धनबाद को वित्तीय सहायता , सिपेट में युवाओं का प्रशिक्षण, धनबाद में 460 आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास आदि शामिल हैं। बीसीसीएल ने प्रतिष्ठित पीआरएसआई राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त किया। इसके अलावा आपकी कंपनी को COVID-19 जागरूकता के लिए सोशल मीडिया के सर्वोत्तम उपयोग के लिए पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से **पीआरएसआई नेशनल अवार्ड 2021** का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

बीसीसीएल वर्ष 2009 से अपने लीज होल्ड क्षेत्र में आग, धंसने और पुनर्वास से निपटने के लिए झरिया मास्टर प्लान को लागू किया है। मास्टर प्लान के अनुसार, जेआरडीए ने 2021-22 के दौरान झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वासित व्यक्तियों को 8,000 घर सौंपे हैं।

7. निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानक को बनाए रखने की प्रतिबद्धता और कॉरपोरेट कानूनों व डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीई) द्वारा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (सीपीएसई) के लिए जारी दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के क्रम में, दिशानिर्देशों के अनुरूप निरंतर प्रयास किए जाते हैं और निदेशक मंडल को भी नियमित अंतराल पर कंपनी पर लागू विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में अवगत कराया जाता है। निदेशकों की रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक विशेष भाग दिया गया है। बोर्ड की वैसी भी उप समितियां जिन्हें विशेष भूमिकाएं दी गई हैं, वे नियमित रूप से बैठकें करती हैं तथा बोर्ड को अपनी प्रति पुष्टि से अवगत करा रही हैं और बोर्ड को आवश्यक सहायता भी दे रही है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण पत्र एक अभ्यास कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद से, अधिक पारदर्शिता लाने और कंपनी पर लागू विभिन्न कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर साल सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की जा रही है।

8. संकल्पना

बीसीसीएल लगातार अपने कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए, अपने कर्मचारियों की क्षमता में सुधार लाने और एक शक्तिशाली नेतृत्व क्षमता को विकास करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। संगठन के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मानव संसाधन के मोर्चे, उत्खनन और खनन से संबंधित कार्य, विपणन, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्र आदि में विभिन्न पहल की गई हैं। कंपनी अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं में उच्च प्रदर्शन स्तर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हम इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाभप्रदता में सुधार लाने और इस प्रकार हितधारकों की संपत्ति में वृद्धि करने के प्रयास चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षता में सुधार, सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर जोर देने के साथ, कंपनी की योजना नई ऊंचाइयों को छूने और आत्मनिर्भरता और राष्ट्र के आयात प्रतिस्थापन के लक्ष्य में योगदान करने की है।

9. आभार

मैं बीसीसीएल के निदेशक मंडल की ओर से विभिन्न हमारे हितधारकों जैसे कोयला मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, विभागों, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केंदीय और राज्य सरकार के प्राधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, यूनियनों, हमारे मूल्यवान उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं को उनके निरंतर मार्गदर्शन, समय पर समर्थन और सहयोग के लिए उनकी सराहना करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मैं कंपनी के फ्रंटलाइन वर्करों जैसे कि डाक्टरों, नर्सों और पैरा मेडिकल कर्मचारियों के प्रति पूरी ईमानदारी से कृतज्ञता और सराहना करता हूं जिन्होंने अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालते हुए महामारी में प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए अपने स्तर पर सर्वोत्तम कार्य किया। मैं अन्य सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों और संविदात्मक कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनकी प्रतिबद्धता के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं जिन्होंने कोयला उत्पादन की गतिविधियों को निर्बाध रूप से बनाए रखने में उस समय कड़ी मेहनत और अथक प्रयास तब किए जब हमारे राष्ट्र की अधिकांश गतिविधियां बंद थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्य के प्रति आपके प्रयासों समर्पण और लगन से कंपनी आने वाले वर्षों में बहुत बेहतर करेगी और अपने सभी हितधारकों की अपेक्षा को पूरा करने में एक सक्रिय भागीदार होगी। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण काल के दौरान बोर्ड के मेरे साथी सदस्य अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सचेत रहे हैं और इसके लिए मैं पूरी यात्रा में उनकी सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं।

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

संचालन आंकड़े

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1. (अ) कच्चे कोयला का उत्पादन : (मिलियन टन)										
भूमिगत	0.81	0.61	1.04	0.90	1.08	1.68	1.81	2.03	2.7	3.153
खुली खदान	29.71	24.05	26.69	30.14	31.53	35.36	34.05	32.48	29.91	28.058
कुल	**30.51**	**24.66**	**27.73**	**31.04**	32.61	37.04	35.86	34.51	32.61	31.211
(ब) मलवा हटाई (ओबीआर) (मिलियन घन मी.)	**105.37**	**103.84**	**82.65**	**103.25**	110.47	131.22	148.59	103.9	85.419	84.259
2. उठाव (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)										
बिजली	25.46	17.12	23.63	27.24	27.52	27.49	28.99	27.43	27.07	25.34
इस्पात	0.73	1.03	0.66	2.50	2.81	4.25	3.5	2.69	3.44	3.86
खाद (फर्टिलाइजर)	0.64	0.94	0.98	0.92	0.86	1.10	1.03	0.96	1.12	1.12
कोलियरी में खपत	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.08
अन्य	5.42	4.04	3.48	2.39	2.15	2.03	2.63	2.52	2.68	2.68
कुल	**32.25**	**23.13**	**28.76**	**33.07**	**33.36**	**34.92**	**36.20**	**33.66**	**33.04**	**33.08**
3. औसत श्रमशक्ति	**40032**	**42287**	**44722**	**47383**	**49947**	**52409**	**54861**	**57506**	**60329**	**63291**
4. उत्पादकता										
(क) औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (टन)	762.14	583.16	620.05	655.09	652.89	706.75	653.65	600.11	540.54	493.13
(ख) प्रति मैनशिफ्ट उत्पादन (ओएमएस)										
(i) भूमिगत (टन)	0.24	0.16	0.32	0.25	0.23	0.25	0.25	0.26	0.31	0.35
(ii) ओपनकास्ट (टन)	7.53	5.93	6.11	6.75	7.05	8.99	8.52	8.34	9.38	7.57
(iii) कुल मिलाकर (टन)	4.16	3.13	3.62	3.87	3.56	3.46	3.20	2.96	2.64	2.45
5. सूचना - लागत रिपोर्ट के अनुसार										
(i) प्रति मैन शिफ्ट आय (₹)	5340.90	4673.90	4606.82	4551.08	3979.74	3411.03	3002.10	2844.90	2628.66	2400.22
"(ii) शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन की औसत लागत (₹ प्रति टन)"	2768.13	3092.64	2987.89	2604.93	2773.89	2136.65	2054.10	1955.32	1906.02	2014.89
"(iii) शुद्ध बिक्री योग्य कोयला के उत्पादन का औसत विक्रय मूल (₹ प्रति टन)"	2726.18	2404.30	2998.37	2636.39	2176.14	2171.80	2354.34	2272.07	2383.07	2475.68
(iv) लाभ प्रति टन (₹) लक्ष्य	15.35	37.65	350.49	-162.13	-93.65	20.33	257.88	333.26	338.27	416.74
(v) लाभ प्रति टन (₹) वास्तविक	62.70	-643.08	246.18	223.04	-610.15	-62.22	300.23	316.75	334.46	640.6

वित्तीय स्थिति

(बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹ 'करोड़ में)

संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(क) जो स्वामित्व में है							
सकल संपत्ति, संयत्र और उपकरण	3838.25	3,161.95	2,551.68	2,459.85	2,153.47	2,007.83	1,913.17
घटाएं: मूल्यह्रास और हानि	1506.52	1,277.09	1,131.35	1,025.98	796.65	490.87	229.14
(क) शुद्ध संपत्ति, संयत्र और उपकरण	**2,331.73**	**1,884.86**	**1,420.33**	**1,433.87**	**1,356.82**	**1,516.96**	**1,684.03**
(ख) जारी पूंजीगत कार्य	1447.35	1389.92	1,702.26	1,542.92	1,403.17	1,138.98	785.75
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	167.13	417.88	645.16	552.26	563.44	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	18.58	-	-	-	-	-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
(i) निवेश	-	-	-	-	-		
(ii) ऋण	-	-	0.07	0.15	0.27	0.50	0.77
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	607.18	528.13	-	389.96	297.78	303.40	197.00
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	867.08	971.44	573.35	549.14	856.46	387.10	285.15
(ज) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	349.91	357.66	971.44	501.72	132.08	149.47	128.60
कुल गैर-वर्तमान संपत्ति (क)	**5,788.96**	**5,549.89**	**5,312.61**	**4,970.02**	**4,610.02**	**3,496.41**	**3,081.30**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ							
(क) माल-सूची (इन्वेंटरी)							
(i) कोयले, कोक आदि की सूची	898.10	1,126.84	630.50	709.83	968.47	1,226.98	828.60
(ii) भंडार और पुर्जों की सूची	73.05	54.97	63.11	58.05	53.69	53.07	50.05
(iii) अन्य सूची (इन्वेंटरी)	7.30	6.07	7.16	6.21	6.63	9.42	9.54
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
(i) निवेश	-	-	4.00	26.40	0.77	45.99	71.90
(ii) व्यापार प्राप्य	1,037.01	3,004.80	2,414.72	613.72	1,459.92	2,636.38	2,637.66
(iii) नकद और नकद समकक्ष	617.33	48.67	34.30	86.49	192.89	37.87	569.69
(iv) अन्य बैंक शेष	7.24	126.99	1,423.31	2,015.02	900.00	1,283.69	1,107.73
(v) ऋण	-	-	-	-	126.99	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	37.22	274.68	-	412.63	387.82	85.98	77.40
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	151.44	122.72	274.68	12.61	41.61	46.59	20.53
(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	2,549.23	2,112.88	122.72	1,802.60	1,355.73	1,059.04	744.10
कुल वर्तमान संपत्ति (ख)	**5,377.92**	**6,878.62**	**4,974.50**	**5,743.56**	**5,494.52**	**6,485.01**	**6,117.20**
वर्तमान देयताएँ							
(क) वित्तीय देयताएँ							
(i) उधारियां	-	2,052.08	583.07	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयताएं	43.93	-	-	-	-	-	-
(iii) व्यापार देय	800.26	1,208.53	2,052.08	1,666.59	1,343.86	983.61	877.90
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	1,507.92	1,462.63	-	773.42	833.45	970.23	580.96
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	2,529.82	1,769.81	2,238.49	2,795.20	2,019.67	1,675.22	1,711.83
(ग) प्रावधान	1,032.78	877.63	979.44	960.86	1,757.68	1,663.55	1,370.38
कुल वर्तमान देयताएँ (ग)	**5,914.71**	**7,370.68**	**5,853.08**	**6,196.07**	**5,954.66**	**5,292.61**	**4,541.07**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7-8)	-536.79	-492.06	-878.58	-452.51	-460.14	1,192.40	1,576.13
कुल (क)	**5,252.17**	**5,057.83**	**4,434.03**	**4,517.51**	**4,149.88**	**4,688.81**	**4,657.43**

(₹ 'करोड़ में)

संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(ख) जो बकाया है							
(क) वित्तीय देयताएँ							
(i) उधारियां	-	-	-	2,350.92	2,176.78	2,015.54	1,866.24
(ii) पट्टा देयताएं	156.35	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	283.71	232.75	88.45	82.27	65.83	63.15	38.44
(ख) प्रावधान	1,535.59	1,732.65	1,777.15	1,026.30	1,146.70	683.04	690.84
(ग) आस्थगित कर देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	2.75	3.62	5.01	5.70	4.88	0.96	-
कुल (ख)	**1,978.40**	**1,969.02**	**1,870.61**	**3,465.19**	**3,394.19**	**2,762.69**	**2,595.52**
कुल मूल्य (नेट वर्थ) (क - ख)	**3273.77**	**3088.81**	**2563.42**	**1052.32**	**755.69**	**1926.12**	**2061.91**
निम्नलिखित के द्वारा निरूपित							
1. इक्विटी पूंजी	4657.00	4657.00	4657.00	2118.00	2118.00	2118.00	2118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी भाग	0.00	0.00	0.00	1057.52	1057.52	1057.52	1,057.52
3. रिजर्व और अधिशेष	(1383.23)	(1568.19)	(359.34)	(2123.20)	(2546.82)	(1249.40)	(1113.61)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	**3,273.77**	**3,088.81**	**4,297.66**	**1,052.32**	**628.70**	**1,926.12**	**2,061.91**
नियोजित पूंजी	**3273.77**	**5140.89**	**4880.73**	**3403.24**	**2805.48**	**3941.66**	**3928.15**

आय और व्यय विवरणी

(बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

(₹ 'करोड़ में)

संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(क) से अर्जित:							
1. सकल बिक्री	12867.34	8,521.62	12,224.47	12,899.98	10,493.56	11,505.53	11001.01
घटाएं: लेवी	3421.76	2,371.81	3,256.91	3,522.30	3,193.77	2,883.17	1936.13
कुल बिक्री	9445.58	6149.81	8967.56	9377.68	7299.79	8622.36	9064.88
2. अन्य परिचालन राजस्व							
(क) निकासी सुविधा शुल्क	185.50	112.86	143.28	167.95	51.19	0.00	0.00
(ख) रेत के भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	-0.82	0.43	2.03	3.74
(ग) परिवहन और लोडिंग लागत की वसूली	496.78	304.62	315.17	330.07	252.66	225.36	230.87
	682.28	417.48	458.45	497.20	304.28	227.39	234.61
संचालन से राजस्व (1 + 2)	**10127.86**	**6567.29**	**9426.01**	**9874.88**	**7604.07**	**8849.75**	**9299.49**
3. अन्य आय							
(क) जमा आदि पर ब्याज	22.56	56.87	159.24	153.18	137.78	140.47	181.91
(ख) अन्य गैर-परिचालन आय	429.41	125.41	603.38	194.07	310.31	174.74	84.05
(ग) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज	0.00	0.00	4.13	25.63	6.71	7.17	3.32
कुल (क)	**10579.83**	**6749.57**	**10192.76**	**10247.76**	**8058.87**	**9172.13**	**9568.77**
(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:							
1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ)	**5788.32**	**5565.72**	**5761.35**	**5866.95**	**6417.58**	**5143.94**	**4602.90**
(क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि	4504.03	4164.10	4155.12	4183.93	4338.09	3361.17	3343.58
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	662.94	667.47	647.57	784.26	495.60	394.74	394.13
(ग) ग्रेच्युटी	191.66	226.72	240.04	390.23	1264.19	191.89	157.35
(घ) अवकाश नकदीकरण	100.68	86.09	220.24	163.61	40.21	223.92	101.78
(ङ) अन्य	329.01	421.34	498.38	344.92	279.49	972.22	606.06
2. स्टॉक में (वृद्धि) / कमी	229.13	(463.45)	79.48	258.35	134.00	(397.74)	(76.13)
3. उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	148.11	582.58	572.4
4. सीएसआर खर्च	2.99	6.12	6.01	1.43	2.74	11.45	50.67
5. खपत सामग्रियों की लागत	634.63	475.09	397.15	517.78	499.84	559.81	591.2
6. बिजली और ईंधन	244.10	225.42	233.72	232.18	283.54	294.51	320.7
7. मरम्मत	144.64	138.76	201.49	224.49	250.82	277.84	239.46
8. संविदागत व्यय	1962.11	1,476.37	1,211.50	1,312.57	1,292.86	1,491.93	1532.69
9. वित्त लागत	77.75	121.69	221.83	200.66	189.84	173.50	163.17
10. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	315.48	208.79	197.53	248.52	276.03	262.80	221.38
11. प्रावधान	36.57	29.16	186.65	38.92	169.15	251.31	38.98
12. बट्टे खाते में	-	-	1.07	0.85	-	6.04	137.72
13. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	88.44	(193.17)	49.72	100.64	(148.41)	(121.95)	-150.39
14. अन्य खर्च	864.36	736.13	654.14	687.37	668.02	899.19	718.34
कुल (ख)	**10388.52**	**8326.63**	**9201.64**	**9690.71**	**10184.12**	**9435.21**	**8963.09**
कर से पहले लाभ / हानि (क - ख)	**191.31**	**-1577.06**	**991.12**	**557.05**	**-2125.25**	**-263.08**	**605.68**
कर व्यय	79.69	(374.58)	72.44	268.28	(734.03)	(93.10)	-3.39
अवधि के लिए लाभ / हानि (ग)	**111.62**	**-1202.48**	**918.68**	**288.77**	**-1391.22**	**-169.98**	**609.07**
अन्य व्यापक आय	98.01	-8.51	-308.64	134.85	135.74	32.88	65.38
ओसीआई पर कर	24.67	-2.14	-96.30	0.00	41.94	11.38	22.62
कुल अन्य व्यापक आय (घ)	**73.34**	**-6.37**	**-212.34**	**134.85**	**93.80**	**21.50**	**42.76**
कुल व्यापक आय (ग + घ)	**184.96**	**-1208.85**	**706.34**	**423.62**	**-1297.42**	**-148.48**	**651.83**
पिछले वर्षों से संचित हानि	(1568.19)	(359.34)	(2123.20)	(2546.82)	(1249.40)	(1100.92)	(1752.75)
बैलेंस शीट को हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि	(1383.23)	(1568.19)	(359.34)	(2123.20)	(2546.82)	(1249.40)	(1100.92)

(₹ 'करोड़ में)

संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित							
1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या	46570000	46570000	46570000	21180000	21180000	21180000	21180000
(ii) शेयरधारकों का निधि							
क) इक्विटी शेयर पूंजी	4,657.00	4,657.00	4,657.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00
ख) अधिमानी शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	0.00	0.00	0.00	1,057.52	1,057.52	1,057.52	1,057.52
ग) रिजर्व	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99	140.99
घ) संचित लाभ / हानि	(1524.22)	(1709.18)	(500.33)	(2264.19)	(2687.81)	(1390.39)	(1241.91)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3,273.77	3,088.81	4,297.66	1,052.32	628.70	1,926.12	2074.60
2. दीर्घकालिक उधार	-	-	-	2,350.92	2,176.78	2,015.54	1,866.24
3. नियोजित पूंजी	3273.77	5140.89	4880.73	3403.24	2805.48	3941.66	3928.15
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	2331.73	1884.86	1420.33	1433.87	1356.82	1516.96	1684.03
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	5377.92	6878.62	4974.50	5743.56	5494.52	6485.01	6117.20
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी)	-536.79	-492.06	-878.58	-452.51	-460.14	1192.40	1576.13
5. वर्तमान देयताएँ	5914.71	7370.68	5853.08	6196.07	5954.66	5292.61	4541.07
6. क) विविध देनदार (शुद्ध)	1037.01	3004.80	2414.72	613.72	1459.92	2636.38	2637.66
ख) नकद और नकद समकक्ष	617.33	48.67	34.30	86.49	192.89	37.87	569.69
ग) अन्य बैंक बैलेंस	7.24	126.99	1423.31	2015.02	900.00	1283.69	1107.73
7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक:							
क) स्टोर और पुर्जे (शुद्ध)	73.05	54.97	63.11	58.05	53.69	53.07	50.05
ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	898.10	1126.84	630.50	709.83	968.47	1226.98	828.60
8. स्टोर और पुर्जों का औसत स्टॉक (शुद्ध)	64.01	59.04	60.58	55.87	53.38	51.56	52.01
(ख) लाभ / हानि से संबंधित							
1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	584.54	-1246.58	1410.48	1006.23	-1659.38	173.22	990.23
ख) सकल लाभ	269.06	-1455.37	1212.95	757.71	-1935.41	-89.58	768.85
ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले)	191.31	-1577.06	991.12	557.05	-2125.25	-263.08	605.68
घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	111.62	-1202.48	918.68	288.77	-1391.22	-169.98	609.07
ङ) टीसीआई (कर से पहले)	289.32	-1585.57	682.48	691.90	-1989.51	-230.20	671.06
च) टीसीआई (कर के बाद)	184.96	-1208.85	706.34	423.62	-1297.42	-148.48	651.83
2. क) सकल बिक्री	12867.34	8521.62	12224.47	12899.98	10493.56	11505.53	11001.01
ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद)	9445.58	6149.81	8967.56	9377.68	7299.79	8622.36	9064.88
ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	9674.71	5686.36	9047.04	9636.03	7433.79	8224.62	8988.75
3. सामान की बिक्री (बिक्री - लाभ)	9254.27	7726.87	7976.44	8820.63	9425.04	8885.44	8459.20
4. क) कुल व्यय	10388.52	8326.63	9201.64	9690.71	10184.12	9435.21	8963.09
ख) वेतन और मजदूरी	5788.32	5565.72	5761.35	5866.95	6417.58	5143.94	4602.90
ग) स्टोर और पुर्जे	634.63	475.09	397.15	517.78	499.84	559.81	591.2
घ) बिजली और ईंधन	244.1	225.42	233.72	232.18	283.54	294.51	320.7
ङ) वित्त लागत और मूल्यह्रास	393.23	330.48	419.36	449.18	465.87	436.3	384.55
5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत	52.89	39.59	33.10	43.15	41.65	46.65	49.27
6. क) वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति	40032	42287	44722	47383	49947	52409	54861
ख) सामाजिक उपरिव्यय (एलटीसी / एलएलटीसी सहित)	-	-	-	-	-	-	-
ग) प्रति कर्मचारी सामाजिक उपरिव्यय खर्च							
7. क) वर्धित मूल्य							
ख) प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य							
(क) लाभप्रदता अनुपात							
1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में							
क) सकल मार्जिन	6.19	-20.27	15.73	10.73	-22.73	2.01	10.92
ख) सकल लाभ	2.85	-23.67	13.53	8.08	-26.51	-1.04	8.48
ग) शुद्ध लाभ	2.03	-25.64	11.05	5.94	-29.11	-3.05	6.68

(₹ 'करोड़ में)

संचालन आंकड़े

(भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 पुनर्व्यक्त
2) कुल व्यय के % के रूप में							
क) वेतन और मजदूरी	55.72	66.84	62.61	60.54	63.02	54.52	51.35
ख) स्टोर और पुर्जे	6.11	5.71	4.32	5.34	4.91	5.93	6.60
ग) बिजली और ईंधन	2.35	2.71	2.54	2.40	2.78	3.12	3.58
घ) वित्त लागत और मूल्यह्रास	3.79	3.97	4.56	4.64	4.57	4.62	4.29
3) नियोजित पूंजी के % के रूप में							
क) सकल मार्जिन	17.86	-24.25	28.90	29.57	-59.15	4.39	25.21
ख) सकल लाभ	8.22	-28.31	24.85	22.26	-68.99	-2.27	19.57
ग) कर से पहले लाभ	5.84	-30.68	20.31	16.37	-75.75	-6.67	15.42
4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री)	0.98	1.26	0.89	0.94	1.29	1.03	0.93
(ख) तरलता अनुपात							
1) वर्तमान अनुपात	0.91	0.93	0.85	0.93	0.92	1.23	1.35
2) त्वरित अनुपात	0.74	0.77	0.73	0.80	0.75	0.98	1.15
(ग) टर्नओवर अनुपात							
1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियोजित पूंजी)	2.89	1.20	1.84	2.76	2.60	2.19	2.31
2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार							
क) सकल बिक्री	0.97	4.23	2.37	0.57	1.67	2.75	2.88
ख) शुद्ध बिक्री	1.32	5.86	3.23	0.79	2.40	3.67	3.49
3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में							
क) विविध देनदार	0.11	0.49	0.27	0.07	0.20	0.31	0.29
ख) कोयले का स्टॉक	0.10	0.18	0.07	0.08	0.13	0.14	0.09
4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक							
क) औसत / वार्षिक खपत	0.10	0.12	0.15	0.11	0.11	0.09	0.09
ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक	1.38	1.39	1.91	1.35	1.29	1.14	1.02
5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक							
क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में	1.11	2.38	0.84	0.88	1.56	1.79	1.11
ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत	1.16	1.75	0.95	0.97	1.23	1.66	1.18
ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री	1.14	2.20	0.84	0.91	1.59	1.71	1.10
(घ) संरचनात्मक अनुपात							
क) ऋण : इक्विटी	-	-	-	1.11	1.03	0.95	0.88
ख) ऋण : नेट वर्थ	-	-	-	2.23	3.46	1.05	0.90
ग) नेट वर्थ : इक्विटी	0.70	0.66	0.92	0.50	0.30	0.91	0.98
घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ	0.71	0.61	0.33	1.36	2.16	0.79	0.81

वित्तीय स्थिति

(बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

परिचालन सांख्यिकी (₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14	2012-13
(क) जो स्वामित्व में है			
सकल अचल परिसंपतियाँ	4919.78	4796.21	4598.80
घटाएं: मूल्यह्रास और हानि	3599.27	3414.62	3240.05
(1) शुद्ध अचल परिसंपतियाँ	**1320.51**	**1381.59**	**1358.75**
(2) पूँजीगत जारी कार्य	768.71	503.85	227.10
(3) विलंबित कर परिसंपत्तियाँ	113.91	-	-
(4) गैर-वर्तमान निवेश	-	13.85	27.71
(5) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	134.15	56.50	41.74
(6) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	114.43	-	0.00
(7) वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(i) (क) कोयले, कोक आदि की सूची	754.53	618.75	757.05
(ख) भंडार और पुर्जों आदि की सूची	53.97	63.68	74.02
(ग) अन्य सूची (इन्वेंटरी)	7.21	6.24	6.00
(ii) व्यापार प्राप्य	1600.60	1570.15	1372.05
(iii) नकद और बैंक शेष	2578.34	2287.72	2394.13
(iv) वर्तमान निवेश	13.86	13.86	13.86
(v) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	878.00	810.72	502.15
(vi) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	314.48	375.43	315.72
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7)	**6200.99**	**5746.55**	**5434.98**
(8) कम वर्तमान देयताएं और प्रावधान			
(क) अल्पावधि उधार	649.64	481.59	1098.70
(ख) व्यापार देय	80.79	65.57	88.93
(ग) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	2371.67	2452.9	2222.97
(घ) लघु अवधि के प्रावधान	1722.76	1461.26	1252.79
कुल वर्तमान देयताएं (8)	**4824.86**	**4461.32**	**4663.39**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (7-8)	1376.13	1285.23	771.59
कुल (क)	**3827.84**	**3241.02**	**2426.89**
(ख) जो बकाया है			
(1) दीर्घकालिक उधार	-	-	
(2) विलंबित कर उत्तरदायित्व			
(3) अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ	10.55	8.98	7.35
(4) दीर्घकालिक प्रावधान	687.59	966.72	1868.57
कुल (ख)	**698.14**	**975.70**	**1875.92**

परिचालन सांख्यिकी

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14	2012-13
कुल मूल्य (नेट वर्थ) (क - ख)	**3129.70**	**2265.32**	**550.97**
निम्नलिखित के द्वारा निरूपित			
1. इक्विटी पूंजी	2118.00	2118.00	2118.00
2. अधिमानी शेयर पूंजी	2539.00	2539.00	2539.00
3. रिजर्व और अधिशेष	(1527.30)	(2391.68)	(4106.03)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	**3,129.70**	**2,265.32**	**550.97**
नियोजित पूंजी	**3129.70**	**2265.32**	**550.97**

आय और व्यय विवरणी

(बीसीसीएल के क्षेत्र / इकाइयों के समेकित लेखा पर आधारित)

परिचालन सांख्यिकी (₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14	2012-13
(क) से अर्जित:			
1. सकल बिक्री	9947.01	10099.92	10176.62
घटाएं: लेवी (उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्क)	1905.28	1811.93	1722.02
शुद्ध बिक्री	8041.73	8287.99	8454.60
2. अन्य परिचालन राजस्व			
(ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता	2.38	3.86	
(घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	215.93	183.46	
	218.31	**187.32**	
परिचालनों से राजस्व (1 + 2)	**8260.04**	**8475.31**	
3. अन्य आय			
(क) जमा आदि पर ब्याज	233.62	223.46	232.04
(ख) आरबीआई पावर बॉन्ड पर ब्याज	2.06	3.24	4.42
(ग) बालू भराई और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सहायता+B2	-	-	4.86
(घ) परिवहन और लदाई लागत की वसूली	-	-	154.49
(ङ) अन्य गैर-परिचालन आय	113.12	592.79	87.00
(च) म्यूचुअल फंड से लाभांश पर ब्याज	-		
कुल (क)	**8608.84**	**9294.80**	**8937.41**
(ख) के लिए भुगतान किया / के लिए प्रदत्त:			
1. कर्मचारियों को लाभ और पारिश्रमिक (क + ख + ग + घ + ङ)	**4593.93**	**4410.83**	**4465.65**
(क) वेतन, मजदूरी भत्ते, बोनस आदि	3311.12	3271.73	3006.42
(ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	383.31	380.72	361.60
(ग) ग्रेच्युटी	165.28	115.36	344.63
(घ) अवकाश नकदीकरण	138.42	112.76	182.36
(ङ) अन्य	595.80	530.26	570.64
2. स्टॉक में वृद्धि / कमी	(136.48)	138.25	189.74
3. कल्याण व्यय	0.00	0.00	33.38
4. सीएसआर खर्च	14.33	20.00	-
5. खपत सामग्रियों की लागत	580.15	564.08	497.66
6. बिजली और ईंधन	319.45	312.03	317.14
7. मरम्मत	195.71	173.30	126.28
8. संविदागत व्यय	1031.48	815.27	747.08

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14	2012-13
9. वित्त लागत	3.42	30.22	18.97
10. मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	212.98	261.14	209.98
11. प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना	78.75	30.03	124.01
12. आबीआर समायोजन	(25.03)	(99.03)	(15.38)
13. अन्य खर्च	585.93	553.17	509.99
14. पूर्व अवधि समायोजन / अपवादात्मक मदें / असाधारण मदें	-	(3.50)	3.85
कुल (ख)	**7454.62**	**7205.79**	**7228.35**
वर्ष के लिए लाभ / हानि (क - ख)	**1154.22**	**2089.01**	**1709.06**
कर व्यय	391.08	374.66	210.26
शुद्ध लाभ	**763.14**	**1714.35**	**1498.80**
पिछले वर्षों से संचित हानि	(2290.44)	(4106.03)	(5604.83)
बैलेंस शीट को हस्तांतरित संचयी लाभ / हानि	(1527.30)	(2391.68)	(4106.03)

*** 2014-15 में पिछले वर्ष से संचित घाटा, क्रमशः ₹ 140.99 करोड़ के आस्थगित कर और ₹ (-) 39.75 करोड़ के अवमूल्यन के समायोजन के बाद है।**

(क) परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित			
1. (i) इक्विटी शेयरों की संख्या	21180000	21180000	21180000
(ii) अधिमानी शेयरों की संख्या	25390000	25390000	25390000
(iii) शेयरधारकों की निधि			
क) इक्विटी शेयर कैपिटल	2,118.00	2,118.00	2,118.00
ख) अधिमानी शेयर पूंजी	2,539.00	2,539.00	2,539.00
ग) रिजर्व			
घ) संचित लाभ / हानि	(1527.30)	(2391.68)	(4106.03)
कुल मूल्य (नेट वर्थ)	3,129.70	2,265.32	550.97
2. दीर्घकालिक उधार	-	-	-
3. नियोजित पूंजी	3129.70	2265.32	550.97
4. (i) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	1320.51	1381.59	1358.75
(ii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6200.99	5746.55	5434.98
(iii) शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (डब्लयू / सी)	1376.13	1285.23	771.59
5. वर्तमान देयताएँ	4824.86	4461.32	4663.39
6. क) विविध देनदार (शुद्ध)	1600.60	1570.15	1372.05
ख) नकदी और बैंक	2578.34	2287.72	2394.13

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14	2012-13
7. निम्नलिखित का अंतिम स्टॉक:			
क) स्टोर और पुर्जों (शुद्ध)	53.97	63.68	74.02
ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	754.53	618.75	757.05
8. स्टोर और पुर्जों का औसत स्टॉक (शुद्ध)	58.83	68.85	83.94
(ख) लाभ / हानि से संबंधित			
1. क) सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	1370.62	2380.37	1938.01
ख) सकल लाभ	1157.64	2119.23	1728.03
ग) शुद्ध लाभ (कर से पहले)	1154.22	2089.01	1709.06
घ) शुद्ध लाभ (कर के बाद)	763.14	1714.35	1498.80
2. क) सकल बिक्री	9947.01	10099.92	10176.62
ख) शुद्ध बिक्री (लेवी के बाद)	8041.73	8287.99	8454.60
ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	7905.25	8426.24	8644.34
3. सामान की बिक्री (बिक्री - लाभ)	6887.51	6198.98	6745.54
4. क) कुल व्यय	7454.62	7205.79	7228.35
ख) वेतन और मजदूरी	4593.93	4410.83	4465.65
ग) स्टोर और पुर्जे	580.15	564.08	497.66
घ) बिजली और ईंधन	319.45	312.03	317.14
ड़) वित्त लागत और मूल्यह्रास	216.40	291.36	228.95
5. प्रति माह सामग्रियों की औसत खपत	48.35	47.01	41.47
6. क) वर्ष के दौरान कार्यरत औसत श्रमशक्ति	58875	60329	63291
ख) सामाजिक उपरिव्यय (एलटीसी / एलएलटीसी सहित)	-	-	52.36
ग) प्रति कर्मचारी सामाजिक उपरिव्यय खर्च			
7. क) वर्धित मूल्य			
ख) प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य			
(क) लाभप्रदता अनुपात			
1) शुद्ध बिक्री के % के रूप में			
क) सकल मार्जिन	17.04	28.72	22.92
ख) सकल लाभ	14.40	25.57	20.44
ग) शुद्ध लाभ	14.35	25.21	20.21
2) कुल व्यय के % के रूप में			
क) वेतन और मजदूरी	61.63	61.21	61.78
ख) स्टोर और पुर्जे	7.78	7.83	6.88
ग) बिजली और ईंधन	4.29	4.33	4.39
घ) वित्त लागत और मूल्यह्रास	2.90	4.04	3.17

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014-15	2013-14	2012-13
3) नियोजित पूंजी के % के रूप में			
क) सकल मार्जिन	43.79	105.08	351.75
ख) सकल लाभ	36.99	93.55	313.63
ग) कर से पहले लाभ	36.88	92.22	310.19
4) परिचालन अनुपात (बिक्री-लाभ / बिक्री)	0.86	0.75	0.80
(ख) तरलता अनुपात			
1) वर्तमान अनुपात	1.29	1.29	1.17
2) त्वरित अनुपात	1.12	1.13	0.99
(ग) टर्नओवर अनुपात			
1) कैपिटल टर्नओवर अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियाजित पूंजी)	2.57	3.66	15.34
2) महीनों की संख्या के रूप में विविध देनदार			
क) सकल बिक्री	1.93	1.87	1.62
ख) शुद्ध बिक्री	2.39	2.27	1.95
3) शुद्ध बिक्री के अनुपात के रूप में			
क) विविध देनदार	0.20	0.19	0.16
ख) कोयले का स्टॉक	0.09	0.07	0.09
4) भंडार और पुर्जों का स्टॉक			
क) औसत / वार्षिक खपत	0.10	0.12	0.17
ख) खपत के महीनों की संख्या के संदर्भ में अंतिम स्टॉक	1.12	1.35	1.78
5) कोयला, कोक, धुला हुआ कोयला आदि का स्टॉक			
क) उत्पादन के महीनों के मूल्य के रूप में	1.15	0.88	1.05
ख) महीनों की संख्या के रूप में बेचे गए माल की लागत	1.31	1.20	1.35
ग) महीनों की संख्या के रूप में शुद्ध बिक्री	1.13	0.90	1.07
(घ) संरचनात्मक अनुपात			
क) ऋण : इक्विटी	-	-	-
ख) ऋण : नेट वर्थ	-	-	-
ग) नेट वर्थ : इक्विटी	1.48	1.07	0.26
घ) शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : नेट वर्थ	0.42	0.61	2.47

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयर धारकगण
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
धनबाद

महोदय

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए परीक्षित लेखा सहित 51वीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कंपनी ने पिछले वर्ष के लिए कुल हानि ₹1208.85 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में ₹ 184.96 करोड़ की कुल लाभ अर्जित किया है। अंकेक्षित लेखा विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में दी गई है।

1.0. 2021-22 के दौरान प्रदर्शन का अवलोकन

1.1. 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान बीसीसीएल का कच्चे कोयला का उत्पादन, उत्पादकता एवं उठाव से संबंधित कार्य प्रदर्शन

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22			2020-21	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि		2019-20
			लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्त (%)		वास्तविक	(%)	वास्तविक
i)	**कच्चा कोयला (खान के प्रकार के अनुसार)**								
	भूमिगत	मि. टन	1.00	0.81	80.56	0.61	0.20	32.48	1.04
	खुली खदान	मि. टन	29.00	29.71	102.43	24.05	5.66	23.53	26.69
	कुल	मि. टन	30.00	30.51	101.70	24.66	5.86	23.75	27.73
ii)	**कोयले के प्रकार के अनुसार**								
	कोकिंग कोल	मि. टन	27.31	29.04	106.34	23.38	5.66	24.19	25.95
	गैर-कोकिंग कोल	मि. टन	2.69	1.47	54.65	1.27	0.20	15.62	1.78
	कुल	मि. टन	30.00	30.51	101.70	24.66	5.86	23.75	27.73
iii)	**मलबा हटाई**	मि. ट. घन मी	120.00	105.37	87.81	103.84	1.54	1.48	82.65
iv)	**उत्पादकता (ओएमएस)**	टन							
	भूमिगत	टन	0.29	0.24	82.80	0.16	0.08	50.00	0.32
	खुली खदान	टन	6.30	7.53	119.53	5.93	1.60	27.00	6.11
	कुल	टन	3.71	4.16	112.13	3.13	1.03	32.90	3.62
v)	**कोयला उठाव**	मि. टन	32.00	32.25	100.79	23.13	9.13	39.45	28.76

1.2 धुले हुए और डाइरेक्ट फीड कोयले की आपूर्ति

स्टील क्षेत्र में धुले हुए और डाइरेक्ट फीड कोयले की आपूर्ति वर्ष 2021-22 में 11.72 लाख टन की गयी। यह वर्ष 2020-21 में 8.35 लाख टन थी। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में (+) 40.36% की वृद्धि दर्ज की गयी।

1.3 धुले हुए कोयले एवं विद्युत उद्योग हेतु धुले हुए कोयले का उत्पादन

(मि. टन में)

प्रकार	2021 -22		2020 -21		2019 -20	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
धुला हुआ कोयला (कोकिंग)	1.691	1.209	0.684	0.750	0.861	0.664
विद्युत के लिए धुला कोयला	3.246	1.817	1.021	1.507	1.292	0.812
कुल	**4.937**	**3.026**	**1.705**	**2.257**	**2.154**	**1.476**

2. प्रबंधन

(क) 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान कंपनी के मामलों की देख-रेख बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा की गई :

1.	श्री समीरन दत्ता अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	28.12.2021	से	निरंतर
2.	श्री पी.एम. प्रसाद अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	01.02.2021	से	28.12.2021
3.	श्री बी वीरा रेड्डी, निदेशक	:	24.02.2022	से	निरंतर
4.	श्री बिनय दयाल, निदेशक	:	09.11.2017	से	31.01.2022
5.	श्री आनंदजी प्रसाद, निदेशक	:	03.01.2022	से	निरंतर
6.	श्री बी.पी. पति, निदेशक	:	03.10.2018	से	03.01.2022
7.	श्री जे पी गुप्ता, निदेशक	:	01.04.2021	से	05.02.2022
8.	श्री समीरन दत्ता, निदेशक	:	18.07.2019	से	निरंतर
9.	श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक	:	04.11.2019	से	28.02.2022
10.	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक	:	01.06.2020	से	निरंतर
11.	श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक	:	05.02.2022	से	निरंतर
12.	श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक	:	10.07.2019	से	निरंतर
13.	श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021	से	निरंतर
14.	श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021	से	निरंतर
15.	श्री सत्यव्रत पंडा, स्वतंत्र निदेशक	:	01.11.2021	से	निरंतर
16.	श्री राम कुमार राय, स्वतंत्र निदेशक	:	31.12 .2021	से	निरंतर

(ख) वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की 11 (ग्यारह) बैठकें हुई थी।

3. शिफ्ट ऑवर के संबंध में एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग

उपकरण	31.03.22 को संख्या (कुल)	31.03.21 को संख्या (कुल)	सीएमपीडीआई मानक (%)		उपलब्धता बनाम उपयोग				अंतर % में	
					2021-22 (%)		2020-21 (%)			
			उपलब्धता	उपयोग	उपलब्धता	उपयोग	उपलब्धता	उपयोग	उपलब्धता	उपयोग
ड्रैगलाइन	1	1	85	73	72.1	44.1	63.4	26.3	13.8	67.8
शॉवेल	101	98	80	58	75.2	42.4	75.2	42.1	0.0	0.8
डंपर	335	409	67	50	74.2	27.1	70.5	27.6	5.2	-1.7
डोजर	96	103	70	45	69.1	14.2	66.1	13.4	4.5	6.5
ड्रिल	77	80	78	40	73.5	26.8	67.4	22.7	9.1	18.3

4.धारक कंपनी-सीआइएल

यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी बनी हुई है।

5.अवरोध

कोयला उत्पादन में कमी की दृष्टि से वर्ष के दौरान बीसीसीएल के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख अवरोध:

(1) कोयला उत्पादन में कमी

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	कारण	2021-22	2020-21
(i)	विद्युत बाधा	0.000	0.562
(ii)	अनुपस्थिति की प्रवृत्ति	0.000	0.002
(iii)	वर्षा/ डुबाव	0.000	6.163
(iv)	यांत्रिक गड़बड़ी	0.000	2.574
(v)	औद्योगिक संबंध	0.000	2.371
(vi)	रेत भराई में पिछड़ना	0.000	0.013
(vii)	भूमि की अनुपलब्धता/ भूमि विवाद आदि	0.000	41.737
(viii)	आग	0.000	6.949
(ix)	भूगर्भ-खनन बाधा/ रूफ गड़बड़ी	0.000	0.263
(x)	डीजीएमएस प्रतिबंध	0.000	3.123
(xi)	अन्य	0.000	60.995
	कुल	**0.000**	**124.753**

(2) धुले हुए कोयले की कमी

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	कारण	2021-22	2020-21
(i)	विद्युत बाधा	0.058	0.145
(ii)	विद्युत एवं यांत्रिक गड़बड़ी	0.299	1.327
(iii)	कच्चे कोयले की कमी	4.259	0.876
(iv)	सी सी बंकर का भरा होना	0.032	0.108
(v)	वर्षा/ डुबाव	0.000	0.000
(vi)	परिचालन संबंधी बाधाएं	0.442	0.624
(vii)	रखरखाव संबंधी रूकावट	0.102	0.252
(viii)	माध्यमों की कमी	0.000	0.000
(ix)	अन्य	0.563	0.641
	कुल	**5.754**	**3.973**

6. विद्युत आपूर्ति की स्थिति

6.1 विद्युत की उपलब्धता

क्र. सं.	औसत विद्युत आवश्यकता (एमवीए)	औसत उपलब्धता (एमवीए)	बाधित घंटे (अवधि)
2021-22	177.75	176.03	1449.00
2020-21	177.75	174.84	1206.95

6.2 विद्युत उपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कैप्टिव सेटों का परिचालन

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न कैप्टिव डीजी स्टेशनों द्वारा पैदा की गई बिजली का विवरण निम्नलिखित है:

कैप्टिव डीजी सेट	स्थापित क्षमता (एमवीए)	2021-22		2020-21	
		उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	चालू घंटे	उत्पादित ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	चालू घंटे
मुनिडीह	2×1.1+4.4	2470.50	12.84	5669.50	22.17
कुल		**2470.50**	**12.84**	**5669.50**	**22.17**

6.3 विद्युत उपलब्धता हेतु वैकल्पिक उपाय

(1) सीपीपी मुनिडीह (2 X 10 एमवी):

सीपीपी मुनिडीह की स्थापना वाशरी अपशिष्टों का उपयोग करने, मुनीडीह (एक तृतीय डिग्री की खदान) में विद्युत की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने और अबाध्य विद्युत आपूर्ति के लिए की गयी थी। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1986 में इस परियोजना को अनुमोदित किया गया था। फ्लूडाइज्ड बेड कम्बंशन बॉइलर प्रौद्योगिकी पर आधारित सीपीसी के लिए चक्रानुक्रम परियोजना की कुल लागत ₹ 49.20 करोड़ थी। परियोजना को चालू होने में विलंब होने के कारण यह लागत बढ़कर ₹ 77.42 करोड़ हो गई थी। अंततः 1995 में यह संयंत्र चालू हुआ था और नवंबर, 1996 में विभागीय श्रमशक्ति की मदद से इसका व्यावसायिक परिचालन होने लगा था, जो वर्ष 2003 तक चला था।

पुन: इस संयंत्र को मैसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) को दिनांक 18.03.2010 को लीज पर दे दिया गया था और अप्रैल, 2011 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। ईंधन आपूर्ति एवं पॉवर-टैरिफ से संबंधित दर का कुछ विवाद होने के कारण पट्टाधारी द्वारा दिनांक 15.04.2014 से विद्युत उत्पादन बंद कर दिया गया। दिनांक 16.12.2015 को बीसीसीएल ने इस सीपीसी को अपने कब्जे में ले लिया।

प्रबंधन ने सीपीसी, मुनीडीह को पुन: चालू करने का निर्णय लिया है और नए सिरे से एनआईटी तैयार करने हेतु सीएमपीडीआई से संपर्क किया गया है।

महाप्रबंधक कार्यालय, मुनिडीह में दिनांक 15.10.19 को सीएमपीडीआई, बीसीसीएल और संभावित बोलीकर्ताओं के बीच पूर्व एनआईटी बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्राप्त सुझावों/संस्तुतियों और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीपीपी, मुनिडीह के पुन: परिचालन के लिए सीएमपीडीआई रांची द्वारा एक अन्य प्रारूप एनआईटी प्रस्तुत की गयी। इस एनआईटी दस्तावेज की जांच की गयी और अनुमोदन के लिए इसे विभिन्न सुझावों और सिफारिशों के साथ प्रस्तुत किया गया।

7. वित्त

7.1 पूंजीगत संरचना

प्राधिकृत शेयर पूंजी	(₹ करोड़ में)
₹ 1000/- मूल्य के 5,10,00,000 इक्विटी शेयर	5,100.00
कुल	**5,100.00**
सब्सक्राइब्ड एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
₹ 1000/- मूल्य के 20330126 इक्विटी शेयर, प्रत्येक नकद में पूर्ण प्रदत्त	2,033.01
₹ 1000/- मूल्य के 26239874 इक्विटी शेयर, नकद के अलावा प्राप्त पर विचार करने के लिए पूर्ण प्रदत्त के लिए आबंटित के रूप में	2,623.99
कुल	**4,657.00**

7.2 वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को पिछले वर्ष की कुल हानि ₹ 1208.85 करोड़ की तुलना में ₹ 184.96 करोड़ का कुल व्यापक लाभ हुआ है। इसका विवरण निम्नलिखित है:-

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
मूल्यह्रास एवं नुकसान, ब्याज, कर तथा परिशोधन (ईबीआईडीए) से पहले लाभ (+)/ हानि (-)	584.54	(1246.58)
घटाएं: मूल्यह्रास एवं नुकसान	315.48	208.79
ब्याज, कर और परिशोधन से पहले लाभ	269.06	(1455.37)
घटाएं: ब्याज	77.75	121.69
कर से पहले लाभ (पीबीटी)	191.31	(1577.06)
घटाएं: कर व्यय	79.69	(374.58)
कर के बाद कुल लाभ	184.96	(1208.85)

7.3 पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स)

(₹ 'करोड़ में)

विवरणबजट	वास्तविक	खर्च
वित्त वर्ष 2021-22	850.00	864.50
वित्त वर्ष 2020-21	800.00	425.33

7.4 बीसीसीएल में कैपेक्स पर एमओयू (2021-22) पैरामीटर की स्थिति

एमओयू की क्रम संख्या	पैरामीटर का नाम	इकाई	भारिता	लक्ष्य 2021-22	उपलब्धि
7.	कैपेक्स	₹ करोड़	**20**	**850**	**864.50**
8.	तीसरी तिमाही (31 दिसंबर) के अंत तक कैपेक्स उपलब्धि	₹ करोड़	**3**	**765**	**430.71**

7.5 वर्ष 2021-22, 2020-21 और 2019-20 के दौरान राजकोषीय भुगतान

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	2021-22				2020-21	2019-20
	प. बंगाल	झारखण्ड	केन्द्रीय राजकोष	कुल	कुल	कुल
कोयले की रॉयल्टी	0.63	1162.51	-	1163.15	911.48	1051.35
जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (डीएमफटी)	0.19	360.93	-	361.12	268.15	323.61
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमइटी)	-	-	21.23	21.23	17.90	22.95

विवरण	2021-22				2020-21	2019-20
	प. बंगाल	झारखण्ड	केन्द्रीय राजकोष	कुल	कुल	कुल
कोयले पर उपकर	3.42	-	-	3.42	53.92	86.92
कोविड उपकर	-	38.31	-	38.31	12.73	-
वन पारगमन शुल्क	-	15.12	-	15.12	3.37	-
विक्रय कर/वैट	-	-	-	-	1.66	4.73
केंद्रीय विक्रय कर	-	-	-	-	3.20	17.21
केन्द्रीय विक्रय कर (सीएसटी)	-	-	0.91	0.91	-	1.21
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	39.29
आयकर (टीडीएस के छोड़कर)	-	51.61	-	51.61	59.96	77.27
बाजार कर (MADA)	0.03	5.87	-	5.90	8.44	8.63
पेशाकर	-	-	164.66	164.66	138.67	159.22
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर	0.38	164.28	-	164.66	138.67	164.86
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	-	-	3.41	3.41	15.27	-
अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवाकर	-	-	1290.69	1290.69	900.14	1170.50
जीएसटी (राज्य को क्षतिपूर्ति) उपकर	-	-	12.39	12.39	-	-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	**4.66**	**1798.64**	**1493.29**	**3296.59**	**2533.56**	**3127.75**
कुल	**0.63**	**1162.51**	-	**-1163.15**	**911.48**	**1051.35**

8. दूरसंचार

1.बीसीसीएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रकार्य निदेशकों के कार्यालय (21 स्थानों) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम चालू है। वीसी प्रणाली के संचालन के बाद, 2019-20 में 100 वीसी बैठकें आयोजित की गईं, 2020-21 में 363 वीसी बैठकें आयोजित की गईं और 2021-22 में 684 वीसी बैठकें आयोजित की गईं।

2.कंपनी में वाई-फाई (वायरलेस) सेवाएं शुरू की गई हैं और यह कोयला भवन, सिविल इंजीनियरिंग विभाग में ऑनलाइन गतिविधियों के लिए चल रही हैं। इसे आर्यभट्ट केंद्र (ईआरपी केंद्र) तक भी विस्तारित किया गया है। यह केंद्र ईआरपी कार्यान्वयन, प्रशिक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

3.कोयला भवन और कोयला नगर कॉलोनी के सभी संवेदनशील स्थानों पर **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली** स्थापित की गई है।

4.कोयला भवन, एचआरडी, कोयला नगर गेस्ट हाउस, सीईडी और केएनटीए में **लैन नेटवर्क** को विस्तारित और स्थापित किया गया है।

5.अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए केंद्रीय अस्पताल धनबाद और बाघमारा अस्पताल, बरोरा क्षेत्र में **लैन नेटवर्क** बनाया गया है।

6.बीसीसीएल के विभिन्न स्थानों पर ईआरपी कार्यान्वयन के लिए मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बीसीसीएल के 340 स्थानों पर एमपीएलएस-वीपीएन कनेक्टिविटी के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7.बीसीसीएल के विभिन्न स्थानों पर ईआरपी कार्यान्वयन के लिए मैसर्स बीएसएनएल के माध्यम से बीसीसीएल के 304 स्थानों पर एमपीएलएस-वीपीएन कनेक्टिविटी के लिए एक अनुबंध किया गया है।

8.आरएफआईडी बूम बैरियरः कुल 4 आरएफआईडी बूम बैरियर लगाए गए हैं। गोविंदपुर क्षेत्र में और 3 नग। बरोरा क्षेत्र में।

9.रोड वेब्रिज: कुल 2 स्थापित किए गए हैं। एक बरोरा क्षेत्र में और दूसरा दुगदा वाशरी में ।

10.बीसीसीएल के विभिन्न स्थानों पर पीएम-10 विश्लेषक के कार्यान्वयन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

9. जोखिम प्रबंधन

उद्यम के लिए जोखिम प्रबंधन योजना: जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने का कार्य मैसर्स अर्नेष्ट एण्ड यंग, एलएलपी, कोलकाता को सौंपा गया है। जोखिम प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे कंपनी में लागू किया जा चुका है। समय-समय पर नए सदस्यों को शामिल कर बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति के वर्तमान सदस्य निम्नलिखित है -

1.श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक, बीसीसीएल, अध्यक्ष
2.श्री सत्यब्रत पंडा, स्वतंत्र निदेशक, बीसीसीएल, सदस्य
3.श्री पी. वी. के. आर. मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (कार्मिक), बीसीसीएल, सदस्य
4.श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी)/संचालन और परियोजना व योजना, सदस्य

10.कंप्यूटरीकरण

(अ) कोल इंडिया सभी सहायक कंपनियों में एसएपी आधारित ईआरपी समाधान लागू कर दिया है और बीसीसीएल कार्यान्वयन के दूसरे चरण में है, जिसकी कार्य शुरू करने की तिथि 01 अगस्त, 2021 है। बीसीसीएल के पद्धति विभाग ने कंपनी में सैप कार्यान्वयन हेतु सिस्टम इंटेग्रेटर मैसर्स एसेंचर के साथ निम्नलिखित 7 मॉड्युलों के लागू करने के लिए समन्वयन किया है:

i. एफआईसीओ-बीसीसीएल में सभी वित्तीय लेनदेन SAP के माध्यम से किए जा रहे हैं।

ii. एमएम मॉड्यूल- एमएम मॉड्यूल का उपयोग बीसीसीएल मुख्यालय और सभी केंद्रीय, क्षेत्रों और यूनिट स्टोरों में खरीद आवश्यकताएं, खरीद आदेश, सामग्री के हस्तांतरण, सेवा प्रविष्टि पत्रक के निर्माण के लिए किया जा रहा है।

iii. पीएम मॉड्यूल- पीएम मॉड्यूल का उपयोग उत्पादन प्रणाली में सर्वे ऑफ (तकनीकी) के विन्यास, एचईएमएम चलने के घंटे, एचईएमएम के लिए निवारक रखरखाव के लिए पीएम अधिसूचना और रखरखाव आदेश बनाने के लिए बीसीसीएल की सभी परियोजनाओं / खानों / वाशरी में उत्खनन, ईएंडएम और वाशरी विभागों द्वारा किया जा रहा है।

iv.एसडी मॉड्यूल- एसएपी के माध्यम से सभी प्रकार के अनुबंध और बिक्री आदेश तैयार किए जा रहे हैं। रेल बिक्री आदेशों को एफओआईएस प्रोग्राम आईडी के साथ टैग किया जा रहा है ताकि बाद में चालान-प्रक्रिया के लिए डिलीवरी को तैयार किया जा सके। एसएपी के माध्यम से एफओआईएस से सीधे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सभी रेल चालान तैयार किए जा रहे हैं, जबकि सड़क बिक्री चालान एसएपी के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर जीएसटी पोर्टल के साथ ई-चालान एकीकरण के साथ तैयार किए जा रहे हैं। सड़क बिक्री ट्रकों के आवंटन के लिए डिस्पैच योजना शुरू कर दी गई है।

v.पीपी मॉड्यूल - प्रॉडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का उपयोग सभी खानों और वाशरीज़ में प्रोसेस ऑर्डर बनाने और कोयला और ओबी के संविदात्मक और विभागीय उत्पादन के लिए विशिष्ट उत्पादन डेटा प्रविष्टि को शिफ्ट करने, वाशरी उत्पादों के लिए प्रोसेस ऑर्डर और शिफ्ट विशिष्ट डेटा एंट्री करने, सीएचपी के लिए प्रोसेस ऑर्डर बनाने और क्रसिंग रिपोर्ट की प्रविष्टि के लिए किया जा रहा है।

vi.प्रोजेक्ट सिस्टम- प्रोजेक्ट की परिभाषा और कार्य बाधा संरचना सभी 8 चल रही परियोजनाओं के लिए बनाया गया है।

परियोजना व्यय को संबंधित डब्ल्यूबीएस के विरुद्ध बुक किया जा रहा है, चालू परियोजनाओं के वर्ष-वार पूंजीगत बजट को बजट रिलीज की अवधारणा के माध्यम से पीएस-मॉड्यूल द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

vii.मानव पूंजी प्रबंधन- सभी कर्मियों की जानकारी SAP में रखी जाती है। पेरोल प्रक्रिया एसएपी के माध्यम से चलाई जा रही है और सभी कर्मियों से संबंधित गतिविधियों जैसे स्थानांतरण/पदोन्नति एसएपी के माध्यम से की जा रही है।

(आ) बीसीसीएल की अपनी वेबसाइट है जिसका डोमेन "www.bcclweb.in" है। यह कंपनी से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्टल के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुख वेब अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है:

1.सिस्टम विभाग द्वारा ऑनलाइन क्वार्टर आवेदन और आवंटन पोर्टल विकसित किया गया है। इससे क्वार्टर आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी हो गयी है।

2.सत्यापन के बाद वेब आधारित पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों को वेतन पर्ची की जानकारी प्रदान की जा रही है।

3.कंपनी के बारे में अन्य सभी जानकारी और नोटिस बीसीसीएल वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाते हैं।

4.कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार और डिजिटलीकरण की दिशा में राष्ट्र के 'नागरिक केंद्रित' अनुप्रयोगों का अनुपालन करने के लिए सूचना प्रसंस्करण में और विकास के लिए लगातार प्रयास किया जाता है।

11.0 भूगर्भीय अनुसंधान तथा ड्रिलिंग

11.1 अनुसंधान तथा ड्रिलिंग

क्रम संख्या	ब्लॉक का नाम	ड्रिलिंग करने वाली एजेंसी	ड्रिल किया गया (मीटर) 2021-22	ड्रिल किया गया (मीटर) 2021-22	टिप्पणी
1.	मधुबन	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से	8962.00	19026.20	वर्ष 2021-22 के लिए कुल ड्रिलिंग में पश्चिम महुदा, ब्लॉक- II, झुनकुंदर, धर्मबंद, मधुबन, खरखरी और मिर्जागांव ब्लॉक की ड्रिलिंग शामिल है। 17.03.2020 को बीसीसीएल द्वारा मिर्जागांव ब्लॉक को सरेंडर कर दिया गया था और 2020-21 में अन्य ब्लॉकों के लिए ड्रिलिंग की आवश्यकता पहले से ही पूरी कर ली गयी थी।
2.	बीसीसीएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग और पीजोमीट्रिक वेल्स की स्थापना	आर के ड्रिलिंग सर्विसेज	1521.00	0.00	
3.	अन्य ब्लॉक	सीएमपीडीआईएल के माध्यम से	0.00	47913.15	
	कुल		**10483.00**	**66939.35**	

वर्ष 2021-22 के लिए कुल ड्रिलिंग मीटर 10483.00 मीटर की गयी है और 23 पीजोमेट्रिक कुओं की ड्रिलिंग और स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

11.2 भूवैज्ञानिक मूल्यांकन

3 बड़े व्यास वाले बोरहोल प्रस्ताव की गहराई से जांच की गई।

12. अनुसंधान एवं विकास

बीसीसीएल बोर्ड की 373वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया गया:

क्र. सं.	विवरण	पदनाम
1.	अध्यक्ष	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2.	सदस्य	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
3.	सदस्य	निदेशक (वित्त)
4.	सदस्य सचिव	महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास)
5.	सदस्य	महाप्रबंधक (वाशरी प्रभाग)
6.	सदस्य	विभागाध्यक्ष (परियोजना व योजना)
7.	सदस्य	संबंधित विभाग (परियोजना पर निर्भर)

बीसीसीएल की अनुसंधान एवं विकास समिति के अध्यक्ष को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यकता के आधार पर उद्योग/प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान/सरकारी एजेंसियों के दो विशेषज्ञों को सहयोजित करने का अधिकार है।

12.1 आधुनिकीकरण

कंपनी यह प्रयास कर रही है कि भूमिगत खानों के परिचालन में एसडीएल जैसे मध्यम स्तरीय तकनीक को बदलकर उसके स्थान पर लांगवाल एवं कंटीन्यूअस माइनर तकनीक जैसे व्यापक उत्पादन वाली तकनीक को अपनाया जाए।

12.2 एसडीएल का प्रयोग

31.03.2021 को कुल 40 एस डी एल की तुलना में 31.03.2022 को कुल 38 एसडीएल चालू हैं। एसडीएल को केवल उत्पादन कार्य में लगाया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान 02 एसडीएल का सर्वे ऑफ किया गया।

12.3 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान एसडीएल उत्पादन एवं इनकी उत्पादकता

विवरण	2021-22	2020 -21	पिछले वर्ष से वृद्धि (%)
उत्पादन (मि0 टन)	0.212	0.378	(-) 43.91
उत्पादकता (टन/एसडीएल/दिन)	18.14	27.27	(-)33.48

12.4 एसडीएल उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी के कारण

बीसीसीएल की खदानों में आग, अचानक पानी भर जाना तथा एक साथ अनेक सीमों का चालू रहना एवं डीजीएमएस की पाबंदियों जैसी अनेक प्रकार की समस्याएं, उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी के कारण हो सकते हैं।

- डीजीएमएस के निर्देशानुसार ईजे क्षेत्र की यूजी खदानें पूरी तरह से बंद हो गई।
- पीबी क्षेत्र की भूमिगत खदानों में वर्ष 2021-22 में सभी कार्यरत फेस के जलमग्न होने के कारण उत्पादन नहीं हो सका ।
- सिजुआ क्षेत्र की मुदीडीह खदान का डीजीएमएस उल्लंघन के कारण परिचालन नहीं हुआ।
- गोविन्दपुर क्षेत्र की खरखरी खदान में वर्ष 2021-22 में वर्किंग फेस पर जलमग्न होने से उत्पादन प्रभावित हुआ है।
- बस्ताकोला कोलियरी के भूमिगत कार्यक्षेत्र के बगल में वर्ष 2020 में एक नया हायर किया गया एचईएमएम पैच शुरू हुआ। डीजीएमएस द्वारा हायर किए गए एचईएमएम पैच की ब्लास्टिंग अनुमति में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इस यूजी खदान से उत्पादन रोक दिया गया था।
- सिजुआ क्षेत्र के तेतुलमारी खदानों का उत्पादन अधिक वर्षा और बिजली गुल होने के कारण कार्यक्षेत्र डूबने से प्रभावित हुआ।
- एकेडब्ल्यूएमसी, कतरास क्षेत्र का उत्पादन अधिक वर्षा और बिजली गुल होने के कारण कार्यक्षेत्र के डूबने के कारण प्रभावित हुआ था।
- सलानपुर कोलियरी, कतरास क्षेत्र का उत्पादन अधिक वर्षा और बिजली गुल होने के कारण कार्यक्षेत्र के डूबने से प्रभावित हुआ।

12.5 लाँगवाल तकनीक

वर्तमान में मुनीडीह खदान में, XVI (T) सीम के लॉन्गवॉल फेस के साथ-साथ XV सीम के ड्रेवेज से कोयले का उत्पादन चल रहा है। 2021 -22 में 0.593641 मिलियन टन और 2020-21 में 0.230023 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है। निम्नलिखित कारणों से यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 258.08% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है:

1. 2021-22 में 6.5 मीटर फाल्ट का सफलतापूर्वक काउंटर कर XVI (T) सीम में एक नया लॉन्गवॉल पैनल स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप XVI (T) सीम से उत्पादन में 281.30% की वृद्धि हुई।

2. 2021-22 में XV सीम के ट्रंक रोड ड्राइवेज से 0.103560 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया है।

12.6 चालू खनन परियोजनाएं

क्रम सं.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट)	वर्तमान स्थिति
1.	मुराईडीह यूजी (बरोरा क्षेत्र) (9वीं वार्षिक योजना अवधि में न्यूनतम सुनिश्चित उत्पादन- 20.435 एमटी) पूंजी : ₹ 339.875 करोड़	2.00	• पूर्ण टर्नकी आधार 9 वार्षिक उत्पादन अवधि में न्यूनतम गारंटीशुदा 20.435 मिलियन टन के लिए व्यापक उत्पादन तकनीकी पैकेज द्वारा मुराइडीह भूमिगत खान के सीम I/III को कोयले तक अभिगम और निष्कर्षण के लिए विकसित करने का अनुबंध मैसर्स मिनोप-माहेश्वरी माइनिंग - बीएचईसी (चीन) कंसोर्टियम को दिया गया। बोर्ड द्वारा यह परियोजना दिनांक 14.02.2011 को अनुमोदित की गयी और करार पर दिनांक 22.06.2012 को हस्ताक्षार हुए। • डीजीएमएस द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों के कारण शाफ़्ट सिंकिंग और इंक्लाइन ड्राइवेज का काम दिनांक 20.11.2015 से रुका रहा। कार्य के बंद रहने के दौरान शाफ्ट सिंकिंग 13 मीटर तक की गयी जबकि इंक्लाइन क्रमश: 52 मीटर और 48.5 मीटर चलाई गयी और इसने कोल सीम (III) को छू लिया। • इन दौरान, दिनांक 01.06.2016 से मैसर्स मिनोप संवेदक द्वारा करार में भुगतान की कुछ शर्तों में आशोधन के लिए सभी कार्य लंबित रखे गए। • यह कार्य शुरु करने के लिए मैसर्स मिनोप को पुन: बोला गया। स्थल पर दिनांक 01.01.2020 से डीजीएमएस के अनुमोदन से कार्य शुरू हुआ। • 2 इंक्लाइन और एयर शाफ्ट की सिंकिंग के लिए सुरंग मार्ग बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। • दिनांक 31.03.2022 तक कार्य: इंक्लाइन 1 : 776.4 मीटर में से 575 मीटर कार्य पूरा हुआ इंक्लाइन 2: 774.2 मीटर में 573 मीटर कार्य पूरा हुआ एयर शाफ्ट : 125 मीटर (सिंकिग पूरा) वन अनापत्ति मामले के कारण इंक्लान के लिए सुरंग बनाने का अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
2	कपूरिया यूजी (कपूरिया क्षेत्र) (पीएसएलडब्ल्यू) पिक उत्पादन क्षमता – 1.83 मिलियन टन प्रतिवर्ष ((नए पीआर के अनुसार) पूंजी निवेश : (वाशरी के साथ एमडीओ विकल्प) – बीसीसीएल के हिस्से में पूंजी ₹ 3020.08 करोड़	1.83	• बीसीसीएल बोर्ड ने दिनांक 25.03.2021 को हुई बैठक में कपूरिया अंडरग्राउंड (फेज-1) की परियोजना रिपोर्ट और एमडीओ के माध्यम से इसके क्रियान्वयन के लिए तदनुकूल एनआईटी दस्तावेज को अनुमोदित किया है। इसके बाद, कपूरिया यूजी प्रोजेक्ट (चरण- I) (1.83 मिलियन टन प्रति वर्ष) के पीआर को सीआईएल बोर्ड द्वारा 12.07.2021 को हुई अपनी बैठक में विकल्प- II, वेरिएंट- I (यानी वाशरी के साथ एमडीओ मोड) के तहत एकीकृत वाशरी के साथ 3020.08 करोड़ रुपये की बीसीसीएल भाग पूंजी के साथ अनुमोदित किया गया था। । • एनआईटी 07.08.2021 को जारी किया गया था। लेकिन निविदा नहीं मिलने के कारण निविदा रद्द कर दी गई। • बोली दस्तावेजों को संशोधित किया गया है और 29.03.2022 को फिर से एनआईटी मंगाई गई है। भाग-I (तकनीकी बोली) खोलने की निर्धारित तिथि 29.06.2022 है।

क्रम सं.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट)	वर्तमान स्थिति
3.	मुनीडीह XV सीम यूजी (डब्ल्यू जे एरिया) (पीएसएलडब्ल्यू) (न्यूनतम गारंटी उत्पादन- 9 एपीपी में 22.5 एमटी) पूंजीः ₹ 1230.27 करोड़	2.50	• दिनांक 03.07.2011 को हुई बीसीसीएल बोर्ड की 279 वीं बैठक तथा दिनांक 12.08.2011 को हुई सीआइएल बोर्ड की 272 वीं बैठक में किए अनुमोदन के अनुसार मैसर्स इंदू-एससीसीएल-सीमजीएसई कंसोर्टियम को 9 वर्ष की वाणिज्यिक उत्पादन अवधि के दौरान कुल न्यूनतम 22.50 मिलियन टन गारंटीशुदा उत्पादन, बीमा व माल ढुलाई समेत कुल पूंजी लागत ₹ 1230.273 करोड़ पर कार्य सौंप दिया गया है। इसके बाद कंसोर्टियम के साथ अप्रैल, 2014 में करार हुआ। • प्रारंभ में, भूमि व अन्य समस्याओं के कारण परियोजना में विलंब हुआ। 420.90 मीटर गहराई को पारकर शाफ्ट सिंकिंग पूरी हो गयी है (XV सीम तक पहुंच गये) और 345.5 मीटर की लंबाई के ड्रिफ्ट को XVI सीम से XVसीम तक चलाया गया। • दोनों इंक्लाइनों के लिए सुरंग निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। ट्रंक रोड, संप और लोंगवाल पैनल के निर्माण के लिए इन-सीम ड्राइवेज चल रहा है। • कंसोर्टियम के भागीदारों में से एक, मेसर्स सीजीएमई, को यूरोप में अपनी निर्माण इकाई से लॉन्गवॉल उपकरण की आपूर्ति करनी थी, जो बंद हो चुकी थी। मेसर्स सीजीएमई को लॉन्गवॉल उपकरण की आपूर्ति के लिए यूक्रेन से मेसर्स कोरम ट्रेडिंग एलएलसी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में 15.02.2022 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4.	नार्थ तिसरा/साउथ तिसरा एक्सपेंशन ओसीपी (6 एमटीवाई) (वैरिएंट- II)	6.0	• 6.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली एनटी-एसटी परियोजना ओपेनकॉस्ट परियोजना और मैसर्स आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसकी वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 03.02.2014 को संपन्न बीसीसीएल बोर्ड की 304 वीं बैठक और तदनुसार, दिनांक 12.02.2014 को हुई सीआइएल बोर्ड की 304वीं बैठक में बोर्ड द्वारा ₹ 555,52 करोड़ के पूंजीगत व्यय का अनुमोदन 18.59% के आईआरआर के साथ पूरी तरह आउटसोर्सिंग आधार पर परियोजना चलाने के लिए किया गया है। • यह परियोजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में, दो हायर्ड एचइएमएम पैच से उत्पादन हो रहा है। ▪ उत्पादनः

वर्ष	2017 -18	2018 -19	2019 -20	2020 -21	2021 -22
लक्ष्य (मि.ट.)	3.76	3.08	4.11	3.70	2.90
उत्पादन (मि.ट.)	3.03	2.48	2.53	2.26	3.17

8.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का संशोधित पीआर को तैयार किया गया है, जो अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है।

12.7 त्वरित लदाई पद्धति (रैपिड लोडिंग सिस्टम- आरएलएस)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	स्थिति
1.	महेशपुर, गोविंदपुर क्षेत्र में रैपिड लोडिंग पद्धति (आरएलएस) पूंजी - ₹ 134.24 करोड़	5.0	**SILO की स्थिति** • दिनांक 5.4.2011 को मैसर्स एस. के. सामंता एंड कंपनी (प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में कार्य तथा सेवाओं एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया था और करार पर दिनांक 18.05.2011 को हस्ताक्षर हुए थे। • SILO के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। • दिनांक 18.09.2020 को पीजी परीक्षण पूरा कर लिया गया है। यह दिनांक 15.10.2019 से परिचालित है। **साइडिंग की स्थिति** i. महेशपुर में आरएलएस के साथ रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए मैसर्स राइट्स द्वारा स्वीकृति पत्र मैसर्स एचसीपीएल-एमबीपीएल (जेवी), देवघर को सौंपा गया है। ii. बीसीसीएल और पूर्व मध्य रेल के 25.9 एकड़ भूमि दिनांक 16.06.2020 को भूमि पट्टा करार हुआ। एजेंसी ने दिनांक 02.03.2020 से कार्य करना शुरू कर दिया। वर्तमान में कार्य चल रहा है। टूंडू अंडरपास से सिलो आउटपुट के लिए भूमि काटने का कार्य 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। **बाधाएं** • **डब्ल्यूबीएम रोड का निर्माण:** चिताही बस्ती को जोड़ने वाली मौजूदा ब्लैक टॉप रोड के विकल्प के रूप में डब्ल्यूबीएम रोड का निर्माण पूरा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 640 मीटर से आगे ब्लैक टॉप रोड के विकल्प के रूप में 280 मीटर की और सड़क की मांग की गई है। इसके लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कार्य के लिए निविदा 09.03.2022 को खोली गई। इसकी जांच की जा रही है।

12.8 नयी स्वीकृत परियोजना

कपूरिया भूमिगत परियोजना (चरण -1) (1.83 एमटीवाई) को सीआईएल बोर्ड द्वारा 12.07.2021 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया।

12.9 पूंजीगत परियोजनाएं और योजनाएं

i) वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पूरी की गई खनन परियोजनाएं

शून्य

ii) वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत वाली खनन परियोजनाएं जो शुरू हुई हैं।

शून्य

iii) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत ₹ 20 करोड़ से अधिक लागत वाली खनन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजनाएं	अनुषंगी	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत पूंजी (एमटीपीए)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹ में)
1	कपूरिया भूमिगत	बीसीसीएल	25.03.2021 को बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 12.07.2021 को सी आईएल बोर्ड द्वारा	1.83	₹3020.08 करोड (बीसीसीएल के हिस्से की पूंजी-सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित)

iv) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत रू. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली गैर खनन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजनाएं	अनुषंगी	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹ में)
1.	भोजूडीह वाशरी सोलर पावर प्लांट	बीसीसीएल	28.01.2022	146.94

v) अनुमोदित क्षमता एवं पूंजी सहित वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत ₹ 20 करोड़ से अधिक लागत वाली आरपीआर/आरसीइएस

शून्य

vi)वर्ष 2020-21 के दौरान बंद परियोजनाएं

शून्य

12.10 सीएमएम/सीबीएम परियोजना

मुनीडीह कोलियरी के XVI सीम से मिथेन का पूर्व अपवहन

- एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में मुनीडीह कोलियरी XVI टी सीम से मिथेन का पूर्व अपवहन किया गया।
- पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पर अनुमोदन के पश्चात दो बार निविदा जारी की गई थी, पहली 07.09.2018 को और दूसरी एनआईटी में संशोधन के बाद 09.07.2019 को। परंतु दोनों मौके पर निविदा रद्द कर दी गई थी क्योंकि दो समय विस्तार के बाद भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।
- निविदा जारी करने के लिए संशोधित वैश्विक बोली दस्तावेज पर अनुमोदन के बाद दिनांक 31.03.2020 को नयी निविदा जारी की गयी।
- बोली 28.09.2020 को खोली गई, और एक बोलीदाता मेसर्स डीप सीएच4 लिमिटेड ने निविदा में भाग लिया, लेकिन तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया, इसलिए बोली को अस्वीकार कर इसे रद्द कर दिया गया।
- सीएमपीडीआई को XVI टॉप सीम से मीथेन के प्री-ड्रेनेज के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए 09.10.2020 को कार्य आदेश जारी किया गया।
- सीएमपीडीआईएल को 17.03.2022 को पुन: निविदा देने से पहले, XVI टॉप सीम से मीथेन के प्री-ड्रेनेज के वैश्विक बोली दस्तावेज के कार्यक्षेत्र को संशोधित करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया।

झरिया सी बी एम/सीएमएम ब्लॉक से मिथेन का दोहन

- बीसीसीएल में कपूरिया, मुनीडीह, जरमा, सिंगरा ब्लॉकों के खनन पट्टाधारित लगभग 26.55 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को वाणिज्यिक विकास के लिए चिह्नित किया गया है।
- 26.55 वर्ग कि.मी. के इस चिह्नित क्षेत्र में 25 बिलियन क्युबिक मीटर (बीसीएम) के गैस-इन-प्लेस का अनुमान लगाया गया है। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक विस्तृत 30 वर्षीय उत्पादन प्रोफाईल तैयार की गयी है।
- परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) सीएमपीडीआई द्वारा तैयार की गयी और इसे दिनांक 03.08.2018 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 345 वीं बैठक में 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदित किया गया।।
- निविदा दिनांक 30.10.2020 को जारी की गयी और इसे दिनांक 06.01.2021 को खोला गया। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के मूल्यांकन के बाद मैसर्स पीईपीएल योग्य पाया गया और मूल्य बोली 16.02.2021 को खोली गई।
- तकनीकी समिति ने बोली की विधिवत पुनरीक्षा के बाद मेसर्स पीईपीएल को काम देने की सिफारिश की।
- बीसीसीएल द्वारा 8 जून 2021 को एलओए जारी किया गया था और सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकार किया गया।
- राजस्व बंटवारा अनुबंध 20 सितंबर 2021 को हस्ताक्षरित किया गया था और बैंक गारंटी 30 अक्टूबर 2021 को जमा की गई।
- ईएमपी सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार किया गया है और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन 31 मार्च 2022 को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है।

12.11 बीसीसीएल में कोल ब्लॉक

सीएमएसपी अधिनियम के तहत बीसीसीएल को आवंटित दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) पूर्वी कोयला ब्लॉक की स्थिति निम्नलिखित है:-

दामागोरिया का पूर्वी कोल ब्लॉक (कल्याणेश्वरी)

- कोयला मंत्रालय ने सीएमएसपी अधिनियम-2015 के अंतर्गत बीसीसीएल को पत्र सं.- सीबीए2-13011/1/2017-सीबीए2 दिनांक 03.10.2018 के माध्यम से ईस्ट दामागोरिया कोल ब्लॉक (कल्याणेश्वरी) आवंटित किया है। 26.09.2019 को कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकारी तथा बीसीसीएल के अधिकृत पदाधिकारी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- दिनांक 25.10.2019 को कोयला मंत्रालय को 50% अग्रिम भुगतान के एवज में 62.50 करोड़ रूपये तथा निर्धारित राशि के एवज में 17.341668 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा कार्य प्रदर्शन प्रतिभूति के तौर कोयला मंत्रालय को 124.3328 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गयी है।

- आदेश सं.- एफ.नं. 103/2/2015-एनए-पार्ट (1) दिनांकित 21.11.2019 के माध्यम से कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटन आदेश निर्गत किया गया और यह 02.12.2019 को प्राप्त हुआ है।
- ईस्ट ऑफ दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) ब्लॉक के तहत आंशिक भूमि वाली एक खनन योजना सीएमपीडीआई द्वारा तैयार की गई है और बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 06.05.2020 को अनुमोदित की गई है।
- इस कल्याणेश्वरी कोयला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सीतारामपुर ब्लॉक और सेल और ईसीएल के शेष लीजहोल्ड क्षेत्रों के साथ कल्याणेश्वरी ब्लॉक का एक सीमा ओवरलैप मुद्दा है।
- बीसीसीएल द्वारा कल्याणेश्वरी की ब्लॉक सीमा से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए और पत्र संख्या के माध्यम से बीसीसीएल को सीतारामपुर ब्लॉक के आवंटन के लिए पत्र कोयला मंत्रालय को अनुरोध किया गया है। कोयला मंत्रालय से 121.76 एकड़ के खनन पट्टे और सतही भूमि के ईसीएल से बीसीसीएल को हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया गया है।
- ईस्ट ऑफ दमागोरिया (कल्याणेश्वरी) ओसीपी की परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई में तैयार की जा रही है। कल्याणेश्वरी की ब्लॉक सीमा एवं सीतारामपुर ब्लॉक के आवंटन से संबंधित मुद्दों के संबंध में कोयला मंत्रालय से निर्णय लेने के बाद परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

कोयला मंत्रालय को वापस किए गए कोल ब्लॉक

पीरपैंती बाराहाट और मंदार कोल ब्लॉक:

- कोयला मंत्रालय के दिनांक 12.01.2018 और 18.01.2018 के पत्र के अनुसार एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत बीसीसीएल को पीरपैंती बाराहाट और मंदार पर्वत कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे।
- सीएमपीडीआई द्वारा पीरपैंती बाराहाट ओसीपी और मंदार पर्वत ओसीपी की परियोजना रिपोर्ट (पीआर) और संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
- वित्तीय अव्यवहार्यता के कारण, दोनों कोयला ब्लॉकों को कोयला मंत्रालय को सौंपने का प्रस्ताव बीसीसीएल बोर्ड के समक्ष रखा गया था और इसे बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 26.05.2021 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- पत्र संख्या सीआईएल/पीएमडी/भूविज्ञान/बीसीसीएल कोल ब्लॉक/21-22/13 दिनांक 21.07.2021 के माध्यम से पीरपैंती बाराहाट और मंदार पर्वत कोयला ब्लॉकों के वापसी की स्वीकृति और बीसीसीएल को ₹250 करोड़ की अग्रिम राशि वापस करने के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। ।
- पीरपैंती बाराहाट और मंदार पर्वत कोयला ब्लॉकों के आत्मसमर्पण के अनुरोध के साथ-साथ अग्रिम राशि की वापसी के अनुरोध को कोयला मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या CBA1-13016/12/2017-CBA1 (FTS: 336523) दिनांक 14.12.2021 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है और BCCL को अग्रिम राशि की वापसी के लिए उचित दावा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।
- तदनुसार, कोयला मंत्रालय से इन दो कोयला ब्लॉकों के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि की वापसी के लिए पत्र संख्या - बीसीसीएल /डी (टी) ओपी संप्रदाय/एफ-36/2021/269 दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से अनुरोध किया गया था।
- कोयला मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृत आदेश संख्या CBA1-13016/12/2017-CBA1 (FTS: 336523) दिनांक 04.02.2022 के तहत अग्रिम राशि की वापसी की स्वीकृति प्रदान की गई है और राशि 31.03.2022 को BCCL को जमा की गई थी।

12.12. उत्पादन रोड मैप: बीसीसीएल

बीसीसीएल द्वारा अगले चार वर्षों तक कोयला उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन-योजना बनायी गयी है:-

वर्ष	2021 -22	2022 -23	2023 -24	2024 -25	2025 -26
उत्पादन (मि.टन)	30.00	32.00	40.00	45.00	51.00
वृद्धि (%)	---------	06.67	25.00	12.5 0	13.34

12.13. रेलवे साइडिंग अवसंरचना

1. गोविंदपुर क्षेत्र में महेशपुर साइडिंग का आरएलएस के साथ निर्माण	(i) साइट पर कई बाधाओं और COVID-19 के प्रभाव के बावजूद, सिविल कार्य की भौतिक प्रगति की उपलब्धि 35% है। कार्य जारी है।
2. एनएलओसीपी साइडिंग का विस्तार	धनबाद कोर्ट में उठाए गए भूमि विवाद के मुद्दे और COVID-19 के प्रभाव के बावजूद, आज तक की भौतिक प्रगति की उपलब्धि निम्नानुसार है- (1) पीएफ वॉल-310 मीटर (2) फॉर्मेशन बेड-270 मीटर। (3) नाली-195 मीटर। कानूनी विवाद के चलते फिलहाल कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
3. बस्ताकोला क्षेत्र में पूर्ण रेक लंबाई बनाने के लिए बुर्रागढ़ साइडिंग का विस्तार।	यह कार्य दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जमा आधार पर किया जाएगा और इस संबंध में 21.08.2021 को रेलवे को ₹ 2.64 करोड़ की राशि जमा कर दी गई है।
4. दना क्षेत्र में सीके वेस्ट साइडिंग को भावी ओपनकास्ट के लिए विनष्ट करना	पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जमा आधार पर कार्य किया जायेगा और इस संबंध में दिनांक 12.03.2021 को रेलवे को ₹0.5423 करोड़ की राशि जमा कर दी गयी है। स्थानापन्न लोडिंग व्यवस्था गोल 6 और गोल 9 साइडिंग में होगी।

13. भू-संपदा

वर्ष	दिए गए नियोजन	भूमि अधिग्रहण (हेक्टेयर में)			क्षतिपूर्ति (₹ करोड़ में)		पंजीकरण एवं अन्य लागत (₹ करोड़ में)	पंजीकरण एवं अन्य लागत (₹ करोड़ में)
2021-22	02	00	00	5.8995	1.97	0.00	0.17	2.14

14.विदेशी सहयोग :

बीसीसीएल में वर्तमान में विदेशी सहयोग से चलने वाली कार्यान्वयन के लिए कोई परियोजना नहीं है।

15.विपणन

15.1कच्चे कोयले की आपूर्ति का विवरण :

क्षेत्र	लक्ष्य (मिलियन टन)	वर्ष 2021--22 में वास्तविक (मिलियन टन)	% उपलब्धि	वर्ष 2020-21 में वास्तविक (मिलियन टन)	पिछले वर्ष से % वृद्धि
पॉवर (सीपीपी समेत)	20.40	25.46	125%	17.12	49%
स्टील	2.07	0.73	35%	1.03	-29%
उर्वरक	1.00	0.64	64%	0.94	-32%

क्षेत्र	लक्ष्य (मिलियन टन)	वर्ष 2021--22 में वास्तविक (मिलियन टन)	% उपलब्धि	वर्ष 2020-21 में वास्तविक (मिलियन टन)	पिछले वर्ष से % वृद्धि
ई-ऑक्शन (एसएफई के अतिरिक्त)	1.23	1.23	100%	0.95	30%
अन्य एन आर	1.00	0.63	63%	0.45	39%
वाशरी के लिए	6.30	3.56	57%	2.63	36%
आंतरिक उपभोग	0.00	0.00	0%	0.00	0%
कुल	**32.00**	**32.25**	**101 %**	**23.12**	**40 %**

सीआईएल के एएपी लक्ष्य के अनुसार

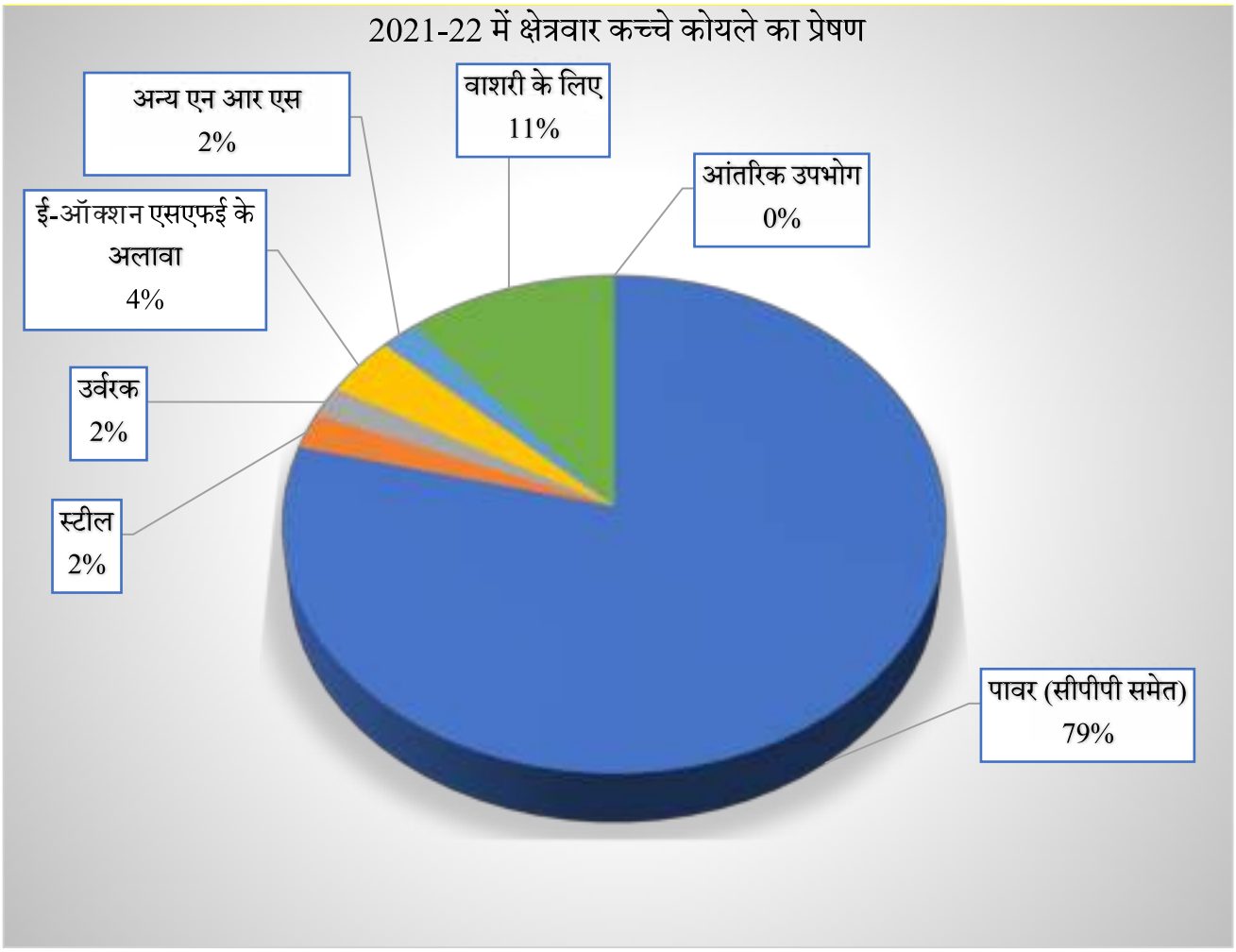

15.2 (क) बिक्री पर की गई वसूली

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बीसीसीएल को एफएसए उपभोक्ताओं से कम वसूली के कारण धन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। कोयला बकाया की वसूली के लिए 2021-22 में विशेष प्रयास शुरू किए गए। नतीजतन, 2021-22 में ₹ 15923.01 करोड़ की वसूली हुई है, और यह किसी भी पिछले वित्तीय वर्षों में एक सर्वकालिक उच्च प्राप्ति है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल बिक्री की तुलना में प्राप्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	वसूली (₹ करोड़ में)	वसूली का %
1	2021-22	12867.34	15923.01	123.75%
2	2020-21	8521.62	8005.91	93.95%
3	2019-20	12224.47	10091.60	82.55%
4	2018-19	12899.98	15046.94	116.64%
5	2017-18	10773.92	12056.97	111.91%

15.2 (ख) बकाया राशि का निपटान:

विभिन्न एफएसए उपभोक्ताओं के साथ पुराने विवादित बकाया के निपटान के लिए 2021-22 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। डीवीसी और पीएसपीसीएल के साथ द्विपक्षीय समझौता बैठकें आयोजित की गई। द्विपक्षीय समझौते की परिणामी स्थिति इस प्रकार है:

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	निपटान की गयी विवादित राशि (₹ करोड़)	बीसीसीएल को प्राप्त राशि (₹ करोड़)	बीसीसीएल द्वारा बट्टे खाते में डाली गयी राशि (₹ करोड़)
1.	डीवीसी	68.87	56.38	12.49
2.	पीएसपीसीएल	80.72	80.72	0.00

15.3 ई-नीलामी

वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न ई-नीलामी योजनाएं संचालित की गईं और ई-नीलामी के लिए कुल 135.38 लाख टन कोयले की पेशकश की गई और बेची गई वास्तविक मात्रा 34.99 लाख टन थी। विभिन्न ई-नीलामी का योजना-वार प्रदर्शन इस प्रकार है:

बीसीसीएल : वर्ष 2021-22 के दौरान योजना वार ई-नीलामी

योजना का नाम	2021-22			2020-21			अधिसूचित मूल्य पर प्राप्त वृद्धि का प्रतिशत
	बोली की मात्रा (लाख टन में)	उठाव की मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	बोली की मात्रा (लाख टन में)	उठाव की मात्रा (लाख टन में)	अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)	
विशेष अग्रेषण ई-नीलामी	3.36	2.43	3.75	1.00	2.08	0.00	-
विशिष्ट ई-नीलामी	3.19	2.46	144.98	8.28	3.99	44.83	223.40
स्थल ई-नीलामी	20.73	5.40	404.10	9.98	6.22	73.74	448.01
विशिष्ट स्थल ई-नीलामी	0.27	0.53	1.92	1.00	0.27	1.49	28.59
आयात प्रतिस्थापन के लिए विशिष्ट स्थल ई-नीलामी	7.44	4.46	86.26	5.35	0.94	20.75	315.71
कुल	34.99	15.26	641.01	25.61	13.51	140.81	355.23

टिप्पणी: उठायी गयी मात्रा में पिछले वर्ष ई-नीलामी में किए गए प्रेषण भी सम्मिलित हैं।

15.4 वर्ष 2021-22 में एफएसए के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के उपभोक्तावार आपूर्ति

विद्युत कंपनी का नाम	वर्ष 2021-22 में एसीक्यु (लाख टन में)	कोयला और कोयला उत्पाद की आपूर्ति (लाख टन में)	% पूर्ति (2021-22)	% पूर्ति (2021-22)
कुल डीवीसी	103.16	111.44	108 %	93%
कुल एनटीपीसी	33.83	65.32	193 %	32%
कुल डब्ल्यूपीडीसीएल	36.43	26.74	73 %	67%
कुल यूपीआरवीयूएनएल	26.13	10.86	42 %	46%
पानीपत	11.6	8.35	72 %	4%
रोपर	3.33	4.09	123 %	40%
डीपीएल	6.2	6.07	98 %	111%
एमपीएल	18.43	17.42	95 %	75%
बज बज (इकाई-III)	4.12	3.09	75 %	49%
एमजीटीपीपी	8.89	11.05	124 %	50%
कुल बिजली उपयोगिता	**252.120**	**264.44**	**105 %**	**68%**

16. विदेशी मुद्रा का उपार्जन एवं व्यय

16.1 विदेशी मुद्रा का व्यय

(₹ 'करोड़ में)

मद	2021 -22	2020 -21
स्टोर, स्पेयर्स एवं कंपोनेंट	शून्य	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य	शून्य

16.2 एचईएमएम की खरीद

विवरण	संख्या	दिनांक	सर्वे ऑफ संख्या	सर्वे ऑफ क्षमता
280 एचपी मोटर ग्रेडर	06	26-05-2021	योजना के समक्ष	लागू नहीं
28 केएल वाटर स्प्रिंकलर	02	10-12-2021	01	01 -28- केएल
10 केएल डीजल बोसेर	02	10-12-2021	01	01 -10- केएल
60 टी रियर डम्पर	28	02-02-2022	31	24 -60T, 7 नंबर -35T
5-6 क्यु.मी. शॉवेल	07	14-02-2022	08	6 -5-6 क्यू.एम. 3 और 2 - 2.7-3 क्यू.एम.
410 एचपी डोजर	04	11-02-2022	04	4 -410 एचपी
160 एमएम ड्रिल	07	28-03-2022	07	07 -160 एम.एम.ड्रिल
मोबाइल सेवा वैन	05	28-03-2022	योजना के समक्ष	लागू नहीं

एमओयू अनुपालन मानदंड (2021-22)

मद संख्या – 1 :-

कार्य निष्पादन मानदंड	इकाई	उपलब्धि
GeM पोर्टल से कुल खरीद का 25%: (GeM के अनुसार वर्ष के दौरान GeM पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद)/(संबंध पोर्टल के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान माल और सेवाओं की कुल खरीद) *100	%	25.05
टिप्पणी: - **वर्ष 2021-22 के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से माल की खरीद** = ₹ 9195.19 लाख **पिछले वर्ष अर्थात 2020-21 के दौरान माल की कुल खरीद** = ₹ 36708.19 लाख		

17. गुणवत्ता नियंत्रण

17.1 नमूना एकत्रण (संयुक्त/तृतीय पक्ष द्वारा नमूना एकत्रण की स्थिति)

क) बीसीसीएल के सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयला प्रेषण के सभी तरीकों के लिए सभी लोडिंग पॉइंट्स पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग का सफल कार्यान्वयन किया गया है। एफएसए और एमओयू के अनुसार, बीसीसीएल द्वारा थर्ड पार्टी सैंपलिंग के लिए सभी लागू शर्तों को पूरा किया गया है।

यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति (परिस्थितियों) के लिए तृतीय-पक्ष नमूनाकरण एजेंसियां नमूना कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो संयुक्त नमूनाकरण लोडिंग एंड पर किया जाता है (विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के साथ निष्पादित ईंधन आपूर्ति समझौता खंड संख्या 4.7.6 (ए)), निजी उपभोक्ताओं के लिए खंड संख्या 5.7.6 (ए) और अन्य उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक खंड)।

(ख) तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए नमूना एकत्रण एवं विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए घोषित ग्रेड के अनुरूप कुल प्रतिशत इस प्रकार है:-

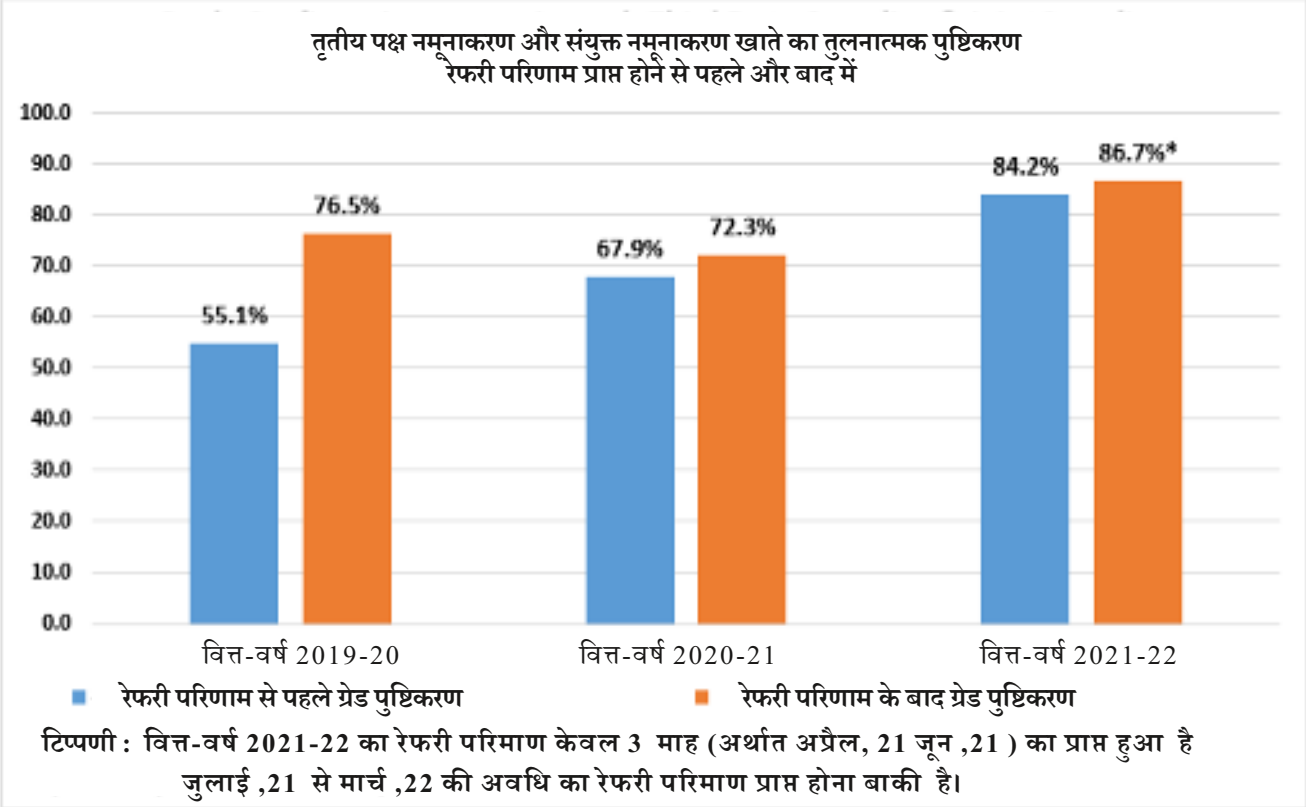

(ग) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, जुलाई, 2021 से तीसरे पक्ष के नमूने के कारण चुनौतीपूर्ण रेफरी नमूनों के विश्लेषण के परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, अप्रैल 21 से जून'21 की अवधि के लिए रेफरी नमूने विश्लेषण परिणामों की प्राप्ति के बाद, अप्रैल 21 से जून'21 की अवधि के लिए तीसरे पक्ष और संयुक्त नमूने के कारण ग्रेड पुष्टि प्रतिशत 83.68% से बढ़कर 92.99% हो गया है, जो कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करता है।

(ङ) ग्रेड की पुष्टि की उपर्युक्त प्रवृत्ति ग्रेड प्राप्ति में निरंतर सुधार दिखाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेफरी विश्लेषण परिणामों की प्राप्ति से ग्रेड प्राप्ति में और सुधार प्राप्त किया जाएगा।

17.2 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

(क) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तीसरे पक्ष और संयुक्त नमूने (रेफरी परिणामों के बिना) के कारण घोषित ग्रेड की पुष्टि करने वाला समग्र प्रतिशत 84.2% (अनंतिम) रह जबकि वित्त वर्ष 2020-21 (रेफरी परिणामों के बिना) के दौरान यह 67.9% था। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.01% की ग्रेड प्राप्ति में एक सुधार दर्ज हुआ।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ग्रेड पुष्टिकरण कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है।

(ख) 2021-22 के दौरान, विभिन्न कोलियरियों के 10 (दस) सीमों के ROM अंश के एक नए ग्रेड को अधिसूचित किया गया है।

(ग) पीएसपीसीएल के साथ पूर्व-सीआईएमएफआर युग के लंबे समय से लंबित समाधान मुद्दों का समाधान किया गया।

(घ) डीपीएल के साथ रेफरी परिणामों की स्वीकृति के लंबित समाधान मुद्दे का समाधान किया गया।

(ङ) एनटीपीसी ऊंचाहार के साथ रेफरी परिणामों की स्वीकृति के लंबित समाधान मुद्दे का समाधान किया गया।

(च) नमूनाकरण परिणामों की स्वीकृति के संबंध में 2017-18 से डीवीसी के साथ लंबित मुद्दों का समाधान(तृतीय पक्ष नमूनाकरण के अभाव में) किया गया।

(छ) तीसरे पक्ष के नमूने में आईएस:1350 (भाग -2) के खंड 0.4 का कार्यान्वयन (निकट विश्लेषण में दशमलव को पूर्णांकित करने के लिए):

1. कोयले के नमूनों के निकटतम विश्लेषण में दशमलव को एक दशमलव अंक तक पूर्णांकित करने के लिए IS:1350 (भाग-2) (खंड 0.4) में प्रावधान है।
2. हालांकि, क्यूसीआई विश्लेषण रिपोर्ट और विभिन्न रेफरल प्रयोगशालाओं से प्राप्त रेफरी चुनौती विश्लेषण रिपोर्ट में अनुमानित विश्लेषण की रीडिंग दोहरे दशमलव अंकों में थी। इस कारण से बीसीसीएल को काफी नुकसान हुआ।
3. इस विसंगति की सूचना निदेशक (विपणन), सीआईएल को दी गई थी, और तृतीय-पक्ष नमूनाकरण कार्य में प्रचलित उपरोक्त विसंगति पर समाधान के लिए अनुरोध किया गया।
4. इस मामले को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संज्ञान में लिया गया था और बाद में तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसियों और रेफरल प्रयोगशालाओं को आईएस:1350 (भाग-2) (खंड 0.4) में प्रावधान का पालन करने की सलाह दी गई थी और इसे सीआईएल की सहायक कंपनियों के विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं में भी लागू किया गया है।

(ज) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में ईआरपी का सफल कार्यान्वयन।

17.3 गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

(क) ग्रेड के रखरखाव के लिए एसओपी तैयार किया गया है और बीसीसीएल के क्षेत्रों में वितरित किया गया है। एसओपी कोयला उत्पादन और प्रेषण के हर चरण में कार्यकारी (अधिकारियों) की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।

(ख) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रेषित कोयले के ग्रेड की जांच नियमित तौर पर साईडिंगों में की जाती है और इसके बाद प्रेषित कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) प्रत्येक क्षेत्र की ग्रेड स्लिपेज रिपोर्ट मासिक आधार पर संकलित की जाती है और सुधारात्मक उपाय करने के लिए इसे संबंधित क्षेत्रों को भेजा जाता है।

(घ) गुणवत्ता, आकार प्रेषण, तीसरे पक्ष के नमूने आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक माह सभी क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधकों के साथ गुणवत्ता समन्वय बैठक का आयोजन किया जाता है।

(ङ) तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण कार्य की निगरानी के लिए सभी लोडिंग केंद्रों पर प्रत्येक पाली में अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों का एक समर्पित दल तैनात किया गया है। टीम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जाता है कि तृतीय पक्ष नमूना एकत्रण एजेंसी द्वारा नमूने को समुचित तरीके से एकत्र एवं तैयार किया जाता है।

(च) उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाता है।

(छ) उत्पादन एवं डिस्पैच से सीधे तौर पर जुड़े सभी सुपरवाईजरी एवं प्रबंधकीय कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे निम्नलिखित माध्यम से केवल गुणवत्तापूर्ण कोयले का उत्पादन करें:-

1. चयनित खनन पद्धति अपनाएं
2. उचित ड्रिलिंग/ब्लॉस्टिंग पैटर्न को अपनाए
3. पत्थरों एवं शेल को अपने स्तर पर ही अलग कर दें
4. फेस एवं स्टॉक यार्ड में ट्रकों में लोडिंग के समय सावधानियां बरतें।
5. सीमों में आग एवं अन्य खनन समस्याओं के कारण समिश्रित कोयले का उचित तरीके से प्रबंध किया जाता है।

(ज) कार्यस्थल/कोल डंप/रेलवे साइडिंग में उचित प्रकाश का प्रबंध है।

(झ) फायरी एवं गैर-फायरी कोयले के लिए इनका अलग-अलग भंडार किया जाता है।

(ञ) अग्नि प्रभावित सीम के मामले में, सीसीओ द्वारा आग और गैर-अग्नि क्षेत्रों के कोयला सीम विशेष के लिए अलग-अलग ग्रेड घोषित किए गए हैं।

(ट) घोषित ग्रेड के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के उत्पादन और प्रेषण हेतु उपचारात्मक उपायों के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर विचार-मंथन कर ग्रेड स्लिपेज को कम किया जाता है।

(ठ) उपभोक्ताओं की संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए, गुणवत्ता और आकार के प्रेषण और शिकायत निवारण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीसीसीएल के उपभोक्ताओं के साथ बैठक (बैठकें), टेलीफोन / टेक्स्ट संदेश वार्तालाप किया जाता है।

(ड) बिजली घर (घरों)/उपभोक्ताओं से प्राप्त बड़े आकार की असंगत सामग्री के साथ मिश्रित खराब गुणवत्ता वाले कोयले और बड़े आकार के कोयले की कथित प्राप्ति के संबंध में शिकायत तुरंत संबंधित प्राधिकारी को उसी दिन के भीतर भेजी जाती है। संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और विपणन एवं विक्रय विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे साइडिंग, डंप और कोयले का आकलन करने के लिए संबंधित क्षेत्र का दौरा करते हैं और भविष्य के लिए शिकायत (शिकायतों) को खत्म करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता और क्रश्ड कोयले के प्रेषण के संबंध में क्षेत्र के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। ।

(ढ) हर महीने के अंत में, बीसीसीएल और संबंधित बिजली घर के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न बिजली घरों में पत्थर का मूल्यांकन किया जाता है।

17.4 2021-22 को "गुणवत्ता वर्ष" के रूप में घोषित करना

दिनांक 26.04.2021 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान 2021-22 को "गुणवत्ता का वर्ष" घोषित किया गया। कोयले की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया।

(क) बीसीसीएल के क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता जागरूकता अभियान चलाए गए। खदानों, साइडिंगों, क्रशिंग व्यवस्थाओं, अनुकूल परिस्थितियों, कोयला विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला आदि का त्रैमासिक अंतर-क्षेत्रीय निरीक्षण किया गया।

(ख) साइडिंग के रखरखाव, क्रशिंग और ग्रेड पुष्टिकरण के संबंध में क्षेत्रों को त्रैमासिक आधार पर सम्मानित किया गया और पुरस्कार प्रदान किए गए।

18. ऊर्जा संरक्षण

18.1 ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1.	एल ई डी लाइट	बीसीसीएल ने जीएलएस लैंप, ट्यूब फिटिंग और ट्यूब लाइट की खरीद बंद कर दी है। सभी सरकारी/औद्योगिक परिसरों में जीएलएस लैंप और अन्य पारंपरिक लाइट फिटिंग्स को एलईडी लाइट फिटिंग से बदला जा रहा है। वित्त वर्ष 21-22 में 2700 एलईडी लाइटें पहले ही खरीदी जा चुकी हैं। इसके अलावा 2374 एलईडी लाइटों के लिए शीघ्र ही क्रय आदेश दिया जाना है।
2.	ऊर्जा दक्ष ए सी	वित्त वर्ष 21-22 में 71 ऊर्जा दक्ष एसी लगाए गए हैं।
3.	ई-व्हीकल	वेट लीज व्यवस्था के तहत 15 ई-वाहनों को किराए पर लेने की प्रक्रिया चल रही है और 4.5.2022 को कार्यादेश दिया गया है
4.	ऊर्जा दक्ष मोटर	2 ऊर्जा दक्ष मोटरें लगाई गई हैं।
5.	ऊर्जा दक्ष वाटर हीटर	वित्तीय वर्ष 21-22 में 74 ऊर्जा दक्ष वॉटर हीटर लगाए गए हैं।
6.	हाइमास्ट प्रकाश स्तंभ	वित्त वर्ष 21-22 में एलईडी आधारित फ्लड लाइट फिटिंग के साथ 58 हाई मास्ट प्रकाश स्तंभ के लिए खरीद आदेश दिया गया और जल्द ही डिलीवरी की उम्मीद है।
7.	स्वनियंत्रक स्विच	वित्त वर्ष 21-22 में 70 स्वनियंत्रक स्विच (ऑटो टाइमर स्विच) के लिए खरीद आदेश दिया गया और शीघ्र ही डिलीवरी की उम्मीद है।
8.	ऊर्जा दक्ष सुपर फैन	बीसीसीएल अब पारंपरिक सीलिंग फैन के स्थान पर ऊर्जा दक्ष सुपर फैन खरीद रहा है। 209 बीएलडीसी सीलिंग फैन लगाए गए हैं।
9.	कैपेसिटर बैंक	कैपेसिटर बैंक और कैपेसिटर की खरीद का नया प्रस्ताव निविदा में है। कैपेसिटर बैंकों की आपूर्ति के बाद, पावर फैक्टर में सुधार के लिए इसे स्थापित किया जाएगा।

18.2 वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में बीसीसीएल की कुल ऊर्जा खपत एवं विशिष्ट ऊर्जा खपत

विवरण	2021-22	2020-21
विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/टन) (कोयले के लिए)	26.37	32.96
विशिष्ट ऊर्जा खपत (कि. वाट/क्यू.मी.) (कोयले एवं ओबी के लिए)	6.37	6.71
कुल ऊर्जा खपत (एमकेडब्ल्यूएच)	804.50	812.65

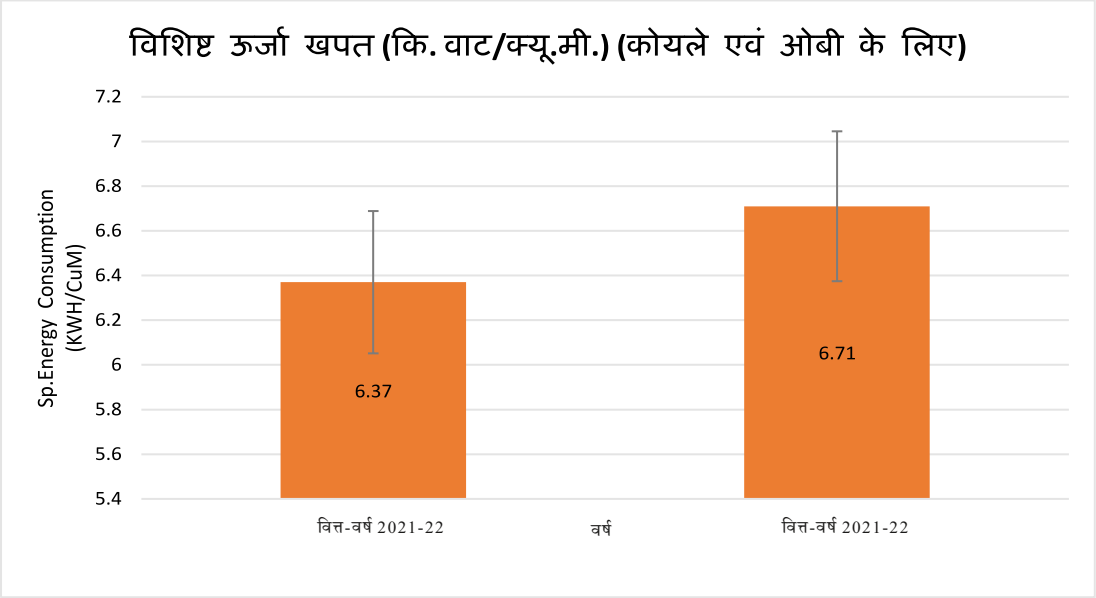

वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में विशेष ऊर्जा खपत में 5.07% की कमी।

18.3 बीसीसीएल में सोलर प्लांट/ परियोजनाएं लगाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम

❖ **सौर ऊर्जा पहल**

बीसीसीएल में रूफ़ टॉप सौर परियोजना की स्थिति			
क्रम संख्या	**परियोजना**	**राशि (करोड़ रु. में)**	**स्थिति**
1	बीसीसीएल के विभिन्न बारूद घरों में 110 किलोवाट के सौर संयंत्र (बैटरी बैकअप के साथ)	1.25	₹1,25,63,602 के कार्य मूल्य के लिए 18.08.2021 को मेसर्स सनफीड इकोसोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश दिया गया। कार्य निष्पादन प्रगति पर है। मार्च 2022 में 70 KW रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया गया है और 40 KW की स्थापना के जून, 2022 में पूरा होने की उम्मीद है।
2.	बस्ताकोला, डब्ल्यूजे और तेतुलमारी क्षेत्र कार्यालय में 297 किलोवाट ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सोलर प्लांट।	1.15	मेसर्स ग्रीनॉन एनर्जी सर्विसेज को कार्य आदेश दिनांक 13.12.2021 को दिया गया। पार्टी को कार्यस्थल समर्पण पत्र 07/03/22 को जारी किया गया था। जुलाई 2022 में काम पूरा होने की उम्मीद है।
3.	बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 19 भवनों पर 1.2 मेगावाट ऑन-ग्रिड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र।	4.84	मेसर्स सुंग्रेस एनर्जी सॉल्यूशंस को दिनांक 28.12.2021 को कार्यादेश दिया गया। कार्य प्रगति पर है। कल्याण भवन, जगजीवन नगर गेस्ट हाउस, सीसीडब्ल्यूओ, सिविल ऑफिस, सीआईएसएफ और स्कूल ऑफ नर्सिंग - 7 साइटों (255 केडब्ल्यूपी) पर काम पूरा हुआ। नेहरू कॉम्प्लेक्स और डीएवी स्कूल में 350kWp प्लांट के लिए काम चल रहा है और इसके जल्द ही पूरा होने की संभावना है। शेष 615 kWp सोलर प्लांट का काम मई, 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

बीसीसीएल के विभिन्न स्थानों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ़टॉप पीवी परियोजनाएं

सीसीडब्ल्युओ कार्यालय में सोलर पैनल

नर्सिंग छात्रावास में सोलर पैनल

जगजीवन नगर, अतिथि गृह में सोलर पैनल

बीसीसीएल में ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजनाओं की स्थिति			
क्रम संख्या	परियोजना	राशि (करोड़ रु. में)	स्थिति
1	भोजुडीह वाशरी में 25 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा	146.94 (अनुमानित लागत)	भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) का पीएमसी असाइनमेंट समाप्त कर दिया गया। एसईसीआई के पीएमसी को समाप्त करने और बाद में सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (CNUL) के माध्यम से CAPEX मोड में निविदा प्रस्ताव को बीसीसीएल के प्रकार्य निदेशकों द्वारा दिनांक 16.12.2021 को अनुमोदित किया गया। ₹ 146.94 करोड़ का सीएनयूएल द्वारा तैयार किया गया संशोधित अनुमान बीसीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर 21.01.2022 को सीएनयूएल को सूचित किया गया। सीएनयूएल द्वारा 03.03.2022 को निविदा जारी की गयी, 11.03.2022 को प्री-बिड मीटिंग आयोजित हुई और 08.04.2022 को निविदा खोली गई। सीएनयूएल द्वारा निविदा जांच की गयी और एक अमान्य प्रस्ताव के कारण निरस्तीकरण और पुनर्निविदा के तहत की जानी है।
2	दुग्धा वाशरी के पास 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र	कैपेक्स (अनुमानित लागत अभी प्राप्त नहीं)	ईएसएल का पीएमसी असाइनमेंट समाप्त कर दिया गया। ईईएसएल के पीएमसी को समाप्त करने और रेस्को मोड में सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड के माध्यम से निविदा के लिए बीसीसीएल के प्रकार्य निदेशकों द्वारा स्वीकृति दी गयी, इसे दिनांक 16.12.2021 को बीसीसीएल के प्रकार्य निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया। सीआईएल को सीएपीईएक्स मोड में नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड के माध्यम से निविदा के लिए अपना काम करने के लिए सूचित किया गया है। संशोधित डीपीआर अनुमान के साथ सीआईएल नवकरणीय-ऊर्जा-लिमिटेड (सीएनयूएल) द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

18.5 ऊर्जा खपत

विवरण	2021 -22	2020 -21
खरीदी गई यूनिट (एमकेडब्लूएच)	804.50	812.65
कुल बिल राशि (₹ करोड़ में)	434.50	404.73
***डीवीसी द्वारा टैरिफ संशोधन करने के कारण बिल राशि में वृद्धि हुई है**		

19. सुरक्षा

19.1 वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दुर्घटना संबंधी आंकड़े

2020-21 की तुलना में 2021-22 में घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की घटनाओं में काफी कमी आई है:

दुर्घटना का विवरण	2021 -22	2020 -21	वर्ष 20-21 की तुलना में वर्ष 21-22 में परिवर्तन प्रतिशत
प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या	**1**	**4**	**-75%**
मृतकों की संख्या	**1**	**5**	**-80%**
गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	**5**	**8**	**-37.5%**
गंभीर चोटों की संख्या	**5**	**9**	**-44.4%**

19.2 नियमानुसार खदानों में सुरक्षा स्थिति की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया

कर्मियों, मशीनों और खदानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल की खदानों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) डीजीएमएस द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार नियमत: खनन गतिविधियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए वैधानिक कर्मियों की तैनाती।

(ii) डीजीएमएस द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार खदानों का संचालन।

(iii) सुरक्षा समिति और कामगार निरीक्षकों द्वारा खानों का निरीक्षण।

(iv) समय सारणी के अनुसार आईएसओ द्वारा खानों का निरीक्षण।

(v) आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का बैकशिफ्ट निरीक्षण।

(vi) डीजीएमएस, आईएसओ और अन्य एजेंसियों द्वारा बताए गए उल्लंघनों का अनुपालन।

(vii) सक्षम प्राधिकारी को विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड प्रस्तुत करना।

(viii) आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का औचक निरीक्षण।

(ix) एसएमपी में खदान के जोखिमों की पहचान पहले ही की जा चुकी है।

(x) बीसीसीएल की सभी परिचालन खदानों ने साइट विशिष्ट, जोखिम आधारित एसएमपी तैयार किया है।

(xi) किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए माइंस रेस्क्यू स्टेशन को पर्याप्त बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है।

19.3 सुरक्षा रोड मैप के कार्यान्वयन की स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान विशेष अभियान चलाए गए:

मानदंडकार्यान्वयन	स्थिति
144वीं सीएमडी मीट द्वारा निर्देशित 50+ आयु वर्ग के उच्च दुर्घटना और जोखिम प्रवण कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य परामर्श।	अगस्त 2022 से बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में नियमित अभ्यास के रूप में जारी है।
"आजादी का अमृत महोत्सव" के अवसर पर डीजीएमएस द्वारा सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच की गई	बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में 7 से 12 मार्च 2022 तक
वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह-2021 और अंतिम दिवस समारोह	एएमएसडब्ल्यू का आयोजन बीसीसीएल के सभी क्षेत्रों में 07 से 12 फरवरी 2022 तक और अंतिम दिवस समारोह 26 फरवरी 2022 को टाटा जमाडोबा स्टेडियम में किया गया।
फीडर ब्रेकर, विद्युत सब-स्टेशनों और खनन संचालन के अन्य संवेदनशील बिंदुओं में आग के कारण खतरे को कम करने के लिए तैयारियों का आकलन	बीसीसीएल की सभी खदानों में 26 मई से 30 मई 2021
विद्युत स्टेशनों में LOTO प्रणाली और शटडाउन प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता का आकलन	बीसीसीएल के सभी सब-स्टेशनों में 16 जून से 22 जून 2021

19.4 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का उन्नयन और आधुनिकीकरण और उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन और कार्यान्वयन -

20 अगस्त 2021 को आयोजित 145वीं सीएमडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बीसीसीएल की सभी सहायक कंपनियां "व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण" के लिए एक 'कार्य योजना' तैयार करेंगी। इसके अलावा, जैसा कि 22.10.2021 को आयोजित सीएमडी की 147वीं बैठक में निर्णय लिया गया, यह प्रस्तावित किया गया है कि-

"बरोरा क्षेत्र जीवीटीसी और मूनीडीह वीटीसी को वर्ष 2022-23 में उत्कृष्टता केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा।"

इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाने वाली एजेंसी को सीआईएल द्वारा तय किया जाना है। वर्तमान में, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (आरएफक्यू) प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन के आधार पर, प्राप्त 10 में से निम्नलिखित दो एजेंसियों को अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सूचीबद्ध किया गया है-
जे.एन. टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जमशेदपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम।

मेसर्स डेलॉइट ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) की तैयारी शुरू कर दी है। संभावित एजेंसियों की व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए RFQ दस्तावेज़ की समीक्षा करने के लिए CIL द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिशों को संशोधित आरएफक्यू में शामिल किया जाएगा। उक्त संशोधित आरएफक्यू अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही सीआईएल द्वारा जारी किया जाएगा।

19.5 पिछली दुर्घटनाओं पर वीडियो क्लिप्स -

मार्च 2021 में 02 वीडियो क्लिप प्रति माह की दर से 12 वीडियो क्लिप तैयार करने का कार्यादेश जारी किया गया है और बीसीसीएल के सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जागरूकता में सुधार हेतु 2020, 2021 और पिछले वर्ष में बीसीसीएल में हुई घातक दुर्घटनाओं को दर्शाते हुए 2021-22 में 3-4 मिनट की अवधि के 12 वीडियो क्लिप तैयार किए गए हैं। । इन फिल्मों को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप, वीटी सेंटर आदि के माध्यम से कर्मचारियों के साथ साझा किया जा रहा है। बीसीसीएल के सभी जीवीटीसी में कोलियरी में उपरोक्त वीडियो क्लिप के अलावा, सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों में हुई विभिन्न दुर्घटनाओं पर लघु फिल्में भी इन दुर्घटनाओं पर कर्मचारियों को चर्चा के साथ दिखाई जा रही हैं।

19.6 सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए बीसीसीएल खानों में लागू सीआईएल के विभिन्न हालिया निर्देश:

I. **सुरक्षा मित्र मंडली (सुरक्षा सर्कल) का गठन -** खान स्तर, क्षेत्र स्तर, सहायक स्तर और सीआईएल स्तर पर कामगार निरीक्षक, पीएससी सदस्य, सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी आईएसओ, नोडल अधिकारी (सुरक्षा मित्र) सीआईएल शामिल हैं।

II. **"टेक - 5" सुरक्षा दृष्टिकोण की अवधारणा -** "रुकें और सोचें, खतरों को देखें, जोखिम का आकलन करें, परिवर्तन करें और सुरक्षित रूप से काम करें" की अवधारणा को अपनाने के लिए।

III **सुरक्षा दृष्टिकोण का "एबीसीडी"** - ए-एवेयरनेस (जागरूकता), बी- बीवेयर (सावधान), सी- कंसिसियस (जागरूक), डी- डिलिजेंट (मेहनती)

IV **"शून्य दुर्घटना / शून्य नुकसान" प्राप्त करने के लिए सुरक्षा लक्ष्य के लिए रोड मैप** – कार्यपालक निदेशक (सुरक्षा), सीआईएल द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया है , जिसमें "सुरक्षा संस्कृति" और "सुरक्षा वातावरण" दोनों समानांतर चलेंगे, इसमें प्रत्येक सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट के साथ, 52 सप्ताह की अवधि के भीतर विभिन्न कार्यों को पूरा किया जाने वाले कार्य सम्मिलित होंगे। विभिन्न कार्य और कार्रवाई योग्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं-

क. सुरक्षा दृष्टिकोण, व्यवहार, चेतना में सुधार

ख. कर्मचारियों के बीच नियोक्ता-संचालित सुरक्षा संस्कृति, समावेशी सुरक्षा संस्कृति, साथी भावना, सहानुभूतिपूर्ण सोच के माहौल को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा सर्किलों / सुरक्षा समूहों का गठन।

ग. 'केस स्टडी आधारित सुरक्षा वार्ता' और 'सुरक्षा वीडियो साझा करना' शुरू करके सुरक्षा के लिए "अधिगम संस्कृति" विकसित करना।

घ. सुरक्षा के उद्देश्य पर 'प्रेरणादायक मॉडल' का प्रदर्शन।

ङ. सुरक्षा के लिए विशिष्ट 'संगठनात्मक अनुशासन और व्यवहार' में सुधार।

च. आईएसओ (नोडल) और महाप्रबंधक (सुरक्षा) द्वारा स्थिति के अनुसार रोड मैप गतिविधियों को जोड़ने और संशोधित करने के लिए हर 3 महीने में नियमित समीक्षा।

V. **"व्यक्तिगत सुरक्षा परामर्श" की अवधारणा को लागू करना -** सुरक्षित प्रथाओं और सुरक्षा वातावरण पर प्रश्नावली के बाद सलाह, सुझाव, सहायता, मदद, समर्थन और मार्गदर्शन के रूप में व्यक्तिगत परामर्श, परिवार परामर्श और रेफरल द्वारा परामर्श ।

Vi. **आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना की तैयारी/संशोधन-** बीसीसीएल की विभिन्न खदानों में चल रही मौजूदा 'आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना' को सभी बीसीसीएल खानों के लिए 'खान विशिष्ट स्थितियों को शामिल करने के दायरे के साथ एक समान आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना' तैयार करने के लिए फिर से देखा गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना का मसौदा बीसीसीएल की सभी खानों को परिचालित कर दिया गया है।

Vii. **विशिष्ट खनन गतिविधियों के लिए एक समान अभ्यास अनुसूची (एसओपी)** - वर्तमान में प्रचलित विभिन्न खनन गतिविधियों के एसओपी की समीक्षा/संशोधन आईएसओ द्वारा 'खान विशिष्ट स्थितियों को शामिल करने के दायरे के साथ एक विशिष्ट कार्य के लिए एक समान एसओपी' विकसित करने और तैयार करने के लिए की गई है।

19.7 वर्ष 2021-22 में अन्य सुरक्षा उपाय :

मानदंड	कार्यान्वयन स्थिति
एसएमपी (सुरक्षा प्रबंधन योजना)	बीसीसीएल की सभी कार्यरत खदानों द्वारा एसएमपी तैयार किया गया है और इन एसएमपी की समीक्षा आईएसओ के सहयोग से की गई है।
सुरक्षा लेखा परीक्षा : 2021-22	बीसीसीएल की सभी कार्यरत खदानों के सुरक्षा लेखा परीक्षा- 2021-22 के चरण I, II और III को पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट जमा कर दी गई है।
ए-16 प्रारूप के अनुसार एचओई की विशेष लेखापरीक्षा	सुरक्षा लेखापरीक्षा के तीनों चरणों में बताई गई कमियों को संबंधित खानों द्वारा ठीक करने की प्रक्रिया में है।
महाप्रबंधक (एस एंड आर) की क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ मासिक बैठकें	बीसीसीएल के सभी हायर्ड पैच में सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रारूप के प्रारूप ए16 के तहत निर्धारित एचओई अनुबंधों की एक विशेष लेखापरीक्षा की गई है।
संविदात्मक श्रमशक्ति के लिए आईएसओ द्वारा जारी दिशानिर्देश	सभी महीनों में नियमित रूप से आयोजित अनुबंधित व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन के लिए सीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश कार्यान्वयन के लिए संबंधित क्षेत्रों को सूचित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आईएसओ नोडल अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करते हैं कि संविदा कर्मचारियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और इसकी निरीक्षण रिपोर्ट में आवश्यक टिप्पणियों को दर्ज किया गया है और अनुपालन की स्थिति की निगरानी की जाती है।
आईएसओ अधिकारियों द्वारा खानों का निरीक्षण	बीसीसीएल की खदानों के आईएसओ अधिकारियों द्वारा प्रति माह औसतन 15 निरीक्षण किए गए हैं।

19.8 अन्य सुरक्षा उपाय

(i) **आग, बाढ़ और डंप स्लोप स्थिरता पर मॉक रिहर्सल -** वर्ष 2021-22 में, आग, बाढ़ और डंप ढलान स्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के मामले में तैयारियों की जांच के लिए बीसीसीएल की विभिन्न खानों में कुल 76 (छिहत्तर) मॉक रिहर्सल आयोजित किए गए हैं-

विवरण	2021-22	2020 -21
बीसीसीएल की सभी खदानों में आग, बाढ़ और डंप ढलान स्थिरता पर मॉक रिहर्सल	76 nos.	41 nos.

(ii) बीसीसीएल सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों और मुख्यालय के अधिकारियों के साथ-साथ खान अधिकारियों के साथ द्वि-पक्षीय निरीक्षण (क्षेत्र स्तर) टीम बीसीसीएल की खानों / वाशरियों का निरीक्षण करती है।

(iii) 2021 में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और क्षेत्र सुरक्षा समिति के साथ क्षेत्र स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

(iv) कंपनी स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति- 14 फरवरी, 2022 को कोयला भवन में डीजीएमएस अधिकारियों, प्रबंधन और सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गयी।

19.9 वैज्ञानिक अध्ययन:

कोयला खान विनियम-2017 के विनियम संख्या 106(2), 196, और विनियम संख्या 123(1) के अनुपालन में, मैकेनाइज्ड ओपनकास्ट वर्किंग के मामले में 'अल्टीमेट पिट स्लोप, डंप स्लोप और स्लोप स्टेबिलिटी' के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन (पंजीकरण संख्या) 106(2)), ओसी खानों में ब्लास्टिंग अध्ययन (पंजीकरण संख्या 196), 'स्तर नियंत्रण और निगरानी योजना (एससीएएमपी)' - पंजीकरण संख्या 123 (1) और आरएमआर निर्धारण (पंजीकरण संख्या 123(2)) अलग-अलग क्षेत्रों में किया गया है। सिंफर, आईआईटी-आईएसएम धनबाद, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, बीआईटी सिंदरी, एनआईटी जोधपुर,

आदि जैसी 'वैज्ञानिक एजेंसियों' के माध्यम से BCCL की खदानें, 2017 में पंजीकरण संख्या 106 (2) की स्थापना से लेकर मार्च 2022 तक बीसीसीएल की विभिन्न खानों में किए गए विभिन्न मानकों पर वैज्ञानिक अध्ययनों की स्थिति निम्नानुसार है-

मानदंड	संख्या
ओसीपी में अल्टीमेट पिट ढलान, डंप ढलान, और ढलान स्थिरता	28
ओसी खानों में ब्लास्टिंग अध्ययन (पंजीकरण संख्या 196)	14
स्तर नियंत्रण और निगरानी योजना (एससीएएमपी) - पंजीकरण संख्या 123(1) और आरएमआर निर्धारण (पंजीकरण संख्या 123(2)) और संरचनात्मक स्थिरता परीक्षण	12
कुल	54

वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न वैज्ञानिक एजेंसियों के पक्ष में कुल 11 (ग्यारह) कार्य आदेश जारी किए गए हैं, इन कार्य आदेशों का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	क्षेत्र	इकाई का नाम	अध्ययन का प्रकार	कार्य करने वाला वैज्ञानिक संस्थान
1	कुसुंडा	पूर्वी बसुरिया कोलियरी-ओसीपी	ढलान स्थिरता	आईआईटी-बीएचयू
2		एनजीकेसी-ओसीपी	ढलान स्थिरता	सीएसआईआर-सिंफर
3	बरोरा	दामोदा-ओसीपी	घटवे सेक्शन के लिए ढलान स्थिरता	बीआईटी सिंदरी
4		एएमपी-ओसीपी (फुलारीटांड सेक्शन)	ढाल स्थिरता	बीआईटी सिंदरी
5	सिजुआ	निचितपुर कोलियरी-ओसीपी	काम करने की विधि, अंतिम पिट और डंप ढलान, इसकी निगरानी	बीआईटी सिंदरी
6	बरोरा	दामोदा-ओसीपी	घुटवे सेक्शन में नियंत्रित ब्लास्टिंग	आईआईटी-बीएचयू
7	पश्चिमी झरिया	मुनिडीह कोलियरी – भूमिगत	XVI टॉप सीम के प्रस्तावित डी-16 पैनल के बॉटम गेट में डिस्टर्ब/ फॉल जोन पर निपटाने की सलाह	सीएसआईआर-सिंफर
8		मुनिडीह कोलियरी – भूमिगत	मुनीडीह और भागाबंध कोलियरी के बीच XVII/XVI सीम बैरियर स्तंभ की स्थिति स्थापित करने के लिए	सीएसआईआर-सिंफर
9	कतरास	सलानपुर कोलियरी भूमिगत	स्कैंप रेग.123	बीआईटी सिंदरी
10	गोविंदपुर	महेशपुर भूमिगत	स्कैम्प	एनआईटी, राउरकेला
11		महेशपुर भूमिगत	गैसनेस की डिग्री	एनआईटी, राउरकेला

19.10 प्रशिक्षण कार्यक्रम

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रतिभागियों की संख्या)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2021 -22	2020 -21
1	प्रबंधन प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण	4429	2918
2	आईआईसीएम	267	97
3	विदेश	03	00
	कुल	**4699**	**3015**

(ख) प्रक्षिक्षण कार्यक्रम (प्रतिभागियों की संख्या)

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2021 -22	2020 -21
1	बेसिक	206	425
2	रिफ्रेशर	5481	5811
3	विशिष्ट एवं अन्य	1039	1157
4	सुरक्षा सम्मेलन के अनुसार	1639	3296
	कुल	**8365**	**10689**

(ग) संविदा कर्मियों का प्रशिक्षण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार	2021 -22	2020 -21
1	भूमिगत सुरक्षा जागरूकता	521	385
2	ओसीपी सुरक्षा जागरूकता	884	1023
	कुल	**1405**	**1408**

(घ) सांविधिक पदों के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या

क्र.सं.	विवरण	2021 -22	2020 -21
1	माइन मैनेजरशिप	50	90
2	ओवरमैनशिप	18	00
3	माइनिंग सरदारशिप	31	41
4	सर्वेयरशिप	16	00
5	वाइंडिंग इंजिन ऑपरेटर	12	12
6	गैस टेस्टिंग	138	175
7	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर	201	20
	कुल	**466**	**338**

(ङ) बीसीसीएल के 140 एचईएमएम ऑपरेटरों ने 2021-22 के दौरान एनसीएल और एलएंडटी, बीईएमएल, टीआईएल और टाटा हिताची के ओईएम सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उनके परिसर में सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है-

2021-22 में बीसीसीएल में सिम्युलेटर प्रशिक्षण

विवरण	एल एंड टी (दुर्गापुर)	बी ई एम एल (धनबाद)	गेनवेल (कैट डंपर) (आसनसोल)	एनसीएल (सिंगरौली)
शॉवेल	16	56	NA	15
डंपर	लागू नहीं	20	33	-
कुल	16	76	33	15

**सभी विभागीय एचईएमएम ऑपरेटर

टिप्पणियां :

1. 22 उत्खनन अधिकारियों को बीईएमएल (एपीएलएमएस प्रशिक्षण) द्वारा एचआरडी में प्रशिक्षण दिया गया।
2. बीईएमएल/गेनवेल (कैट डम्पर) सिमुलेटर प्रशिक्षण में कम भागीदारी मार्च के महीने में चरम उत्पादन अवधि में ऑपरेटरों को विरमित न करने के कारण।
3. कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, टाटा हिताची का प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रोक दिया गया था।

19.11 निम्नलिखित सुरक्षा सामग्रियों की खरीद के लिए कृत कार्रवाई की स्थिति

सामग्री का नाम	वर्ष 2020 में की गयी खरीद सामग्रियों संख्या	खरीद की स्थिति	जिस क्षेत्र में वितरण किया गया	31.03.2022 को स्टॉक की स्थिति
SCSR-30 मिनट की अवधि का	296	मार्च, 2022 में आपूर्ति की गई	बरोरा क्षेत्र में 272 एवं एमआरएस में 24 वितरित किया जाना	परीक्षण और निरीक्षण के अधीन
खनन जूते	34465 जोड़ी	आपूर्ति	बीसीसीएल के सभी क्षेत्र	15,894 जोड़ी
हेलमेट	10325	जनवरी, 2022 में आपूर्ति की गई	बीसीसीएल के सभी क्षेत्र	2293
गमबूट	7895 जोड़ी	जनवरी, 2022 में खरीदा गया	बीसीसीएल के सभी क्षेत्र	7600 जोड़ी
इलेक्ट्रिक आर्क सुरक्षा किट	129	जुलाई, 2021 में आपूर्ति की गई	बीसीसीएल के सभी क्षेत्र	06
एलईडी कैंप लैंप	7800	अप्रैल, 2021 में आपूर्ति की गई	सभी क्षेत्र भूमिगत खदान	1678
अग्निशमक	4.5 किग्रा., 6 किग्रा, 9 किग्रा			134
माइनिंग टिंबर	सभी भूमिगत खदानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जा रही है। 01.11.2021 से 31.10.2022 की अवधि के लिए दर अनुबंध पाइपलाइन में है।			

19.12 स्टील सपोर्ट खपत

2021-22 एवं 2020-21 के दौरान रूफ सपोर्ट के लिए स्टील सामग्रियों की खपत का ब्यौरा निम्नलिखित है :

	मद	2021 -22	2020 -21
क	20 एमएम टॉर स्टील	102 एम टी	197.17 एम टी
ख	होलो स्क्वायर स्टील ट्यूब	10 एम टी	शून्य
ग	स्टील चॉक	शून्य	शून्य
घ	1.6 एमएम एमएस शीट	शून्य	1.63 एम टी
ड.	6 एमएम एमएस प्लेट	35.550 एम टी	44.10 एम टी
च	6 एमएमX150 एमएम एमएस फ्लैट	23.5 एम टी	36.36 एम टी

19.13 माइंस रेस्क्यु स्टेशन, बीसीसीएल

क. परिचय :- माइन्स रेस्क्यू स्टेशन (MRS) धनसार ने भारत के कोयला खनन उद्योगों को 1941 से 1985 तक सेंट्रल कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कमेटी, केंद्र सरकार की संस्था के तहत सेवाएं प्रदान किया। 1985 के बाद यह प्रशासनिक रूप से बीसीसीएल द्वारा नियंत्रित हो गया और बीसीसीएल, टाटा-स्टील झरिया डिवीजन और सेल-सीडी की सभी खानों को एमआरएस और इसके तीन बचाव कक्ष आरआर मुनीडीह, आरआर सुदामडीह और आरआर मधुबन के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

स्थान:- माइंस रेस्क्यू स्टेशन बीसीसीएल धनबाद-झरिया रोड के पश्चिम में धनसर में स्थित है, और धनबाद रेलवे स्टेशन से 4.0 किमी दूर है।

बचाव कक्ष मुनीडीह रेलवे स्टेशन धनबाद से लगभग 12 किमी की दूरी पर स्थित है। यह निकटतम रेलवे स्टेशन करकेंद से 6 किमी और मुनीडीह परियोजना बीसीसीएल के पास है।

बचाव कक्ष सुदामडीह धनबाद रेलवे स्टेशन, धनबाद से लगभग 19 किमी की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन भौरा के पास और क्षेत्रीय अस्पताल सुदामडीह के ठीक सामने है।

बचाव कक्ष मधुबन रेलवे स्टेशन धनबाद से लगभग 35 किमी की दूरी पर स्थित है। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन जमुनी हाल्ट है।

क. एमआरएस और इसकी तीन इकाइयों का कार्यक्षेत्र :-

क्रम सं.	इकाई का नाम	नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या	जिन कोलियरी में सेवा प्रदान की जानी है
1.	एमआरएस धनसार	9931188280	बीसीसीएल, टाटा स्टील झरिया डिवीजन और सेल-सीडी की सभी कोयला खदानें।
2.	आर आर मुनिडीह	9931188284	लोहापट्टी कोलियरी को छोड़कर पीबी क्षेत्र और डब्ल्यूजे क्षेत्र की सभी कोयला खदानें।
3.	आर आर सुदामडीह	9931188281	ईजे क्षेत्र और सेल-सीडी की सभी कोयला खदानें।
4.	आर आर मधुबन	9931188285	कतरास, गोविंदपुर, बरोरा, ब्लॉक II क्षेत्र और लोहापट्टी कोलियरी की सभी कोयला खदानें।

ग. एमआरएस के तहत कुल बचाव प्रशिक्षित कर्मचारी = 365 (बीसीसीएल = 292, टाटा-स्टील = 56, सेल-सीडी = 17)

घ. उपकरण विवरण: - एमआरएस धनसार और इसकी तीन इकाइयों में किसी खदान दुर्घटना से निपटने के लिए सभी उपकरण खान बचाव नियम 1985 नियम 11(1) और (2) अनुसूची-I और अनुसूची-II के अनुसार रखे जाते हैं।

a. एससीबीए-153
b. रिवाइविंग उपकरण- 25
c. एसी रेस्क्यू वैन - 1
d. फायर टेंडर-1
e. बकेट स्ट्रेचर- 2
f. एयर लिफ्टिंग बैग- 2 सेट
g. डमी बॉडी - 3
h. वाटर मिस्ट फायर एक्सटिंग्विशर-2
i. टेलीस्कोपिक टाइप लैडर - 1
j. एलईडी सर्च लाइट -2

ङ. उपलब्धि (2020-21)

1. 2021-22 के दौरान इमरजेंसी डीलिंग -

- **बचाव कार्य-**

अ) 26.8.21 को कतरास में ढही हुई इमारत से 2 व्यक्तियों को बचाया गया।
ब) 27.11.21 पर पर्वतपुर घटना में बचाव कार्य
स) एमआरएस में अभ्यास किया गया मॉक रिहर्सल - 04 ।
द) विभिन्न कोलियरी में उपस्थित मॉक रिहर्सल – 72
ए) अग्निशमन -54 स्थान (शॉवेल आग, डंपर आग, कोयले के भंडार में आग, वैगन में आग, झाड़ी की आग आदि)

च. अन्य उपलब्धियां:-

- एससीबीए का व्यावहारिक प्रदर्शन परीक्षण आयोजित करना।
- एमआरएस धनसार में प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता का आयोजन करना।

19.14 बीसीसीएल में सुरक्षा पर एमओयू मानदंड की स्थिति (2021-22)

क्र.सं.	मानदंड का नाम	इकाई	भारिता	लक्ष्य 2021-22	उपलब्धि
10.	5 वर्षों में से पिछले 3 वर्षों के औसत न्यूनतम स्तर पर घातक चोट में % कमी	%	**3**	**20**	**50**
11.	5 वर्षों में से पिछले 3 वर्षों के औसत न्यूनतम स्तर पर गंभीर चोट में% कमी	%	**3**	**20**	**27**

वर्ष	प्राणघातक दुर्घटनाएं	दुर्घटनाएं
2017	2	13
2018	2	27
2019	6	10
2020	2	9
2021	3	6
2022	1	1

20. कार्मिक

20.1 श्रमशक्ति से संबंधित सामान्य आंकड़े

बीसीसीएल की श्रमशक्ति 1 अप्रैल, 2021 को 41149 और 31 मार्च, 2022 को 38915 थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें 2234 (5.43%) की कमी आयी है।

श्रमशक्ति की स्थिति:

01.04.2021 की तुलना में 31.03.2022 को कंपनी की तुलनात्मक श्रमशक्ति निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	श्रेणी	स्थिति		वृद्धि/(ह्रास)
		01.04.2021	31.03.2022	अप्रैल,2021 से मार्च, 2022 तक
I	अधिकारी	1879	1905	26
II	मंथली रेटेड	6277	5781	(496)
III	डेली रेटेड	32401	30630	(1771)
IV	पीस रेटेड	3	3	0
V	प्रशिक्षु	589	596	7
	कुल	**41149**	**38915**	**(2234)**

01.04.2021 की तुलना में मौजूदा श्रमशक्ति में 2234 (5.43%) की शुद्ध कमी।

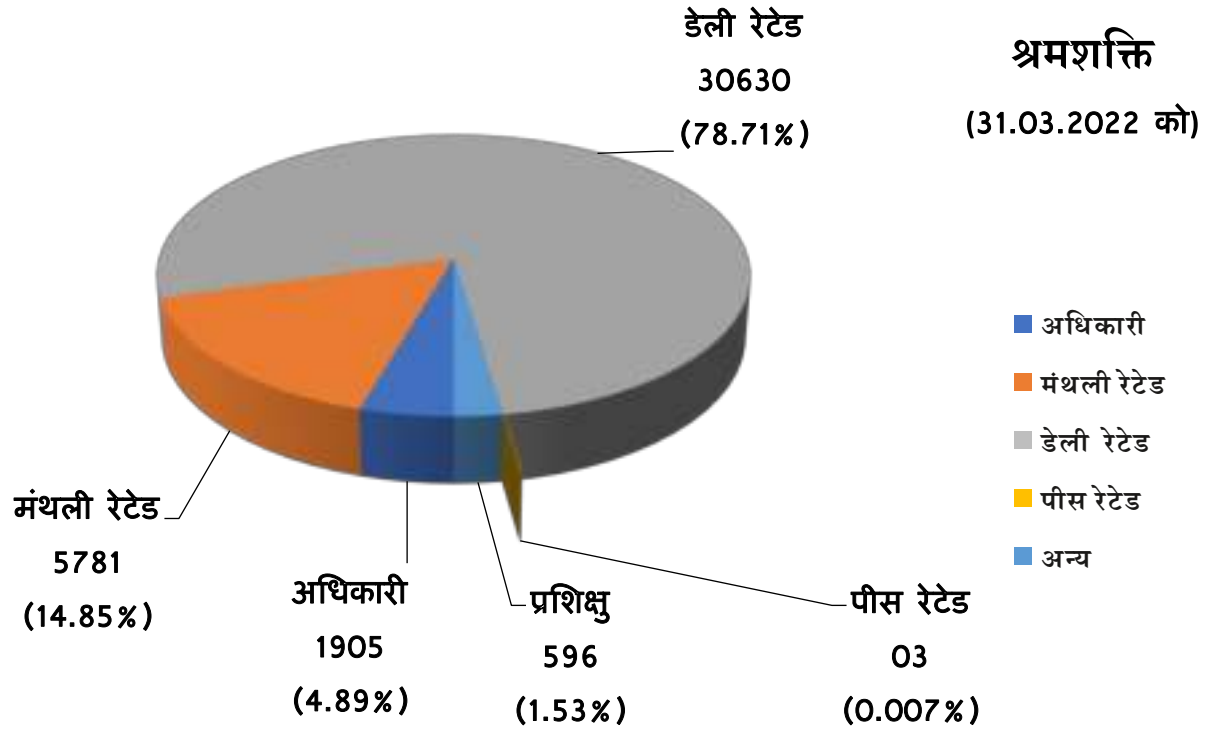

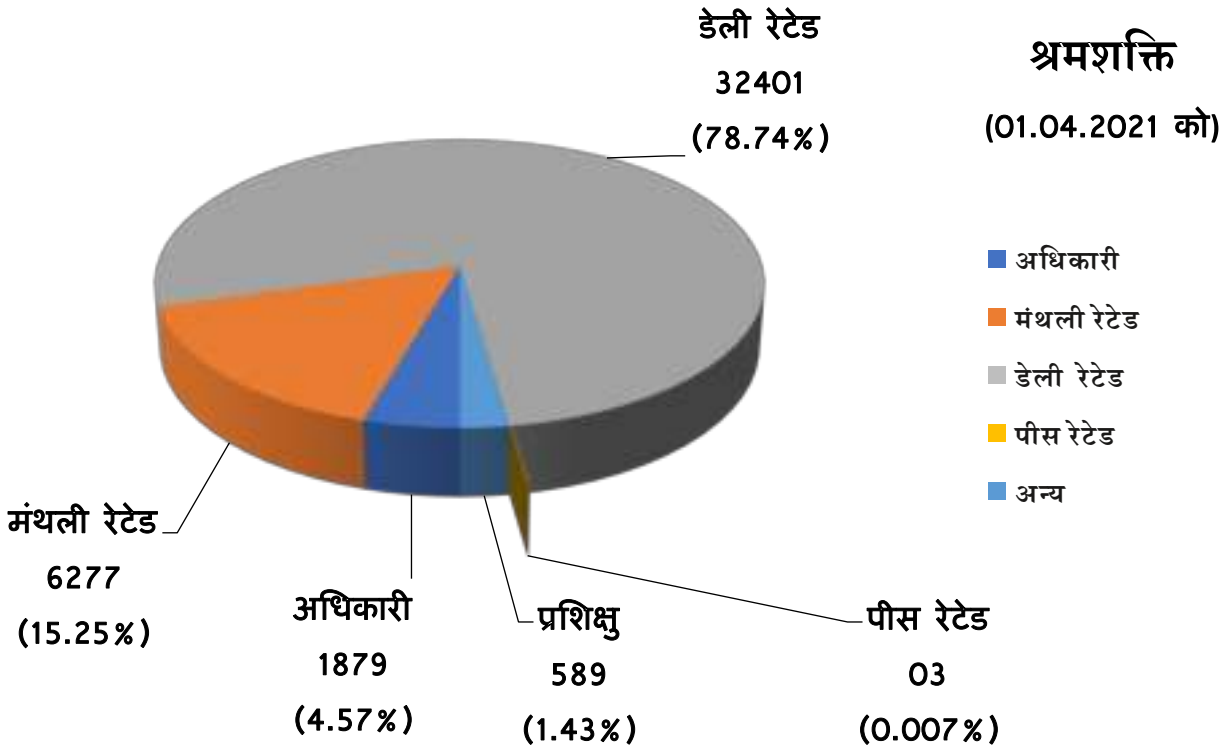

श्रमशक्ति में हुई कमी का विवरण	
विवरण	**1 अप्रैल,2021 से 31 मार्च, 2022 तक**
सेवानिवृत्त	1892
कंपनी से अलग होना (बर्खास्त एवं सेवा समाप्ति के कारण)	22
त्यागपत्र	16
मृत्यु	576
अधिकारियों के लिए ईआरएस	02
अन्य कंपनी मेंस्थानांतरण	218
कुल कमी	**2726**

श्रमशक्ति में हुई वृद्धि का विवरण	
विवरण	**1 अप्रैल,2021 से 31 मार्च, 2022 तक**
नई नियुक्ति	131
एनसीडब्लूए 9.3.0 के अंतर्गत आश्रित नियोजन (मृत्यु मामले)	241
जमीन के बदले आश्रित नियोजन	02
पुनर्बहाली/काम पर पुनः योगदान	01
वीआरएस (एफ)	00
अन्य कंपनी से स्थानांतरित होकर आना	117
कुल वृद्धि	**492**

शुद्ध कमी (2021-22 के दौरान) = 2234

- कंपनी की श्रमशक्ति के आंकड़े को अद्यतन रखा जाता है एवं इसकी सूचना सीआइएल, कोयला मंत्रालय, सांविधिक निकायों एवं अन्य को नियमित रूप से भेजी जाती है।
- उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर वार्षिक कार्य-योजना, श्रमशक्ति अनुमान योजना, दीर्घकालिक योजना आदि जैसी योजना प्रक्रियाओं के लिए समय-समय पर संश्लेषित आंकड़े तैयार किए जाते हैं।
- क्षेत्र-वार अनुपस्थिति आंकड़ों की मासिक निगरानी की जाती है तथा क्षेत्रों की अनुपस्थिति के प्रतिशत को स्वीकार्य/अनुमत सीमा (यानि 20%) के भीतर रखने के उद्देश्य से विवेचनात्मक विश्लेषण किया जाता है।

20.2 श्रमशक्ति बजट (गैर-अधिकारियों के लिए)

2021-22 के लिए स्वीकृत श्रमशक्ति बजट का सारांश निम्नलिखित है:

क्र.सं.	मद	संख्या
(i)	31.01.2021 को वर्तमान में कुल श्रमशक्ति (अधिकारी को छोड़कर)	39758
(ii)	वर्ष 2021-22 में स्वीकृत कुल श्रमशक्ति	29138
(iii)	वर्ष 2021-22 में बजट में कुल श्रमशक्ति आधिक्य	10620

लक्षित उत्पादन कार्यक्रमों के लिए आने वाले वर्षों में खानों में मशीनीकरण के विस्तार को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध मशीनों एवं श्रमशक्ति स्रोतों पर श्रमशक्ति बजट आधारित होता है। प्रत्येक परियोजना अथवा स्थापना में श्रमशक्ति की आवश्यकता के अनुसार शून्य आधारित बजट की अवधारणा का पालन किया जाता है।

उत्पादन लक्ष्य और सहयोगी गतिविधियों को पूरा करने के लिए सांविधिक, पैरामेडिकल प्रमुख एवं आवश्यक पदनामों/श्रेणियों के लिए श्रमशक्ति का आवश्यकता आधारित प्रावधान बनाया जाता है। श्रमशक्ति बजट बनाते समय कंपनी में कम्प्यूटरीकरण के स्तर पर भी विचार किया जाता है।

20.3 नियुक्ति एवं चयन

1. वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित संख्या में भर्तियां की गई:-

क्र.सं.	पदनाम	संख्या
1.	एनसीडब्ल्युए के अंतर्गत अनुकंपा नियोजन	306
2.	नियोजन के बदले आर्थिक मुआवजा	07
	कुल	**313**

2. वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानांतरण पदस्थापना

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	टिप्पणी
1.	अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण	249	
2.	अंतर कंपनी स्थानांतरण	150	
3.	श्रमशक्ति युक्तिकरण	69	भूमिगत से सतह में परिवर्तन -69
4.	संवेदनशील स्थानांतरण	36	

21. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली एवं रणनीति का उद्देश्य कर्मचारियों के कौशल, दक्षता, प्रतिबद्धता, प्रेरणा एवं वफादारी सहित श्रमशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु बाज़ार के बदलते हुए परिस्थितियों के आलोक में उनके मौजूदा ज्ञान एवं क्षमताओं को लगातार बढ़ाकर और उनकों प्रशिक्षण एवं पुन:प्रशिाक्षण प्रदान कर एक नया एवं कुशल कर्मचारी बनाना है, ताकि अन्य के मुकाबले स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल किया जा सके।

एचआरडी कॉम्प्लेक्स, कल्याण भवन के आंतरिक प्रशिक्षण केंद्र और क्षेत्रों में अवस्थित 11 समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरे वर्ष सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा, कंपनी ने देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को भेजने की व्यवस्था की है, जिसमें आईआईसीएम, रांची भी शामिल है। सभी संवर्गों के प्रबंधन प्रशिक्षुओं को आईआईसीएम, रांची में आरंभिक प्रशिक्षण, तकनीकी/कार्यात्मक और प्रबंधकीय कौशल विकास कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाता है।

विभाग औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के छात्रों को कॉर्पोरेट जगत से भी परिचय कराता है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी द्वारा 880 छात्रों को औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, बीसीसीएल प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न संवर्गों/व्यवसायों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2021-22 में 1144 प्रशिक्षुओं (अर्थात ठेका श्रमिकों सहित श्रमशक्ति का 2.54%) को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

1. प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या का लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण:

स्थान	2021-22			2020-21		
	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति%	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति%
मानव संसाधन विकास विभाग	3794	4429	116.7	1917	2918	152
समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र	8183	8365	102.2	6543	10689	163
कुल	11977	12794	106.8	8460	13607	161

2. सांविधिक पदों के लिए प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या:

विवरण	2021-22	2020-21
माइन मैनेजरशिप	50	90
ओवरमैनशिप	18	00
माइनिंग सरदारशिप	31	41
सर्वेयरशिप	16	00
बाइंडिंग इंजन ऑपरेटर	12	12
गैस टेस्टिंग	138	175
इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर	201	20
कुल	466	338

3. प्रशिक्षित की गई महिला कर्मचारियों की संख्या

विवरण	2021-22	2020-21
अधिकारी	187	90
सुपरवाइजर	49	101
श्रमिक	140	08
कुल	376	199

4. आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

संस्थान का नाम	2021-22	2020-21
एम.डी.डी.	2583	1688
एम.टी.डी.	811	547
इ.एम.टी.डी.	1035	683
कुल	4429	2918

टिप्पणी:

एम.डी.डी – प्रबंधन विकास प्रभाग

एम.टी.डी. – खदान प्रशिक्षण प्रभाग

ई.एम.टी.डी. – उत्खनन एवं यांत्रिकीकरण प्रशिक्षण प्रभाग

5. बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

बाह्य प्रशिक्षण	2021-22	2020-21
आई आई सी एम, रांची	267	97
देश में	260	187
विदेश	03	00
कुल	530	284

6. समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या:

विवरण	2021-22#	2020-21
बुनियादी	206	425
पुनश्चर्या	5481	5811
विशेष एवं अन्य प्रशिक्षण	1039	1157
राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की अनुशंसा के अनुसार	1639	3296
कुल	8365	10689

 # (कोविड 19 के कारण वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में जीवीटीसी में ऑफलाइन प्रशिक्षण पूरी क्षमता से आयोजित नहीं किया जा सका)

7. समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र (जीवीटीसी) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ठेका मजदूरों की संख्या:

2021-22	2020-21
1405	1408

8. तकनीकी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रदान किया गया नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण:

2021-22	2020-21
880	316

9. वर्ष 2021-22 के दौरान शामिल प्रशिक्षुओं की संख्या:

श्रेणी	Trade	2021-22	2020-21
ट्रेड एप्रेंटिस (आईटीआई)	Various Trades	617	861
टेक्निशियन एप्रेंटिस (पीडीपीटी)	Mining	253	217
	Non-Mining	159	89
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (पीजीपीटी)	Mining	07	00
	Non-Mining	108	60
कुल		1144	1227

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा आयोजित कुछ विशेष कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(क) दिनांक: 15-04-2021 को "सार्वजनिक क्षेत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धि एवं योगदान"
ख) दिनांक: 13-05-2021 एवं 14-05-2021 को "खनन क्षेत्र में सतत विकास"
ग) दिनांक: 26-06-2021 को "कोविड -19, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता"
घ) दिनांक: 03-10-2021 को "स्वच्छता पर वेबिनार"
ङ) दिनांक: 29-10-2021 को "जीवन शैली प्रबंधन"
च) दिनांक: 30-10-2021 को "स्वतंत्र भारत का 75वां वर्ष: ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता"
छ) दिनांक: 31-10-2021 को "राष्ट्रीय एकता दिवस"
ज) दिनांक: 26-11-2021 को "संविधान दिवस"
झ) दिनांक: 07-12-2021 को "बीसीसीएल के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए सतर्कता जागरूकता (निवारक सतर्कता)कार्यक्रम
ञ) दिनांक: 09-12-2021 को "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला (पीओएसएच अधिनियम)"

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला

(ट) दिनांक: 24-12-2021 को "बीसीसीएल के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम"
(ठ) दिनांक: 18-01-2022 एवं 19-01-2022 को "संहिता सहित श्रम कानूनों में संशोधन"
(ड) दिनांक: 24-01-2022 से 07-02-2022 तक "बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के कार्मिक एवं पेरोल के कार्य से जुड़े कार्मिकों के लिए सैप (SAP) प्रशिक्षण कार्यक्रम"
(ढ) दिनांक: 14-02-2022 से 12-03-2022 तक सुरक्षा संवर्ग में प्रतिभागियों को "टी/एस ग्रेड जी'' में उनके पदस्थापना के उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम"
(ण) दिनांक: 14-03-2022 को "बीसीसीएल के नवनियुक्त डॉक्टरों के लिए पीएमई और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम"
(त) दिनांक: 30-03-2022 को "बीसीसीएल के चिकित्सालयों में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का कार्यान्वयन"
(थ) वर्ष 2021-22 के दौरान बीसीसीएल के 140 एचईएमएम ऑपरेटरों ने एनसीएल, एलएंडटी, बीईएमएल, टीआईएल एवं टाटा हिताची द्वारा उनके परिसरों में अनुरुपक (सिम्युलेटर) प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

22.कल्याण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियां

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का उद्देश्य कामकाजी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उच्च कर्मचारी संतुष्टि / जुड़ाव प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल पर सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना है। बीसीसीएल अपने स्थापना से ही अपने कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन , निगरानी और संचालन कर रहा है। कर्मचारियों के व्यक्तिगत, पेशेवर एवं सामाजिक जीवन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास हो सके।

क) शिक्षा:

कोयला खान श्रमिकों के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के सिद्धांत को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते- ।। में रखा गया था, इस पर दिनांक 11-08-1979 को हस्ताक्षर किया गया था।

बीसीसीएल के विभिन्न कमान क्षेत्रों में कंपनी के साथ एमओयू के तहत 11 प्रतिष्ठित संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, जो हमारे बच्चों को उनके भावी कैरियर एवं बेहतर जीवन के लिए तैयार करने की दिशा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सीआईएल छात्रवृत्ति: संबंधित परीक्षाओं में मानदंडों के अनुसार अच्छे मेधा वाले कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 2021-22 में लाभुकों की संख्या	राशि (₹)
38	58,680/-

तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता: बीसीसीएल अपने कर्मचारियों के बच्चों को आईआईटी, एनआईटी या सरकारी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए तकनीकी शिक्षा की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में लाभुकों की संख्या	**राशि (₹)**
44	**30,92,125/-**

(ख) बीसीसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसायटी:

साथी कर्मचारियों के प्रति परोपकार की भावना से बीसीसीएल कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बीसीसीएल कर्मचारी हितकारी निधि सोसायटी का गठन किया गया था।

वर्तमान योजनाएं:

1. सदस्यों के आश्रितों को उनकी मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता।
2. शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति।
3. लंबी बीमारी के मामले में वित्तीय सहायता।
4. सेवानिवृत्ति पर मानदेय।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान योजना-वार वित्तीय सहायता

योजनाएं	मद	राशि
मृत्यु का मामले	250	1,35,50,000
लंबी बीमारी	2	2,10,481
छात्रवृत्ति	87	99,200
मानदेय	65	65,000

ग) खेल एवं मनोरंजन:

हमारे कर्मचारियों के लिए कोविड -19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ खेल (अंतर-क्षेत्रीय) कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी स्तरों पर कर्मचारियों के बीच मनोरंजन के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस विकसित करने के लिए खेल कंपनी का एक अभिन्न अंग रहे हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित खेल:

क्र. सं.	आयोजन	अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता	स्थान
1	कैरम	25.11.2021 से 26.11.2021	गोविन्दपुर क्षेत्र
2	ब्रिज	26.11.2021 से 27.11.2021	कुसुंडा
3	विभिन्न क्षेत्र में क्षेत्रीय खेलकूद	क्षेत्र I- 01 से 02 दिसंबर, 2021 क्षेत्र III- 03 से 04 दिसंबर, 2021 क्षेत्र II- 06 से 07 दिसंबर, 2021 क्षेत्र IV- 08 से 09 दिसंबर, 2021	सभी चार क्षेत्रों में 2 (दो) दिवसीय
4	टेबल टेनिस	13.12.2021 to 14.12.2021	पश्चिमी झरिया क्षेत्र
5	लान टेनिस	18.12.2021	मुख्यालय
6	केंद्रीय खेलकूद	20.12.2021 से 21.12.2021	लोदना क्षेत्र
7	शतरंज	22.12.2021 से 23.12.2021	बस्ताकोला क्षेत्र
8	कबड्डी	27.12.2021 से 28.12.2021	पी.बी. क्षेत्र
9	बैडमिंटन	29.12.2021 से 30.12 2021	बरोरा क्षेत्र

घ) **"कल्याण पखवाड़ा"** दिनांक 01-15 दिसंबर, 2021 तक संपूर्ण बीसीसीएल में मनाया गया और इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गई।

- हमारे कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों को सिंगल विंडो सहायता प्रदान करने के लिए पूरे बीसीसीएल में हेल्प डेस्क की स्थापना।
- बीसीसीएल में विभिन्न क्षेत्रों में खोया-पाया काउंटर।
- कर्मचारियों के व्यापक ज्ञान के लिए विशिष्ट स्थानों पर बैनर के माध्यम से कल्याण योजनाओं को प्रदर्शित किया गया।
- सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान साझा करने और विचार मंथन के लिए सभी क्षेत्रों में "कल्याण वार्ता" आयोजित की गई।

ङ) **कार्यस्थल, अस्पतालों/औषधालयों एवं फिल्टर प्लांटों में कल्याणकारी सुविधाओं का मूल्यांकन।** कल्याण सुविधाओं की कठोर निगरानी के परिणामस्वरूप पूरे बीसीसीएल में कल्याणकारी सुविधाओं में सुधार हुआ है। कुछ सुधार निम्नलिखित हैं:

- इकाइयों/प्रतिष्ठानों में शौचालयों की मरम्मत/निर्माण।
- क्षेत्रीय अस्पताल सिजुआ में एक्स-रे मशीन की स्थापना।
- केंद्रीय चिकित्सा धनबाद में नवीनीकरण एवं विकास कार्य।
- दिव्यांगजनों के लिए रैम्प एवं रेलिंग की सुविधा।

च) **महिला कल्याण:** हमारी बालिकाओं को बेहतर स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के लिए 11 प्रोजेक्ट एवं सेमी-प्रोजेक्ट स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई।

23. पेंशन

बीसीसीएल का पेंशन सेल सीएमपीएफ योजना 1948 एवं सीएमपीएस 1998 के तहत शासित पीएफ और पेंशन के दावों को समय पर जमा करने और अग्रेषित करने के लिए सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। विभाग का विशेष ध्यान 'मिशन विश्वास' पर रहता है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीएफ-पेंशन दावों को सुचारू रूप से संसाधित करने के लिए सीएमपीएफ अधिकारियों और क्षेत्र / इकाइयों के साथ नियमित रूप से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाता है सीएमपीएफओ द्वारा इन प्रस्तुत दावों का समयबद्ध निपटान किया जा सके।

1. सीएमपीएफ कार्यालय में 'मिशन विश्वास' के तहत जमा किए गए पेंशन दावों के आंकड़े:

(क)

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले पेंशन दावे	वर्ष 2021-22 के दौरान प्रस्तुत पेंशन दावे (मिशन बिस्वास)
1964	1752

(ख)

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त पेंशन दावे (मिशन बिश्वास के अलावा)	वर्ष 2021-22 के दौरान सीएमपीएफओ को प्रस्तुत पेंशन दावे (मिशन विश्वास के अलावा)
1689	1689

2. सीएमपीएफ कार्यालय द्वारा पेंशन दावों के निपटान के आंकड़े:

वर्ष 2021-22के दौरान प्रस्तुत किए गए पेंशन दावे	वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाए गए पेंशन दावे
3653	4907*

*वर्ष 2021-22 के पहले के कुछ अनिर्णीत दावे इस निपटान में शामिल है।

विशेष उपलब्धियां:

(क) वाईवाई स्टेटमेंट का वितरण:

वर्ष 2020-2021 के वाईवाई स्टेटमेंट की प्रति का वितरण कर्मचारियों के बीच किया जा चुका है और वर्ष 2021-22 का स्टेटमेंट भी तैयार कर लिया गया है तथा उसे वितरण के लिए भेज दिया गया है, ताकि प्रत्येक कर्मचारी को सीएमपीएफ-पेंशन के मद में किये गए उनके योगदान के बारे में पता चल सके।

(ख) सीपीई 03/2021 के लिए वार्षिक सीएमपीएफ वीवी स्टेटमेंट प्रस्तुत करना:

सभी क्षेत्रों/इकाइयों/मुख्यालय ने सीपीई 03/2021 का वीवी स्टेटमेंट विहित प्रपत्र में भरकर सीएमपीएफओ के पास जमा कर दिया है।

(ग) सेमिनार/कार्यशालाएं/समन्वय बैठकें:

पेंशन सेल ने पीएफ-पेंशन दावों को शीघ्र संसाधित करने हेतु इसके निपटान प्रणाली में सुधार तथा मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए इस कार्य से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों एवं यूनियनों के साथ समन्वय बैठक के दौरान एक एसओपी एवं दिशानिर्देश जारी किया है। विभाग ने प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए यूनियन के प्रतिनिधियों तथा सीएमपीएफओ के अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी सुलझाया है।

कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण, निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए केवल 3 क्षेत्रों में समन्वय बैठकें/क्षेत्र का दौरा किया गया था। पीएफ-पेंशन संबंधी मामलों के समाधान/समन्वय के लिए पेंशन प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित समन्वय बैठकें/क्षेत्र का दौरा किया गया।

क्षेत्रों के नाम	दिनांक
सी.वी. क्षेत्र	14.07.2021
पश्चिमी झरिया एवं गोविन्दपुर क्षेत्र	13.08.2021
बस्ताकोला एवं पी.बी.क्षेत्र	22.09.2021

इसके अलावा, लंबित पीएफ-पेंशन मामलों के समन्वय और मंजूरी के लिए पेंशन सेल के अधिकारी नियमित रूप से सीएमपीएफ अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए सीएमपीएफओ का दौरा करते हैं।

(घ) पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हेतु जागरूकता:

पेंशनभोगियों में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए प्रिंट मिडिया, डिजिटल मिडिया, बैनर आदि के माध्यम से अभियान चलाया गया है। पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए यूएसबी फिंगर प्रिंट स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है और क्षेत्रवार अभियान भी चलाया गया गया है। मार्च, 22 माह से पेंशन प्रकोष्ठ ने आधार आधारित फेस रिकग्निशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया है।

(ङ) ठेका कर्मियों के पीएफ-पेंशन का निपटान:

बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा लगाए गए ठेका कर्मियों के पीएफ-पेंशन दावों के संसाधित एवं निपटान के लिए विभाग सीएमपीएफओ के साथ नियमित रूप से संपर्क में है।

(च) सीएमपीएफओ दावा निपटान के लिए एसओपी:

पीएफ-पेंशन दावा प्रस्तुत करने और उसे संसाधित करने के लिए मानक कार्य प्रणाली हेतु इकाइयों एवं क्षेत्रों के बीच एसओपी का वितरण किया गया है और इसे बीसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

(छ) लंबित पी एफ - पेंशन दावों पर रिपोर्ट

लंबित पी एफ - पेंशन दावों पर माहवार संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाती है और पारदर्शिता के लिए इसे बी सी सी एल की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाता है।

24. औद्योगिक संबंध तथा विधिक अद्यतन

24.1 वर्ष 2021-22 में बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध का परिदृष्य

परस्पर संवाद तथा उत्पादन एवं उत्पादकता, सुरक्षा, कल्याण, नियोजन तथा अन्य कार्मिक संबंधी मामलों के निपटान के लिए प्रबंधन एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि को मिलाकर एक सुव्यवस्थित द्विपक्षीय फोरम का गठन किया गया है। कैलेंडर वर्ष 2021-22 में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ संरचनात्मक बैठकें इकाई, क्षेत्र एवं कॉर्पोरेट स्तर पर आयोजित की गईं और इस तरह कार्यस्थल पर एक प्रभावी सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित किया गया, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई।

वर्ष 2021-22 के दौरान औद्योगिक संबंध की 11 संरचनात्मक बैठकें आयोजित की गईं। हालांकि, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रेड यूनियनों के प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ नियमित बातचीत सुनिश्चित की गई। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। विवादों एवं शिकायतों के निपटान एवं समाधान के लिए प्रबंधन की ओर से पूरी कोशिश के साथ सकारात्मक पहल की गयी है।

बीसीसीएल में एक ऑनलाइन और मोबाइल अनुकूल शिकायत निवारण पद्धति प्रचलित है जहां प्राप्त शिकायतों को प्राप्त एवं पंजीकृत किया जाता है तथा समय सीमा के अंदर निपटान के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाता है। सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान बीसीसीएल में औद्योगिक संबंध मधुर सद्भाव पूर्ण तथा शांतिपूर्ण बना रहा और श्रमिकों तथा प्रबंधन के बीच परस्पर सद्भाव की समझ विकसित हुई।

औद्योगिक संबंध स्थिति रिपोर्ट

विवरण	2021-22	2020-21
हड़ताल	01	02
भूख हड़ताल	0	0
घेराव	0	0
प्रदर्शन	0	05
हमला	0	0
बाधा/ व्यवधान	0	0
धीरे चलो	0	0
धरना	0	0
कामबंदी	0	0
अन्य, जैसे प्राणघातक दुर्घटना	01	04

टिप्पणी:- बीएमएस को छोड़कर इंटक, एटक, एचएमएस और सीटू आदि से संबद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा 28 से 29 मार्च, 2022 तक दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी ड़ताल का आह्वान किया गया।

	2021 -22	2020 -21
कार्यदिवस-हानि	0	86,295
उत्पादन-हानि (टन)	0	83,351
वेतन-हानि	0	40,67,84,275

टिप्पणी:

वर्ष 2021-22 में कार्य दिवस हानि, उत्पादन हानि एवं वेतन हानि- शून्य।

24.2 विधिक अद्यतन:

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 2021 तक लंबित	31 मार्च, 2022 तक लंबित	वर्ष के दौरान वृद्धि / कमी	वर्ष के दौरान लंबित मामलों में प्रतिशत वृद्धि / ह्रास
भारत का सर्वोच्च न्यायालय	30	31	1	3.30% की वृद्धि
उच्च न्यायालय	1158	970	(188)	16.23% की कमी
जिला न्यायालय	340	330	(10)	2.94% की कमी
पंचाट	06	07	1	16.60% की वृद्धि
कुल	1534	1338	(196)	12.77% की कमी

25. चिकित्सा

- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 11814 कर्मचारियों का पीएमई किया गया।
- कोयला श्रमिकों में 'न्यूमोकोनियोसिस' का कोई नया मामला नहीं पाया गया।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 27 शिविर लगाये गए।
- **शिविरों के नाम:**
  - नि:शुल्क मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप
  - महिला दिवस समारोह: "स्वस्थ नारी, समर्थ समाज" - नामक एक स्वास्थ्य देखभाल शिविर का आयोजन विभिन्न क्षेत्रीय अस्पतालों में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही एवं अनदेखी जैसी विषयों पर चर्चा की गई। इस शिविर के माध्यम से मासिक धर्म, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य, गर्भाशय ग्रीवा एवं स्तन कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। यौवन, मासिक धर्म, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के दौरान आमतौर पर देखे जाने वाले भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर जोर दिया गया तथा सलाह दी गई।
  - परिवार नियोजन जागरूकता शिविर।
  - मास्क एवं सेनेटाइजर वितरण शिविर।
  - कोविड-19 जागरूकता शिक्षा शिविर।
  - स्वास्थ्य जांच एवं तनाव प्रबंधन शिविर।
  - स्वास्थ्य जागरूकता तथा जीवन शैली परिवर्तन शिविर।
  - मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम।
  - कोविड-19 के बाद के मरीजों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर।
  - विश्व गुर्दा दिवस।
  - विश्व क्षय रोग दिवस।

वर्ष 2021 के दौरान आयोजित शिविरों की कुल संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
27	2736

क्षेत्रीय अस्पतालों में इलाज कराने वाले ओपीडी रोगियों की कुल सं.- 164058

सीएसआर गतिविधियों के तहत उपचार कराने वाले रोगियों की कुल सं.- 19234

एम्बुलेंस: - वर्ष 2021-22 के दौरान 02 नग एएलएस एम्बुलेंस की खरीद की गई है और उन्हें केंद्रीय अस्पताल, धनबाद में संलग्न किया गया है। बीसीसीएल में कुल 63 एम्बुलेंस (विभागीय और संविदात्मक दोनों) हैं।

डीएनबी कोर्स: केंद्रीय चिकित्सालय में डीएनबी इन सर्जरी कोर्स शुरू किया गया है।

कोविड की तैयारी:-

- ऑक्सीजन सुविधा युक्त 70 शैय्या (30 आईसीयू शैय्या)।
- कोविड के लक्षण वाले रोगियों के लिए ऑक्सीजन युक्त 90 शैय्या।
- बिना लक्षण वाले कोविड रोगियों के लिए आक्सीजन रहित 110 शैय्या।
- ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं में वृद्धि के लिए की गई कार्रवाई: सीएचडी में कुल 270 शैय्या कोविड रोगियों के लिए हैं।

क्र. सं.	विवरण	दूसरी लहर से पहले (संख्या)	जोड़ (संख्या)	दूसरी लहर के दौरान कुल (संख्या)
1	ऑक्सीजन सिलेंडर	175	320	495
2	नियमित ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु पाईपलाईन युक्त शैय्या	100	110	210
3	ऑक्सीजन कंसेनट्रेटरर्स	12	25	37
4	वेंटिलेटर्स एवं एचएफएनसी	20	5	25
5	सीएचडी, धनबाद में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना		1000 एलपीएम के दो ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना	

- 15 शैय्या वाले 02 (प्रत्येक) कोविड आइसोलेशन केंद्र।
- अन्य सुविधाएं - एम्बुलेंस (63), रेमेडिसविर इंजेक्शन (500), पीपीई किट (2380), एन-95 मास्क (2100), नेबुलाइज़र (18), पल्स ऑक्सीमीटर (100), सैनिटाइज़र (4000 लीटर), बाल चिकित्सा एवं नवजात पल्स ऑक्सीमीटर (13)

अतिरिक्त गतिविधियां:-

ड्रोन के माध्यम से लगभग 115 एकड़ का क्षेत्र सैनिटाइज़ किया गया।

चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की तैनाती:-

- चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती - 120
- अस्थायी रूप से अनुबंध के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती - 13
- नियुक्त चिकित्सक और चिकित्सा जांच के लिए बुलाए गए - 19
- सीआईएल की नीति के अनुसार प्रति माह 15000/- रुपये की दर से वजीफा पर नियुक्त नर्स इंटर्न - 28
- आउटसोर्सिंग एजेंसी मेसर्स फ्रंटलाइन बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एनसीआर) के माध्यम से नियुक्त कुल स्वास्थ्य कार्यकर्ता - 102 (दूसरी लहर के दौरान)
- दिनांक 31.03.2022 तक नियमित आधार पर नए भर्ती हुए एवं तैनात चिकित्सक - 33

अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेसिया) भुगतान:-

- कोविड-19 के कारण मरने वाले कर्मचारियों तथा संविदा कर्मियों के परिवारों को ₹15 लाख की अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेसिया) का भुगतान किया गया।

कोविड टीकाकरण में उपलब्धि:-

- कुल श्रमशक्ति- 39354
- टीके लगाए गए कर्मचारियों की संख्या- 38668 (98.25%)
- संविदा कर्मियों के टीकाकरण का प्रतिशत- 79.06%
- इसके अलावा शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष लोगों को टीका लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

26. राजभाषा

बीसीसीएल में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राजभाषा अधिनियम और नियमों की विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा, हमारी कंपनी ने सभी हितधारकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने और सर्वोत्तम संभव सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और उपयोग करने की भी पहल की है। हमारी कंपनी ने अपने वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम 2021-22 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित वार्षिक कार्य योजना तैयार की है। कंपनी निरंतर निगरानी और विभिन्न स्तरों पर नियमित प्रयासों के माध्यम से अपने वार्षिक कार्यक्रम के सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही।

त्रैमासिक समीक्षा बैठकें:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें निर्धारित समय पर हुई। वर्ष के दौरान सभी चार त्रैमासिक समीक्षा बैठकें 18 जून 2021, 03 अगस्त 2021, 06 नवंबर 2021 और 25 फरवरी 2022 को आयोजित की गई। प्रत्येक तिमाही में निर्धारित वार्षिक राजभाषा-कैलेंडर के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें भी आयोजित की गई।

कार्यशालाएं:

अधिकारियों और कर्मचारियों प्रशिक्षित करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वे अपने नियमित कार्य आसानी से हिंदी में कर सकें। इस वर्ष अधिकांश कार्यशालाएं COVID-19 महामारी के कारण वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में उपलब्ध तकनीकी और आईटी सुविधाओं जैसे यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग, वॉयस टाइपिंग, हिंदी ओसीआर, फॉन्ट कन्वर्टर, मशीन अनुवाद, ई-डिक्शनरी आदि के लिए गहन प्रशिक्षण भी दिया गया।

बीसीसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग ने वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यशाला-सह-हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। 5 जुलाई 2021 को मुख्यालय के सभी विभागों के नोडल राजभाषा अधिकारियों के लिए हिंदी वॉयस टाइपिंग से संबंधित एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी नोडल राजभाषा अधिकारियों को हेडफोन-कम-माइक भी प्रदान किए गए।

सेमिनार, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम:

विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस ई-संगोष्ठी में बीसीसीएल और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद के सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार तीन सत्रों में आयोजित किया गया था जिसमें लिस्बन विश्वविद्यालय, पुर्तगाल और हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी के प्रसिद्ध हिंदी विद्वानों और शिक्षाविदों ने व्याख्यान दिए।

हिंदी प्रकाशन:

हमारी कंपनी नियमित रूप से अपनी अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका 'कोयला भारती' नाम से प्रकाशित करती है। यह कॉर्पोरेट पत्रिकाओं के बीच एक लोकप्रिय हिंदी पत्रिका है। इस पत्रिका के 35 वें और 36 वें अंक वर्ष 2021-22 के दौरान प्रकाशित किए गए। पत्रिका के ये अंक क्रमशः 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के अवसर पर और 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जारी किए गए। वर्ष के दौरान नगर अधिकारिक कार्यान्वयन समिति, धनबाद की अर्धवार्षिक पत्रिका 'राजभाषा संदेश' के दो अंक भी प्रकाशित हुए।

इन प्रकाशनों के अलावा, दो अन्य हिंदी पत्रिकाएं 'लोदना दर्पण' और 'कोल रश्मि' भी क्रमशः लोदना और बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा प्रकाशित की गई।

राजभाषा पखवाड़ा:

राजभाषा पखवाड़ा 14 सितंबर, 2021 से 28 सितंबर, 2021 तक मनाया गया। पखवाड़े के दौरान राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी अनुवाद और शब्दावली प्रतियोगिता, हिंदी वर्गपहेली प्रतियोगिता, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, छात्रों के लिए ऑनलाइन 'हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता', गृहिणियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता और स्व-रचित हिंदी कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अन्य प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार और प्रतिभागिता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (बस्तकोला-प्रथम, लोदना-द्वितीय, कुसुंडा और पश्चिमी झरिया संयुक्त रूप से-तृतीय) और तीन विभागों (कर्मचारी स्थापना विभाग-प्रथम, भूसंपदा विभाग- द्वितीय और वीआईपी सेल-तृतीय) को वर्ष के दौरान अपने कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन में प्रदर्शन के लिए "स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह स्मृति राजभाषा सम्मान" से सम्मानित किया गया। इन कार्यालयों का चयन कॉरपोरेट स्तरीय राजभाषा निरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार किया गया। पुरस्कार और शील्ड दिनांक 28 सितंबर 2021 को राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर वितरित किए गए।

इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध हिंदी लेखक श्री सत्य व्यास को बीसीसीएल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और उन्हें "कोयला भारती राजभाषा सम्मान-2021" से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय और आईटी अवसंरचना:

हमारी कंपनी के पास एक सुस्थापित केंद्रीय हिंदी पुस्तकालय है। वर्तमान में साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बिक्री और विपणन, कंप्यूटर, जीवन प्रबंधन और अन्य विषयों पर कुल 4577 मानक हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हर साल सैकड़ों महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हिंदी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

कंपनी में उपलब्ध कंप्यूटर सिस्टम यूनिकोड मानक और द्विभाषी टाइपिंग सुविधा द्वारा समर्थित हैं। बदलते परिदृश्य में, इस वर्ष हिंदी वॉयस टाइपिंग के साथ-साथ ऑनलाइन मीटिंग, सम्मेलन आदि को सक्षम करने के लिए मुख्यालय विभागों के लिए माइक्रोफोन के साथ 50 हेडफ़ोन खरीदे गए हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास):

हमारी कंपनी 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' के मंच के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रसार और प्रचार में अग्रणी रही है। हमारी कंपनी के संयोजन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रयासों को भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा मान्यता दी गई। वर्ष 2021-22 में टॉलिक की पहली बैठक 05 अगस्त 2021 को और दूसरी बैठक 02 दिसंबर 2021 को हुई थी।

वर्ष 2021-22 के दौरान, नराकास, धनबाद ने विभिन्न स्कूलों के छात्रों और सदस्य कार्यालयों के लिए पांच हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 09 कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों को उनके कार्यालयों में राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

निरीक्षण:

कंपनी में राजभाषा निरीक्षण भी राजभाषा नियमों के अनुसार किया गया। आंतरिक निरीक्षण समिति ने वर्ष के दौरान 12 मुख्यालय विभागों सहित 04 क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारी कंपनी के चार क्षेत्रीय कार्यालयों - लोदना, बस्ताकोला, कतरास और पुटकी बलिहारी का भी निरीक्षण किया गया ।

पुरस्कार और अन्य उपलब्धियां:

दिनांक 18 दिसंबर 2021 को डिब्रूगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए टॉलिक, धनबाद को प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2020-21 में बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

27. सतर्कता

वर्ष 2021-22 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ निवारक सतर्कता, दंडात्मक कार्रवाई, निगरानी एवं जांच पर बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर संक्षिप्त टिप्पणी:

प्रस्तावना

प्रबंधन का एक अभिन्न अंग होने के नाते, कोयला मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ मिलकर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का सतर्कता विभाग , सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है। संगठन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं दक्षता बनाए रखने के लिए बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये हैं:-

1. **निवारक:**
जैसा कि यह शब्द स्वयं संकेत करता है यह एक ऐसी पहल है जिससे ''सतर्कता के दृष्टिकोण'' से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया जा सके। इस प्रविधि में जागरूक करने तथा अन्य व्यावहारिक उपाय जैसे जहां आवश्यक हो प्रबंधन के साथ मिलकर प्रणाली विकास के लिए समुचित दिशानिर्देश जारी कर भ्रष्टाचार से बचने के रास्ते बंद करना, विभिन्न स्तरों पर संस्था के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, परामर्श देना शामिल है।

2. **दण्डात्मक:**
इस पहल के अंतर्गत उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है जो "सतर्कता" के दृष्टिकोण से किसी गलत कार्य के लिए दोषी पाये जाते हैं। दण्डात्मक कार्रवाई प्रायः समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरूआत है।

3. **निगरानी:**
यह तरीका शिकायत, समाचार पत्र आदि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचना पर आधारित औचक निरीक्षण करने से संबंधित है। ऐसे निरीक्षण का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे भ्रष्ट कार्यों को रोका जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा अपने उपर्युक्त क्षेत्रों में की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

1. **निवारक सतर्कता**

निवारक सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटना को कम करना है (कानून का उल्लंघन, एक मानदंड, या मोटे तौर पर, एक शासन आवश्यकता) । इस दृष्टिकोण के तहत की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

क) औचक जांच

वित्तीय वर्ष 2021-22 (01.04.2021 से 31.03.202) के दौरान बीसीसीएल के सतर्कता विभाग ने 32 औचक जांच किए। औचक निरीक्षण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

i. भाड़े के एचईएमएम कार्यों से उचित बिजली शुल्क की कटौती।
ii. सिविल टेंडरिंग/मरम्मत कार्यों में अनियमितताएं।
iii. वजन घर (वे-ब्रिज)।
iv. कोल स्टॉक का मापन।
v. डीजल की चोरी।
vi. आउटसोर्सिंग पैच/सी एम सी में निविदा प्रक्रिया।
vii. आईटी (IT) कार्यों का क्रियान्वयन।
viii. रेलवे साइडिंग से कोयले के परिवहन में अनियमितताएं।

(ख) प्रमुख कार्य / खरीद-सीटीई प्रकार निरीक्षण

सीटीई प्रकार के कार्यों की गहन जांच निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार के लिए एक प्रभावी उपकरण है। वर्ष 2021-22 में विभाग में कुल 14 प्रमुख कार्य/उपार्जन-सीटीई प्रकार का निरीक्षण किया गया है।

(ग) सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के निर्देशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2021 का आयोजन दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक किया गया, जिसका विषय था, स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। सीवीसी द्वारा संप्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सरकारी कामकाज और संबंधित गतिविधियों में भ्रष्टाचार विरोधी कृत्यों का उपयोग करने और संगठनात्मक ढांचे में ऊपर से नीचे स्तर तक जागरूकता लाने के लिए पूरे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा इसके कार्यालयों में दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021" का सफल आयोजन सुनिश्चित किया गया।

इस सप्ताह के दौरान, संवेदीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में गतिविधियों का आयोजन किया गया।

i. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

ई-प्रतिज्ञा लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या	ई-प्रतिज्ञा लेने वाले ग्राहकों की कुल संख्या	ई-प्रतिज्ञा लेने वाले नागरिकों की कुल संख्या
1029	152	432

ii. कंपनी के अंदर आयोजित गतिविधियां/कार्यक्रम

क) "सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2021" के कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 26.10.2021 को सुबह 11:00 बजे बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरूआत भारत के गणतंत्र के संस्थापक नेताओं में से एक सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देकर और कारपोरेट गीत बजाकर किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय स्तर पर बीसीसीएल के कार्यकारी निदेशकों सहित समस्त महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारीगण और संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर पर में अधिकारियों/कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर 'स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता' अभियान के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित जानकारी का अनावरण करने के साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन से संबंधित दिशानिर्देशों और सभी गतिविधियों / कार्यक्रमों के व्यापक का प्रचार-प्रसार का अनुरोध किया गया। इसके बाद कार्यकारी निदेशकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गृह पत्रिका "चेतना" एवं "ई-संग्रह" का विमोचन किया गया।

(ख) सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा गुब्बारों को उड़ाना और 'सतर्कता रथ' का रवानगी: उद्घाटन समारोह के बाद, सीवीओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा नारे एवं जागरूकता के संदेशों से युक्त गर्म हवा के गुब्बारे भी उड़ाये गए और 'सतर्कता रथ' रवाना किया गया। विकास एवं समृद्धि की उंचाई को छूने के लिए भारत की अनेकता में एकता का प्रतिनिधित्व करने वाले गुब्बारे छोड़े गए।

(ग) दिनांक 29.10.2021 को तल-।।। सभागार, कोयला भवन में "लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(घ) दिनांक 30.10.2021 को मानव संसाधन विकास विभाग, बीसीसीएल में "स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ङ) दिनांक 28.10.2021 को आभासी (वर्चुअल) माध्यम से सतर्कता विभाग द्वारा कोयला उपभोक्ताओं, उपकरण / स्पेयर आपूर्तिकर्ताओं और किराए के एचईएमएम तथा परिवहन ठेकेदारों के साथ बीसीसीएल मुख्यालय में विक्रेता-बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iii. प्रतियोगिताओं का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2021 के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:-

शहर/स्थान	विशिष्ट कार्यक्रम (वाद-विवाद/वक्तृत्व कला/पैनल चर्चा आदि)	प्रतिभागियों की संख्या
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद	अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	15
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद	जीवनसाथी के लिए निबंध प्रतियोगिता	06
बीसीसीएल मुख्यालय, धनबाद	कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता	17
बरोरा, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	47
बरोरा, धनबाद	सलोगन प्रतियोगिता	17
बरोरा, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	16
ब्लॉक- II, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	22
ब्लॉक II, धनबाद	वाद-विवाद प्रतियोगिता	8
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	20
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	14
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद	स्लोगन राइटिंग	19
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद	समूह-चर्चा	20
गोविंदपुर क्षेत्र, धनबाद	लड़कियों के लिए भाषण	6
कतरास, धनबाद	कर्मचारियों के बीच निबंध प्रतियोगिता	48
सिजुआ क्षेत्र, धनबाद	भाषण प्रतियोगिता	8
सिजुआ क्षेत्र, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	12
कुसुंडा, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	18
कुसुंडा, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	16
कुसुंडा, धनबाद	वाद-विवाद प्रतियोगिता	10
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	26
बस्ताकोला क्षेत्र, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	18
पी.वी. क्षेत्र, धनबाद	वाद-विवाद प्रतियोगिता	24
पी.वी. क्षेत्र, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	26
पी.वी. क्षेत्र, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	19
लोदना, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	13
लोदना, धनबाद	चित्रकला प्रतियोगिता	26
पूर्वी झरिया क्षेत्र, धनबाद	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	24
पूर्वी झरिया क्षेत्र, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	26
पश्चिमी झरिया क्षेत्र, धनबाद	निबंध प्रतियोगिता	15
पश्चिमी झरिया क्षेत्र, धनबाद	वाद-विवाद प्रतियोगिता	8
सी.वी. क्षेत्र, बराकर (पश्चिम बंगाल)	निबंध प्रतियोगिता	12
सी.वी. क्षेत्र, बराकर (पश्चिम बंगाल)	भाषण प्रतियोगिता	10
वाशरी डिविजन	निबंध प्रतियोगिता	11
वाशरी डिविजन	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	11
	कुल	**608**

iv. अन्य गतिविधियां

क्र.सं.	गतिविधियां	विवरण
1.	पैम्फलेट/बैनर का वितरण	400 पैम्फलेट, 150 बैनर, 100 पोस्टर
2.	कार्यशाला / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन	यथोपरि
3.	जर्नल/न्यूज़लेटर का निर्गम	सतर्कता विभाग की पत्रिका 'चेतना' की 100 प्रतियां प्रकाशित की गईं और बीसीसीएल के कर्मचारियों के लिए ई-संग्रह का अनावरण किया गया।

v. कंपनी से बाहर की गतिविधियां

क) स्कूली बच्चों की भागीदारी

स्कूल का नाम	आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तिथि	प्रतिभागी छात्रों की संख्या
डी.ए.वी. कोयला नगर	दिनांक 01.11.2021 को आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	25

ख) "ग्राम सभाओं में जागरूकता"

ग्राम पंचायत का नाम जहां "ग्राम सभा जागरूकता" का आयोजन किया गया।	आयोजित गतिविधियों का विवरण एवं तिथि	प्रतिभागी जनता/ नागरिकों की संख्या
लकारका बस्ती, कतरासगढ़	दिनांक 29.10.2021 को लकारका बस्ती, कतरसगढ़ में ग्राम सभा का आयोजन	58
बाघमारा प्रखंड में कुर्मीडीह बस्ती	दिनांक 01.11.2021 को गोधर कुर्मीडीह बस्ती में ग्राम सभा का आयोजन	52

ग) अन्य गतिविधियां

क्र.सं.	गतिविधियां	विवरण
1.	बैनर/पोस्टर आदि का प्रदर्शन।	50 बैनर, 25 पोस्टर
2.	आयोजित शिविरों में शिकायत निवारण की संख्या	सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2021 के दौरान बीसीसीएल द्वारा शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 280 कर्मचारियों/हितधारकों की शिकायतों को दर्ज किया गया और उनका निवारण/आंशिक रूप से निवारण किया गया।
3.	सोशल मीडिया का प्रयोग	सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2021 के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की भेजने के लिए सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का उपयोग किया गया।

घ) प्रणाली सुधार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:

हालांकि पिछले और आने वाले वर्ष के दौरान प्रणाली सुधार के कई उपाय किए गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख दो का संक्षेप में वर्णन किया गया है:

1. डीजल डिस्पेंसिंग यूनिट (डीडीयू) का ऑटोमेशन और अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक को लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है:

पृष्ठभूमि: बीसीसीएल, विभिन्न प्रयोजनों हेतु अपनी विभागीय खदानों के लिए सालाना लगभग 27,000 केएल ईंधन की खपत करता है और प्रमुख आपूर्तिकर्ता आईओसीएल (60%) और बीपीसीएल (40%) हैं। बीसीसीएल की विभागीय खानों और सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में डीजल रिसाव चिंता का विषय है क्योंकि ईंधन लागत कुल उत्पादन लागत का एक प्रमुख घटक है। डीजल चोरी/रिसाव के संबंध में शिकायतें सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप से प्राप्त की जा रही थीं। विभिन्न चरणों में होने वाली चोरी/रिसाव को निम्नानुसार वर्णित किया गया है;

» **चरण- I:** परिवहन/निस्तारण चरण:- तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के डिपो टर्मिनल से टैंक लॉरी (आमतौर पर 12 केएल/18 केएल /24 केएल) के माध्यम से ईंधन का परिवहन उस वितरण केंद्र तक किया जाता है, जहां लॉरी को भूमिगत भंडारण टैंक में खाली किया जाना है।

» **चरण- II:** वितरण चरण:- यह वह चरण है जहां ईंधन (एचएसडी) को डीडीयू (डीजल डिस्पेंसिंग यूनिट) से एचईएमएम और अन्य उपकरणों (जैसे बोजर) में भेजा जाता है।

» **चरण- III:** विशेष रूप से रात के घंटों के दौरान बदमाशों द्वारा एचईएमएम से एचएसडी तेल की चोरी।

ऊपर की प्रवृत्ति के बाद ईंधन की कीमतों के आलोक में यह मुद्दा अतिरिक्त महत्व रखता है। दिनांक 08/03/2022 को वीसी के माध्यम से बैठक के दौरान सलाहकार सुरक्षा, सीआईएल द्वारा भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उजागर किया गया था। प्राप्ति, भंडारण एवं निर्गम के दौरान एचएसडी के प्रभावी प्रबंधन के लिए डीजल वितरण इकाइयों एवं भूमिगत टैंक के स्वचालन को पहले चरण में नीचे सारणीबद्ध स्थानों पर लागू किया गया है और दूसरे चरण में उल्लिखित स्थानों पर लागू करने की योजना बनाई गई है। कार्यान्वयन की स्थिति को तालिका में भी दर्शाया गया है।

क्र.सं.	परियोजनाएं	इकाई	ओएमसी	स्थिति
चरण-1				
1.	ब्लाक-II ओसीपी	इकाई-I	आइओसीएल	पूर्ण
2.		इकाई -II	आइओसीएल	पूर्ण
3.	बरोरा	मुराईडीह	बीपीसीएल	आंशिक रूप से पूर्ण
4.		शताब्दी	आइओसीएल	पूर्ण
5.	सीवी	दहीबाड़ी	बीपीसीएल	चालू
चरण-2				
1.	कतरास	वेस्ट मुदिडीह	बीपीसीएल	शुरू नहीं
2.			आइओसीएल	चालू
3.	सिजुआ	तेतुलमारी	बीपीसीएल	शुरू नहीं
4.			आइओसीएल	आदेशित
5.	लोदना	एनटी-एसटी	बीपीसीएल	शुरू नहीं
6.			आइओसीएल	आदेशित
7.	कुसुंडा	धनसार ओसीपी	बीपीसीएल	चालू
8.			आइओसीएल	आदेशित
9.	बस्ताकोला	कुईयां ओसीपी	आइओसीएल	चालू

उपर्युक्त उल्लिखित सभी स्थान कुल विभागीय एचएसडी खपत का लगभग 85-90% के लिए उत्तरादायी हैं। जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है कि पहले चरण के सभी तीन आईओसीएल स्थानों को पूरा कर लिया गया है और "ब्लॉक- II क्षेत्र के यूनिट 1 एवं II" और बरोरा क्षेत्र के "शताब्दी" के भूमिगत टैंक में प्राप्ति, जारी करने तथा शेष मात्रा का डेटा प्रत्येक डीडीयू के वितरण डेटा के साथ केंद्र पर उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर सिस्टम पर मूल्यांकन किया जा सकता है। डेटा (भूमिगत टैंक में मात्रा और प्रत्येक डीडीयू के वितरण डेटा) का आईओसीएल सिस्टम पर ऑनलाइन मूल्यांकन भी किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने बीसीसीएल के नामित अधिकारी को यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया है।

निष्कर्ष: डीडीयू एवं वितरण इकाइयों के स्वचालन के साथ, डिप रीडिंग के साथ टैंक डेटा को क्रॉस चेक करना और डीडीयू के संवितरण डेटा के साथ टैंक डेटा को क्रॉस चेक और मिलान करना बहुत सुविधाजनक होगा। कम मात्रा में भरने और उच्च मात्रा पर पावती प्राप्त करने की प्रमुख प्रथा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि डीडीयू संवितरण डेटा सिस्टम में लॉग किया जाएगा और स्थान पर सिस्टम पर मूल्यांकन किया जा सकता है और ऑनलाइन मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

2. मिशन अंडर लोडिंग मिनिमाइजेशन (एमयूएम):

कोयला लोड करते समय रेक की कम लोडिंग से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सीआईएल और सहायक कंपनियों के सतर्कता विंग द्वारा मिशन अंडर-लोडिंग मिनिमाइजेशन शुरू किया गया था। डीओ नंबर 3687 दिनांक 27.11.2019 के तहत, सहायक कंपनियों के सतर्कता विंग को "मिशन अंडर-लोडिंग मिनिमाइजेशन" के रूप में नामित सतर्कता पहल के कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया था। रेक की कम-लोडिंग की घटनाओं का पता लगाने और उनसे बचने के लिए अंडर-लोडिंग डेटा की माह-वार निगरानी की गई थी। 10% से अधिक अंडर-लोडिंग के मामले में, एरिया जीएम और अन्य अधिकारियों से यू/एल के कारणों और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों को बताते हुए मामलों का आकलन करने का अनुरोध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप रेकों की कम लोडिंग को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित माह-वार अंडर-लोडिंग डेटा आपके अवलोकन के लिए नीचे सूचीबद्ध है। यह देखा जा सकता है कि वर्ष के लिए समग्र अंडर-लोडिंग 3% की निर्धारित सीमा के अंदर है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित अंडर-लोडिंग डेटा				
अवधि	**कुल प्रेषण मात्रा (मि.ट.)**	**अंडर-लोडिंग ममत्रा ('000 टन)**	**% अंडर-लोडिंग**	**अंडर-लोडिंग शुल्क (₹ 'करोड़ में)**
अप्रैल -21	2.16	77.36	3.57	5.94
मई-21	2.36	86.01	3.63	7.32
जून-21	2.25	64.95	2.88	4.69
जुलाई-21	2.40	63.88	2.65	6.48
अगस्त-21	2.46	75.15	2.35	6.22
सितंबर-21	2.30	63.91	2.77	6.31
अक्टूबर-21	2.05	50.67	2.46	5.04
नवंबर-21	2.08	51.53	2.47	5.91
दिसंबर-21	2.35	62.27	2.64	6.49
जनवरी-22	2.50	76.90	3.07	7.03
फरवरी-22	2.45	59.06	2.41	5.81
मार्च-22	2.88	48.33	1.68	5.62
कुल	28.31	**780.08**	**2.75**	**72.92**

स्रोत: विक्रय एवं विपणन विभाग

3. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवास खाली करने की रिपोर्ट जारी करने के लिए एसओपी:

पहले पूर्व कर्मचारियों द्वारा आवासों को खाली करने से पहले उनकों सभी सेवानिवृत्ति लाभों (जैसे ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश, आदि) के साथ मंजूरी / भुगतान किया जाता था। यह कंपनी के आवासों पर अवैध कब्जे का एक बड़ा कारण बना। हालांकि, वर्ष 2018 के बाद से इस यह लाभ आवासों को खाली करने के बाद ही जारी किए जाते हैं (चेक क्लियर किए जाते हैं)। ग्रेच्युटी चेक की जेरोक्स कॉपी लेबर कोर्ट में जमा की जाती है और आवास खाली करने के बाद भुगतान जारी कर दिया जाता है।

4. बीसीसीएल में किराए के एचईएमएम पैच में बिजली शुल्क की सही कटौती की निगरानी के लिए बाहरी एजेंसियों द्वारा बिजली की खपत की मासिक रिपोर्ट के संबंध में प्रणालीगत सुधार:

बीसीसीएल के विभिन्न आउट सोर्स पैच पर काम करने के लिए लगाए गए एचईएमएम ठेकेदारों द्वारा बिजली की खपत के संबंध में सतर्कता विभाग, बीसीसीएल द्वारा एक जांच / नमूना जांच की गई थी। नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि किराए के पैच के संबंधित ठेकेदार से पंपिंग हेड के लिए कटौती और वसूली हेतु कुल वसूली योग्य राशि शेष मदों जैसे माइन लाइटनिंग, वर्कशॉप, पंपों का मूल्यह्रास आदि में कटौती योग्य राशि के अतिरिक्त 3.39 करोड़ रुपया आया है। इस प्रकार, बीसीसीएल प्रबंधन को इसकी सिफारिश की गई है। इसके अलावा, कई सिस्टम सुधार सुझाव जैसे, ऊर्जा मीटर की तत्काल लगाने/दोषपूर्ण/खराब मीटर के मामले में मीटर को बदलना, ऊर्जा मीटर के कार्य न करने की अवधि के दौरान समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिजली की खपत में कटौती सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर समिति का गठन की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, भविष्य में कंपनी के धन दुरूपयोग को रोकने के लिए क्षेत्र द्वारा मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप आदि में बिजली की खपत भी प्रदान की जाती है, जो सतर्कता विभाग द्वारा भी उपलब्ध कराया जाता है।

बीसीसीएल प्रबंधन ने सतर्कता विभाग द्वारा की गई सिफारिशों से सहमति जताई है और इसके अनुपालन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

2. दण्डात्मक सतर्कता

दंडात्मक सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटनाओं को रोकना है। वर्ष 2021-22 के दौरान जांच के लिए विचारित मामलों के विवरण की समेकित स्थिति नीचे तालिका में विस्तृत है।

अनुसंधान के लिए विचारित मामलों की संख्या		02	
पूरा हो चुके अनुसंधान की संख्या		02	
अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु विचारित मामलों की संख्या		मामले	व्यक्तियों की संख्या
	i) बड़े	01	03
	ii) छोटे	00	00
पूरी हो चुकी विभागीय जांच की संख्या		मामले	व्यक्तियों की संख्या
		05	39
वैसे मामले जिनमें दंड लगाया गया		मामले	व्यक्तियों की संख्या
	i) बड़ा दण्ड	06	40
	ii) छोटा दण्ड	01	02
किए गए/संचालन किए गए कार्यों/संविदाओं की गहन जांच		13	
मंजूर अभियोजन की संख्या		02	

3. निगरानी जांच

निगरानी सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटना की पहचान करना और उसकी पुष्टि करना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, डीआईजी/एचओबी, सीबीआई, धनबाद के परामर्श से बीसीसीएल के लिए सहमत (एग्रीड) सूची तैयार की गई थी। उक्त अवधि के लिए संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की गई थी।

4. सतर्कता अनापत्ति/ स्वीकृति

बीसीसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 (01.04.2021 से 31.03.2022) के दौरान 7641 कर्मियों (अधिकारी एवं कर्मचारी) के संबंध में सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

28. बीसीसीएल में ट्रांजेक्शन ऑडिट अनुच्छेदों और सूचना का अधिकार मामलों की स्थिति

(संदर्भ: भारत सरकार के संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 24.01.2018)

क. 31.03.2022 तक लंबित भाग IIA IR पैरा (अनुच्छेदों) का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	आईआर की अवधि	पैरा सं.	पैरा का संक्षिप्त विवरण	वर्तमान स्थिति
1	सामग्री प्रबंधक	2014 -16	1	सीईएनवीएटी क्रेडिट के प्रयोग का अवसर गंवाने के कारण ₹ 18.81 करोड़ की परिहार्य हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
2	विपणन एवं विक्रय	2017 -20	1	स्वयं की वाशरी से लाभ का गलत निर्धारण और उपलब्ध क्षमता के कम उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 19.52 करोड़ के राजस्व की परिहार्य हानि हुई।	जवाब प्रक्रियाधीन
3	वाशरी डिविजन	2016 -20	1	कच्चे कोयले की कम प्राप्ति के कारण वाशरीज़ बेकार पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.00 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	जवाब प्रक्रियाधीन

ख. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ऐंड एजी) को जवाब दिए गए भाग IIA IR पैरा का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र/इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति	टिप्पणियां
1	सामग्री प्रबंधक	2014-16	2	सेनवैट क्रेडिट का उपयोग न करने के कारण ₹ 8.71 करोड़ की परिहार्य हानि। आ क्षेत्र	पत्र सं. 830-833 (H) दिनांक 26.03.2022 के माध्यम से जवाब दिया।	निपटान के लिए लंबित।

ग. दिनांक 31.03.2021 तक उत्तर के लिए लंबित भाग IIB IR पैरा का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र/इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति
1	सिजुआ	2012-15	1	12 टिप्परों की खरीद पर ₹ 8.93 करोड़ का निष्फल व्यय।	जवाब प्रक्रियाधीन
2	सिजुआ	2012-15	2	ठेकेदारों को ₹ 26.8 लाख का अधिक भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
3	सिजुआ	2012-15	3	भूमिगत भत्तों का अनियमित भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
4	सिजुआ	2012-15	4	एचईएमएम संविदा कर्मचारी को देय विभिन्न मजदूरी की गलत गणना।	जवाब प्रक्रियाधीन
5	कुसुंडा	2014-17	4	विभेदक मजदूरी की गलत गणना के कारण ₹ 68.29 लाख का अधिक भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
6	बस्ताकोला	2015-18	2	कोयले की कमी के कारण ₹ 7.31 करोड़ की हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
7	लोदना	2016-19	1	कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए संयुक्त अनुबंध को विभाजित करने के दायरे की खोज न करना।	जवाब प्रक्रियाधीन
8	लोदना	2016-19	2	चूककर्ता ठेकेदार के पास लम्बित बकाया देय राशि की अवसूली ₹ 6.34 करोड़।	जवाब प्रक्रियाधीन
9	लोदना	2016-19	3	वेतन वृद्धि और विलंब शुल्क का ₹ 4.60 करोड़ का अधिक भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	क्षेत्र/इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति
10	वाशरी मुख्यालय	2011 -14	2	वाशरी लेंड पर प्राप्त कच्चे कोयले का ग्रेड स्लिपेज।	जवाब प्रक्रियाधीन
11	वाशरी प्रभाग	2016 -20	1	पाथरडीह 5 एमटीपीए नई वाशरी के कम उपयोग के कारण ₹ 63.08 लाख का दंडात्मक बिजली मांग शुल्क।	जवाब प्रक्रियाधीन
12	वाशरी प्रभाग	2016 -20	2	महुदा वाशरी के निष्फल संचालन के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।	जवाब प्रक्रियाधीन
13	वाशरी प्रभाग	2016 -20	3	सेल को निम्न श्रेणी के धुले कोयले की आपूर्ति के कारण ₹ 9.36 करोड़ के राजस्व की हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
14	डब्ल्यू.डब्ल्यू.जेड.	2012 -14	3	हैंड पिक्ड रिजेक्ट पर मालभाड़ा शुल्क के भुगतान के कारण ₹ 274.98 लाख के राजस्व की हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
15	निदेशक (वित्त)	2012 -13	7	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनकी पात्रता से उपर के आवास पर कब्जा- कम किराए की वसूली के कारण संभावित नुकसान।	जवाब प्रक्रियाधीन
16	निदेशक (कार्मिक)	2016 -19	3	परियोजना विद्यालयों को घाटे से अधिक की वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 404.18 लाख का भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
17	निदेशक (कार्मिक)	2016 -19	5	झरिया एक्शन प्लान के तहत अग्निशमन गतिविधियों के लिए गैर-लेखा निधि।	जवाब प्रक्रियाधीन
18	निदेशक (कार्मिक)	2016 -19	7	भूमि मुआवजे के मद में भारी मात्रा में ब्याज का संचय।	जवाब प्रक्रियाधीन
19	सीएमसी	2018 -20	1	वेतन वृद्धि की गणना के लिए गलत कारक पर विचार करने के कारण ₹ 2083 करोड़ का अधिक भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
20	सीएमसी	2018 -20	2	एनआईटी के विभिन्न खंडों में अस्पष्टता क) योग्यता मानदंड। ख) जांच/निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के संबंध में ईएमडी को रोकने के कारण एनआईटी खंड की अनुपस्थिति। ग) कार्यशील पूंजी में अस्पष्टता। घ) ईसी शर्त के उल्लंघन से संबंधित दंड खंड की अनुपस्थिति। ड.) बाधा घंटे खंड में अस्पष्टता।	जवाब प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	क्षेत्र/इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय	स्थिति
21	सीएमसी	2018 -20	3	₹ 17.20 करोड़ मूल्य के 66154 मिलियन टन कच्चे कोयले की कम प्राप्ति का समाधान न करना।	जवाब प्रक्रियाधीन
22	विपणन एवं विक्रय	2018 -20	4	विलंब शुल्क और अंडरलोडिंग/ओवरलोडिंग प्रभारों का परिहार्य भुगतान।	जवाब प्रक्रियाधीन
23	विपणन एवं विक्रय	2017 -20	3	क) बकाया देय राशि पर ब्याज की वसूली न होना। ख) कोयले की कम लोडिंग के कारण राजस्व की हानि।	जवाब प्रक्रियाधीन
24	परियोजना एवं योजना	2020 -21	1	सीआईएसएफ बैरकों के निर्माण में अत्यधिक देरी।	जवाब प्रक्रियाधीन
25	परियोजना एवं योजना	2020 -21	2	खदान के अधिशेष जल के बहुउद्देशीय उपयोग पर निष्फल व्यय।	जवाब प्रक्रियाधीन
26	परियोजना एवं योजना	2020 -21	3	ईसी की शर्तों का पालन न करना (क) ₹ 2.24 करोड़ के मुआवजे का भुगतान। (ख) वैध ईसी के बिना जयरामपुर कोलियरी का संचालन (ग) उपचार योजना के निष्पादन में देरी।	जवाब प्रक्रियाधीन
27	परियोजना एवं योजना	2020 -21	4	बालू खनन पट्टे का समर्पण न करना	जवाब प्रक्रियाधीन
28	परियोजना एवं योजना	2020 -21	5	भोजुडीह में 25 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना में विलम्ब।	जवाब प्रक्रियाधीन

घ. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निपटान के लिए लंबित सीएजी को दिए गए उत्तर के भाग IIB IR पैरा का विवरण।

क्र. सं.	क्षेत्र/इकाई	आईआर का वर्ष	पैरा सं.	विषय		स्थिति
				शून्य		

ङ. वर्ष 2021-22 के लिए आरटीआई के आंकड़े

विवरण	सं.
प्राप्त आवेदन की संख्या	1987
उत्तर दिये गए आवेदन की संख्या	1478
अस्वीकृत आवेदन की संख्या	58
प्राप्त अपील की संख्या	188
निपटान किए गए अपील की संख्या	178
नामित सीपीआईओ की संख्या	16
प्रथम अपीलीय प्रधिकारण की संख्या	16

- **वर्ष 2021-22 में कोई जुर्माना या किसी अन्य प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की गई।**

च. आरटीआई अधिनियम के तहत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) निम्नानुसार है:-

1. एन सी डब्लु ए के उपबंध संख्या 9. 4. 3 और 9. 4. 0 और भूमि के बदले नियोजन योजना से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति पर प्रश्न।
2. निविदा विवरण से संबंधित।
3. पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि सेवाओं से संबंधित मामले।
4. पेंशन/सीएमपीएफ मामलों का भुगतान।
5. आउटसोर्सिंग एजेंसियों से संबंधित विवरण।
6. स्थानांतरण/पोस्टिंग से संबंधित विवरण।

29. बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण

वर्ष 2021-22 में उपलब्धियां

» माननीय कोयला मंत्री द्वारा दिनांक 24.03.2022 को 5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी का उद्घाटन।

» वर्ष 2020-21 में बीसीसीएल-टीएसएल वाशिंग वेंचर के माध्यम से सेल के इस्पात संयंत्रों को 1.0 मिलियन टन गुणवत्तायुक्त धुले हुए कोकिंग कोल का सफलतापूर्वक प्रेषण, टीएसएल की अप्रयुक्त धुलाई क्षमता का उपयोग करते हुए बीसीसीएल के अधिशेष कोकिंग कोल को धोने के लिए डिज़ाइन किया गया।

» रेनोवेट-ऑपरेट-मेंटेन (ROM) कॉन्सेप्ट पर मौजूदा वाशरीज के नवीनीकरण के लिए मॉडल बिड डॉक्यूमेंट को सीआइएल बोर्ड द्वारा दिनांक 12.11.2021 को आयोजित अपनी 433 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया है।

बीसीसीएल में नयी वाशरियों का निर्माण

- **परिचय**

बीसीसीएल अपने उपभोक्ताओं (स्टील प्लांट एवं पावर प्लांट) को बेहतर गुणवत्ता वाला एवं समान आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

बीसीसीएल स्वदेशी धुलाई वाले कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीसीसीएल ने 2022-23 तक अपनी कोयला धुलाई क्षमता को बढ़ाकर 18.6 एमटीपीए करने की योजना बनाई है।

▪ **बीओएम आधार पर लागू होने के लिए बनने वाली नयी वाशरियों की वर्तमान स्थिति**

वर्तमान में, बीसीसीएल 12.0 एमटीपीए धुलाई क्षमता को बढ़ाने के लिए 04 वाशरियों को स्थापित करने में जुटा हुआ है। इन 4 वाशरियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वाशरी	क्षमता (एमटीपीए)	बीओएम ऑपरेटर	वाशरी चालू होने की अपेक्षित तिथि	स्थिति
1	मधुबन	5.0	एचईसी लि.	जुलाई, 2022	दिनांक 24.03.2022 को उद्घाटन किया गया। परीक्षण चल रहा है।
2	पाथरडीह II	2.5	एसीबी (इंडिया) लि.	जून, 2023	25% पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3	भोजूडीह	2.0	एसीबी(इंडिया) लि.	दिसंबर, 2022	45% पूरा हो चुका है। डिजाईनिंग तथा इंजीनियरिंग, सिविल एवं स्ट्रेक्चरल, उपकरणों की खरीद, निर्माण, आदि का काम प्रगति पर है।
4	मुनिडीह	2.5	अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है	जून, 2025	दिनांक 03.12.2021 को पुन: निविदा जारी। दिनाक 24.03.2022 को मूल्य बोली खोली गई और वित्तीय मूल्यांकन प्रगति पर है।
	कुल	12.0			

टिप्पणी:- 1.6 एमटीपीए दहीबारी वाशरी और 5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी ने पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

वर्ष 2020-21 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां

क.बी.ओ.एम. अवधारणा के तहत नयी वाशरियों का निर्माण (बिल्ड-ऑपरेट-मेनटेन)

1. **5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी**

- लोड परीक्षण पूरा नहीं हुआ।
- दिनांक 24.03.2022 को उद्घाटन किया गया।

2. **5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी**

- **बीओबीआर ट्रैक हूपर का निर्माण**

निविदा पूरी हो चुकी है और दिनांक 28.02.2022 को एल-1 बोलीदाता, मैसर्स एसीबीआईएल-एसआईपीएस (जेवी) को कार्यादेश जारी किया गया और दिनाक 09.03.2022 को कार्यस्थल सौंप दिया गया।

- **रैपिड लोडिंग सिस्टम का निर्माण**
  सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी पूरा कर लिया है।

3. **2.5 एमटीपीए मुनिडीह वाशरी**
   2.5 एमटीपीए मूनीडीह कोकिंग कोल वाशरी की स्थापना के लिए दिनांक 03.12.2021 को निविदा जारी की गई थी, मूल्य बोली 24.03.2022 को खोली गई थी।

ख. नई वाशरीज के लिए रेलवे साइडिंग का विकास

1. **2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी**

- सिविल कार्य 88%पूर्ण
- दिनाक 15.11.2021 एवं 24.12.2021 को क्रमशः ओएचई कार्य और एस एंड टी कार्य के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं। करीब 10 फीसदी काम पूरा हो गया है।

2. **5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी**

- सिविल कार्य प्रगति पर है (70%)
- ओएचई कार्य प्रगति पर है (30%)

3. **2.5 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी**

- सिविल कार्य प्रगति पर है (10%)
- रेल की खरीद और आपूर्ति शुरू।

4. **2.5 एमटीपीए मुनीडीह वाशरी**

   मेसर्स राइट्स द्वारा कार्यस्थल सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और दिनांक 22.02.2022 को मेसर्स राइट्स द्वारा बीसीसीएल को विकास योजना प्रस्तुत कर दिया गया है।

बीसीसीएल की मधुबन कोकिंग कोल वाशरी का उद्घाटन

बीसीसीएल की भोजुडीह वाशरी

वर्ष 2021-22 में नई वाशरीज के निर्माण में पूंजीगत व्यय

वाशरी का नाम	अनुमोदित बजट (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	% उपयोगिता
5.0 एमटीपीए मधुबन वाशरी	15	12.43	82.90%
2.5 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी	45	16.13	35.85%
5.0 एमटीपीए पाथरडीह वाशरी	20	11.60	58.00%
2.0 एमटीपीए भोजुडीह वाशरी	80	62.86	78.60%
कुल	**160**	**103**	**64.40%**

नई पहलें

1. रेनोवेट-ऑपरेट-मेंटेन (ROM) कॉन्सेप्ट के जरिए बीसीसीएल की मौजूदा पुरानी वाशरीज का नवीनीकरण

बीसीसीएल बोर्ड ने दिनांक 30.01.2022 को आयोजित अपनी 386वीं बोर्ड बैठक में रेनोवेट-ऑपरेट-मेंटेन कॉन्सेप्ट पर मौजूदा मधुबन वाशरी (2.5 एमटीपीए) के नवीनीकरण को मंजूरी दी है।

2. बीसीसीएल-टीएसएल वाशिंग वेंचर

i. बीसीसीएल बोर्ड ने टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) के साथ अनुबंध को दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी दो (02) वर्षों की अवधि के लिए टीएसएल की वाशरीज के माध्यम से बीसीसीएल के कोकिंग कोयले की धुलाई के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

ii. टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) के साथ दिनांक 30.03.2022 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2020-21 में बीसीसीएल-टीएसएल वाशिंग वेंचर का प्रदर्शन

i. टीएसएल वाशरीज को आपूर्ति किए गए कच्चे कोकिंग कोल- 1.12 मिलियन टन।

ii. धुले हुए कोयला उत्पादों का प्रेषण:

उत्पाद	धुले हुए कोयले से इस्पात संयंत्रों तक (मिलियन टन)
2020-21	0.37
2021-22	0.63
वृद्धि	70%

iii. आयात प्रतिस्थापन

वर्ष 2021-22 में इस्पात संयंत्रों/देश के लिए 0.63 मिलियन टन वाश्ड कोकिंग कोल।

iv. इस वाशिंग वेंचर के माध्यम से धुले हुए कोकिंग कोल की आपूर्ति के कारण सेल के इस्पात संयंत्रों में स्वदेशी धुले कोकिंग कोयले की खपत 3600 टीपीडी से बढ़कर 5700 टीपीडी हो गई।

v. सेल ने इस वाशिंग वेंचर के माध्यम से आपूर्ति किए गए धुले हुए कोकिंग कोल [@ 18.5% राख स्तर] की निरंतर गुणवत्ता की सराहना की है।

30. झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति

आग, भू-धंसान एवं पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान

भारत सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2009 को झरिया कोलफिल्ड के लिए ₹ 7,112.11 करोड़ के अनुमानित निवेश साथ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के पट्टाधारित क्षेत्र में आग, भू-धसान एवं पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए अनुमोदित किया था। इसकी कार्यान्वयन अवधि को 12 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो 11 अगस्त, 2021 को समाप्त हो गया। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की गतिविधियों की समीक्षा के लिए सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति की बैठकें आयोजित की गईं। अब तक इसकी इक्कीस बैठकें हो चुकी हैं। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) मास्टर प्लान के तहत गैर-बीसीसीएल लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

क.भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पट्टाधारित क्षेत्र में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की सार- स्थिति।

मास्टर प्लान के अनुसार, जेआरडीए को 595 साइटों में 54,159 परिवारों का सर्वेक्षण करना है, जो पहले ही पूरा हो चुका है। गैर-बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए जेआरडीए द्वारा बेलगोरिया पुनर्वास बस्ती "झरिया विहार" में 18,352 आवासों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है। अब तक (अप्रैल, 2022) 6,352 घर पूरे हो चुके हैं और 2,684 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। शेष 12,000 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

बीसीसीएल परिवारों के पुनर्वास के लिए 15,713 घरों में से 7,714 घरों का निर्माण किया गया है, जिसमें 4,205 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है। शेष 7999 मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

आग से निपटने की स्थिति के संबंध में, जनवरी 2018 में प्रस्तुत एनआरएससी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 34 साइटों में सतही आग क्षेत्र 3.26 वर्ग किमी बताया गया है, जबकि पहले मास्टर प्लान में उल्लिखित 67 साइटों में 8.9 वर्ग किमी था। एनआरएससी ने वर्ष 2020-21 में आग का ताजा सर्वेक्षण किया है और अगस्त 2021 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार 1.80 वर्ग किलोमीटर सतही आग क्षेत्र वाले कुल सक्रिय अग्नि स्थल घटकर 27 हो गया है। बीसीसीएल द्वारा आग से निपटने के लिए एनआरएससी द्वारा चिन्हित 27 स्थलों पर काम किया जा रहा है। इनमें से 15 स्थल आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं जहां आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। शेष 12 साइटों के लिए, 10 साइटों को ब्लैंकेटिंग द्वारा निपटाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है और शेष 2 साइटों के लिए सीआईएल को वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं।

ख. स्वीकृत मास्टर प्लान का संशोधन

झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए 12 साल की समय सीमा पहले ही 11 अगस्त 2021 को समाप्त हो चुकी है। 19 वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देशानुसार, बीसीसीएल द्वारा सीएमपीडीआई और जेआरडीए के परामर्श से वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत में वृद्धि को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को उपायुक्त सह एमडी जेआरडीए द्वारा दिनांक 06.05.2021 को सचिव (खान एवं भूविज्ञान), झारखंड सरकार को भेज दिया गया है।

ग. झरिया मास्टर प्लान हेतु आगामी योजना

सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा 'झरिया मास्टर प्लान हेतु आगामी योजना' पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, जेएमपी के तहत 595 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 39 स्थलों को बीसीसीएल द्वारा खोदा गया है और जहां रेलवे ट्रैक, सड़क, घनी आबादी, गहरे कोयले और अन्य कारकों के कारण खनन संभव नहीं है, वहां पुनर्वास तथा आग के आकलन एवं प्रबंधन के लिए 207 साइटों (प्रयोगात्मक) को राज्य सरकार के एसडीएमए को सौंपने का प्रस्ताव है। शेष 349 स्थल बीसीसीएल के पास रहेंगे, जहां आग से निपटने के लिए खनन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

चूंकि झरिया मास्टर प्लान के तहत अब तक कोई एलटीएच स्थानांतरित नहीं हुआ है, इसलिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में रहने वाले एलटीएच परिवारों के पुनर्वास के लिए सक्षम अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जो कि सीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति/एलएएआर अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाना है। जहां एलटीएच को स्वीकार्य है, वहां बीसीसीएल द्वारा स्वयं के कोष से पुनर्वास को प्रस्ताव दिया जाएगा।

31. पर्यावरण एवं परिस्थितिकी

बीसीसीएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की अवधारणा पर पर्यावरण प्रबंधन है, जो कंपनी के कर्मचारियों और समर्पित प्रबंधन प्रणाली के ठोस प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूंकि कामकाजी वातावरण में परिवर्तन गतिशील हैं, इसलिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण नीति को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और उसी के अनुसार पहल किया जाता है।

बीसीसीएल ने पर्यावरण सुधारने के लिए सतत और बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं। पर्यावरणीय स्थिति/गतिविधियों का सारांश निम्न प्रकार है:-

(क) बीसीसीएल की खदानों एवं वाशरियों के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति

बीसीसीएल ने पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने तथा प्रबंधन के लिए अपनी सभी चालू, परित्यक्त एवं प्रस्तावित (पिट हेड वाशरियों सहित) खदानों को 17 क्लस्टरों का समूह बनाकर क्लस्टर की अवधारणा प्रतिपादित किया है। बीसीसीएल कोयला उद्योग में ईआईए-ईएमपी तैयार करने तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति की स्वीकृति के लिए क्लस्टर की अवधारणा प्रतिपादित करने वाली अग्रणी कंपनी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलाय (एमओईएफसीसी) ने इस क्लस्टर अवधारणा का अनुमोदन दिसंबर, 2009 में किया है तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति की मंजूरी हेतु इसके सभी क्लस्टरों के लिए ईआईए-ईएमपी तैयार करने की सलाह दी है।

खदानों की पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की स्थिति: आज की तिथि में

- सभी चालू, बंद तथा प्रस्तावित खदानों के 17 क्लस्टरों की पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त है।
- आवश्यकतानुसार, क्लस्टर I के ईसी का संशोधन प्राप्त हो गया है।
- 17 क्लस्टरों के लिए कुल उच्चतम क्षमता अभी 93.04 एमपीपीए है।
- प्रत्येक खदान की ईसी क्षमता अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से दामोदा ओसी, सेंद्रा बांसजोड़ा, कनकनी, निचितपुर, आरओसीपी कुइयां, दोबारी ओसी, बस्ताकोला ओसी, एकीकृत जयरामपुर कोलियरी (ओसी), एकीकृत सुदामडीह पाथरडीह ओसी, भौंरा (एस) ओसी, गोपालीचक ओसी एवं केंदुआडीह ओसी को आगे बढ़ाने (फैसिलिटेड) करने के लिए इसके क्लस्टर क्षमता में परिवर्तन किये बिना, क्लस्टर- V, VII,VIII, IX, X, XI के ईसी में संशोधन करवाया गया ।

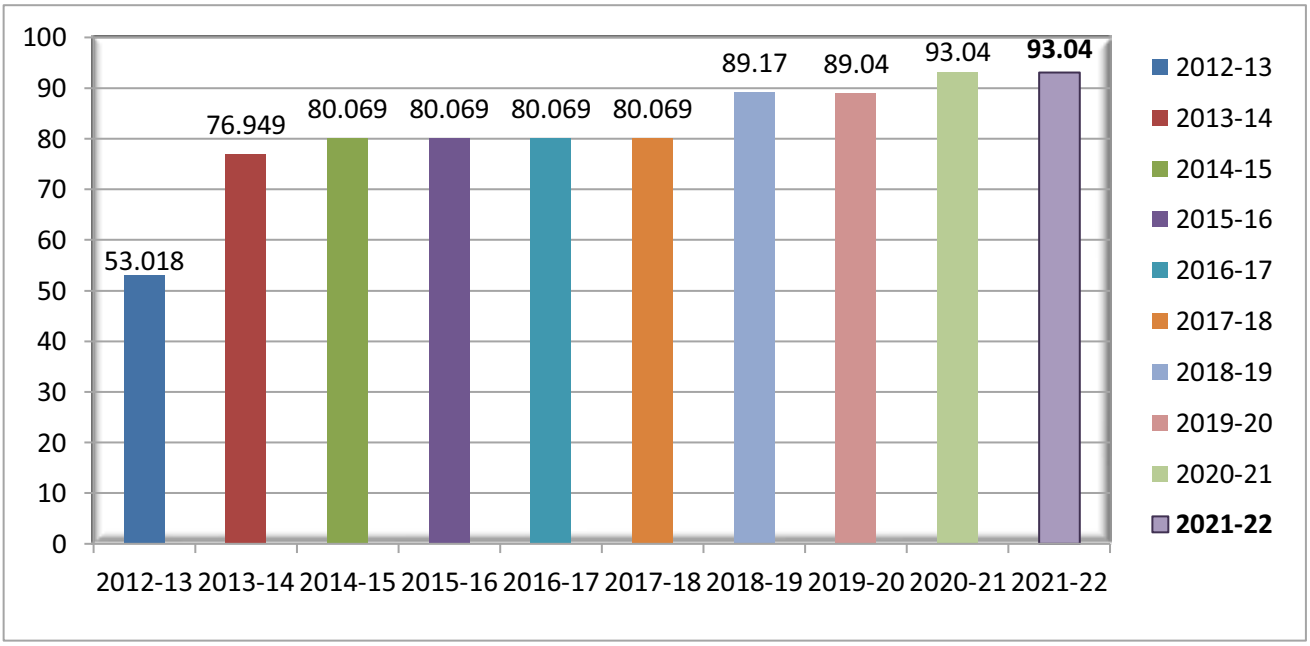

खदानों के समूहों की कुल पर्यावरण मंजूरी क्षमता (एमटीपीए)

वाशरियों की पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की स्थिति: आज की तारीख में

- प्रत्येक 1.6 एमटीपीए की मानक क्षमता के लिए मुनिडीह वाशरी, सुदामडीह वाशरी और दहीबाड़ी वाशरी की पर्यावरणीय मंजूरी क्रमशः क्लस्टर XI, X और XVI के तहत उपलब्ध है।
- पाथरडीह कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए तथा प्रस्तावित पाथरडीह कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, मधुबन कोल वाशरी 5.0 एमटीपीए, दुग्दा कोल वाशरी 2.5 एमटीपीए, भोजूडीह कोल वाशरी 2 एमटीपीए के लिए पर्यावरणीय मंजूरी उपलब्ध है।
- क्लस्टर XI के विस्तार के लिए न्यू मुनिडीह वाशरी 2.5 एमटीपीए को शामिल करने के लिए ईएमपी का मसौदा समीक्षाधीन है।
- पाथरडीह वाशरी 2.5 एमटीपीए के सीबीएम अन्वेषण और वैधता विस्तार के लिए ईसी आवेदन किया गया। ईएसी ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी अधिसूचना के कारण, पाथरडीह 2.5 एमटीपीए वाशरी निर्माण का ईसी 5 जुलाई, 2023 तक वैध है।

पर्यावरणीय अनुपालन

बीसीसीएल द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी की सभी शर्तों के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई है और अनुपालन रिपोर्ट नियामक प्राधिकारियों को नियमित रूप से भेजी जा रही है। इसे बीसीसीएल के आधिकारिक वेवसाइट पर मंजूरी पत्रों के साथ अपलोड किया जाता है।

- ईसी की शर्तों के अनुसार, जेएसपीसीबी, रांची के परामर्श के आधार पर मॉनिटरिंग लोकेशन क्लस्टर आधार पर तय की जाती है। सीएमपीडीआई, आरआई-II को खदान/वाशरियों की पर्यावरणीय निगरानी का काम सौंपा गया है।
- पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित पर्यावरण विभाग मौजूद है, जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों में पर्यावरण इंजिनियरों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
- ईसी के तहत आवश्यक अध्ययन किए जा रहे हैं। भूजल की निगरानी, उपग्रह आधारित भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण मानचित्रण, सड़क परिवहन को कम करके प्रदूषण में कमी आदि का काम सीएमपीडीआई को सौंपा गया है।
- एनईईआरआई, नागपुर के माध्यम से किए गए स्रोत विभाजन अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, सभी हितधारकों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा की गई है।
- पारंपरिक चलंत जल छिड़काव के मौजूदा बेड़े के अलावा, पिछले 03 वर्षों में उत्खनन विभाग द्वारा मिस्ट सिस्टम युक्त 16 पानी के स्प्रिंकलर खरीदे और चालू किए गए, जिनमें से 02 की खरीद वर्ष 2021-22 में की गई।

- 2021-22 में 05 मोबाइल फॉग कैनन और 04 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन की खरीद की गई।
- खदानों, साइडिंग और वाशरीज के लिए 40 ऑनलाइन पीएम10 एनालाइजर खरीदे गए, जिनमें से 36 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पोर्टल से जुड़े हैं और शेष 04 कनेक्टिविटी की प्रक्रिया में हैं।
- जगजीवन नगर, कतरास क्षेत्र, बस्ताकोला क्षेत्र और कुसुंडा क्षेत्र में 04 सीएएक्यूएमएस (CAAQMS) की खरीद के लिए निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- भूजल मॉनिटरिंग के लिए बीसीसीएल के कमान क्षेत्रों के खानों की क्लस्टर के लिए 23 पाइजोमीटर कुओं को स्थापित करने के लिए सिविल विभाग द्वारा ड्रिलिंग का कार्य प्रदान किया गया है और कार्य प्रगति पर है।
- एनआरएससी ने टाइम सीरिज कोल माइन फायर मैपिंग (थर्मल इंफ्रारेड) कर वर्ष 2014, 2018 एवं 2021 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। समय-समय पर अध्ययन किया जा रहा है।
- वायु प्रदूषण रोकने के लिए हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) को लगातार विकसित किया जा रहा है।

(ख) वानिकी मंजूरी: बीसीसीएल द्वारा राज्य वन विभाग, राज्य भू-राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार वन भूमि की पहचान की जा रही है और आवश्यकतानुसार वानिकी मंजूरी प्राप्त की जा रही है।

- कुईया कोलियरी, बस्ताकोला क्षेत्र में 16.49 हेक्टेयर वन भूमि के लिए आवेदन डीएफओ, धनबाद द्वारा दिनांक 23.04.2021 को उठाए गए प्रश्न के अनुसार एफआरए 2006 के तहत प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी के पास है। दिनांक 11.10.2021 को आयोजित एफआरए 2006 के तहत ग्राम सभा द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डीसी, धनबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है।
- मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र में 133.69 हेक्टेयर वन भूमि के लिए ऑनलाइन आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए डीएफओ, धनबाद के पास है।
- मुराईडीह कोलियरी, एकीकृत ब्लॉक-II ओसीपी, ब्लॉक-II क्षेत्र में 179.36 हेक्टेयर वन भूमि; मुनीडीह कोलियरी, पश्चिमी झरिया क्षेत्र में 88.73 हेक्टेयर वन भूमि, दहीबाड़ी बसंतीमाता ओसीपी, सी वी क्षेत्र में 136.02 हेक्टेयर वन भूमि; ईस्ट बसुरिया कोलियरी, कुसुंडा क्षेत्र में 14.36 हैक्टेयर वन भूमि और एकीकृत एनटी-एसटी कोलियरी, लोदना क्षेत्र में 4.62 हेक्टेयर वन भूमि के लिए ऑनलाइन आवेदन परिवेश पोर्टल पर जमा किया गया है। भू-अभिलेखों तथा अपेक्षित प्रमाणीकरण के लिए जिला राजस्व प्राधिकारियों से नियमित संपर्क किया जा रहा है, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

(ग) अन्य मंजूरी: बीसीसीएल ने क्लस्टर XVI को छोड़कर सीजीडब्ल्यूए के तहत अपने सभी खदानों के लिए भूजल मंजूरी प्राप्त की है, जो संसाधित है तथा एनओसी की प्रतीक्षा है। सभी क्लस्टर के सीटीओ प्राप्त कर लिए जाते हैं।

(घ) भौतिक एवं जैविक पुनर्स्थापना (पारिस्थितिकी पुनरूद्धार)

विरासत में पुरानी खदानें मिलने के बाद बीसीसीएल ने पुनरूद्धार के लिए लगातार प्रयास किए हैं। प्रारंभिक चरण में वृक्षारोपण कार्य मात्र हरियाली के उद्देश्य से किया गया था, चाहे वह किसी भी प्रजाति का हो। हालांकि विदेशज प्रजातियों के उपयोग से शुरूआत में तेजी से विकास दिखा परंतु साइट के पारिस्थितिक स्थापन में योगदान नहीं दिया। बीसीसीएल ने फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफआरआइ), देहरादून से संपर्क किया तथा जुलाई, 2011 में संस्था के माध्यम से उत्खनित और विकृत भूमि के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया था। बीसीसीएल अपने विकृत एवं उत्खनित भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरूद्धार का काम करने के लिए खनन उद्योग की अग्रणी कंपनी है। पारिस्थितिकी पुनरूद्धार में त्रिस्तरीय वृक्षारोपण प्रक्रिया अपनायी जाती है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर देशी प्रजाति के घास, मध्यम स्तर पर छोटे पौधे एवं सबसे ऊपरी स्तर पर वृक्ष होते है। इसका उद्देश्य जैव-विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, बनावट, क्षमता, सेवा एवं प्रक्रिया को पिछले मूल स्थिति में लाने के साथ वन पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक रूप से स्थापित करना है, जैसा कि वह खनन से पहले की स्थिति में थी। इसलिए, उत्खनित भूमि का पारिस्थितिकी पुनरूद्धार करना पारिस्थितिकी एव सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त उपाय है।

बीसीसीएल ने जुलाई, 2011 में अपने विकृत एवं उत्खनित भूमि पर पारिस्थितिकी पुनरूद्धार के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून के माध्यम से एक खाका तैयार कर इसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया है।

वर्ष 2011में वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून के माध्यम से 8 हेक्टेयर के एक ओबी डंप पर एक आदर्श पारिस्थितिकी पुनरूद्धार की परियोजना शुरू की गई थी, जो जुलाई, 2014 में पूरी हुई। ठीक उसी समय, विकृत पारिस्थितिकी प्रणाली की पर्यावरणीय प्रबंधन केंद्र (सीइएमडीई), दिल्ली विश्वविद्यालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परियोजना निदेशक प्रो. सी आर बाबू के कुशल नेतृत्व में दामोदा कोलियरी के लगभग 7 हे. ओबी डंप पर एक अन्य महत्वाकांक्षी (पायलट) परियोजना शुरू की गई है। परियोजना स्थल के इन दोनों जगहों पर पुन: हरियाली लाने के काफी बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं।

उपर्युक्त पायलट परियोजनाओं की सफलता के बाद, पारिस्थितिकी पुनरूद्धार के लिए इस प्रक्रिया को विभिन्न पुनरूद्धार स्थलों पर दोहराया जा रहा है, जिसमें वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ), देहरादून एक तकनीकी विशेषज्ञ / सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। सहमति पत्र (एमओयू) के अनुसार एफआरआइ, देहरादून बीसीसीएल के पारिस्थितिकी पुनरूद्धार स्थलों की सतत मॉनिटरिंग करता आ रहा है तथा बीसीसीएल के पारिस्थितिकी पुनरूद्धार स्थलों के स्थापन एवं बढ़ोतरी के लिए तकनीकी इनपुट मुहैया करता है। एफआरआइ, देहरादून भौतिक-रसायन, गुण एवं कार्बन पृथक्करण माइक्रोबियल विश्लेषण आदि जैसे अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों की सतत मॉनिटरिंग करता आ रहा है। इन अनुसंधानों के परिणाम ने बीसीसीएल के कोयला क्षेत्रों में विकृत हो चुकी है। खनिक भूमि के पुनरूद्धार के सकारात्मक संकेत दिये हैं।

स्थानीय प्रजाति के पौधों के विकास की सफलता को देखते हुए और अधिक उम्मीद जगी है तथा राज्य वन विभाग के माध्यम से स्थानीय प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण फिर से शुरू हुआ है, जो पारिस्थितिकी के अन्य स्थानीय प्रजाति के पौधों की बहाली को बढ़ावा देता है। अस्थायी ओबी डंप तक सीड बॉल के माध्यम से घास उगाने का विस्तार किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 में, 90.1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण के अलावा, 1870 किलोग्राम घास के बीज और 600 किलोग्राम देशी प्रजातियों के पेड़ एवं झाड़ियों के बीज 64 हेक्टेयर ओबी डंप पर छितराये गए हैं और जो पहले बीसीसीएल के 80 हेक्टेयर अस्थायी ओबी डंप पर किया गया था। ।

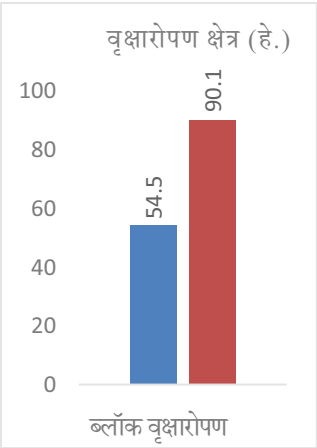

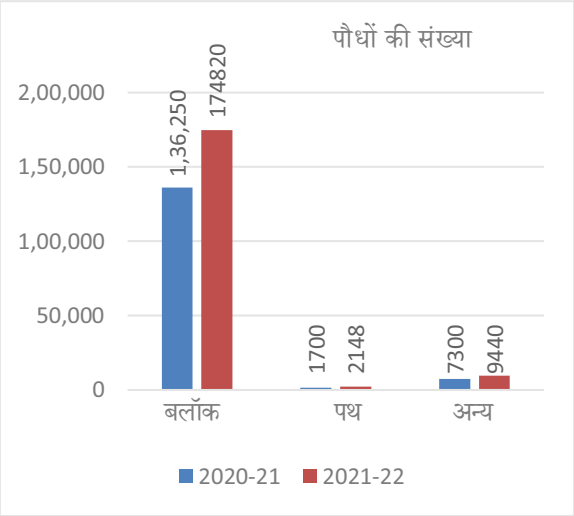

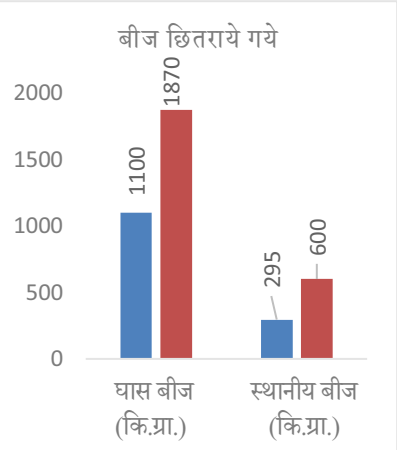

वर्ष 2021-22 तक, बीसीसीएल ने 1534.73 हेक्टेयर भूमि पर 32,98,920 वृक्षारोपण और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 32036 बाड़युक्त वृक्षारोपण कर जैविक सुधार का कार्य किया है।

जैव-विविधता पार्क, तेतुलमारी, सिजुआ क्षेत्र।

पारिस्थितिक पुनर्स्थापन स्थल, मुरलीडीह, पश्चिमी झरिया क्षेत्र।

(ड.) ईको पार्क:

बीसीसीएल द्वारा विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर प्राकृतिक वनरोपण करने के साथ-साथ कुछ विकृत उत्खनित भूमि क्षेत्रों तथा ओबी डंप पर ईको-पार्क को भी विकसित किया जा रहा है। खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले स्थानीय समुदायों से जुड़ने, स्टेक होल्डरों के बीच कंपनी की छवि को बदलने तथा लोगों को मनोरंजन एवं कायाकल्प का एक उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खनन क्षेत्रों में ईको-पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

1. गोकुल पार्क-कल्चरल पार्क, लोदना क्षेत्र:

क्षेत्र के स्थानीय लोगों को लाभान्वित करने तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को विकसित करने के लिए एक ईको-कल्चरल पार्क को विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में लोदना क्षेत्र के नार्थ तिसरा, साउथ तिसरा-जीनागोरा परियोजना में 10 हे. खनन की गयी भूमि पर पार्क का निर्माण किया गया था। पार्क विकसित करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पार्क समर्पित करना है। स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और उन्हें पारिस्थितिक कार्य से जोड़ने के उद्देश्य से यहां सबसे ऊपरी भाग पर मां काली तथा अन्य देवताओं के मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में एक यज्ञशाला तथा पूजा-पाठ में प्रयोग होने वाले पेड़-पौधे तथा फुलवारी को भी विकसित किया गया है। इसके अलावा फल का बगीचा, बांस, देशी प्रजातियों के पेड़, लिली तालाब, शैल, फूलों का बगीचा, पिकनिक स्थल तथा पार्क का निर्माण स्थानीय लोगों के मनोरंजन, शांति प्रदान करने के उद्देश्य हेतु विकसित किया गया है। यह पार्क अब स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समारोहों के केंद्र के रूप में काम करता है।

2. वृंदावन ईको-रीस्टोरेशन साइट, कुसुंडा:

शुरू में इस ईको-पार्क को पारिस्थितिक पुनरूद्धार स्थल के तौर पर विकसित किया गया था, परंतु अब इसे ईको-पार्क में बदल दिया गया है, जहां आस-पास के लोग मनोरंजन करते हुए तरोताजा हो सकते हैं। इस स्थल को विभिन्न क्षेत्रीय देशी प्रजातियों के वृक्षों का घना प्राकृतिक वृक्षारोपण कर विकसित किया गया है। इस ईको-पार्क में नर्सरी, मचान, ईको-कुटीर, वाकिंग ट्रेल तथा बेंच लगाया गया है। मौसम में इस ओबी डंप पर धान की खेती भी की जाती है।

3. पारसनाथ उद्यान, कतरास क्षेत्र:

यह पार्क मनोरंजन एवं कायाकल्प के लिए आसपास के समुदायों और पास के कतरास नगर के निवासियों के बीच लोकप्रिय है। इस पार्क में एक जलाशय, इको-हट, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, जैसे स्विंग एवं आइड्स, पैदल चलने के रास्ते, बेंच, फूलों का बगीचा, हेजेज ग्रीन टनल आदि भी स्थापित किए गए हैं। यह भी देखा और बताया गया है कि इस इको-पार्क का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा मनोरंजन और कायाकल्प के अलावा योग और ध्यान के अभ्यास के लिए भी किया जाता है।

4. पंचवटी इको-पार्क:

उत्खनित क्षेत्रों में पारिस्थितिक पुनरूद्धार के लिए शिरिस, पलाश, आंवला, कटहल, बेर, शीशम, बेल, गुलमोहर इत्यादि के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोयला नगर में एक केंद्रीकृत नर्सरी विकसित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रो, इको-रेस्टोरेशन स्थलों पर नर्सरी भी स्थापित की गई है। समस्त क्षेत्रों, विभिन्न संस्थानों तथा स्थानीय लोगों को पौधे वितरित किए जाते हैं।

कोयला नगर तथा आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कोयला नगर स्थित बीसीसीएल की केंद्रीय नर्सरी में एक ईको-पार्क भी विकसित किया गया है। इस ईको-पार्क में विभिन्न फूलों की बाग, कैक्टस गार्डन, ईको हट, जॉगिंग ट्रैक, गुलाब के बाग, लिली तालाब इत्यादि हैं। इस जगह को आस-पास के रहने वाले शहरी आबादी के लिए ध्यान एवं योग के एक केंद्र के तौर पर विकसित करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। इस पार्क का और अधिक विकास किया जा रहा है और यह स्थानीय जनता को समर्पित है। यह ईको-पार्क 6 KW क्षमता वाले सौर पैनल द्वारा संचालित है।

5. तेतुलमारी जैव विविधता पार्क, सिजुआ क्षेत्र:

देशी किस्म के तीन स्तरीय वृक्षारोपण के साथ पारिस्थितिक पुनरूद्धार को सफलता पूर्वक लागू करने के बाद बीसीसीएल ने सिजुआ क्षेत्र के तेतुलमारी में मॉडल पारिस्थितिक पुनरूद्धार स्थल पर जैव विविधता को बढ़ाने के लिए एफ आर आई, देहरादून के जरिए काम प्रारंभ किया है। इस परियोजना की अवधि दो वर्षों की थी। एफआरआई, देहरादून ने जुलाई, 2018 में प्रस्तुत अपने परियोजना रिपोर्ट में यह पाया है कि कुल 103 पौधों की प्रजातियां जिसमें 37 पेड़, 15 झाड़ियां, 27 जड़ी बूटियां, 9 घास, 2 बांस, 2 फर्न, 1 लता है। साइट पर 10 आरोही लताएं भी देखी गई है। इन सभी में, दर्ज की गई 80 प्रजातियों के पौधों का एक या अन्य तरह से औषधीय उपयोग होता है। परियोजना स्थल पर पक्षियों (20), तितलियां (14), कीट-पतंगे (27), सरीसृप (1) तथा कुछ जानवरों के विभिन्न प्रजातियों को भी देखा गया है। इसी तरह कार्बन पृथक्करण के परिमाणन के संदर्भ में, इस स्थल पर 295.09 टन/हे.कार्बन-डाइ-ऑक्साइड का पृथक्करण हुआ।

6. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इको-पार्क, कुइया कोलियरी: (विकासशील)

बीसीसीएल ने इन ईको-पार्कों के विकास के लिए धनबाद के आस-पास की उत्खनित भूमि पर आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों को मनोरंजक एवं कायाकल्प गतिविधियों के लिए एक बेहतर स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया है। ये इको-पार्क स्थानीय लोगों के लिए सहायक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका सृजन के कुछ अवसर भी पैदा करेंगे। इस इको-पार्क में विकसित किए जा रहे विभिन्न घटकों में जल निकाय, फव्वारा, चिल्ड्रन पार्क, फ्लावर गार्डन और कलात्मक झाड़ी का काम, वॉकवे, ग्रीन टनल, प्रार्थना कक्ष, ध्यान कक्ष, कैफेटेरिया, प्रवेश द्वार और सुरक्षा कक्ष, शौचालय, जल भंडारण जलाशय और पेयजल आदि की व्यवस्था शामिल हैं।

7. गोवर्धन ईको-पार्क, बेरा: (विकासशील)

(च) वृक्षारोपण अभियान

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने 19 अगस्त 2021 को वन क्षेत्र में कोयला क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और सीओपी-21 में भारत की प्रतिबद्धता में योगदान के उद्देश्य से कोयला क्षेत्र में और उसके आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया। इस अभियान की अध्यक्षता श्री रावसाहेब पाटिल दानवे, माननीय कोयला, खान एवं रेल राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार ने की। वृक्षारोपण अभियान 2021 के उत्सव में बीसीसीएल ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया तथा वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण तथा पौधों का वितरण कर खनन क्षेत्रों को हरा-भरा करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की।

बीसीसीएल 2 राज्यों (झारखंड एवं पश्चिम बंगाल) के 03 जिलों (धनबाद, बोकारो एवं पश्चिम बर्दवान) में फैले 20 विभिन्न स्थलों पर इस कार्यक्रम से जुड़ा था और कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की। बीसीसीएल में सभी लाइव कनेक्टेड साइटों पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। माननीय विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह बस्ताकोला क्षेत्र में मौजूद थीं; माननीय विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो कुसुंडा क्षेत्र में तथा माननीय विधायक डॉ. अजय पोद्दार चांच विक्टोरिया क्षेत्र में उपस्थित थे। 14 अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीसीसीएल के विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम में भाग लिया। वस्तुतः इन संबंधित स्थलों पर जन प्रतिनिधियों, बीसीसीएल प्रबंधन, कर्मचारियों एवं जनता द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। विभिन्न स्थानों जैसे पार्कों, निजी भूमि, आवासीय क्षेत्रों आदि में वृक्षारोपण के लिए जनता को पौधे भी वितरित किए गए थे। वस्तुतः उक्त स्थलों के अलावा, बीसीसीएल ने 38 विभिन्न स्थलों पर अभियान के शुभारंभ का जश्न भी मनाया है। बीसीसीएल में वृक्षारोपण अभियान 2021 में 5,225 लोगों ने भाग लिया।

इस दिन अर्थात दिनांक 19.08.2021 को एक ही दिन में बीसीसीएल ने 58 विभिन्न स्थलों पर 17,570 पौधे लगाए और स्थानीय लोगों के बीच 16,500 पौधों का वितरण किया।

(छ) खदान बंदी योजना का कार्यन्वयन

बीसीसीएल ने खदानों/खानों के समूह के लिए 56 खान बंदी योजनाएं तैयार की है तथा इन्हें क्रमिक कार्यान्वयन के लिए रखा है। इस उद्देश्य के लिए खोले गए एस्क्रों खाते में वार्षिक बंदी लागत को जमा रखा जा रहा है और बीसीसीएल ने खान बंदी के कार्य के कार्यान्वयन के लिए एस्क्रो खाते में प्रतिभूति जमा के रूप में दिनांक 31.03.2022 तक ₹ 507.49 करोड़ जमा किया है, जो बीसीसीएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइ आइ ई एस टी, शिबपुर द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा रहा है तथा कुल ₹ 83.10 करोड़ (अनुमानित) सीसीओ प्रस्तुत कर दिया गया। सीसीओ ने प्रगतिशील बंदी गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के एवज में 20 खदानों के ₹ 36.415 करोड़ (दावा की गई राशि का 50%) तदर्थ प्रतिपूर्ति निर्गत की है, जिसमें सीसीओ ने छह खदानों के लिए बीसीसीएल को ₹ 7.47 करोड़ के अतिरिक्त रुपये की प्रतिपूर्ति की सिफारिश की है।

(ज.) पर्यावरण संबंधी जगरूकता

बेहतर पर्यावरण विकसित करने हेतु बीसीसीएल द्वारा सभी स्टेक होल्डरों को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(क)पर्यावरण संबंधी कार्यशालाएँ: बीसीसीएल ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर 04 कार्यशालाओं का आयोजन किया और कोल इंडिया द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भी भाग लिया। झरिया कोलफील्ड क्षेत्रों, झारखंड में परिवेशी वायु कण पदार्थ के स्रोत विभाजन पर एक कार्यशाला: दिनांक 04.10.2021 को बीसीसीएल द्वारा एनईईआरआइ (NEERI), नागपुर के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थिति एवं कार्य विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीआईएल और इसकी सभी सहायक कंपनियों ने ऑनलाइन भाग लिया था। दिनांक 29.10.2021 को भी बीसीसीएल द्वारा एफआरआई देहरादून के माध्यम से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने भाग लिया था। दिनांक 09.03.2022 को राख निपटान के मुद्दों को हल करने के लिए एक विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया गया था और एचसीएफ द्वारा भी दिनांक 30.03.2022 को पर्यावरण अनुपालन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ख) ईको-माइनिंग परिभ्रमण (Eco Mining Tourism): वर्ष 2016-17 से बीसीसीएल अपने खनन क्षेत्रों और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों पर ईको माइनिंग पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य कंपनी और अन्य हित धारकों के बीच खाई को पाटना तथा खनन गतिविधियों को प्रदर्शित कर कंपनी की सकारात्मक छवि बनाना और पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थलों/ ईको पार्क को विकसित करना है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक संस्थानों से लोग इस पारिस्थितिक पुनरुद्धार स्थल तथा ईको-पार्क को यह जानने के लिए देखने आते हैं कि विकृत हो चुकी खनित क्षेत्रों को किस तरह से मनोरम भू-दृश्य में पुनरुद्धारित किया गया है।

(ग)बीसीसीएल का पर्यावरण संबंधी न्यूज-लेटर:

पर्यावरण पर बीसीसीएल की तिमाही न्यूज-लेटर "पर्यावरण दर्पण" का प्रकाशन लोगों में पर्यावरण एवं खनन की विविध संकल्पनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। यह वर्ष 2015 से सर्वोत्तम कार्य अभ्यास तथा पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता फैलाने का मंच प्रदान कर रहा है। जागरूकता फैलाने के लिए इस न्यूजलेटर को बीसीसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(घ)पर्यावरण संबंधी जागरूकता लाने के लिए, आस-पड़ोस के लोगों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को संवेदनशील बनाने तथा कंपनी की छवि पर्यावरण मित्र की बनाने के लिए बीसीसीएल का पर्यावरण विभाग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है तथा सेमिनारों एवं कार्यक्रमों में भाग लेता है। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों, स्कूली बच्चों की सक्रिय सहभागिता में विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव का आयोजन किया गया।

(ङ)सभी पर्यावरणीय मंजूरी, पर्यावरणीय मंजूरी अनुपालनों को जन सूचना के लिए बीसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसे क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तरों पर लगे सूचनापटों पर प्रदर्शित भी किया जाता है। बीसीसीएल की वेबसाइट पर बीसीसीएल प्रबंधन की विभिन्न पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है।

(झ.) आईएसओ प्रमाणन

बीसीसीएल संपूर्ण कंपनी को आईएसओ प्रमाणन कर रहा है। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संशोधित एकीकृत परिचालन मैनुअल, एकीकृत रखरखाव मैनुअल और एकीकृत प्रबंधन प्रणाली मैनुअल अनुमोदित किया गया है जो एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों- आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 का अनुपालन करता है।

मानकों के कार्यान्वयन के लिए, बीसीसीएल के प्रशिक्षित आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ सीएमपीडीआई अधिकारियों द्वारा एचआरडी, कतरास क्षेत्र और सिजुआ क्षेत्र की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

(ञ.) प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

क. वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. परिवहन वाले रास्तों (हॉल रोड) पर उड़ने वाली धूल को कम करने के उद्देश्य से इसपर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने के लिए मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, धूल को प्रभावकारी तरीके से कम करने के लिए फुहारे लगे 16 वाटर स्प्रिंकलर, 05 ट्रक माउंटेड फॉग कैनन तथा 04 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन लगाए गए हैं।

ii. पर्यावरण संरक्षण के लिए कोयले के परिवहन के दौरान उड़ने वाली धूल को कम से कम करने के लिए ट्रकों में लदे कोयले के उपर पानी का छिड़काव करने के उद्देश्य से ओवरहेड स्प्रिंकलर की स्थापना की गई है, जो एक अनूठी पहल है। ये स्प्रिंकलर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद रेलवे साइडिंग्स के प्रवेश एवं निकास द्वार पर स्थापित किए गए हैं। इस स्थान पर ओवरहेड स्प्रिंकलर की स्थापना का उद्देश्य परिवहन के दौरान ट्रकों से उड़ने वाली कोयले की धूल को कम एवं नियंत्रित करके साइडिंग एवं सीएचपी तक गीले कोयले का परिवहन करना है। इसके अलावा, जब कोई ट्रक आग लगे हुए कोयले को लेकर इन पानी के फव्वारे के नीचे से गुजरता है तो कोयले में लगी आग पूरी तरह से बुझ जाती है, जिससे कोयले की धूल (कोल डस्ट) हवा में नहीं उड़ती है और इससे अंततः वायु प्रदूषण कम हो जाता है। वर्तमान में, बीसीसीएल में अपनाई गई यह प्रणाली धूल एवं आग के रोकथाम हेतु एक बेहद ही कारगर एवं प्रभावकारी प्रणाली में से एक है।

iii. सीएचपी से बाहर उड़ने वाले कोयले के धूल (कोल डस्ट) की रोकथाम के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी) की घेराबंदी की जा रही है।

iv. डस्ट इक्स्ट्रैक्टर युक्त ड्रिल/गीला ड्रिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।

v. धूल उत्सर्जन के रोकथाम के लिए निष्क्रिय ओवर बर्डेन (ओबी) पर घास उगाया जाता है।

vi. वायु-गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जा रही है और कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

ख. जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. बीसीसीएल की विभिन्न खानों के कार्मशालाओं से निकलने वाले तेल एवं ग्रीस के रोकथाम से जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा रहा है।

ii. बहते हुए तेल एवं ग्रीस के अवशेष से तेल को इकट्ठा करने के लिए अवशेष को ड्रमों में एकत्र किया जाता है और उसे एक उंची एवं पक्की जगह पर रखा जाता है और उसके बाद इसके तलछट वाले तेल को जमा किया जाता है। वाहनों एवं एचइएमएम के रखरखाव के दौरान उपयोग किए गए तेल एकत्र किए जाते हैं और इसे लीक प्रूफ ड्रम में ढक्कन बंद करके रखा जाता है। उपयोग किए गए तेल, जो हानिकारक अपशिष्ट (श्रेणी 5.1) की श्रेणी में आता है, के भंडारण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग विधिवत रूप से प्राधिकार-पत्र लिया जाता है। इस्तेमाल किये गए इस तेल को ई-नीलामी के माध्यम से अधिकृत रिसायकलरों को नीलाम किया जाता है, ताकि इसका किसी न किसी रूप में पुन: प्रयोग हो सके।

iii. खदान के पानी का धूल दमन, अग्निशामक जैसे औद्योगिक उपयोग के अलावा, इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। पीने के पानी के रूप में उपयोग के लिए खदान के पानी को प्रेशर फिल्टर / रैपिड ग्रेविटी फिल्टर / स्लो सैंड फिल्टर से ट्रीट किया जाता है। खान जल के लाभकारी उपयोग के लिए सीआईएल, सीएसआर विभाग द्वारा राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार बीसीसीएल से खदान के पानी का उपयोग कर योजनाओं को लागू करेगी।

ग. तेलयुक्त खतरनाक ठोस अपशिष्ट का निपटान

यह खतरनाक अपशिष्ट श्रेणी 5.2 के तहत आता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिवत अनुमति लिया जाता है और इन अपशिष्टों को खास तौर पर बनाए गए शेडों में रखा जाता है और राज्य में उपलब्ध अधिकृत सार्वजनिक संग्रह एवं निपटान स्थल के माध्यम से निपटान किया जाता है।

घ. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

उपकरणों से निकलने वाली ध्वनियों को नियमित रखरखाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लास्टिंग का कार्य केवल 14:00 से 15:00 बजे के बीच, यानी पाली परिवर्तन के दौरान किए जाते हैं। कर्मचारियों को जहां भी आवश्यकता होती है वहां ईयर-मफ और ईयर-प्लग दिए जाते हैं।

(ट) कानूनी अनुपालन

1. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन बेंच बनाम भारत संघ एवं अन्य के आलोक में एमओईएफसीसी (MoEFCC) ने OA सं. 01/2018/EZ के तहत दिनांक 28.10.2021 एवं 29.10.2021 को बीसीसीएल के क्लस्टर IX के लिए एक स्थल निरीक्षण / निगरानी की और पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का गैर- अनुपालन/आंशिक अनुपालन की स्थिति को दर्शाते हुए निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। महाप्रबंधक, लोदना क्षेत्र ने आईआरओ, एमओईएफसीसी (MoEFCC) द्वारा किए गए पर्यावरण मंजूरी की अनुपालन निगरानी का कृत कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 31.12.2021 को रांची में प्रस्तुत किया। इसके बाद, दिनांक 10.03.2022 को एमओईएफसीसी (MoEFCC), आईए-डिवीजन द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। महाप्रबंधक, लोदना क्षेत्र ने दिनांक 23.03.2022 को इस कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध एक विस्तृत जवाब आईआरओ, एमओईएफसीसी, रांची में प्रस्तुत किया। इसके अलावा, आईआरओ, एमओईएफसीसी (MoEFCC) ने दिनांक 23.02.2022 एवं 24.02.2022 को महाप्रबंधक, लोदना क्षेत्र द्वारा एटीआर में प्रस्तुत तथ्यों के सत्यापन के लिए निगरानी की। पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन में महत्वपूर्ण सुधार को प्रदर्शित करते हुए दिनांक 18.04.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तदनुसार, एमओईएफसीसी (MoEFCC) के हलफनामे के विरुद्ध दिनांक 04.05.2022 को माननीय एनजीटी के समक्ष एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया गया है।

2. जेएसपीसीबी के आदेश संदर्भ सं. B-180 दिनांक 21/01/2022 के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय अस्पताल धनबाद को जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 (अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रोके गए) का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किया और उसके बाद, सदस्य सचिव, जेएसपीसीबी द्वारा जारी मेमो नं. JSPCB/B-548 दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से सीएमएस, सीएचडी को दिनांक 31.03.2022 को बंदी-आदेश प्राप्त हुआ। बाद में बंदी-आदेश को रद्द कर दिया गया और एमएस, जेएसपीसीबी द्वारा इसे वापस ले लिया गया। सीएमएस, सीएचडी ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के सभी अनुपालन सुनिश्चित किए और तरल अपशिष्ट के उपचार के लिए खरीदे गए 30 केएलडी के अतिरिक्त ईटीपी के साथ 5 केएलडी क्षमता का एक ईटीपी भी स्थापित किया गया है।

3. बीसीसीएल की 47 परियोजनाओं को जारी नोटिस में दिनांक 02.08.2017 के आदेश के संदर्भ में W.P.(C) No.- 114/2014 कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के साथ 2014 के W.P (C) No. 194 प्रफुल्ल सामन्त्र एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (उड़ीसा में लौह और एमएन अयस्क खदानों से संबंधित) के संबंध में पहले अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रोके गए मामले में डीएमओ, धनबाद द्वारा अनुमति दी गई थी। बीसीसीएल ने डीएमओ धनबाद के जवाब के विरुद्ध और पुनरीक्षण आवेदनों के लिए प्रत्युत्तर दाखिल किया। 11 मामलों के लिए पूरक हलफनामा जिसके खिलाफ पहले ही प्रत्युत्तर दायर किया गया था, भी दायर किया गया था। 27 मामलों में डीएमओ, धनबाद ने अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 12.04.2022 को माननीय कोयला न्यायाधिकरण में हुई, उक्त मामले में अंतिम आदेश की प्रतीक्षा है।

(ठ) **विविध:** सभी हितधारकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक सतत विकास प्रकोष्ठ भी गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ खनन एवं खनन के बाद के परिदृश्य में समुदायों के लाभ के लिए नई पहल की पहचान कर रहा है।

(ड) **पुरस्कार एवं सम्मान:** बीसीसीएल को वर्ष 2020-21 में 47वें कोल इंडिया स्थापना दिवस के दौरान कोल इंडिया में पर्यावरण प्रबंधन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल कोल इंडिया में पर्यावरण प्रबंधन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

32. सिविल

मास्टर प्लान के तहत बीसीसीएल खदानों के आस-पास जोखिम वाले क्षेत्र (कोयला धारित क्षेत्र) से गैर-कोयला धारित क्षेत्र में निर्मित आवासों में कर्मचारियों का स्थानांतरण

क्र.सं.	मास्टर प्लान के अंतर्गत निर्मित आवासों का विवरण	निर्माण स्थल	31.03.2010 तक ग्रहण किए गए आवासों की संख्या	टिप्पणी
1	गैर कोयला धारित (एनसीबी) क्षेत्रों में बीसीसीएल के मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों में 344 इकाइयों (96 बी टाइप तथा 248 माइनर्स क्वार्टर्स) का निर्माण (मास्टर प्लान बजट)	भूली 96 बी टाइप	96	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		कोल डंप कालोनी कतरास- 248 माइनर्स क्वार्टर्स	248	शिफ्टिंग पूरा हुआ
2	एनसीबी क्षेत्रों में बीसीसीएल में मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों में 1152 माइनर्स आवासों का निर्माण (मास्टर प्लान बजट)	कतरास- 360 माइनर्स क्वार्टर्स	360	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		कुसुंडा - 600 माइनर्स क्वार्टर्स	600	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		लोदना - 192 माइनर्स क्वार्टर्स	192	शिफ्टिंग पूरा हुआ
3	बीसीसीएल के मौजूदा विभिन्न कॉलोनियों के अंदर तीन साइटों पर मास्टर प्लान के तहत (प्रत्येक 12 इकाइयों के तीन मंजिला ब्लॉक में) 4080 घरों का निर्माण (माइनर्स आवास) (मास्टर प्लान बजट)	कतरास - 240 माइनर्स क्वार्टर्स	240	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		मुरली नगर - 396 माइनर्स क्वार्टर्स	396	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		जग जीवन नगर - 568 माइनर्स क्वार्टर्स	568	शिफ्टिंग पूरा हुआ
		कार्मिक नगर – 1268 माइनर्स क्वार्टर्स	634	शिफ्टिंग प्रगति पर है
		गोविंदपुर - 156 माइनर्स क्वार्टर्स	nil	शिफ्टिंग प्रगति पर है
		कुसुम विहार - 1452 माइनर्स क्वार्टर्स	352	शिफ्टिंग प्रगति पर है, बाकी के 1112 आवास जेआरडीए को सुपुर्द किए जाने है।

4	बीसीसीएल के एनसीबी जमीन पर पूर्वी झरिया क्षेत्र, गोविंदपुर क्षेत्र, लोदना क्षेत्र, चांच विक्टोरिया क्षेत्र तथा बस्ताकोला क्षेत्र के अंतर्गत करमाटांड टाउनशिप पर मास्टर प्लान के अंतर्गत (प्रत्येक 12 इकाइयों के तीन मंजिला ब्लॉक में) 4020 इकाइयों माइनर्स आवासों का निर्माण (मास्टर प्लान बजट)	सीवी क्षेत्र - 420 माइनर्स क्वार्टर्स	222	शिफ्टिंग प्रगति पर है
		लोदना क्षेत्र - 360 माइनर्स क्वार्टर्स	90	जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है।
		गोविंदपुर क्षेत्र - 1428 माइनर्स क्वार्टर्स	71	विद्युत कनेक्शन कार्य प्रगति पर है, 1116 आवास जेआरडीए को सुपुर्द किए जाने हैं।
		कोयला नगर - 1116 माइनर्स क्वार्टर्स	शून्य	जलापूर्ति व्यवस्था तथा विद्युत कनेक्शन कार्य प्रगति पर है, 1116 आवास जेआरडीए को सुपुर्ज किए जाने हैं।
		कुसुंडा क्षेत्र - 480 माइनर्स क्वार्टर्स	6	जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है।
		बस्ताकोला क्षेत्र - 216 माइनर्स क्वार्टर्स	शून्य	जलापूर्ति व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन किया जाना है।
5	2248 इकाई आवासों का निर्माण (एनसीबी क्षेत्र में बीसीसीएल के विभिन्न जगहों में बी, सी तथा डी टाइप आवास) (मास्टर प्लान तथा कैपिटल बजट)	बी टाइप- 1584	89	231 बी, 20 सी एवं 4 डी टाईप आवासों का आबंटित कर दिया गया है।
		सी टाइप- 520	41	
		डी टाइप- 144	शून्य	
6	करमाटांड मौजा में 4008 इकाई माइनर्स आवासों का निर्माण (कैपिटल बजट)	करमाटांड- 4008 माइनर्स आवास	शून्य	कार्य प्रगति पर है (कार्य अंतिम चरण में है), 4008 आवास जे आरडीए को सुपुर्द किए जाने हैं।
	निर्मित कुल आवास	**15713* इकाई**	**4205**	
	*** नोट: बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 02.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक संख्या 380 में 139 आवासों को हटा दिया गया है।**			

बीसीसीएल के गैर-कोयला धरित क्षेत्र में 31 मार्च, 2022 तक आवासों के पूरी तरह से मरम्मत की संपूर्ण स्थिति

कार्य के प्रकार	मरम्मत किये जाने वाले आवास	मरम्मत हेतु दिये गए आवास	अधिकृत आवास	मरम्मत किये गए आवास	मार्च, 21 में मरम्मत किये गए आवास
संपूर्ण मरम्मत	17810	17810	12960	12960	पूर्ण
टारफेल्टिंग	11355	11355	10592	10592	पूर्ण

33. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों के भाग में टिप्पणी -2 के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और टिप्पणी-38 के वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में -

यह पुष्टि की जाती है कि:

क. वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इसमें से किसी भी प्रकार के भौतिक तथ्यों को नहीं हटाया गया है।

ख. इस प्रकार की लेखाकरण नीतियों का चयन किया एवं उनका प्रयोग लगातार कर रहे हैं एवं औचित्य पूर्ण निर्णय लिये गए है तथा प्राक्कलन तैयार किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ-हानि का सत्य एवं सही चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा उनके अनुरक्षण, धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के अभिलेखों का पर्याप्त अन्वीक्षण हेतु समुचित एवं भरपूर ध्यान रखा है।

घ. चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ङ. 31 मार्च, 2022 समाप्त हुए वर्ष के दौरान अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का उल्लेख किया है, इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है, जिनका संचालन प्रभावी तरीके से किया जाता है।

च. लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली की खोज की है, जो पर्याप्त है और जिनका संचालन प्रभावी तरीके से होता है।

34.बीसीसीएल के वार्षिक लेखा का निरीक्षण

कोल इंडिया लिमिटेड के किसी अंशधारक की मांग पर उनके निरीक्षण हेतु बीसीसीएल के कंपनी सचिवालय में वार्षिक लेखा उपलब्ध रहेगा।

35. सत्य निष्ठा समझौता का कार्यान्वयन

बीसीसीएल में सत्यनिष्ठा संधि लागू है। सत्यनिष्ठा संधि को लागू करने के लिए दिनांक 04 मार्च, 2009 को धनबाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया था।

पिछले वर्ष की तुलना में सत्यनिष्ठा संधि में शामिल की गई निविदाओं (वस्तुओं, सेवाओं और अनुबंधों सहित) का प्रतिशत निम्नानुसार है।

वर्ष	निविदा का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आई.पी.के तहत निविदाओं का कुल मूल्य (₹ लाख में)	आई.पी. बनाम निविदाओं का कुल मूल्य को शामिल करते हुए निविदाओं का प्रतिशत
2021-22	538794.62	509646.32	94.59%
2020-21	830907.76	808232.96	97.27%

वर्ष 2021-22 के दौरान 16.11.2021 को आईईएम के साथ एक बैठक (वीसी के माध्यम से) आयोजित की गई।

36. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा कंपनी (लागत लेखाकरण अभिलेख) नियम, 2013 के नियम 2 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल कास्ट ऑडिटर द्वारा दिनांक 15.09.2021 को लागत लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट को दिनांक 08.10.2021 को एक्सबीआरएल मोड में एम सी ए सहित दाखिल किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड्स कंपनी द्वारा बनाए और अनुरक्षित किए जाते हैं।

आभार

कंपनी की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत सरकार खासकर कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा दिए गए अपरिमित सहयोग तथा बहुमूल्य दिशा-निर्देश के लिए आपके निदेशकगण धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण राज्य सरकार तथा इसके जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को उनके सहयोग तथा कंपनी के बहुमूल्य सहायता के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। निदेशकगण सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मिले रचनात्मक परामर्श के लिए भी उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं तथा उनके सतत सहयोग के लिए ऋणी है। वर्ष के दौरान कंपनी में उत्पादन तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी पूर्ण आस्था के साथ सहयोग देने वाले कर्मचारियों एवं ट्रेड यूनियनों को भी धन्यवाद दिया जाता है।

परिशिष्ट

इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित संलग्न है : -

I. सी एस आर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।
II. अनुसंधान एवं विकास।
III. कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट
IV. प्रबंधन का विश्लेषण एवं वार्ता रिपोर्ट।
V. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक।
VI. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां तथा भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग द्वारा लेखा की समीक्षा।
VII. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

कंपनी की वार्षिक विवरणी का संक्षिप्त संस्करण निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है: www.bcclweb.in

कृते, निदेशक मंडल की ओर से
ह/-
(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान - धनबाद

परिशिष्ट-I

1. बीसीसीएल में सीएसआर की संक्षिप्त रूपरेखा

बीसीसीएल अपनी कोयला खनन गतिविधियों का पूरा करते हुए अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से अपने कोयला खनन क्षेत्रों में तथा इसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

सीआईएल ने 08.04.2021 से अपनी सीएसआर नीति में संशोधन किया है। दिनांक 17.06.2021 को आयोजित 379 वीं बैठक में बीसीसीएल बोर्ड ने सीएसआर नीति पर विचार-विमर्श कर उसे अपनाया। सीआईएल, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं के साथ-साथ समय-समय पर जारी डीपीई दिशानिदेशानुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की विशेषताओं को शामिल करने के बाद तैयार की गई सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित करते समय नीति के निम्न क्षेत्रों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है:

i) भूख, गरीबी और कुपोषण उन्मूलन; रोग निवारण और स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना ।

ii) विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और आजीविका वृद्धि परियोजनाएं

iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना; वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के प्रति होने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए उपाय करना।

iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखने सहित गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 'स्वच्छ गंगा फंड' में योगदान देना।

v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा सहित ऐतिहासिक महत्व वाले इमारतों, एवं स्थलों की देख-रेख करना और कला-कार्यों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के प्रचार और विकास करना।

vi) सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।

vii) ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक्स खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।

viii) सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) याकेंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य कोषों में योगदान देना।

ix) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के इनक्यूबेटरों और प्रधानमंत्री स्थिति नागरिक सहायता और राहत कोष (पी एम के एस फंड) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के तत्वावधान में स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा स्वायत्त निकायों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएइ), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में लगे संस्थानों को योगदान या धन उपलब्ध कराना।

x) ग्रामीण विकास परियोजनाओं में योगदान देना।

xi) मलिन बस्ती (स्लम क्षेत्र) का विकास करना।

xii) राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन।

बीसीसीएल अपनी विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सामाज को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहने वाला एक जिम्मेदार कारपोरेट है । पिछले साल से, बीसीसीएल ने शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य से संबंधित अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज को लाभान्वित करने का प्रयास किया है तथा दुनिया में कोविड-19 के संक्रमण के बाद से एक प्रमुख गतिविधियों में से एक समाज के लिए इस खतरे का मुकाबला करना था।

बीसीसीएल अपने संचालन क्षेत्र अर्थात धनबाद जिले के साथ-साथ पूरे झारखंड राज्य में एक प्रमुख सामाजिक विकास संचालक रहा है। निम्नलिखित ग्राफ वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक धनबाद तथा झारखंड में सीएसआर व्यय की वृद्धि को दर्शाता है:-

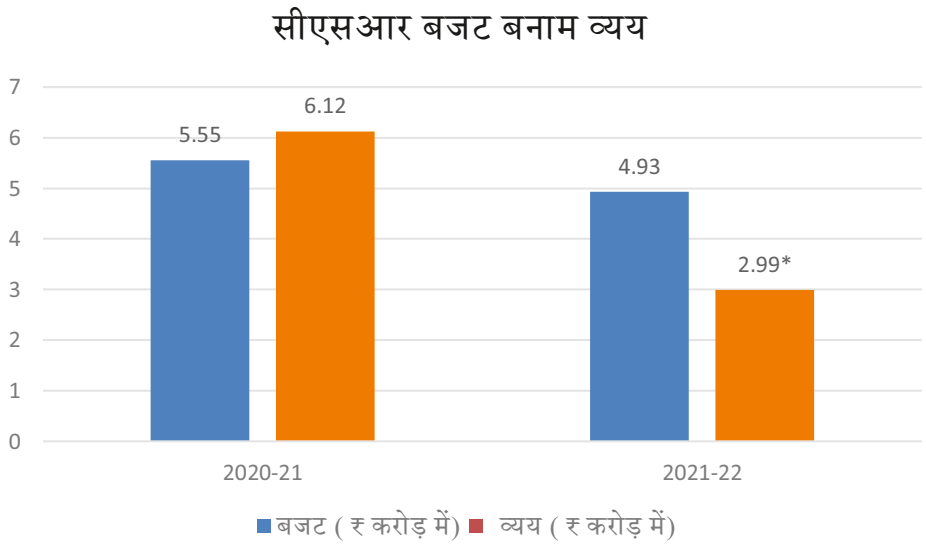

चित्र 1- वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2021-22 में सीएसआर बजट बनाम व्यय

शेष राशि (4.93 करोड़ रूपये- 2.99 करोड़ रूपये = 1.94 करोड़ रूपये चालू परियोजनाओं के लिए है)
उपरोक्त आंकड़े में दर्शाया गया बजट सीआईएल की सीएसआर नीति के अनुसार है जिसे बीसीसीएल द्वारा अपनाया और अनुसरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियां इस प्रकार हैं :-

क. **सीआईपीईटी में युवाओं का प्रशिक्षण:-** बीसीसीएल ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें केंद्रीय प्लास्टिक इंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), रांची के माध्यम से युवाओं को विभिन्न प्लास्टिक इंजिनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। सिपेट, रांची में कुल 40 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

ख. **धनबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास:-** धनबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के लिए बीसीसीएल और जिला प्रशासन, धनबाद के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आंगनबाड़ी परियोजना के लिए बीसीसीएल ने 263.5 लाख रूपये की राशि का बजट रखा है। इसके लिए 75 लाख रू. जिला प्रशासन के पास जमा करा दिए गए हैं। शेष राशि ''भारत कोकिंग कोल लिमिटेड'' के अव्ययित सीएसआर खाते में रख दिया गया है तथा कंपनी नियम और अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा।

ग. **आजादी का अमृत महोत्सव:-** केंद्र सरकार ने "आजादी का अमृत महोत्सव" शुरू किया है जो भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 2022 तक का काउंटडाउन है । यह 12 मार्च, 2021 को शुरू हुआ तथा 15 अगस्त, 2023 तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव के पीछे की सोच भारत @ 2047 के लिए एक विजन तैयार करना है। महोत्सव प्रत्येक सप्ताह तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रदर्शन के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को उजागर कर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदानों और उनके अनजाने स्थानों को भी प्रदर्शित किया जाता है । आज की तारीख में बीसीसीएल ने 63 सप्ताह तक कार्यक्रम कर लिये हैं।

घ. **कंबल का वितरण:-** शीतलहर को ध्यान में रखते हुए 1086 कंबलों की खरीद कर समाज के जरूरतमंद वर्ग में वितरण किया गया।

2. सीएसआर समिति का गठन

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान संपन्न सीएसआर समिति बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या
1	श्री नरेंद्र सिंह (20/10/2020 से) (05.01.2021 तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में, अध्यक्ष 06.01.2021 से)	अध्यक्ष / स्वतंत्र निदेशक	5	5
2	श्री जयप्रकाश गुप्ता (01/10/2021 से 05/02/2022 तक)	सदस्य / निदेशक (तकनीकी) यो. एवं परि.	5	3
3	श्री समीरन दत्ता (27/02/2022 तक)	सदस्य / निदेशक (वित्त)	5	3
4	श्री चंचल गोस्वामी (28/02/2022 तक)	सदस्य / निदेशक (तक.) परिचालन	5	4
5	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव (08/06/2020 से)	सदस्य / निदेशक (कार्मिक)	5	5
6	श्री संजय कुमार सिंह (28/02/2022 से)	सदस्य / निदेशक (कार्मिक) यो. एवं परि. और संचालन	5	2
7	श्रीमती शशि सिंह (01/11/2021 से)	सदस्य / स्वतंत्र निदेशक	5	2

3. वेबलिंक - जहां सीएसआर समिति के गठन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति तथा सीएसआर परियोजनाओं (वार्षिक कार्य योजना) की जानकारी कंपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है-
Web-link - https://www.bcclweb.in/?page_id=13446

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुपालन में संपन्न सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो। - लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :
अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ₹ - 9.63 करोड है।

शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)		
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि
1	2020-21	(1577.06)
2	2019-20	991.12
3	2018-19	557.05
4	कुल	(28.29)
5	औसत	(9.63)
6	औसत का 2%	(0.19)

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत :

अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार बीसीसीएल के औसत शुद्ध लाभ का 2% ₹ (0.19) करोड़ होगा।

बीसीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है तथा सीएसआर के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की नीति का अनुपालन करती है। इसकी सीएसआर नीति के तहत बीसीसीएल नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सीएसआर फंड का आवंटन करेगा-:-

सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के लिए, सीएसआर के लिए निधि का आवंटन निम्नलिखित दो राशियों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाएगा:

i. कंपनी अधिनियम के अनुसार, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%; अथवा

ii. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन ₹ 2.00 प्रति टन।

अपनी सीएसआर नीति का पालन करते हुए, बीसीसीएल ने ऊपर दिए गए बिंदु (ii) के आधार पर सीएसआर निधियों का आवंटन निम्नानुसार किया:

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोयला उत्पादन ---------- 2,46,55,800 टन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 2.00 प्रति टन कोयला उत्पादन ---------- ₹ 4.93 करोड़ (निकटतम पूर्णांक)

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बीसीसीएल के कोयला उत्पादन के अनुसार सीएसआर बजट ---- ₹ 4.93 करोड़।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से बाकी अधिशेष - शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित (सेट-ऑफ) की जाने वाली राशि, यादि कोई हो - शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग) -₹ 4.93 करोड़। (सीएसआर नीति के अनुसार)

8. (क) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर राशि

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित (खर्च न की गयी) राशि (₹ करोड़ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरण की गई कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे उपबंध के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरण की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
2.99	1.94	28.04.2022	NA	NA	NA

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के समक्ष खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण –

क्र. सं.		1	2
परियोजना का नाम		धनबाद जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों का विकास	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) के माध्यम से विभिन्न प्लास्टिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में युवाओं का प्रशिक्षण
अधिनियम की अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से		अनुसूची VII की मद संख्या (ii)	अनुसूची VII की मद संख्या (ii)
स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)		हाँ	हां
राज्य	**परियोजना का स्थान**	झारखंड	झारखंड
जिला		धनबाद	राँची
परियोजना अवधि		03 वर्ष	02 वर्ष
परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ करोड़ में)		2.635	0.28
चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)		0.75	0.22
धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ करोड़ में)		1.88	0.06
कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)		हाँ	हाँ
नाम	**कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**	लागू नहीं	लागू नहीं
सीएसआर पंजीकरण संख्या		लागू नहीं	लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण - अनुबंध "क" में विस्तार से - ₹ 2.99 करोड़।

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि - शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो - लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) - ₹ 2.99 करोड़ ।

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत *	0 (नकारात्मक होना)
(ii)	सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर दायित्व	4.93
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	2.99
(iv)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि	शून्य
(v)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों, यदि कोई हो	शून्य
(vi)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	शून्य

नोट*: जैसा कि ऊपर उप-खंड (7) के खंड (क) में बताया गया है, बीसीसीएल के सीएसआर बजट के आंकड़े सीआईएल की सीएसआर नीति के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए निकाले गए हैं।

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	आलोच्य वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (₹ करोड़ में) (*)
				निधि का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख	
1	2020-21	लागू नहीं	6.12	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	2019-20	लागू नहीं	6.01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	2018-19	लागू नहीं	1.43	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल		लागू नहीं	NA	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(***) वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में, पहले के 03 वर्षों का औसत नकारात्मक कर पूर्व लाभ (पीबीटी) होने के कारण, कंपनी अधिनियम सीएसआर खर्च के लिए कोई दायित्व नहीं था।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण – लागू नहीं

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	पूंजीगत संपत्ति (यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि (वित्त वर्ष 2021-22 तक) (₹ में)	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	सृजित या अर्जित पूंजीगत संपत्ति(यों) का (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) विवरण प्रस्तुत करें।
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है - लागू नहीं

ह./-
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

ह./-
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

ह./-
अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां लागू हो)

परिशिष्ट - क

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (लाख ₹ में)	क्रियान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	धनबाद में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए उपायुक्त, धनबाद को वित्तीय सहायता	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	100.00	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	कोविड-19 रोगियों को होम आइसोलेशन किट वितरित करने के लिए झारखंड राज्य आपदा शमनकोष को वित्तीय सहायता	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	25.00	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	कोविड-19 से जुझ रहे लोगों के बीच वितरण हेतु मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर की खरीद	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	0.72	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

4	कोविड वार्ड, सीएचडी, धनबाद में डॉक्टरों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रशासन विभाग के माध्यम से भोजन तथा डॉक्टर्स के अस्थायी अनुबंध इत्यादि पर अन्य विविध कोविड-19 व्यय	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	36.45	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	कोविड-19 अस्पताल, सीएचडी में नियुक्त चिकित्सकों तथा पारा मेडिकल स्टाफ के रहने व खाने के लिए नये बिल जमा करने पर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	22.62	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	कोविड-19 के उपचार में लगे डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ के लिए अस्थायी क्वारंटाइन केंद्रों की सफाई व स्वच्छता	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	1.80	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7	सीआईपीईटी (सिपेट) के माध्यम युवाओं को विभिन्न प्लास्टिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	22.40	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	धनबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	75.00	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

9	स्वच्छ विद्यालय अभियान सर्वेक्षण व्यय	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	दोनो	झारखंड	धनबाद, बोकारों, दुमका, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, प. सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, सरायकेला, सिमडेगा, रांची, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़	6.97	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10	जाड़े के मौसम मं कंबल का वितरण	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	3.58	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	पी बी क्षेत्र द्वारा एससी/एसटी परियोजना प्रभावित लोगों के लिए ‘‘ माइनिंग सरदार का प्रशिक्षण’’ परियोजना हेतु नये बिल प्रस्तुत करना	विशेष रूप से बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों तथा विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने तथा उनके आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष शिक्षा को बढ़ावा देना	हां	झारखंड	धनबाद	3.26	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	बस्ताकोला क्षेत्र द्वारा ‘‘कोविड क्वारंटाइन केंद्र के संचालन’’ के लिए नये बिल जमा करना	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	3.80	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13	केंद्रीय अस्पताल में सार्वजनिक शौचालयों और अस्पताल जाने वाली सड़क का उन्नयन	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	3.15	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

14	''अंबेडकर अकादमी, धनबाद में व्यायामशाला (जिम)'' के लिए अंतिम बिल जमा	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	2.35	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15	एकेएएम आइकोनिक वीक के तहत रक्तदान शिविर के दौरान रक्त दाताओं के बीच वितरण के लिए प्रिंटेड की चेन की खरीद	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	0.05	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16	क्षेत्रों के माध्यम से सीएसआर के अंतर्गत चिकित्सा शिविरों के लिए वित्तीय देयता का प्रत्यावर्तन (वर्ष 2019-20)	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	हां	झारखंड	धनबाद	(8.53)	हां	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
					Total	**298.62**			

परिशिष्ट - II

वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसंधान और विकास (आरएंडडी)

सीआईएल द्वारा वित्तपोषित बीसीसीएल के कमांड क्षेत्र में एस एंड टी/आर एंड डी परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना चालू होने की तिथि	परियोजना पूरा होने की तिथि	कुल अनुमोदित लागत (लाख रू.)	स्थिति
क.	**अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजना**				
1	शुष्क और रासायनिक बेनिफेसीकरण के माध्यम से निम्न श्रेणी के भारतीय कोयले का उन्नयन परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी /02/09/2021 कार्यान्वयन एजेंसी : आईआईटी खडगपुर और सीएमपीडीआईएल	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2024	₹ 144.30 आई आई टी खडगपुर - ₹ 121.89 सी एम पी डी आई एल – ₹ 22.41	आर एंड डी परियोजना का उद्देश्य कोयले के स्थूलतर आकार के लिए शुष्क सज्जीकरण प्रौद्योगिकी (एयर डेंस मीडियम फ्ल्युडाइज्ड बेड सेपरेटर) विकसित करना है, इसमें स्वच्छ कोयले की अधिकतम प्राप्ति और अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिए बारीक कणों को फ्रोथ फ्लोटेशन के साथ उपचारित किया जाएगा । बीसीसीएल में समर्थित: 30.10.2020 सीआइएल से अनुमोदित 24.09.2021 -संस्थान में लिटरेचर समीक्षा की गई -रिएक्टर स्थापना का डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाधीन है।
2	कार्बन मूल्यों के प्रतिलाभ के लिए कोकिंग कोल वाशरी के मिडलिंग और बारीक कण (फाइन्स) का प्रभावी उपयोग परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी /02/11/2021 कार्यान्वयन एजेंसी : एनएमएल, जमशेदपुर और सीएमपीडीआईएल	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2023	₹ 144.02 एनएमएल जमशेदपुर - ₹ 126.52 सी एम पी डी आइ एल- ₹ 14.50	आर एंड डी परियोजना का उद्देश्य है:- i. कोकिंग कोल वाशरियों के मिडलिंग से लगभग 18% राख पर धुले कोयले की प्राप्ति की संभावना का पता लगाना ii. कार्बन रिकवरी को बढ़ाने के लिए 18% राख वाले उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रोसेस फ्लोशीट विकसित करना iii. धुले उत्पाद के सतह की नमी को कम करना बीसीसीएल समर्थित: 18.02.2021 सीआइएल से अनुमोदित 24.09.2021 -परियोजना के पहले चरण के लिए पाथरडीह वाशरी, बीसीसीएल से प्रत्येक टन मिडलिंग और फाइन्स के नमूने एकत्र किए जाते हैं। -दूसरे चरण के लिए, दहीबाड़ी वाशरी (1.6 एमपीटीए) से नमूने एकत्र किए जाएंगे।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना चालू होने की तिथि	परियोजना पूरा होने की तिथि	कुल अनुमोदित लागत (लाख रू.)	स्थिति
3	माडलिंग और सिम्युलेशन विश्लेषण के माध्यम से सीआइएल के अंतर्गत कोकिंग कोल वाशरी के प्रदर्शन में सुधार पर अध्ययन परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी /02/10/2021 कार्यान्वयन एजेंसी : एनएमएल, जमशेदपुर और सीएमपीडीआईएल	01 अक्टूबर, 2021	30 सितंबर, 2023	264.04 रू. एन एम एल जमशेदपुर 169.54 रू. सी एम पी डी आइ एल 94.50 रू	परियोजना का उद्देश्य कोयला धुलाई, सिम्युलेशन विश्लेषण करने और कोल वाशिंग संयंत्र की दक्षता में सुधार के लिए इष्टतम मानदंडों का अनुमान लगाने में इकाई संचालन (क्रशिंग, क्लासीफिकेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन) के लिए स्टेडी स्टेट प्लांट स्केल मॉडल विकसित करना है। बीसीसीएल समर्थित: 18.02.2021 सीआइएल से अनुमोदित 24.09.2021 -परियोजना के लिए मुनीडीह वाशरी को चुना गया है।
4	जैव-स्कंदक का उपयोग करके कोल वाशरी उत्प्रवाह से महीन कणों को पृथक कर प्राप्त करना	15 मार्च, 2022	14 मार्च, 2024	₹ 54.87 आइ आइ टी आइ एस एम – ₹ 54.87 बीसीसीएल- शून्य	इस परियोजना का उद्देश्य -भारतीय कोयला में राख की अत्यधिक (35-40%) अशुद्धियां होती है, जिसके सज्जीकरण/वाशिंग से वाशरी उत्प्रवाह निकलता है। इसमें अन्य अशुद्धियों के साथ ही कोयले के बारीक कणों की उच्च सांद्रता होती है। निक्षेपण के पश्चात उत्प्रवाह को ताजे पानी के साथ कोयला धुलने के लिए पुन: प्रवाहित किया जाता है। यदि कोयला चूर्ण पुन: प्राप्त हो जाता है तो यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि सफाई क्षमता में भी सुधार होगा और अतिरिक्त ताजे पानी का प्रयोग कम होगा। बीसीसीएल समर्थित: 26.06.2021 सीआइएल से अनुमोदित 06.09.2021 -सीआइएल द्वारा अभी तक फंड आबंटित नहीं किया गया है।
ख.	**एस एंड टी परियोजना**				
1	भू-भौतिकीय तकनीक का उपयोग करते हुए भूमिगत कोयला खदानों में अगम्य पुराने कार्यस्थलों में माइनिंग इंडयुस्ड सब- सरफेस कैविटि और जलभराव वाले क्षेत्रों में खतरे का अध्ययन प्रोजेक्ट कोड- एमटी- 173 कार्यान्वयन एजेंसी- आइआइटी आइएसएम, धनबाद	15 मार्च, 2021	14 मार्च, 2023	₹ 199.96 आइआइटी आइएसएम- ₹ 199.96 ईसीएल- शून्य	इसका उद्देश्य भू-भौतिकीय तकनीक जैसे भूकंपीय टोमोग्राफी, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और क्रॉसहोल टोमोग्राफी का उपयोग कर भूमिगत कोयला खदानों में अगम्य पुराने कार्यस्थलों में माइनिंग इंडयुस्ड सब- सरफेस कैविटि और जलभराव वाले क्षेत्रों में खतरे का अध्ययन करना है। सीआइएल से अनुमोदित 10.03.2021 बीसीसीएल समर्थित: 17.02.2022 -ईसीएल में लगभग 25 मी. की गहराई के लिए काम किया गया था। * बीसीसीएल में लगभग 50 मी. की गहराई के लिए कार्य किया जाना है। * कार्य के लिए बीसीसीएल में संभावित स्थल का चयन।

आर एंड डी परियोजना जहां बीसीसीएल के लिए समर्थन पत्र प्रदान किया गया है तथा सीआइएल से अनुमोदन की प्रतीक्षा है-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तावक	बीसीसीएल द्वारा समर्थित	अभ्यूक्ति
1	अत्यधिक राख वाले भारतीय कोयले के परिष्करण के लिए एक नोवल एयर डेंस मिडियम फ्लूडाइज्ड बेड सेपरेटर का डिजाइन और विकास	आइआइटी आइएसम	24.03.2021	सीआइएल से अनुमोदन की प्रतीक्षा
2	यूजी खदानों के विभिन्न पर्यावरण मापदंडों की निगरानी के लिए वायरलेस आइआइओटी आधारित गैस डिटेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ- साथ भूमिगत खानों में एकीकृत वीडियो, ध्वनि और डेटा संचार प्रणाली का स्वदेशी विकास	सीएमपीडीआईएल ईजी एम2एम प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर	11.05.2021	सीआइएल से अनुमोदन की प्रतीक्षा
3	झरिया कोलफील्ड में आग बुझाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी	आइआइटी आइएम, फ्लूडिन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	30.09.2021	सीआइएल से अनुमोदन की प्रतीक्षा
4	कोल माइन मिथेन (सीएमएम) के संवेदनशील और चुनिंदा अन्वेषण के लिए मल्टीवाल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स (एमडब्ल्यूसीएनटी) का वृत्रिमूलक एवं इलेक्ट्रोस्टेटिक डिपोजिशन	एमिटी यूनिवर्सिटी	10.02.2022	सीआइएल से अनुमोदन की प्रतीक्षा
5	ओपनकास्ट बेंच फायर का आकलन और उससे निपटने के लिए विस्तृत रोबोटिक तकनीक	सीएसआइआर- सीआइएमएफआर (सिंफर)	17.02.22	सीआइएल से अनुमोदन की प्रतीक्षा

विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधा एवं विकास का अध्ययन करने के लिए बीसीसीएल से ली गई अनुमति-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थान	बीसीसीएल द्वारा समर्थित	अभ्यूक्ति
1	भारतीय भूमिगत कोयला खनिकों के लिए फटीग सस्टेनेबिलिटी की निगरानी और नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर आधारित फटीग सस्टेनेबल वर्कलोड मॉडल के परीक्षण और विकास के लिए क्षमता निर्माण- एक अर्गो एक्सपेरिमंटल दृष्टिकोण	आइ आइ ई एस टी, शिबपुर	10.09.2021	डीएसटी- एस ई आर बी, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित -परियोजना का पहला चरण पूरा हुआ।
2	खनन अनुप्रयोगों के लिए जल से बचाने वाली तथा टिकाउ रोधी सीमेंटेड कार्बाइड कोटिंग्स ।	आइआइटी, कानपुर	27.09.2021	खान मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव रद्द। कारण: एमओएम और एसएनटी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं।
3	कोयला खान डंप के अपशिष्ट चट्टानों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तत्वों का अन्वेषण	सीएसआइआर- सिंफर	30.11.2021	सीएसआईआर द्वारा वित्तपोषित -बीसीसीएल से नमूना एकत्र किया गया है।

4	सतही कोयला खदान में एचईएमएम आपरेटरों के पूरे शरीर में वाइब्रेशन एक्सपोजर- विभिन्न सहयोगी कारकों का आकलन	आइआइटी- सीएचयू	03.12.2021	एसइआरबी, भारत सरकार द्वारा वितपोषित। -प्रथम चरण में बीसीसीएल से 40 नमूनों को एकत्र किया गया।
5	भारत के लक्ष्य किए गए 30 शहरों के भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के लिए एमओएच, भारत सरकार की अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत ''भारत के 8 शहरों का भूकंपीय माइक्रो जोनेशन।''	आइएसआर, एस एंड टी विभाग, गुजरात सरकार तथा मेसर्स जियो डिज़ाइन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	15.12.2021	भू-विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित। -अप्रैल, 2022 तक कार्य शुरू होगा।
6	खनन वातावरण में भूमि सतह की विकृति की गहन निगरानी के लिए एमटी-इनएसएआर अनुप्रयोग में सुधार करने हेतु एक बहुमूखी पिक्सल वर्गीकरण और चयनात्मक दृष्टिकोण का विकास और क्षेत्र परीक्षण	माइनिंग इंजिनियरिंग विभाग, आइआइटी (आइएसएम), धनबाद	10.02.2022	टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (टीआइएच) आइआइटी, आइएसएम, धनबाद के तहत टेक्समिन द्वारा वित्रपोषित । बी सी सी एल के राजापुर, एना, ए के डब्ल्यू एम सी तथा सेंद्रा बांसजोरा ओसीपी में अध्ययन किया जाएगा ।
7	क्लीनिकल आर प्री-क्लीनिक रणनीतियों का उपयोग कर पर्यावरण/व्यावसायिक फेफड़ा स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए माडर्न इनोवेशन सोल्यूशन	सीएसआइआर – सिंफर	15.02.2022	हेल्थ केयर रिसर्च स्कीम, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित
8	कोल डिपाजिट ब्लॉक्ड के 100 मीटर के भीतर और स्थायी संरचनाओं और मालिकों की संपत्ति से अधिकतम 50 मीटर पर खनन के लिए ब्लास्टिंग पद्धतियाँ	सीएसआइआर – सिंफर	17.02.2022	खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित -4 ए,भौंरा (साउथ) पेंच, ई जे क्षेत्र में अध्ययन के लिए साइट का चयन किया गया है।

ओवर बर्डन से रेत निकालने वाले संयंत्र लगाने की स्थिति:

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कोल कंपनियों को ओबी के लाभकारी उपयोग के लिए निदेश दिए हैं। इस संदर्भ में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सभी अनुषंगियों में ओबी से रेत निकालने वाले संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

बीसीसीएल के दामोदा ओसीपी, बरोरा क्षेत्र में ओबी से रेत संयंत्र लगाने के लिए साइट के रूप में चयन किया गया है।

वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

दिनांक 15.06.2021 को महाप्रबंधक (आर एंड डी) की वर्चुअल अध्यक्षता में ईओआइ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में परियोजना समिति के सदस्य तथा 9 संभावित बोलीदाताओं ने भाग लिया।

सीएमपीडीआइएल द्वारा बिल्ड ऑपरेट (बीओ) के आधार पर एक मॉडल एनआइटी तैयार किया गया था, जिसे सीआइएल द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा 01.02.2022 को बीसीसीएल को सूचित किया गया था। मॉडल दस्तावेज को कस्टमाइज किया गया था एवं बीसीसीएल उद्देश्य के लिए अनुमोदित किया गया था।

'बिल्ड-ऑपरेट कॉन्सेप्ट पर दामोदा ओसीपी, बरोरा क्षेत्र, बीसीसीएल में 1.10 एमटीपीए ओबी थ्रोपुट क्षमता वाली रेत/एग्रेगेट सेग्रेगेशन प्लांट की स्थापना' के लिए एनआइटी 24.03.2022 को जारी किया गया था।

बोली जमा करने की बढ़ायी गई तिथि 13.06.2022 है।
बोली खुलने की तिथि 17.06.2022 है।

परिशिष्ट - III

कॉरपोरेट गवर्नेंस 2021-22 पर रिपोर्ट

1. कॉरपोरेट दर्शन

बीसीसीएल विधि, नियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर मूल्य, नैतिक व्यवहार पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण सुनिश्चित करने हेतु कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए वचनबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

बीसीसीएल के संस्थागत अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के खंड 31 (ग) के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या दो से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद 15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है।

3. बोर्ड का गठन

31 मार्च 2022 तक, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, 4 कार्यात्मक निदेशक, 2 गैर-कार्यकारी निदेशक और 1 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

4. बोर्ड की बैठक

वर्ष के दौरान 11 (ग्यारह) बोर्ड की बैठकें क्रमशः 09.04.2021, 26.05.2021, 17.06.2021, 02.08.2021, 07.08.2021, 15.09.2021, 02.11.2021, 30.11.2021, 19.01.2022, 30.01.2022 और 27.02.2022को आयोजित की गईं। वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आमसभा में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	2021-22 के दौरान बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए	गत वार्षिक आमसभा में उपस्थित रहे या नहीं
1	श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष	03	नहीं
2	श्री पी.एम. प्रसाद	अध्यक्ष	08	हाँ
3	श्री आनंदजी प्रसाद	गैर - कार्यकारी निदेशक	03	नहीं
4	श्री भबानी प्रसाद पति	गैर - कार्यकारी निदेशक	07	हाँ
5	श्री बी वीरा रेड्डी	गैर - कार्यकारी निदेशक	0	नहीं
6	श्री बिनय दयाल	गैर - कार्यकारी निदेशक	09	हाँ
7	श्री नरेंद्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ
8	श्रीमती शशि सिंह	स्वतंत्र निदेशक	04	नहीं
9	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	04	नहीं
10	श्री सत्यब्रत पंडा	स्वतंत्र निदेशक	04	नहीं
11	श्री राम कुमार रॉय	स्वतंत्र निदेशक	03	नहीं
12	श्री जे पी गुप्ता	निदेशक	09	नहीं
13	श्री समीरन दत्ता	निदेशक	08	हाँ
14	श्री चंचल गोस्वामी	निदेशक	11	हाँ
15	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	निदेशक	11	हाँ
16	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक	01	नहीं

5. लेखा परीक्षा समिति:

(क)गठन

बीसीसीएल के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन वर्ष 2002 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 175 के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता के अनुसरण में किया गया है। बीसीसीएल की लेखापरीक्षा समिति में पाँच स्वतंत्र निदेशक, दो कार्यात्मक निदेशक, एक कोल इंडिया से नामित निदेशक और एक सरकारी नामित निदेशक शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों में से एक समिति का अध्यक्ष होता है। 31 मार्च 2022 तक, लेखा परीक्षा समिति (बीसीसीएल निदेशक मंडल की एक उप-समिति) में निम्नलिखित सदस्य हैं:

i)	श्री नरेंद्र सिंह	:	अध्यक्ष
ii)	श्री आनंदजी प्रसाद	:	सदस्य
iii)	श्री बी वीरा रेड्डी	:	सदस्य
iv)	श्रीमती शशि सिंह	:	सदस्य
v)	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	:	सदस्य
vi)	श्री सत्यब्रत पांडा	:	सदस्य
vii)	श्री राम कुमार राय	:	सदस्य
viii)	श्री संजय कुमार सिंह	:	सदस्य

समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठक में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षक आमंत्रित किए जाते हैं। जब समिति को कोई जरूरी जानकारी देनी होती है तो आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता हैं।

(ख) लेखा परीक्षा समिति का कार्य क्षेत्र:

i) कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;
ii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी;
iii) वित्तीय विवरण की जांच और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट;
iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;
v) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;
vi) कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो;
vii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना;

(ग.) लेखा परीक्षा समिति की बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 09.04.2021, 26.05.2021, 17.06.2021, 02.08.2021, 15.09.2021, 02.11.2021, 30.11.2021, 19.01.2022 और 30.01.2022 को लेखा परीक्षा समिति की नौ बैठकें आयोजित की गईं। लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री नरेंद्र सिंह	अध्यक्ष	09
2	श्री आनंदजी प्रसाद	सदस्य	02
3	श्री भबानी प्रसाद पति	सदस्य	06
4	श्री बिनय दयाल	सदस्य	06
5	श्रीमती शशि सिंह	सदस्य	02
6	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	सदस्य	02
7	श्री सत्यब्रत पांडा	सदस्य	02
8	श्री राम कुमार रॉय	सदस्य	01
9	श्री जे पी गुप्ता	सदस्य	08
10	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य	09

6.स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गयी।

7.व्हीसिल ब्लॉअर नीति :

बीसीसीएल के निदेशक मंडल ने 24.05.2014 को आयोजित अपनी 307वीं बोर्ड बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया।

8.जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 26.02.2022 को जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक बैठक आयोजित की गई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री नरेंद्र सिंह	अध्यक्ष	01
2	श्री सत्यब्रत पांडा	सदस्य	01
3	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य	01
4	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	सदस्य	01
5	श्री संजय कुमार सिंह	सदस्य	01

9. अधिकार प्राप्त उप-समिति:

(क) ईएससी (टी) की बैठक एवं उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 02.08.2021 को ईएससी (टी) की एक बैठक आयोजित की गई। ईएससी (टी) की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ईएससी (टी) की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री भबानी प्रसाद पति	अध्यक्ष	01
2	श्री नरेंद्र सिंह	सदस्य	01
3	श्री जे पी गुप्ता	सदस्य	00
4	श्री समीरन दत्ता	सदस्य	01
5	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य	01

(ख) स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक और उपस्थिति।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 19.01.2022 को स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक आयोजित की गयी। स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक और भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	2021-22 के दौरान आईडी सहित निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष	01
2	श्री बिनय दयाल	सदस्य	01
3	श्री नरेंद्र सिंह	सदस्य	01
4	श्री जे पी गुप्ता	सदस्य	01
5	श्री चंचल गोस्वामी	सदस्य	01

10. आम सभा की बैठक :

गत 3 वार्षिक आम सभा की बैठकों की तिथि, समय एवं स्थान निम्नलिखित हैं:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2020-21	04.08.2021	10:00 बजे पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
2019-20	07.08.2020	10:00 बजे पूर्वाह्न	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद
2018-19	08.07.2019	12:00 बजे दोपहर	कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद

11. बीसीसीएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न :

बीसीसीएल के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड और उसके नामांकित के पास हैं।

12. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत नियम (8)(5)(iiiक) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के संबंध में विवरण:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के तहत उप-नियम 5 के संदर्भ में, बोर्ड की राय है कि वर्ष 2019-20 के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक श्री नरेंद्र सिंह के पास कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता, सत्यनिष्ठा और अनुभव है। इसके अलावा, श्री नरेंद्र सिंह, स्वतंत्र निदेशक ने स्वयं को IICA के साथ पंजीकृत करा लिया है और 2020-21 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उप-धारा (1) के तहत IICA द्वारा आयोजित ऑनलाइन दक्षता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई:

1. श्रीमती शशि सिंह, स्वतंत्र निदेशक;
2. श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक;
3. श्री सत्यब्रत पांडा, स्वतंत्र निदेशक; तथा
4. श्री राम कुमार राय, स्वतंत्र निदेशक

उपरोक्त नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने खुद को आईआईसीए के साथ पंजीकृत कर लिया है, लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 की उप-धारा (1) के तहत आईआईसीए द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा में उपस्थित होना / उत्तीर्ण होना बाकी है। हालांकि, श्री आलोक कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक, को ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है क्योंकि वह एक पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 579 (ई) दिनांक 19.08.2021 द्वारा जारी कंपनी नियम 6(4) (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता नियम) के दूसरे प्रावधान के अनुसार जिसे 10 वर्षों से अधिक का पेशेवर अनुभव है, उसे ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा से छूट दी गई है ।

परिशिष्ट - IV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

I. औद्योगिक संरचना एवं विकास

बीसीसीएल, सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में से एक, कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल- एक मिनीरत्न पीएसयू) कोकिंग कोयले का एक प्रमुख उत्पादक है जो कि कोयले खनन और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है और भारत के सबसे पुराने कोयला क्षेत्रों में से एक है। इसकी खदानें झारखंड स्थित झरिया कोलफील्ड में 273 वर्ग किलोमीटर और रानीगंज कोलफील्ड, झारखंड (19 वर्ग किलोमीटर) तथा पश्चिम बंगाल (13 वर्ग किलोमीटर) 32 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। इसके प्रमुख उत्पाद रन ऑफ माइन (ROM) कोयला, धुला हुआ कोयला और धुला हुआ विद्युत कोयला (WPC) और अन्य वाशरी उप उत्पाद हैं। कोकिंग कोल एवं गैर कोकिंग कोल के राष्ट्रीयकरण के समय परंपरागत रूप से निजी मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक विधि से चलायी जा रही छोटी-छोटी असंगठित कोयला खदानें इस कंपनी को विरासत के तौर पर मिली। इनका संचालन ऊपरी सतह तक ही सीमित था, जिसके कारण इसके भूमिगत पुराने कार्यस्थल में आग लगने तथा पानी भर जाने की समस्या आम थी। इस कोयला क्षेत्र में आबादी का घनत्व काफी अधिक है और यहां टाउनशिप, महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क, राष्ट्रीय-राजमार्गों और राज्य- राजमार्गों सहित सड़कों की भी बहुलता है। इस कारण से यहां कोयले का उत्खनन करना, खनन इंजीनियरों के लिए बेहद जटिल एवं चुनौती पूर्ण है। किंतु खनन क्षेत्र में इस कंपनी का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। बीसीसीएल अपने कुल कोयला उत्पादन का लगभग 85%, कोकिंग कोल के रूप में करता है। बीसीसीएल में मुख्य रूप से दो प्रकार के कोकिंग कोल का उत्पादन होता है- प्राइम कोकिंग कोल (PCC) और मध्यम कोकिंग कोल (MCC), जिसमें कम वाष्पशील पदार्थ मौजूद होता है। कुल कोकिंग कोल के उत्पादन में प्राइम कोकिंग कोल (PCC) की मात्रा 10% और मध्यम कोकिंग कोल (MCC) की मात्रा 90% होती है।

II. ताकत और कमजोरी

ताकत (एस)	कमजोरी (डब्ल्यू)
• उच्च मूल्य वाले कोकिंग कोल/गैर कोकिंग कोल के विशाल भंडार (19.4 बीटी) की उपस्थिति। • ऊपर स्तर में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कोयले और नीचे स्तर में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की उपस्थिति के साथ निर्बाध खनन हेतु प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए गुड स्ट्राइक लेंथ। • खनन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में सुनिश्चित मांग केंद्र जो यह सुनिश्चित करे कि कोई कनेक्टिविटी समस्या न हो। • आयात समता मूल्य से बहुत ही कम मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराने की क्षमता • सुरक्षित बाजार वाले प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र स्रोत। • 40 मि.मी. के दायरे में कोयला संसाधनों का केंद्रीकरण। • कुशल और प्रशिक्षित श्रमशक्ति। • ऊपरी खंड विकसित। एक बार भूमि उपलब्ध हो जाने पर उत्कृष्ट श्रेणी के कोयले का आसानी से खनन किया जा सकता है। • सीएमएम और सीबीएम उत्पादन के लिए संभावित क्षेत्र/भंडार।	• चालू परिसंपत्तियां / एचईएमएम काफी पुरानी और कार्य-प्रदर्शन के अनुरूप नहीं है। भूमिगत खदानों में मशीनीकरण की सीमित संभावना। • वृहद पैमाने पर संचालन के मुकाबले पैच आधारित खनन। हालांकि अनुबंध भी किराये के पैच में दिए जाते हैं, परंतु आर एंड आर मुद्दे तथा झरिया एक्शन प्लान के गैर-क्रियान्वयन की वजह से कम उपयोग किए जाते हैं। • वाशरी फीड में बड़े पैमाने पर बोल्डर की उपस्थिति से अनवरत ग्रेड स्लिपेज और क्रशिंग मुद्दे। • घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण आमतौर पर अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे खनन कार्य प्रभावित होता है। • ओबी डंपिंग हायर लीड डिस्टेंस, जिसकी वजह से ओपनकास्ट परिचान लागत में वृद्धि। • आग और जलजमाव से प्रभावित मल्टी सीम यूजी: इसके अलावा भूवैज्ञानिक रूप से अशांत सीम स्थिति को बढ़ाते हैं। • आग और जलभराव से प्रभावित यूजी मल्टी सीम यूजी कार्यक्षेत्र की उपस्थिति; इसके अलावा, भूगर्भीय रूप से अशांत सीम स्थिति को बढ़ा देते हैं। • 100 से अधिक वर्षों से चल रही पुरानी खदानें

ताकत (एस)	कमजोरी (डब्ल्यू)
	• अतीत में अवैज्ञानिक खनन • कोयला रखने वाले क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, ज्यादातर अनधिकृत निवासियों द्वारा खनन गतिविधि की सुचारू प्रगति में बाधा उत्पन्न किया जाता है। • बड़ी संख्या में विरासत में मिली छोटी भूमिगत खदानों का मशीनीकरण बहुत मुश्किल है। • श्रमशक्ति के तर्कसंगत पुनर्नियोजन में ट्रेड यूनियनों द्वारा उत्पन्न बाधाएं • बाहरी ओबी डंप के लिए भूमि की अनुपलब्धता। • सीएस और आरएस खतियान में विभिन्न प्रविष्टियां जिसके कारण अनावश्यक कानूनी परेशानी और भूमि अधिग्रहण में देरी होती है।

III. अवसर एवं चुनौतियाँ

अवसर	चुनौतियाँ
• उद्यम सुरक्षा और आंतरिक ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सीबीएम में बड़ा अवसर। • सौर ऊर्जा निवेश। • धुले कोयले का उत्पादन- नये निवेश चालू- बिजली में शीघ्रता से उपयोग किए जाने के लिए स्वच्छ कोयला बढ़ोतरी पर ध्यान। • लंबी अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में आसानी से उपलब्ध एक संपूर्ण बाजार। • मास्टर प्लान के क्रियान्वयन पर जारी किए गए प्राइम कोकिंग कोल से विदेशी मुद्रा बचाने की क्षमता होगी • दीर्घकालिक पूंजिगत परियोजनाओं और वाशरी के लिए पीएसयू/ प्राइवेट उद्यमियों के साथ संयुक्त उपक्रम। • अगर सरकारी नीति अनुमति देती है तो मास्टर प्लान के लागू होने पर निकलने वाले प्राइम कोकिंग कोल से घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के बाद इसका निर्यात किया जा सकता है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है। • मुनीडीह- सिंगरा-कपूरिया और महुदा बेसिन में गहराई में जमा भंडार की निकासी के लिए उच्च क्षमता वाली भुमिगत खदानों को चालू किया जा सकता है।	• खनन उद्देश्य के लिए एलए एक्ट के अंतर्गत अधिग्रहण किए गए भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने में असमर्थता। • खनन उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि पर भौतिक कब्जा करने में असमर्थता। • मास्टर प्लान के निष्पादन में किसी प्रकार के विलंब होने पर कोई राष्ट्रीय आपदा की घटना घट सकती है, जो जीवन और संपत्तियों के साथ-साथ लंबे समय तक कंपनी के संचालन को भी खतरे में डाल सकती है। • कोयला सीम का स्वत:स्फूर्त ताप।

IV. खंडवार या उत्पादवार प्रदर्शन

कच्चे कोयले का उत्पादन प्रदर्शन

वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान बीसीसीएल में कच्चे कोयले का उत्पादन, उत्पादकता तथा उठाव (आफटेक) प्रदर्शन:

क्र. सं	विवरण	इकाई	2021-22			2020-21	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
			लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (%)	वास्तविक	शुद्ध	%
i)	**कच्चा कोयला (खदान के प्रकार के अनुसार)**							
	यूजी	मि.टन	1.00	0.81	80.56	0.61	0.20	32.48
	ओसी	मि.टन	29.00	29.71	102.43	24.05	5.66	23.53
	कुल	मि.टन	30.00	30.51	101.70	24.66	5.86	23.75
ii)	**कोयले के प्रकार के अनुसार**							
	कोकिंग कोल	मि.टन	27.31	29.04	106.34	23.38	5.66	24.19
	नन कोकिंग कोल	मि.टन	2.69	1.47	54.65	1.27	0.20	15.62
		मि.टन	30.00	30.51	101.70	24.66	5.86	23.75
iii)	**ओबी हटाई (आर/एच के अलावा)**	घन मी.	120.00	105.37	87.81	103.84	1.54	1.48
iv)	**उत्पादकता (ओएमएस)**							
	यूजी	टन	0.29	0.21	73.37	0.14	0.07	50.00
	ओसी	टन	6.30	7.64	121.15	7.43	0.21	2.77
	कुल	टन	3.71	3.96	106.84	3.31	0.65	19.64
v)	**कोयले का उठाव**	मि.टन	32.00	32.25	100.79	23.13	9.13	39.45

कोयला धुलाई एवं वाशरी उत्पादों का कार्य प्रदर्शन

स्टील सेक्टर को धुले हुए और सीधे फीड कोयले की आपूर्ति 2020-21 में 8.35 के मुकाबले 2021-22 में 11.72 लाख टन थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 40.36% (+) की वृद्धि को दर्शाता है।

(मिलियन टन)

प्रकार	2021-22		2020-21	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
उत्पादन				
धुला कोयला (सी)	0.684	0.735	0.861	0.664
धुला पावर कोयला	1.021	1.462	1.292	0.812
कुल	1.705	2.197	2.154	1.476
कोयले का उठाव		7.48		8.35
धुला कोयला (एलटी)	0.684	0.735	0.861	0.664

V. दृष्टिकोण

क. उत्पादन का दृष्टिकोण (प्रोडक्शन आउटलुक)

➢ बीसीसीएल में 2016-17 से प्रत्येक वर्ष कोयला उत्पादन में गिरावट दिख रही है परंतु 2021-22 में गिरावट रूक गयी है।

➢ वर्ष 2016-17 में कोयला उत्पादन 37.04 मिलियन टन से घटकर 2020-21 के दौरान 24.66 मिलियन टन हो गया, लेकिन 2021 -22 में 30.51 मिलियन टन उत्पादन किया गया।

वर्ष 2016-17 से 2024-25 के दौरान परिकल्पित और हासिल उत्पादन वृद्धि

प्रकार	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भूमिगत	1.68	1.08	0.9	1.04	0.61	0.81	1.00	1.81	4.30
विभागीय ओ सी	11.62	9.73	9.96	7.72	7.52	8.37	8.00	8.50	9.00
हायर्ड ओ सी	23.74	21.8	20.18	18.97	16.53	21.34	23.00	29.69	31.70
कुल ओ सी	35.36	31.53	30.14	26.69	24.05	29.71	31.00	38.19	40.70
कुल योग	***37.04***	***32.61***	***31.04***	***27.73***	***24.66***	***30.51***	***32.00***	***40.00***	***45.00***

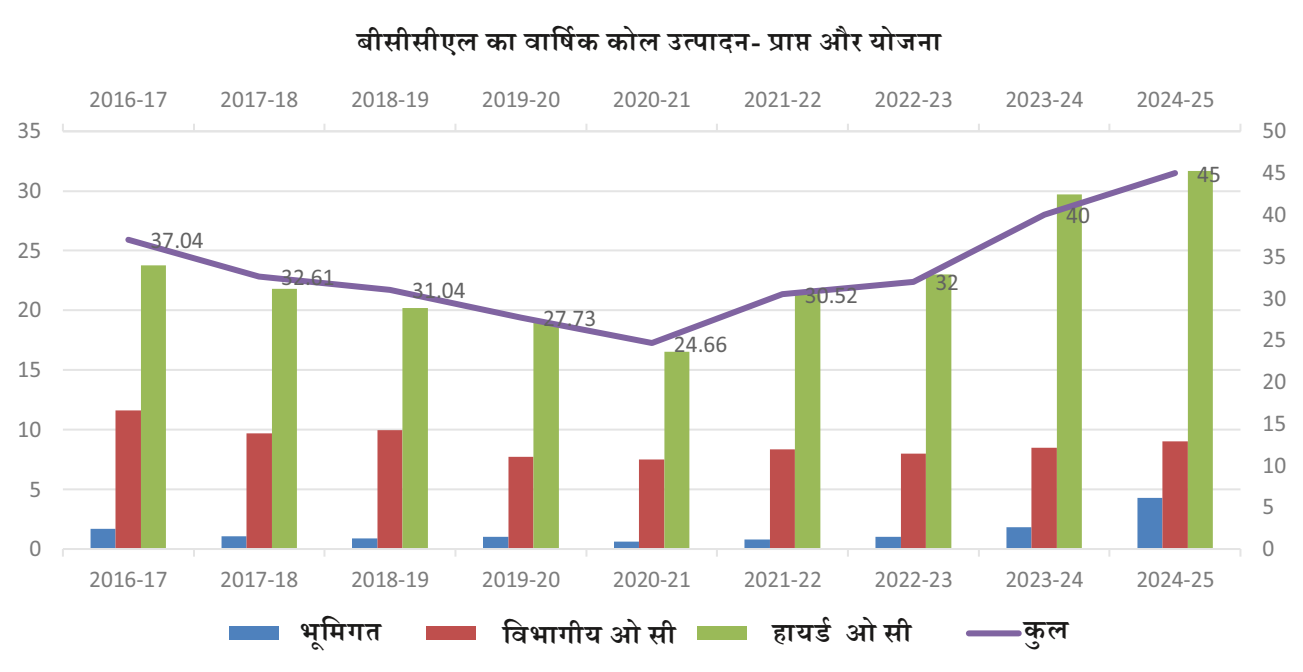

ख. विपणन दृष्टिकोण (आउटलुक)

➢ **धुला हुआ कोयला**

- वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच ''आत्मनिर्भर भारत'' के तहत उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई जरूरतों सहित इस्पात उपभोक्ताओं के लिए घरेलू धुले कोयले की अधिक जरूरत है।

➢ **धुला हुआ कोयला (पावर)**

- डीवीसी, एनटीपीसी इत्यादि जैसे बड़े उपभोक्ताओं के साथ पारस्परिक सहमत कीमतों पर धुले कोयले (विद्युत) की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता।

➢ **वाशरी अपशिष्ट (रिजेक्ट)**

- नई वाशरियों के प्रतिस्थापन के साथ रिजेक्ट्स का अंबार एक बहुत बड़ी समस्या है और इस जगह की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है यदि इस तरह के रिजेक्ट्स को बिजली घरों या दूसरे उपभोक्ताओं को परस्पर सहमत मूल्य या अधिसूचित मूल्य पर बेचा जाए।
- तर्कसंगत मूल्य के साथ दूर वाले रिजेक्ट्स के उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौता
- वाशरी रिजेक्ट्स आधारित सीपीपी को स्थापित करने के लिए डीवीसी/एनटीपीसी/एनएलसी के साथ संयुक्त उद्यम

➢ **ई-ऑक्शन**

- एक मासिक ई-ऑक्सन कैलेंडर का अनुसरण किया जा रहा है।
- ई-ऑक्सन में कुल बोली मात्रा का 100% उठाव सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है तदनुसार क्षेत्रों को संवेदनशील बनाया जा रहा है।
- समय पर विक्रय आदेश जारी करने तथा डिस्पैच बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा कोयले की परेशानीमुक्त उठाव के लिए एस ओ पी तैयार किया गया है।
- बाजार में बढ़ी हुई मांग के साथ 2021-22 के दौरा स्पॉट पर ई-ऑक्सन अधिसूचित मूल्य से प्रीमियम अधिक मजबूत रहा है।
- उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए नियमित रूप से उपभोक्ता बैठक का आयोजन करना।
- एफएसए उपभोक्ताओं को गुणवघ्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए क्षेत्रीय महाप्रबंधक और विक्रय प्रबंधक को संवेदनशील बनाया जा रहा है तथा सड़क मार्ग से 100% उठाव को सुनिश्चित किया जा रहा है।
- लंबे अंतराल के बाद, सेल के लिए धुले कोयले की आपूर्ति के लिए एमओयू मूल्य को यथोचित स्तर तक बढ़ा दिया गया है जबकि अन्य आरआइएनएल जैसे इच्छुक उपभोक्ता उच्च बोली मूल्य पर धुले कोयले को लेने आगे आये।
- सेल जैसे विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं को धुले हुए पावर कोयले के प्रेषण को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि यह विभिन्न वाशरियों में वर्तमान उच्च स्टॉक का परिशोधन करने में मदद करेगा और यह दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए ज्यादा जगह भी बनाएगा।

ग. सतत विकास संबंधी दृष्टिकोण

बीसीसीएल की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति का उद्देश्य सतत विकास की पर्यावरण प्रबंधन अवधारणा है, जिसे बीसीसीएल के कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा समर्पित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्थिरता के साथ विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी परिसर में सोलर पावर एनर्जी के प्रतिष्ठापन पर बल दिया जा रहा है और उस दिशा में कई पहल की गई है जैसा कि रिपोर्ट में अन्यत्र देखा जा सकता है। इसी प्रकार, कंपनी अत्याधुनिक 6 नई वाशरियां स्थापित कर रही है जो या तो चालू है या पूरा होने के विभिन्न चरणों में है जो कि स्वच्छ कोयले के उत्पादन में लंबा रास्ता तय करेंगी। इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकेगा।

VI. जोखिम और खतरे

- वाशरी से घटता उत्पादन चिंता का विषय है और इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए मुनीडीह और पुराने मधुबन वाशरियों के बुनियादी ढांचे को मरम्मत करने की कार्रवाई की गई है।
- एक जोखिम यह है कि संभावित ग्राहक समरूप जीसीवी के थर्मल कोयले की तुलना में कच्चे कोकिंग कोल की अधिक कीमत की वहज से बीसीसीएल की डब्ल्यूपीसी लेने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए स्टील के लिए बनाये गए कोयले को फीड करने हेतु कार्रवाई की गई है।
- जोखिम है कि मौजूदा श्रमशक्ति स्थानांतरण का विरोध कर सकती है, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, स्थानांतरण लाभ, अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान कर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के माध्यम से स्थानांतरण को प्रोत्साहित कर इसे आसान बनाने की उम्मीद है।
- बीसीसीएल के जमीन पर लोगों के अधिवास की वजह से जमीन के कुछ हिस्से पर जमीन का मालिकाना विवाद। ऐसे मुद्दों का हल निकालने के लिए जेएमपी की कामयाबी महत्वपूर्ण होगी।

VII. विविधता और मूल्य संवर्धन:

- कंपनी अपनी वाशरियों में कोयले की बढ़ी हुई फीड के माध्यम से इस्पात क्षेत्र की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि देश अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है तथा विदेशी मुद्रा की बचत अप्रत्यक्ष रूप से कीमती विदेशी मुद्रा की बचत है तथा इससे कंपनी को अपनी राजस्व अर्जन क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

बीसीसीएल की भावी योजनाओं का आकलन

विभिन्न क्षेत्रों में विविधता के निम्नलिखित गवेषणा की जा रही हैं:

- कोल बेड मिथेन (सीबीएम)
- अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में नए कोकिंग कोल ब्लॉकों का अधिग्रहण
- रिजेक्ट्स (अपशिष्ट) आधारित बिजली संयंत्र
- भूमि बैंक मुद्रीकरण
- कोल माइन पर्यटन
- सौर ऊर्जा उत्पादन

बीसीसीएल ने सौर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर परिनियोजन और सीबीएम के वाणिज्यिक उत्पादन की दिशा में भी काम करना शुरू कर दिया है। निम्न खंड इन विकल्पों का अन्वेषण करता है।

सीबीएम

- सीबीएम मूल रूप से 95% मीथेन और शेष मात्रा से थोड़ा अधिक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और कार्बनडाइऑक्साइड से बना है। आमतौर पर खनन उद्योग को मार्श गैस के रूप में जाना जाता है। यह कोयला सीम का एक अंतर्निहित हिस्सा है जो इसमें अवशोषित होता है और यह वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया के दौरान बनता है।
- सीबीएम का निष्कर्षण प्रमुख रूप से निम्नांकित लाभ प्रदान करता है:-

1. प्राकृतिक गैस की बिक्री से अतिरिक्त राजस्व सृजन के अवसर।
2. यह सरकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विजली के लिए स्वच्छ ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और वातावरण में मीथेन के (ग्रीनहाउस गैस) जोखिम को कम करने के उद्देश्य के अनुरूप है।
3. इन-सीटू मीथेन का निष्कर्षण कोल डिपोजिट के खान-क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।
4. कोयला भंडार में मीथेन के गैसीकरण के कारण कोयला निकालने की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त लाभ नजर आते हैं। इससे आग और विस्फोट के खतरे की संभावना कम हो गई क्योंकि मीथेन को पहले ही निकाला जा चुका है, जिससे खदान के वेंटिलेशन में सुधार हुआ है।

बीसीसीएल में सीबीएम

वर्तमान में बीसीसीएल में चिन्हित किए गए सीबीएम भंडार मुनीडीह, झरिया सीबीएम ब्लॉक में स्थित है:-
डिपोजिट में 25 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) गैस का भंडार है और बीसीसीएल 1.43 मिलियन मानक मीट्रिक क्यूबिक मीटर की दैनिक निकासी क्षमता की योजना बना रहा है। बीसीसीएल ने सीबीएम डेवलपर और ऑपरेटर को सहयोग करने का फैसला किया है।

वाशरी रिजेक्ट्स का उपयोग

वाशरी रिजेक्ट्स का उत्पादन और उसका गैर-उपयोग बीसीसीएल के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। रिजेक्ट्स का एक बड़ा भंडार पहले से ही मौजूद है। रिजेक्ट्स का औसत उत्पादन 30-40% के बीच होता है। वित्त वर्ष 30 तक 6-7 एमपीटीए रिजेक्ट्स उत्पन्न करेगा।

पर्यावरण के हित के लिए रिजेक्ट्स का उचित निपटान महत्वपूर्ण है। रिजेक्ट्स ग्राउंड स्टोरेज से मिट्टी का क्षरण होता है और लीचिंग के माध्यम से भूजल। यह आर्सेनिक, सेलेनियम, मरकरी, कॉपर, जिंग, निकेल, केडमियम, लेड, क्रोमियम तथा बोरोन जैसे खतरनाक अवयवों के साथ परिवेश को दूषित करने का जोखिम भी पैदा करता है।

इसके अलावा, यह बीसीसीएल के लिए वित्तीय रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है यदि रिजेक्ट्स का उपयोग अतिरिक्त राजस्व सृजन का उत्पादन करने में किया जाए:-

1. नीलामी के जरिए खुले बाजार में वाशरी रिजेक्ट्स की बिक्री।
2. एफबीसी आधारित बिजली संयंत्रों में वाशरी रिजेक्ट्स का उपयोग।
3. भूमिगत खानों में बैकफिलिंग- इस मामले में खतरनाक अवयवों की उपस्थिति का पता लगाया जाना चाहिए। उचित तरीके से मोटे ओबी परत के साथ कवर किया जाना चाहिए। यह हीटिंग और आग के जोखिम से बचने में मदद करेगा।

खान पर्यटन

खान पर्यटन अपेक्षाकृत भारत में एक नई अवधारणा है। वैश्विक स्तर पर यह आस्ट्रेलिया, अमेरिका, नार्वे, फिनलैंड, जापान, बोलिविया में प्रचलित है। कोयला मंत्रालय ने सततता पहल के तहत खनन क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म शुरू किया है। सततता पहल के साथ बीसीसीएल माइन टूरिज्म का विकल्प तलाश सकता है।

खदान के स्थायी रूप से बंद होने के अलावा, इसमें बीसीसीएल को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करने की क्षमता है। बीसीसीएल को संभावित प्रमुख लाभ है:-

i. कोयला उद्योग के आर्थिक चक्र से असंबंधित अतिरिक्त राजस्व प्रवाह।
ii. रोजगार सृजन के मार्ग: बीसीसीएल के लिए अपनी अतिरिक्त श्रमशक्ति को नियुक्त करने का अवसर।
iii. परिसंपत्ति का उपयोग: हाउसिंग कॉलोनियों का नवीकरण किया जा सकता है तथा इसका इस्तेमाल ईको पार्क/एडवेंचर पार्क के लिए पर्यटन आवास के रूप में किया जा सकता है।
iv. खान जल संचयन और संरक्षण के अवसर से राजस्व।

सौर ऊर्जा संयंत्र

बीसीसीएल वर्तमान में जमीन पर दो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम से परामर्श कर रहा है। पहला भोजूडीह वाशरी में है। इसकी प्रस्तावित क्षमता 25 मेगावाट है और यह 109 एकड़ में फैला होगा। संयंत्र को डीवीसी ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए उस स्थान पर एक डीवीसी आपूर्ति प्वाइंट की आवश्यकता होगी और बीसीसीएल ने डीवीसी से 0.5 मेगावाट कनेक्शन स्थापित करने का अनुरोध किया है (0.5 मेगावाट का आधार- यह डीवीसी द्वारा आवश्यक न्यूनतम आपूर्ति कनेक्शन है और इसका उद्देश्य इस बिंदु से अतिरिक्त बिजली वापस डीवीसी को बेचना है) डीवीसी द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बीसीसीएल के दूसरे क्षेत्रों में उपयोग कर समायोजित किया जाएगा।

भू-अधिग्रहण- एक बड़ा मुद्दा

- समय पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण कुछ पैचों का उत्पादन प्रभावित हुआ। कुछ बड़े पैचों का नाम नीचे दिए गए हैं:-

i. एएमपीसी, बरोरा क्षेत्र (फुलारीटांड पैच – बी और चौथा पैच मुराईडीह कोलियरी का छूटा हुआ)
ii. गोविंदपुर क्षेत्र में न्यू आकाशकिनारी तथा ब्लॉक IV पैच
iii. कतरास क्षेत्र में कांटापहाड़ी पैच
iv. दामागोरिया ओसीपी और दहीबारी बसंतीमाता ओसीपी, सीवी क्षेत्र

- सीएस और आरएस खतियान में भिन्न-भिन्न प्रविष्टियां अनावश्यक कानूनी पचड़े और भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण बनती है।
- एलए अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि और निहित भूमि को स्थानीय लोगों द्वारा ऑनर नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामले को न्यायपालिका में ले जाया गया, जिससे भौतिक कब्जे के लिए काफी लंबा समय लगा।

क्षमता में वृद्धि

क्षमता (1 अप्रैल को) बीसीसीएल के उत्पादन की तुलना में						
	2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
क्षमता (मि.टन)	51.981	46.047	47.030	40.50	40.406	36.696
उत्पादन (मि. टन)	37.04	32.61	31.04	27.73	24.66	30.511
क्षमता उपयोग का प्रतिशत	71.26	70.82	66.00	68.40	71.77	83.265

- बीसीसीएल की उत्पादन क्षमता में लगातार गिरावट आई है।
- 2016-17 के बाद किराये पर लिए गए पैच के माध्यम से क्षमता निर्माण में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई।
- भूमि तथा अन्य समस्याओं के कारण कुछ एचईएमएम पैच नहीं आ सका, परिणामस्वरूप क्षमता का एक भाग समाप्त हो गया।

बीसीसीएल की क्षमता में वृद्धि हेतु अपनाये गए दो आयामी दृष्टिकोण

1. **अल्पकालिक क्षमता वृद्धि योजना:-** छोटे एच-एचईएमएम पैचों के माध्यम से कम अवधि में उत्पादन बढ़ाएं-

		वार्षिक क्षमता (एमटीवाई)	2022-23 के लिए यथानुपात क्षमता (एमटी)
भाड़े पर लिए गए एचईएमएम	चालू पैच	30.66	33.628
	कार्य विवरण	6.666	3.382
	पहले से की गई निविदा	6.109	0.565
	निविदा किया जाना है	5.227	5.227
	कुल योग	48.662	42.802
विभागीय ओपनकास्ट (सीएमपीडीआई के अनुसार)		13.47	12.85
कुल अंडरग्राउंड		0.976	0.8462
कुल क्षमता		**63.108**	**56.498**

v. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

विनियामक और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ कॉरपोरेट शासन को उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए हमारी कंपनी के पास एक बेहतरीन स्थापित और मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं। निर्बाध निर्णय के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन विस्तृत रूप से किया गया है। संचालन दक्षता की निगरानी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। यह लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज पर नजर रखती है। कंपनी का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी के नव नियुक्त निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

vi. संचालन कार्य प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय प्रदर्शन पर परिचर्चा

क.कुल आय

कंपनी की कुल आय में संचालन एवं अन्य आय से प्राप्त राजस्व शामिल है। कुल आय के उपर्युक्त दो मदों के तहत, कंपनी के प्रमुख राजस्व में कोयले की बिक्री से प्राप्त आय, अन्य संचालन राजस्व जैसे ग्राहकों से प्राप्त लोडिंग एवं परिवहन शुल्क, निकासी सुविधा शुल्क बैंकों में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज, आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय पिछले वर्ष 6749.57 करोड़ रू. की तुलना में 10579.83 करोड़ रूपये है। इसमें मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में 9.12 मिलियन टन ऑफटेक वृद्धि की वजह से 56.75% की भारी वृद्धि दर्ज हुई है (वित्त वर्ष 2020-21 में 23.13 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 32.25 मिलियन टन)। आय के प्रमुख तत्वों पर विश्लेषण निम्नलिखित है:

1. **संचालन से प्राप्त राजस्व**

क. कोयले की बिक्री

रॉयल्टी, जीएसटी मुआवजा उपकर, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), जिला खनिज फाउंडेशन सहित अतिरिक्त रॉयल्टी सहित बिक्री को सकल बिक्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। (डीएमएफ) और अन्य लेबी आदि।

भारतीय लेखा मानक- 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व' दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से निर्धारण एवं उत्पादन तथा वितरण पर निर्भर करती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष 23.13 मिलियन टन के मुकाबले 32.25 मिलियन टन का ऑफटेक दर्ज किया है जो 9.12 मिलियन टन यानी (+) 39.43% की वृद्धि है।

वर्ष 2020-21 के दौर एफएसए उपभोक्ताओं से कम वसूली के कारण बीसीसीएल को फंड की भारी कमी का सामना करना पड़ा। 2021-22 के दौरान सभी क्षेत्रों से मांग में वृद्धि के साथ और इसके परिणामस्वरूप 2021-22 में 15923.01 करोड़ रूप. की रिकार्ड वसूली हुई है। कंपनी की समग्र विक्री 2021-22 में 12867.34 करोड़ रूपये (15923.01 वसूली) रही जो पिछले वर्ष 2020-21 में 8521.62 करोड़ रूपये (8005.91 वसूली) समग्र बिक्री थी। वर्ष के लिए शुद्ध बिक्री (निवल सभी लेवी) 9445.58 करोड़ रू. थी जबकि पिछले वर्ष की शुद्ध बिक्री 6149.81 करोड़ थी।

ख. अन्य संचालन राजस्व:

लोडिंग एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क

अन्य संचालन राजस्व का अधिकांश अंश ग्राहकों से वसूल किए गए परिवहन शुल्क के मद से है। प्रेषण स्थलों तक कोयले की ढुलाई के लिए दूरी एवं तदनुरूप दरों के विभिन्न स्लैबों के तहत कंपनी द्वारा परिवहन लागत शुल्क लगाया जाता है। वसूले गए लोडिंग एवं परिवहन शुल्क (सभी लेवियों का शुद्ध) पिछले वर्ष 304.62 करोड़ की तुलना में वर्ष ₹ 496.778 करोड़ थे। यह वृद्धि ऑफ-टेक की मात्रा में कमी के कारण हुई थी।

निकासी सुविधा शुल्क

रैपिड लोडिंग व्यवस्था के माध्यम से किये प्रेषण (डिस्पैच) को छोड़कर, सभी प्रेषण पर ₹ 50 प्रति टन के हिसाब से निकासी सुविधा शुल्क लगाया जाता है। पिछले वर्ष ₹ 112.86 करोड़ की तुलना में, वर्ष के दौरान निकासी सुविधा शुल्क (सभी लेवियों को शुद्ध) के मद में कुल राजस्व ₹ 185.50 करोड़ था। यह वृद्धि प्रेषण की मात्रा में कमी के कारण हुई थी।

2. अन्य आय

वर्ष के दौरान अन्य आय 2020-21 में 147.95% से बढ़कर ₹ 182.28 करोड़ हो गई। कमी का मुख्य कारण प्रावधानों/ देयताओं के बट्टे खाते में डालने और विविध आय में वृद्धि था।

ख.व्यय

व्यय के प्रमुख तत्वों का विवरण निम्नलिखित है:

क.) कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय कुल लागत में सबसे बड़ा घटक है और कुल लागत का लगभग 55.72% है। हालांकि, 2020-21 में कुल लागत का 66.77% था। वर्ष के दौरान कर्मचारी हित लागत पिछले वर्ष 5565.72 करोड़ रूपये की तुलना में 5788.32 करोड़ रूपये था। सामान्य वेतन वृद्धि, डी ए इत्यादि में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान कर्मचारी पारिश्रमिक लागत में वृद्धि का ग्राफ दिखाई दिया।

ख.) संविदात्मक व्यय

संविदात्मक व्यय में मुख्य रूप से तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किया गया कोयला, बालू तथा अन्य सामग्रियों का परिवहन शुल्क, बैगन लोडिंग संचालन से संबंधित ठेकेदार खर्च, हैवी अर्थ मोविंग मशीनरी से कोयला निष्कर्षण तथा ओवरबर्डन हटाने की गतिविधियों के लिए हायरिंग शुल्क और तीसरे पक्ष के ठेकेदारों द्वारा किये गए अन्य विविध कार्यों की लागत से संबंधित व्यय शामिल है, जैसे खानों के आस-पास हॉल रोड का रखरखाव तथा अस्थायी प्रकाश व्यवस्था आदि। वर्ष 2020-21 में संविदात्मक खर्च 485.74 करोड़ रूपये बढ़कर 1476.37 करोड़ रूपये से 1962.11 करोड़ रूपये हो गया यानी 32.90% । 2020-21 के दौरान खनन उपकरणों को किराये पर लेने के मुख्य कारण से संविदात्मक व्यय में वृद्धि की लागत 285.28 करोड़ रुपए बढ़कर 1146.21 करोड़ रूपये से 2021-22 में 1431.49 करोड़ रूपये हो गया अर्थात 24.89% तथा 2020-21 में लागत, परिवहन शुल्क में 134.18 करोड़ रूपये बढ़कर 186.14 करोड़ रूपये से 320.32 करोड़ रूपये हो गया यानि 72.09% । इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना एचएसडी (डीजल) में संविदात्मक लागत में वृद्धि हुई।

ग.) वित्त लागत

1. उधारियां

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2022	31.03.2021
डिस्काउंट की अनवाइंडिंग	48.60	56.30
समूह के भीतर पार्क फंड	-	-
फेयर वैल्यु परिवर्तन (कुल)	-	-
अन्य उधारियाँ	29.15	65.39
कुल	**77.75**	**121.69**

घ.) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (संदर्भ 2.19) के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक मिलियन टन तथा उससे अधिक मूल्य क्षमता वाली खदानों के लिए गणना की जानी है। स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपाल पर ली जाती है जिसमें खदानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात-भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन होता है।

वर्तमान में पांच खदानों में ऐसा समायोजन किया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक आंकड़े इस प्रकार हैं-

			31.03.2022		31.03.2021	
	मानक स्ट्रिपिंग रेशियो	वर्तमान स्ट्रिपिंग रेशियो	कोयला (एलटी)	ओबीआर (एसीयूएम)	कोयला (एलटी)	ओबीआर (एलसीयूएम)
मुराईडीह ओसीपी, बरोरा क्षेत्र	1.27	1.26	14.36	18.07	13.42	15.58
एकेडब्लूएमसी ओसीपी, कतरास क्षेत्र	2.44	2.08	41.95	87.12	31.29	77.14
गोलकडीह/कुइया ओसीपी, बस्ताकोला क्षेत्र	2.19	3.94	25.94	102.25	18.01	77.64
दहीबारी बसंतीमाता ओसीपी, सी वी क्षेत्र	3.35	2.71	7.82	21.22	8.27	20.76
एन टी-एसटी जीनागोरा परियोजना, लोदना क्षेत्र	3.11	2.89	38.15	110.38	22.81	119.34
कुल			128.22	339.04	93.8	310.46

ङ.) अन्य व्यय

वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से दर और करों (वर्ष 2020-21 में 183.92 करोड़ रूपये से बढ़कर 2021-22 में 248.76 करोड़ रूपये) पर खर्च में वृद्धि तथा अंडर/ओवर लोडिंग शुल्क (वर्ष 2020-21 में 31.18 करोड़ रूपये से बढ़कर 2021-22 में 71.62 करोड़ रूपये) में वृद्धि के कारण अन्य खर्चों में 128.23 करोड़ रूपये (17.42%) की वृद्धि हुई जो 2021 में 736.13 करोड़ रूपये से बढ़कर 2021-22 में 864.36 करोड़ रूपये हो गया।

च. नकदी प्रवाह (सारांश)

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
	2022	2021
आरंभिक नकदी और नकदी समतुल्य	48.67	(548.77)
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	3,302.72	(2,302.54)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(584.56)	969.59
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(2,149.50)	1,930.39
नकद और नकदी समतुल्यों में परिवर्तन	**568.66**	**597.44**

VII. मानव संसाधन में भौतिक विकास, औधोगिक संबंध के फ्रंट, नियोजित लोगों की संख्या सहित

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

VII. पर्यावरणीय बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय उर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

IX. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर के लिए एक अलग परिशिष्ट दिया गया है।

परिशिष्ट - V

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)
धनबाद-826005 (झारखंड)
CIN No. U10101972GOI000918

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
बीसीसीएल, धनबाद।

एतद्द्वारा, 31 मार्च, 2022 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए बीसीसीएल के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए अपने अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में संबंधित क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकों तथा क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों के प्रमाणन के आधार पर, वित्तीय कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होने के नाते मैं समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), और निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल, यह प्रमाणित करता हूँ कि:-

क. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

i. इन विवरणों में वस्तुतः कोई भी असत्य विवरण शामिल नहीं है अथवा किसी भी वास्तविक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा ऐसे विवरणों को शामिल नहीं किया गया है, जो भ्रामक हों;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास में 31 मार्च, 2022 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन-देन, कंपनी आचार संहिता के तहत धोखाधड़ी, अवैध या उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और हम उक्त आंतरिक नियंत्रणों या संचालन की कमियों के संबंध में भी लेखा परीक्षकों तथा लेखा समिति के समक्ष खुलासा करते हैं, यदि कोई हो तो, ताकि वे इस बात से अवगत रहें और इन कमियों को दूर करने हेतु उचित कदम उठा सकें।

घ. हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा समिति को यह सूचित किया है कि:-

i. संदर्भित अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है,

ii. धारा 2.11 अमूर्त संपत्ति, 2.17 कर्मचारी लाभ और 2.24.2 आकलन एवं अनुमानों में संशोधित/भाषा परिवर्तन के अलावा, इस अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि, पूर्वोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

iii. हमें निम्नलिखित के अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी के किसी बड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने की जानकारी नहीं है:

क. मार्च 2019 माह में क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, गोविंदपुर क्षेत्र बीसीसीएल द्वारा बजट प्रमाणन में कथित अनियमितता। मामले से संबंधित राशि निर्दिष्ट नहीं है। सतर्कता मामला संख्या सीए/01/2021, डीआई प्रक्रियाधीन है।

ख. सीके साइडिंग बस्ताकोला क्षेत्र के परिवहन ठेकों में बिलों के भुगतान में कथित अनियमितताओं का पता चला। मामले से संबंधित राशि निर्दिष्ट नहीं है। पता चला है कि मामला सतर्कता से संबंधित हो सकता है और जांच प्रक्रियाधीन है।

निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), बीसीसीएल

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीसीसीएल

स्थान: धनबाद
दिनांक: 06.05.2022

परिशिष्ट - VI

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सदस्यों को
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
सेवा में, भारत कोकिंग कोल के सदस्य **एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट** **अभिमत** **हमने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है, इसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र,उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण(अन्य व्यापक आय सहित), उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इन्हें अब 'एकल वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) सम्मिलित हैं। इसमें कंपनी के क्षेत्र/इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा कुल 17 (सत्रह) यथा, (1) बरोरा क्षेत्र, (2) ब्लॉक-2 क्षेत्र, (3) गोविन्दपुर क्षेत्र, (4) कतरास क्षेत्र, (5) सिजुआ क्षेत्र, (6) कुसुन्डा क्षेत्र, (7) पी. बी. क्षेत्र, (8) बस्ताकोला क्षेत्र, (9) लोदना क्षेत्र, (10) पूर्वी झरिया क्षेत्र, (11) सी वी क्षेत्र, (12) दाहीबाड़ी वाशरी, (13) पश्चिमी झरिया क्षेत्र, (14) वाशरी डिवीजन, (15) मधुबन कोल वाशरी, (16) माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा (17) भूली टाउनशिप क्षेत्र में उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए किया गया लेखा परीक्षण विवरण भी शामिल है। हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के मुताबिक और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण यथा-आवश्यक विधि से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षानुसार सूचनाएं प्रदान करता है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष को लाभ व कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसका नकदी प्रवाह अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढ़ा जाए और कंपनी मामलों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और स्पष्ट है। **अभिमत के लिए आधार** हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नीतिपरक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों और आईसीएआई की नीति संहिता का अनुपालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। **महत्वपूर्ण मामले** **हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं: -** क) व्यापार प्राप्तियों एवं व्यापार देयताओं के तहत एसी किसी शेष राशि से संबंधित लंबित पुष्टि / समाधान जिसका वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	व्यापार देयताओं संबंधी सभी शेष राशि की संपुष्टि के लिए पत्र जारी किए गए थे। व्यापार प्राप्तियों का समाधान निरंतर होता है। लंबित समाधान में तेजी लाने के प्रयास किए गए हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
ख)वित्तीय विवरणों में टिप्पणी संख्या 10.1 और 11.1 (टिप्पणी 10 और 11 की अतिरिक्त टिप्पणी 1), जिसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए "प्रगतिशील खदान बंदी व्यय" (अन्य चालू / गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शायी गयी प्राप्तियां) के तहत कोई प्रविष्टि (बुकिंग) नहीं है। वित्तीय विवरणों पर इसके गैर-लेखांकन के लिए परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। ग) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 6.2 (अतिरिक्त टिप्पणी) में कहा गया है कि कंपनी ने 1 अगस्त 2021 से अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए अपनी परंपरागत पुरानी प्रणाली 'कोल-नेट' की जगह एक नये ईआरपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर - 'एसएपी' को अपना लिया है। इस बदलाव (माइग्रेशन) से संबंधित लंबित अंकेक्षण का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, अनिश्चित हैं। उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	प्रबंधन ने सीए एंड जी अंकेक्षण टीम को आश्वासन दिया था कि प्रविष्टि (बुक) की गई राशि और संशोधित गतिविधि-वार लागत से उत्पन्न अंतर के लेखांकन प्रभाव पर दिसंबर 2019 में जारी एमसीपी की तैयारी के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी खदान बंदी योजनाओं के संशोधन के बाद विचार किया जाएगा। इसके अलावा, रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण, प्रगतिशील खदान बंदी खर्चों के लिए प्राप्तियों के तहत कोई प्रविष्टि (बुकिंग) नहीं है। इसे टिप्पणी संख्या 6.2 अमूर्त संपत्ति-विकासाधीन में समझाया गया है। अत: कोई और टिप्पणी आवश्यक नहीं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और इन पर हमारी राय बनाने पर ध्यान दिया गया था, और हमने इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं किया है।हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को नीचे प्रदर्शित किया है।

क्र. सं.	मुख्यलेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	**स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन** ओपनकास्ट खनन के मामले में, कोयले की सीम तक पहुंचने और उसके निष्कर्षण के लिए खदान मलबा सामग्री ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान होती है, को हटाया जाना आवश्यक है । मलबा हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। ओपनकास्ट खानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक (तकनीकी रूप से अनुमानित) इस तरह के खर्चों को उठाना पड़ता है। इसलिए एक नीति के रूप में, खदान से राजस्व प्राप्त होना शुरू होने के बाद स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेशियो वेरिएंस एकाउंट के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खदान के लिए एक मिलियन टन प्रति वर्ष और इससे अधिक की क्षमता वाले खदानों में, स्ट्रिपिंग की लागत का मूल्यांकन तकनीकी रूप से मूल्यांकन औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (OB: COAL) पर किया जाता है। बैलेंस शीट तारीख में स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट और रेशियो वेरिएंस के कुल शेष को गैर-प्रचलित प्रावधान /अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां जैसा भी मामला हो शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग एक्टिविटी समायोजन के रूप में दिखाया गया है । रिकार्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखांकन के लिए अनुपात की गणना करने के तौर पर माना जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गयी मात्रा के बीच विचरण अनुमेय सीमा के भीतर है। हालाँकि, जहाँ विचरण ऊपर की अनुमेय सीमाओं से परे है, मापी गई मात्रा को माना जाता है। वित्तीय विवरणों में लाभ और हानि तथा टिप्पणी 21 का विवरण देखें	**मूललेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने निम्नलिखित मूल प्रक्रियाएं कीं : • स्ट्रिपिंग समायोजन के सक्रिय आंकड़ों को प्राप्त कर जाँच किया कि वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय को कोयला उत्पादन और ओवरबर्डन के बीच आवंटित किया गया है। अनुपात की गणना में विचार किए गए खर्चों की सटीकता और पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। • जाँच की गयी कि अनुपात भिन्नता की गणना ओवरबर्डन को आवंटित राशि के आधार पर की गयी और वर्ष के दौरान ओबी मात्रा को सही ढंग से निकाला गया। • विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन गणना पर खर्चों के औचित्य के विवरण का परीक्षण किया। • जांच की गई कि स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के लिए इस्तेमाल की गई लेखांकन नीति और प्रबंधन के निर्णय उचित हैं। अपनायी गयी प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट पाया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन की टिप्पणी
क्र. सं.	मुख्यलेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	
2	**ग्राहकों के अनुबंध से राजस्व** राजस्व लेखा मानक के अनुप्रयोग में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों के पहचान, चिह्नित प्रदर्शन दायित्वों के लेन-देन संव्यवहार मूल्य का निर्धारण, वर्ष के दौरान अभिज्ञात राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए पैमाने का औचित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।	**मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया** • हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं: नये राजस्व लेखा मानक के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया। • ग्राहकों के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए नमूने का चयन कर राजस्व स्ट्रीम पर प्रबंधन द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन किया तथा उन राजस्व स्ट्रीम संबंधी वर्तमान अवधि में राजस्व मान्यता नीति पर विचार किया। • राजस्व मानक के तहत प्रदान किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया एवं प्रासंगिक प्रकटीकरण की संपूर्णता तथा गणितीय विशुद्धता का आकलन किया। हमने यह पाया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के आकलन एवं निर्णयों को आय के अभिज्ञान में उचित है।	
3	**अनिश्चित कर स्तरों का मूल्यांकन** कंपनी के पास विवादित मामलों सहित मूर्त अनिश्चित कर स्थिति है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। एकल वित्तीय विवरणों के लिए 38.4.(a) संदर्भ का अवलोकन करें।	**मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रिया** **हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्न शामिल हैं:-** • आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्प्राप्ति तथा वर्तमान कर प्रावधान संबंधी नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं डिजाइन का मूल्यांकन किया। • अनिश्चित कर स्थिति के लिए प्रबंधन के मूल्यांकन के प्रावधानों की वैधता एवं पर्याप्तता पर विचार किया गया, मूल्यांकन के आधार की जांच करना और प्रासंगिक पत्राचार और कानूनी सलाह की समीक्षा करना, जहां उपलब्ध हो, इसमें प्रासंगिक कर अधिकरण में समान मामले से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध हो। • आस्थगित कर संपत्ति के समर्थन में पर्याप्त आगामी कर योग्य आय उत्पन्न करने की संभावना सहित प्रबंधन के पूर्वानुमान और प्राकल्लन की उपयुक्तता का आकलन किया। उपर्युक्त कार्य प्रक्रिया के आधार पर हमने वर्तमान और आस्थगित कर शेषों और अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधानों के विषय में प्रबंधन के आकलनों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त लेखा साक्ष्य प्राप्त किया।	
4	**कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना दायित्व का मूल्यांकन** परिभाषित लाभ योजनाओं का लेखांकन, बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है जो दायित्व को मापने, नियोजित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने तथा संबंधित बीमांकिक लाभ हानि की गणना करने के लिए आवश्यक है। कंपनी में परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में कटौती दर, मुद्रास्फीति दर तथा मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण आकलन किए जाते हैं।	**मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया** **हमारे लेखा प्रक्रियाओं में शामिल है:-** • लागू गाइडेंस नोट के अनुसार (कटौती दर, मुद्रास्फिति दर, मृत्यु दर) लागू मूल मान्यताओं का मूल्यांकन किया। • कंपनी के बीमांकिक विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता एवं अखंडता का मूल्यांकन किया। • बीमांकिक पुर्वानुमान का अनुमोदन तथा समीक्षा पर नियंत्रण तथा भौतिक बीमांकिक को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता व एकरूपता तथा विशेषज्ञों की गणना में उपयोग किए गए डेटा के सामंजस्य का परीक्षण किया गया।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट			प्रबंधन की टिप्पणी
क्र. सं.	मुख्यलेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	
	कंपनी समुचित पूर्वानुमान और दायित्व की गणना में सहायता के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञ को संलग्न करती है। इन मामलों का प्रभाव जोखिम मूल्यांकन के अतिरिक्त है तथा परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में आकलन की एक उच्च डिग्री है क्योंकि यह मान्यताओं की पूर्वाधारणाओं के अनुरूप है। एकल वित्तीय वक्तव्यों के लिए 38.3 के टिप्पणी देखें।	• निर्धारित लाभ योजना के कारण अर्जित देयता के विषय में प्रबंधन से चर्चा की गई और यदि पुर्वानुमान में कोई विसंगति थी तो उसका आकलन किया गया। • भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार विवरणों में कंपनी के प्रकटीकरण की उपयुक्तता सत्यापित है। सम्मिलित लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि मूल्यांकन संबंधी प्रबंधन द्वारा किया गया पुर्वानुमान उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित है।	

वित्तीय विवरण और इन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट और उसके अनुबंध, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान व विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान और विकास और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की तारीख तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गयी है और उम्मीद की जाती है कि इस लेखा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध होगी।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इन पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गयी अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाएं, तो इन्हें पढ़ें और ऐसा करके विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हमें निदेशक की रिपोर्ट और इसके अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, आर एंड डी और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुए और हमने इन्हें पढ़ा,यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को संबंधित व्यक्ति (those charged with governance) के पास ले जाना होगा और स्वीकार्य कानूनों और विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई के बारे में बताना होगा।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) और इस अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानकों समेत भारतीय लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लागू अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य प्रदर्शन, कुल आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सत्य एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं पता लगाना, पर्याप्त लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं न्यायसंगत मामलों का निर्णय एवं आकलन करना और वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता प्रस्तुत करें, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण सम्मिलित है। जो कि वित्तीय गलतियों से मुक्त हो, चाहे वह कपट से अथवा भूलवश ही क्यों न किया गया हो, भी शामिल है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, यथा स्वीकार्य, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और लेखा का चालू प्रतिष्ठान आधार पर प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को बेच देने का या परिचालन बंद करने का या कोई वास्तविक विकल्प न होने का इरादा रखता हो। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेश मंडल भी जिम्मेदार हैं।	
वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, ऐसे दुर्व्यवहार चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, तथा एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक खातों के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा वित्तीय गलतियों (होने पर) का पता लगाएगा। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में, इनसे वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने यथोचित अपेक्षा हो। एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम: • वित्तीय विवरणों की गलतियों से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका आकलन करते हैं चाहे यह धोखा धड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा ऑडिट सबूत प्राप्त करते हैं जो हमारी राय में आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय गलतियों को न पकड़ पाने का जोखिम एक से अधिक गलतियों के रूप में आता है, जैसे कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है। • इन परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों के लिए परिचालन प्रभावशीलता है। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं। • प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखा उपयोग की उपयुक्तता और इस पर आधारित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मैटेरियल अनिश्चितता विद्यमान है जो कि चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से संदेह युक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई मैटेरियल अनिश्चितातामौजूद है, तो हमारे द्वारावित्तीय विवरणों में संबंधित डिस्क्लोजर के लिए अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारे अभिमत में परिवर्तन के लिए ऐसे डिस्क्लोजर अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं।हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं। • डिस्क्लोजर सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया है। मैटिरियलिटी वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटि (मैग्नीट्युड ऑफ मिसस्टेटमेंट) है , जो कि वैयक्तिक या समेकित रूप से संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन में, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान की गयी त्रुटि के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिएमात्रात्मक मैटिरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। हम जिम्मेदार लोगों से (those charged with governance)अपनी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञातअन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्रव समय और आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण त्रुटियों समेत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा तथ्योंके बारे में सूचित करते हैं। हम जिम्मेदार लोगों को एक विवरण भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों जहां लागू हो, के लिए यथोचित रूप से विचारणीय हैं। जिम्मेदार लोगों को सूचित किए गए मामले में, हम वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं, का निर्धारण करते हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करने से नहीं रोकते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में जन हित मामले के अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों के कारण किसी मामले को नहीं दिया जाना चाहिए।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
अन्य मामले • हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल 17 क्षेत्र/इकाइयों के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को वित्तीय विवरणों में दी गयी जानकारी के अनुसार इन क्षेत्र/इकाइयों की कुल संपत्ति ₹ 4,718.77 करोड़ तथा कुल आय ₹ 10,312.56 करोड़ दर्शायी गयी है। इन क्षेत्रों/इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का अंकेक्षण क्षेत्र/इकाइयों के लेखा परीक्षकों द्वारा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और इन क्षेत्रों/इकाइयों से संबंधित शामिल किए गए राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मंतव्य भी पूरी तरह उक्त क्षेत्र / इकाई के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले में हमारे मंतव्य में कोई संशोधन नहीं किया गया है।	
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट 1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हमनेपरिशिष्ट – I में लेखा की सुझायी कार्यप्रणाली के अनुपालन के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेश एवं अतिरिक्त निर्देशों और इसके बाद हुई कार्रवाई तथा कंपनी के खाते एवं भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर एक विवरण दिया है । यह विवरण कंपनी के क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को उनके लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में शामिल करके तैयार किया गया है। 2. जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार हम अनुलग्नक - II में लेखा के तहत वर्ष के लिए लागू सीमा के क्रम सं.3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है। 3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि: क. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों कोप्राप्त किया,जो हमारे लेखा के उद्देश्यों के लिए हमारी जानकारी और विश्वास के लिए श्रेष्ठ थे। ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसारउपयुक्त बही-खाता को अभी तक रखा गया है, क्योंकियह हमारे द्वारा इन बही-खता की जांच से प्रतीत होता है तथा लेखा प्रयोजन के लिए पर्याप्त समुचित रिटर्न को हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्र/इकाइयों से प्राप्त किया है। ग. क्षेत्र / इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षितकंपनी के क्षेत्र / इकाइयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने इन पर सही तरीके से काम किया है। घ. बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण के प्रासंगिक बही खाते और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रों/इकाइयों से प्राप्त रिटर्न से तालमेल रखते हैं। ङ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 के नियम- 7 के साथ पढ़ा जाए। च. 31 मार्च, 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं हुए हैं। छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में “अनुलग्नक – III” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है। ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) अधिनियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय हमारी जानकारी और ऑडिट के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण: i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है - एकल वित्तीय विवरणों के अनुसार 38.4.(a) नोट का संदर्भ लें; ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी मूर्त त्रुटि नुकसानदेह थी – एकल वित्तीय विवरण के नोट 38.4.(e).ii का संदर्भ लें। iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाना आवश्यक थी।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
iv.(क) प्रबंधन ने यह घोषणा की है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा खातों दिये गए टिप्पणियों के अलावा, कोई धन अग्रिम या उधार नहीं लिया गया है अथवा निवेश नहीं किया गया है (ना ही उधार-धनराशि या ना ही शेयर प्रीमियम या ना ही किसी अन्य स्रोत से) अथवा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) में, विदेशी संस्थाओं में ("मध्यस्थ या सीधे तौर पर") लिखित या मौखिक रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश किया गया है अथवा उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं प्रदान किया जाता हैं; (ख) प्रबंधन ने यह घोषणा की है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), विदेशी संस्थाओं से ("फंडिंग पार्टियां") लिखित या मौखिक रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है अथवा उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं प्रदान किया जाता हैं; और (ग) उक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने इन परिस्थितियों में इसे उचित एवं उपयुक्त माना है; हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) एवं (ख) के तहत की गई घोषणा में कोई तथ्यात्मक विवरण गलत है। v.वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषित या भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।	

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 22402203AINXPQ2539

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

कृते, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

समीरन दत्ता
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन - 08519303

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-I

वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत निदेश तथा अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के विवरण पर लेखा रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं'' के पैरा 1में संदर्भित जैसा कि कंपनी के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दिया गया है।

परिशिष्ट-क : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश

विवरण	लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव
1) क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	कंपनी ने 1 अगस्त 2021 से अपने सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए अपनी परंपरागत पुरानी प्रणाली 'कोल-नेट' की जगह एक नये ईआरपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर - 'एसएपी' को अपना लिया है। प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इस एप्लिकेशन में कंपनी की गहन आवश्यकताओं को पूरा करने, व्यवसायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए सभी प्रकार के प्रावधान मौजूद हैं। इसमें कंपनी की विभिन्न कार्य-प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जा रहा है। वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हों, अनिश्चित हैं, क्योंकि कंपनी द्वारा अभी तक इस स्थानांतरण का अंकेक्षण (माइग्रेशन ऑडिट) नहीं किया गया है।	कंपनी ने 1 अगस्त 2021 से चरणबद्ध तरीके से सैप (SAP) प्रणाली को अपना लिया है। सैप (SAP) के तहत विभिन्न मॉड्यूल्स के पूर्णत: एकीकरण सहित लेखांकन लेनदेन की सभी कार्यवाहियां आईटी प्रणाली के तहत होगी। हालांकि, मौजूदा व्यवस्था एवं नई अपनाई गयी प्रणाली, सभी लेनदेनों का लेखांकन करने के लिए उचित सावधानी रखी गयी है और इसलिए किसी वित्तीय प्रभाव का पता नहीं चला है।
2) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता केकारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण या छूट के मामलों का पुनर्गठन / ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि का कोई पुनर्गठन है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	वित्तीयवर्ष 2021-22 के दौरान मौजूदा ऋण या छूट के मामले / ऋण को बट्टे-खाते में डालना/ऋण/ब्याज इत्यादि के पुनर्गठन के इन मामले नहीं देखे गए हैं।	वित्तीय विवरणों में प्रकट करने के अलावा कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3) क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है?विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय / राज्य सरकार अथवा एजेंसियों से कोई धन प्राप्त / प्राप्य नहीं हुआ है। यद्यपि, सीआईएल के माध्यम से कोयला मंत्रालय से विशिष्ट योजनाओं के लिए पूर्व वर्षों में प्राप्त निधि को इसकी नियम और शर्तों के अनुसार समुचित तरीके से प्रयोग किया गया।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 22402203AINXPQ2539

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

कृते, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

समीरन दत्ता
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन - 08519303

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

अनुलग्नक-ख : कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश

विवरण	लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	वित्तीय विवरणों पर की गई कार्रवाई एवं उसका प्रभाव
1) क्या समोच्च नक्शा की दृष्टि से कोयला स्टॉक की माप की गयी है? क्या फिजिकल स्टॉक मापी रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शा के साथ जुड़ी है? वर्ष के दौरान तैयार किया गया यदि कोई, नया हीप है तो क्या उसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्राप्त किया गया है?	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हीप के कोयला स्टॉक की माप समोच्च नक्शा के अनुसार किया जा रहा है। कोल स्टॉक डंप को कोलियरी द्वारा निर्धारित स्थलों पर बनाया जाता है, इसके लिए अग्रिम रूप से कोयले की डंपिंग से पहले समोच्च प्लान तैयार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है। फिर भी कुछ मामलों में छोटे स्टॉक जिसकी रेखागणितीय आकृति जटिल है और वे समोच्च नक्शा/लेवल सेक्शन का प्रयोग करते हुए मापनके लिए उपयुक्त नहीं है, को परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है, चाहे ऐसे स्टॉक का समोच्च नक्शा प्लान हो तोभी । स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च प्लान के साथ होती है। वाशरी के लिए स्लरी रिजेक्ट्स और मिडलिंग का स्टॉकबीसीसीएल द्वारा अपने नियंत्रण में लेने से पहले से ही वाशरी के प्रारंभ होने के समय से ही तैयार किया जा रहा है। हीप, विशेष तौर पर रिजेक्ट, स्लरी, मिडलिंग आदि के, का आकार और आकृति बड़ी होती है। सभी आकार एवं आकृति के हीप का समोच्च नक्शानहीं है, उनको परंपरागत तरीके से मापा जा रहा है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान बनाए गए नए हीपों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
2) क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय/विखंडित/ पुनर्संरचना के वक्त संपत्ति एवं परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया? यदि हाँ तो क्या संबंधित अनुषंगी ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन कियाहै ?	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बीसीसीएल के किसी भी क्षेत्र का विलय/बिखंडन/पुनर्संरचना करने का कोई मामला नहीं है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
3) क्या सीआइएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाता बना कर रखा गया है। साथ ही खाता की निधि के उपयोग की भी जांच होती है।	हां, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक खदान बंदी योजना (माइन क्लोजर प्लान) के बदले खदानवार अलग-अलग एस्क्रो खाता बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, आईआईईएसटी, शिबपुर द्वारा तृतीय पक्ष के अंकेक्षण के बाद एस्क्रो खाते से ₹ 7.47 करोड़ की राशि की निकासी की गई है और उसे साल-दर-साल आधार पर प्रगतिशील खदान बंदी के लिए किए गए व्यय से बनाए गए "प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर एक्सपेंसेस इन्कर्ड" खाते (अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत स्थित) के साथ समायोजित किया गया है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
4) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए दंड पर विधिवत तरीके से विचार किया गया और लेखा-जोखा दिया गया है।	डब्ल्यू.पी (सी) सं. 114/2014 सामान्य उपबंध बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 02.08.2017 को दिए गए फैसले के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/खदानों/कोलियरियों से संबंधित 17344.46 करोड़ रुपये की डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। उपर्युक्त डिमांड नोटिस के क्रियान्वयन को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55 (5) के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर अगले आदेश तक रोका गया है। तदनुसार, उपर्युक्त राशि को नोट सं. 38.4.(a).ii. द्वारा उपयुक्त प्रकटीकरण के साथ आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081E
(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 22402203AINXPQ2539

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

कृते, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
समीरन दत्ता

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन - 08519303

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II।

[हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं" पैरा-2 में निर्दिष्ट है]

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जबाव
हमारी राय में ऐसी समुचित जांच-पड़ताल एवं हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें दी गई सूचना/जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि: (i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में: क) (क) कंपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरणों एवं स्थिति को शामिल करते हुए संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले रिकार्डों का रखरखाव कर रही है। (ख) कंपनी अमूर्त संपत्तियों के संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले रिकार्डों का उचित रखरखाव कर रही है; ख)कंपनी ने उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया है और उक्त सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पायी गई है। ग)वित्तीय विवरणी में घोषित सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को विधिवत रूप से पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित किया गया है) के स्वामित्व विलेख नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-	तथ्यात्मक विवरण

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	नाम से आयोजित का	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं	धारित अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर नहीं होने का
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	115.35	केवल कंपनी द्वारा सीधे खरीदे जाने के मामले में (1132.37 हेक्टेयर)	लागू नहीं	विभिन्न तिथियां	1. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि115.35 केवल कंपनी द्वारा सीधे खरीदे जाने के मामले में (1132.37 हेक्टेयर)लागू नहींविभिन्न तिथियां1. बीसीसीएल के कब्जे में कुल 17276.79 हेक्टेयर (फ्रीहोल्ड और अन्य भूमि) में से, 16120.11 हेक्टेयर भूमि फ्री होल्ड भूमि और 1156.68 हेक्टेयर अन्य भूमि है। 2. कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण और श्रम कल्याण संगठन सहित केंद्रीय चिकित्सालय के साथ चार अन्य अस्पतालों, भारत सरकार के माईस रेस्क्यू स्टेशनों, सेल की चार वाशरियों, पूर्व के कोल बोर्ड एवं सेंट्रल झरिया परियोजनाओं के अधिग्रहण के समय भारत सरकार द्वारा कंपनी को 14987.74 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित किया गया। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 सहित कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के दाखिल-खारिज का प्रश्न कानून में नहीं उठता है, क्योंकि इसका अधिकार, स्वामित्व एवं हित पूरी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत निहित है और कंपनी को हस्तांतरित भूमि का प्रयोग, एक सरकारी कंपनी के नाते बीसीसीएल द्वारा किया जाता है। 3. अन्य सभी अधिग्रहीत भूमि का स्वामित्व विलेख कंपनी के पास है और उसका दाखिल-खारिज भी कंपनी के पक्ष में हो चुका है, फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित होने के कारण यह प्रक्रियाधीन है।
अन्य भूमि	27.71	लागू नहीं	लागू नहीं	विभिन्न तिथियां	1156.68 हेक्टेयर भूमि अन्य भूमि की श्रेणी में है, जिसे कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973, कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण किया गया था, जिसके लिए अलग से स्वामित्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। लोयाबाद स्टेशन पर 3.98 हेक्टेयर रेलवे भूमि को मार्च 2022 से 35 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रबंधन का जबाव

घ) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है या लंबित है।

(ii)(क) कंपनी के पास उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित स्टॉक है। स्टॉक के प्रत्येक वर्ग में कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पायी गई है।

(ख)वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की असुरक्षित कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। ऐसे प्रतिबंधों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

बैंक का नाम	स्वीकृत सीमा (कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ कार्यशील पूंजी ऋण/ अल्पकालिन ऋण	31.03.2022 तक बकाया'
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	₹ 2000.00 करोड़	शून्य
एक्सिस बैंक लिमिटेड	₹ 200.00 करोड़	शून्य
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	₹ 50.00 करोड़	शून्य

वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों में कोई निवेश नहीं किया गया है अथवा कोई सुरक्षित या असुरक्षित गारंटी अथवा जमानत अथवा किसी प्रकार के ऋण की मंजूरी या ऋण के रूप में अग्रिम, नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iii)(a) से 3(iii)(f) लागू नहीं है।

iii हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण के एवज में किसी ऋण की मंजूरी नहीं दी है अथवा निवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी नहीं दी है अथवा कोई जमानत नहीं दी है। । तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iv) लागू नहीं होता है।

iv हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण के एवज में किसी ऋण की मंजूरी नहीं दी है अथवा निवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी नहीं दी है अथवा कोई जमानत नहीं दी है। । तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iv) लागू नहीं होता है।

v हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे जमा माना जाय। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(v) लागू नहीं होता है।

vi हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव नियत किया है और हमारी राय में कंपनी निर्दिष्ट के रूप में उक्त खातों एवं रिकॉर्डों को तैयार कर उसका रखरखाव कर रही है ।

vii (क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर, और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया उचित प्राधिकारों के पास जमा करने में नियमित है और संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक सांविधिक देय का ऐसा कोई बकाया नहीं है, जो भुगतेय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि का बकाया हो।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर का कोई वास्तविक बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण सक्षम प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है। फिर भी, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, विक्रयकर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर, वस्तु एवं सेवाकर एवं मूल्य वर्धित कर के जिन बकाये को कंपनी द्वारा विवाद के मद में जमा नहीं किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जबाव

क्र.सं.	अधिनियम का नामसं.	देय राशि की प्रकृति	मांग राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण, जहां विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/टीडीएस/ टीसीएस	179.98	2019-20	एओ, धनबाद
			0.05	2017-18	एसीआईटी, धनबाद
			0.37	2007-2021	जेसीआईटी टीडीएस, धनबाद
			339.07	2014-15 से 2019-20	सीआईटी, धनबाद
			85.38	2007-08 से 2016-17	सीआईटी (ए) टीडीएस
			218.79	2007-08 से 2016-17	सीआईटी (ए), धनबाद
			511.13	2006-07 से 2013-14	आईटीएटी, रांची
2	जेवैट (JVAT)	अधिनियम, 2005 झारखंड वैट	53.66	2004-05 से 2012-13	सीसीटी रांची
			63.24	1985-86 से 2017-18	डीसीसीटी धनबाद
			26.09	2006-07 से 2020-21	डीसीसीटी कतरास
			50.76	2009-10 से 2014-15	डीसीसीटी लोअर कोर्ट
			11.99	2009-10 से 2017-18	डीसीसीटी दुग्धा
			6.73	2009-10 से 2015-16	डीसीसीटी सुदामडीह
			0.57	2015-16 और 2016-17	डीसीसीटी अपील धनबाद
			58.23	1999-2000 से 2016-17	जेसीसीटी धनबाद
			213.95	1999-2000 से 2016-17	जेसीसीटी अपील धनबाद
			3.36	2010-11 और 2011-12	ट्रिब्यूनल रांची
3	बीएसटी (BST) अधिनियम, 1959	बिहार सेल्स टैक्स	7.91	1980-81 से 2004-05	अपीलीय अदालत

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट						प्रबंधन का जबाव
4	सीएसटी (CST) अधिनियम, 1956	केंद्रीय बिक्री कर	22.44 58.13 35.01 25.8 2.52 7.88 1.8 69.12 320.85 12.52	1992-93 से 2010-11 2000-01 से 2017-18 1985-86 से 2017-18 1980-81 से 2014-15 2006-07 से 2015-16 2009-10 से 2015-16 2011-12 से 2016-17 2005-06 से 2015-16 1999-2000 से 2019-20 1979-80 से 2014-15	सीसीटी, रांची डीसीसीटी, धनबाद डीसीसीटी कतरास डीसीसीटी लोअर कोर्ट डीसीसीटी, दुग्धा डीसीसीटी, सुदामडीह डीसीसीटी, अपील धनबाद जेसीसीटी, धनबाद जेसीसीटी, अपील धनबाद ट्रिब्यूनल, रांची	
5	पीई (WB PE) अधिनियम, 1973 और डब्ल्यूबी आरईपी (WBREP) अधिनियम, 1976	ग्रामीण शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा उपकर	16.28	1995-96 से 2007-08	डब्ल्यूबी ट्रिब्यूनल	
6	एमएमआरडी (MMRD) अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	220.74 5.98 78.92 10.15	1977 से 2011-12 2000-01 से 2014-15 1979-80 से 2012-13 1979-80 से 2006-07	प्रमाणन अधिकारी, धनबाद जेसीटी, धनबाद झारखंड उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यूबी ट्रिब्यूनल	
7	ईडी (ED) अधिनियम, 1948	बिजली शुल्क	5.66 2.43 14.71	1998-99 से 2015-16 2002-03 से 2015-16 2006-07 से 2016-17	डीसीसीटी, कतरास डीसीसीटी, झरिया सर्किल जेसीसीटी, धनबाद	
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	4.95	2014 से मार्च 2017	सेस्टेट, कोलकाता	

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट						प्रबंधन का जबाव
9	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	221.33 36.86 7.53	11 मार्च से जून 2018 2010-11 से 2014-15 मार्च 86 से 2015-16	आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), रांची सेस्टेट (CESTAT), कोलकाता झारखंड उच्च न्यायालय	
10	एसजीएसटी (SGST) अधिनियम, 2017	जीएसटी	0.04	2017-18	जेसीसीटी (ए) धनबाद	
11	डीएमओ धनबाद द्वारा अवैध खनन के खिलाफ सामान्य कारण मुआवजा		17344.46	2000-01 से 2016-17	पुनरीक्षण प्राधिकरण, एमओसी	
12	होल्डिंग टैक्स	होल्डिंग टैक्स	252.23	2015-16	झारखंड उच्च न्यायालय	
			20,609.60			

viii कंपनी को ऐसे लेन-देन से संबंधित कोई मामला नहीं मिला है जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया था।

ix (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंक से ऋण लिया है और उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बिना किसी चूक के चुका दिया गया है।

ख)कंपनी को वर्ष के दौरान किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में घोषित नहीं किया गया।

ग)कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और न ही वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण था। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) (c) लागू नहीं होता है।

घ)कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई निधि नहीं जुटाई है। तद्नुसार, आदेश का पैरा 3(ix)(d) लागू नहीं होता है।

ङ)कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी कंपनी या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है;

च)कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ix)(f) लागू नहीं होता है।

x (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(x) (ए) लागू नहीं होता है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जबाव
(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।	कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
xi (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी अथवा इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं पायी गई। तथापि सतर्कता विभाग ने दिनांक 30-04-2022 के अपने पत्र के जरिए कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए धोखाधड़ी के निम्नलिखित मामलों की जानकारी हमें दी है, जिनके विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:-	

क्र.सं.	प्रकरण संख्या / प्राथमिकी संख्या	प्रकरण का विवरण
1.	सीए/01/2021	मार्च, 2019 माह में क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, गोविंदपुर क्षेत्र, बीसीसीएल द्वारा बजट प्रमाणन में कथित रूप से अनियमितताएं की गई हैं। मामले से संबंधित राशि का उल्लेख नहीं है। विजिलेंस केस नं. सीए/01/2021, डीआई प्रगति पर है।
2.		सीके साइडिंग, बस्ताकोला क्षेत्र के परिवहन ठेकों में बिलों के भुगतान में कथित रूप से अनियमितताओं का पता चला है। मामले में शामिल राशि का उल्लेख नहीं है। सतर्कता के दृष्टिकोण से यह पता चला है और जांच प्रक्रियाधीन है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत रिपोर्ट के संबंध में हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है / हमारे संज्ञान में नहीं आई है, जैसा कि केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथा निर्धारित फॉर्म एडीटी- 4 में दायर किया जाना है।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii (क) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।

xiii संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और वित्तीय विवरणों आदि में विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानक द्वारा आवश्यक है;

xiv (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;

(ख) फरवरी, 2022 तक की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया गया।

xv हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है।

xvi (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(ख)कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन किया है;

(ग)कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xvi)(c) लागू नहीं होता है।

(घ)कंपनी ने समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी का समूह नहीं बनाया है;

xvii कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है। हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-2021 में कंपनी को ₹ 1408.68 करोड़ का नकद घाटा हुआ था।

xviii (xviii)वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xviii) लागू नहीं होता है।

xix (xix)वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी राय है कि लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है। अत: कंपनी बैलेंस शीट की तिथि को एक वर्ष की अवधि के अंदर जब भी कोई देय हो तो वह अपनी मौजूदा देनदारियों को अदा करने में सक्षम है।

xx (क) कंपनी ने चालू परियोजनाओं के अलावा, अव्ययित राशि को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट एक फंड में, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अंदर स्थानांतरित नहीं किया है।

	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जबाव
	(ख) कंपनी ने दिनांक 28.04.2022 को कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत अव्ययित शेष राशि, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में किसी भी चल रही परियोजना के अनुसार स्थानांतरित कर दी है।	
xxi	कंपनी द्वारा कोई शर्त या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। तद्नुसार, आदेश का पैरा 3(xxi) लागू नहीं होता है।	

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 22402203AINXPQ2539

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

कृते, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

समीरन दत्ता
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन - 08519303

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक-III

[हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं" के अनुच्छेद 3(छ) का अवलोकन करें]

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
1 हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ-साथ उस तिथि को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व** 2 इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु जारी मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण कसौटियों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुरूप ,इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण करते हुए, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करने हेतु लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता/परिशुद्धता एवं परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर विश्वस्त वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना शामिल करते हुए इसके व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे।	
लेखा परीक्षकों का दायित्व 3 हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित होने योग्य हैं, के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक अपना लेखा परीक्षा किया है, ये दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं। इन मानक एवं मार्ग-दर्शननोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों। 4 हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें बड़ी कमजोरी विद्यमान हो तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में बड़ी गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं। 5 हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए है, उसके बारे में हमें विश्वास है कि वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण संबंधी राय देने के आधार के लिए पर्याप्त और उचित हैं।	

विवरण	प्रबंधन का उत्तर
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ: 6 हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें बड़ी कमजोरी विद्यमान हो तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में बड़ी गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं। **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं** 7 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें सांठ-गांठ अथवा नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन भी जोखिम वाले हो सकते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त होने अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट जैसे जोखिम हो सकते हैं। **अभिमत/राय** 8 हमारी राय में, हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहां 31 मार्च, 2022 को प्रभावी तरीके से परिचालित हो रही थी जो इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक केआवश्यक अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की कसौटियां पर आधारित हैं।	

कृते एन.सी. बनर्जी एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझेदार,
सदस्यता सं. 402203
यूडीआईएन- 22402203AINXPQ2539

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

कृते, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

समीरन दत्ता
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
(अतिरिक्त प्रभार)
डीआइएन - 08519303

तारीख : 06.05.2022
स्थान : धनबाद

परिशिष्ट - VII

No.CAR/CCL/A/c Audit/BCCL/2022-23/ 15
संख्या
No

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated 06.07.2022

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद-826005

विषय: 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को अग्रसारित करती हूं।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि।

(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, अंकेक्षण (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 06 जुलाई, 2022

पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700 020
OLD NIZAM PALACE (First Floor), 234/4, Acharya Jagadish Ch. Bose Road, Kolkata-700 020
Phones : 2287-5380, 2287-7165, 2281-5784, 2290-0314, 2287-6836 Fax : 2288 0062
e-mail : dgacoalkol@cag.gov.in

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुरूप वर्षांत 31 मार्च, 2022 हेतु भारत कोकिंग कोल लि. के वित्तीय विवरण के निर्माण का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर, इस अधिनियम की धारा 143 के तहत अपनी राय व्यक्त करने के लिए जवाबदेह हैं। यह उनके द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 06 मई, 2022 के माध्यम व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहती हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणी

लाभ एवं हानि का विवरण ए/ई

व्यय

संविदात्मक व्यय (टिप्पणी-31): ₹ 1962.11 करोड़

बीसीसीएल द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने मार्च, 2022 तक 9348121.18 घन मीटर मलवा (ओवरबर्डन) और 617517.43 टन कोयले की निकासी की, जिसके लिए बीसीसीएल ने क्रमशः 7481789.40 घन मीटर मलवा (ओवरबर्डन) और 568188.51 टन कोयले की बुकिंग की। वास्तविक निकासी की तुलना में मलवा (ओवरबर्डन) एवं कोयले की कम बुकिंग के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक बताया गया और दायित्व को 21.39 करोड़1 कम बताया गया।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

ख.1 तुलन पत्र

व्यापार देय (टिप्पणी सं. 19): ₹ 800.26 करोड़

उपर्युक्त में पाथरडीह वाशरी के संबंध में ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले धुलाई शुल्क का प्रावधान शामिल नहीं है। धुलाई शुल्क के लिए अनुबंधित मूल्य ₹ 94 प्रति टन था।

1 {(ओवरबर्डन: 9348121.18-7481789.40)*₹ I13/ घन मीटर) 1(कोयला: 617517.43-568188.5)*₹ 61/टन}

बीसीसीएल बोर्ड ने धुलाई शुल्क में संशोधन कर इसे परिचालन (अर्थात 2020-21) के पहले वर्ष की शुरुआत से ही ₹ 153.85 प्रति टन की दर से ठेकेदार को भुगतान करने का अनुमोदन (जनवरी, 2022) प्रदान किया था। हालांकि, ठेकेदार को केवल अनुबंधित मूल्य ₹ 94 प्रति टन की दर से ही भुगतान किया गया था। पाथरडीह वाशरी में मार्च, 2022 तक 1573405.58 टन कोयले की धुलाई की गई। बोर्ड द्वारा दरों में संशोधन के बावजूद, बीसीसीएल ने केवल अनुबंधित मूल्य का भुगतान किया और बढ़े हुए मूल्य (₹ 59.85 प्रति टन) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप व्यापार देय को कम बताया गया और ₹ 9.42 करोड़ (1573405.58 टन * ₹ 59.85 प्रति टन) का अधिक लाभ बताया गया।

ख.2प्रावधान (टिप्पणी सं. 21): गैर-वर्तमान- ₹1535.59 करोड़
प्रावधान (टिप्पणी सं. 21): वर्तमान-₹ 1032.78 करोड़

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता एनसीडब्ल्यूए (NCWA) प्रत्येक पांच वर्ष पर किया जाता है और उसके बाद बीसीसीएल सहित सीआईएल तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को अंतिम रूप दिया जाता है। एनसीडब्ल्यूए (NCWA)-XI के अनुसार यह वेतन संशोधन 01 जुलाई, 2021 से देय था। बीसीसीएल ने बहीखातों में वेतन संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रावधानित किया था।

अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान करने के बावजूद, बीमांकिक ने उसी दायित्व का आकलन इस धारणा के साथ किया जिसे पिछले वर्ष 2020-21 में बीमांकिक माना गया था और कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वर्ष के लिए देयता का आकलन किया था जो 01 जुलाई, 2021 से देय था।

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के लिए हित एवं लाभ के संबंध में प्रावधानों का दोषपूर्ण वर्णन हुआ है (राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है)।

कृते, भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, अंकेक्षण (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 06 जुलाई, 2022

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का उत्तर 2021-22

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
क)लाभप्रदता पर टिप्पणी **लाभ एवं हानि खाते का विवरण** **संविदात्मक व्यय (टिप्पणी-31) – ₹ 1962.11 करोड़** बीसीसीएल द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने मार्च, 2022 तक 9348121.18 घन मीटर मलवा (ओवरबर्डन) और 617517.43 टन कोयले की निकासी की, जिसके लिए बीसीसीएल ने क्रमशः 7481789.40 घन मीटर मलवा (ओवरबर्डन) और 568188.51 टन कोयले की बुकिंग की। वास्तविक निकासी की तुलना में मलवा (ओवरबर्डन) एवं कोयले की कम बुकिंग के परिणामस्वरूप लाभ को अधिक बताया गया और दायित्व को 21.39 करोड़ कम बताया गया। {(9348121.18-7481789.40) * ₹ I13/घन मीटर+(617517.43-568188.5)* ₹ 61/टन}।	कंपनी, अनुबंध की शर्तों के अनुसार वर्षों से लगातार इस प्रथा का पालन कर रही है। हालांकि, इसकी समीक्षा की जाएगी और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक लेखांकन परिवर्तन किए जाएंगे।

सी एंड ए जी टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी **ख.1 तुलन पत्र** **व्यापार देय (टिप्पणी सं. 19): ₹ 800.26 करोड़** उपर्युक्त में पाथरडीह वाशरी के संबंध में ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले धुलाई शुल्क का प्रावधान शामिल नहीं है। धुलाई शुल्क के लिए अनुबंधित मूल्य ₹ 94 प्रति टन था। बीसीसीएल बोर्ड ने धुलाई शुल्क में संशोधन कर इसे परिचालन (अर्थात 2020-21) के पहले वर्ष की शुरुआत से ही ₹ 153.85 प्रति टन की दर से ठेकेदार को भुगतान करने का अनुमोदन (जनवरी, 2022) प्रदान किया था। हालांकि, ठेकेदार को केवल अनुबंधित मूल्य ₹ 94 प्रति टन की दर से ही भुगतान किया गया था। पाथरडीह वाशरी में मार्च, 2022 तक 1573405.58 टन कोयले की धुलाई की गई। बोर्ड द्वारा दरों में संशोधन के बावजूद, बीसीसीएल ने केवल अनुबंधित मूल्य का भुगतान किया और बढ़े हुए मूल्य (₹ 59.85 प्रति टन) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यापार देय को कम बताया गया और ₹ 9.42 करोड़ (1573405.58 टन * ₹ 59.85 प्रति टन) का अधिक लाभ बताया गया।	**बिंदु सं. ख.1 का उत्तर:** उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा यथा अनुशंसित मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करने वाले ठेकेदार ही इस बढ़े हुए धुलाई शुल्क का भुगतान प्राप्त करने के अधीन है। ठेकेदार द्वारा आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद ही इसे मान्यता दी जाएगी।
ख.2 प्रावधान (टिप्पणी सं. 21): गैर-वर्तमान- ₹1535.59 करोड़ **प्रावधान (टिप्पणी सं. 21): वर्तमान-₹ 1032.78 करोड़** राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता एनसीडब्ल्यूए (NCWA) प्रत्येक पांच वर्ष पर किया जाता है और उसके बाद बीसीसीएल सहित सीआईएल तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को अंतिम रूप दिया जाता है। एनसीडब्ल्यूए (NCWA)-XI के अनुसार यह वेतन संशोधन 01 जुलाई, 2021 से देय था। बीसीसीएल ने बहीखातों में वेतन संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रावधानित किया था। अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान करने के बावजूद, बीमांकिक ने उसी दायित्व का आकलन इस धारणा के साथ किया जिसे पिछले वर्ष 2020-21 में बीमांकिक माना गया था और कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वर्ष के लिए देयता का आकलन किया था जो 01 जुलाई, 2021 से देय था। **उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के लिए हित एवं लाभ के संबंध में प्रावधानों का दोषपूर्ण वर्णन हुआ है (राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है)।**	**बिंदु सं. ख.2 का उत्तर:** लेखापरीक्षा की यह टिप्पणी उचित नहीं है क्योंकि बीमांकिक अनुमानों को भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ के प्रासंगिक सिद्धांतों के अनुसार माना गया है। बीमांकिक अनुमानों के संबंध में भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ के पैरा 75 से 98 को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति एनसीडब्ल्यूए समझौते तथा अन्य प्रासंगिक कारक जैसा कि भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ के लिए आवश्यक है, जैसे कारकों पर विचार करते हुए वेतन मुद्रास्फीति 6.25% एक दीर्घकालिक धारणा है। अत: कर्मचारियों के एनसीडब्ल्यूए को उनकी सेवा की औपचारिक योजना में पहले से ही 6.25% प्रति वर्ष की वेतन मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक धारणाओं में माना जाता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा की यह टिप्पणी मान्य नहीं है क्योंकि यह भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

परिशिष्ट - VIII

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन

फार्म सं.- एमआर-3

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 (1) और कंपनी नियम, 2014 के नियम सं. 9 (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति एवं पारितोषिक) के आलोक में]

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन	प्रबंधन की टिप्पणी
सेवा में, सदस्यगण **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड** कोयला भवन, कोयला नगर धनबाद, 826005 झारखंड (भारत) हमने मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (सीआइएन: U10101JH1972GOI000918) (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा प्रभावी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कारपोरेट कार्यप्रणाली के प्रति इसकी निष्ठा का सचिवीय लेखापरीक्षण किया। यह सचिवीय लेखापरीक्षण भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आइसीएसआइ) द्वारा निर्गत सीएसएएस-4 लेखा मानक के अनुसार इस प्रकार किया गया था कि इससे मुझे कारपोरेट आचार-व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों और इसपर हमारे विचार प्रकट करने के लिए एक यथोचित आधार मिला। सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के अतिरिक्त इस कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर, मुझे उपलब्ध करायी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष, यहां नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है, जो कि इस तरह और इसके बाद यहां की गई रिपोर्टिंग के अधीन है: हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है : हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है : i.कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत बने नियम, ii.प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके तहत बनाये गए नियमों (लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) iii.विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी (ओवरसीज) प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार के विस्तार हेतु इसके तहत बनाये गये नियम एवं विनियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)	

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन	प्रबंधन की टिप्पणी
iv.भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश लागू हैं; v.डिपॉजिटरी अधिनियम,1996 और इसके तहत बनाये गए विनियम तथा उप-नियम vi.ओएम. सं. 18(8)/2005-GM दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश; vii.भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक 1 एवं 2. viii.भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच करने पर, नमूना-जांच के आधार पर तथा सभी लागू कानूनों पर बीसीसीएल बोर्ड के समक्ष नियमित आधार पर रखी जाने वाली त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी पर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है::- 1.कोयला खान अधिनियम, 1952 2.भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 3.कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004 4.कोयला खान नियम, 2017 5.वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956 6.कोयला खान पेंशन योजना, 1998 7.कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974 8.खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 9.खान क्रेच रूल्स, 1961 10.खान बचाव नियम, 1985 11.कोयला खान पिटहेड बाथ रूल्स, 1946 12.मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963 13.विस्फोटक नियम, 2008 14.खनिज रियायत नियम, 1960 15.कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 16.खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 17.निर्विवाद वेतन भुगतान (खान) नियम, 1989 18.भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956 19.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 20.जोखिम एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार गतिविधि) नियम, 2016 21.जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) नियम, 1974 तथा इसके तहत बनाए गए नियम 22.वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) नियम, 1981 23.सार्वजनिक दायित्व बीमा (पब्लिक लायब्लिटि इंश्योरेंस) अधिनियम, 1991 तथा इसके तहत बनाए गए नियम	

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन	प्रबंधन की टिप्पणी

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के संबंध में, कंपनी के एक केंद्रीय पीएसयू होने के नाते, सरकारी कंपनियों के लिए लागू नियामक ढांचा लागू होता है जो कि निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार, डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन पर सीपीएसई की तिमाही/वार्षिक ग्रेडिंग से संबंधित मामलों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है और इसे वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, केवल एसी परिस्थिति को छोड़कर जहां बैठक अत्यावश्यक कार्यों के लिए एक संक्षिप्त सूचना पर आयोजित की गई हो, कार्यसूची को निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन पहले पर्याप्त सूचना दी गयी थी, और बैठक से पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एजेंडा मदों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बोर्ड की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं परिचालनों के अनुपात में कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि मेरे द्वारा प्राप्त किए गए और उन पर भरोसा किए गए स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी।

(जे. के. दास)
सी.पी सं. 4250
सदस्यता सं. FCS7268
मैसर्स. जे. के. दास एड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
यूडीआईएन: F007268D000488760
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2015/322

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 जुलाई, 2022

अनुलग्नक -क

सचिवीय लेखा प्रतिवेदन	प्रबंधन की टिप्पणी

प्रति,
सदस्यगण
मै. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
कोयला भवन कोयला नगर,
धनबाद-826005
झारखंड, भारत

श्रीमान,
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।
प्रबंधन की जिम्मेदारी:
कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी इस प्रकार है:

1.सचिवीय रिकार्ड के रखरखाव की जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्ड पर एक मत व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है।

2.हमने लेखापरीक्षण पद्धति एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकार्ड के विषय -वस्तु के तथ्यों के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त थें। जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि विषय-वस्तु का तथ्य सचिवीय रिकार्ड में प्रतिबिंबित हो। हम मानते हैं कि, हमने अपनी राय में प्रक्रियाओं और पद्धतियों के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

3.हमने बहियों एवं कागजातों के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की तथ्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और न ही किसी बहियों, सूचनाओं या विवरणों की जांच की है।

4.हमने उपर्युक्त के अलावा किसी अन्य विशिष्ट कानूनों की जांच नहीं की है।

5.जहाँ भी आवश्यक पड़ी, हमने उक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

6.कॉरपोरेट कानूनों तथा अन्य लागू नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

7.सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता का, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी मामलों का संचालन किया है।

(जे. के. दास)
सी.पी सं. 4250
सदस्यता सं. FCS7268
मैसर्स. जे. के. दास एड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
यूडीआईएन: F007268D000488760
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2015/322

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 13 जुलाई, 2022

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

सीआईएन:U10101972GOI000918

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकतएं) विनियम, 2015 का नियम 33

31.03.2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अनअंकेक्षित परिणाम का विवरण

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही की समाप्ति पर			वर्ष की समाप्ति पर	
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	**परिचालन से राजस्व:**					
	(क) बिक्री (शुद्ध सांविधिक शुल्क के बाद)	2,760.78	2,305.86	1,769.19	9,445.58	6,149.81
	(ख) अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध सांविधिक शुल्क के बाद)	204.15	158.64	128.16	682.28	417.48
	परिचालन से राजस्व (क + ख)	**2,964.93**	**2,464.50**	**1,897.35**	**10,127.86**	**6,567.29**
2	अन्य आय	122.28	43.95	64.91	451.97	182.28
3	**कुल आय (1 + 2)**	**3,087.21**	**2,508.45**	**1,962.26**	**10,579.83**	**6,749.57**
4	**व्यय:**					
	(क) खपत सामग्री की लागत	233.96	119.15	163.12	634.63	475.09
	(ख) तैयार माल, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन	(287.33)	8.53	(210.00)	229.13	(463.45)
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	1,417.89	1,429.22	1,494.18	5,788.32	5,565.72
	(घ) विद्युत व्यय	46.21	70.97	49.48	244.10	225.42
	(ङ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय	0.77	0.86	1.33	2.99	6.12
	(च) मरम्मत	58.55	23.57	51.75	144.64	138.76
	(छ) संविदात्मक व्यय	571.55	506.86	424.20	1,962.11	1,476.37
	(ज) वित्त लागत	19.81	9.88	50.11	77.75	121.69
	(झ) मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	124.45	64.97	54.13	315.48	208.79
	(ञ) प्रावधान	17.03	3.90	12.90	36.57	29.16
	(ट) बट्टे खाते	(2.14)	-	-	-	-
	(ठ) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	146.74	11.79	(60.67)	88.44	(193.17)
	(ड) अन्य व्यय	210.61	238.21	196.49	864.36	736.13
	कुल व्यय (क से ड)	**2,558.10**	**2,487.91**	**2,227.02**	**10,388.52**	**8,326.63**
5	**कर से पहले लाभ (हानि) (3-4)**	**529.11**	**20.54**	**(264.76)**	**191.31**	**(1,577.06)**
6	कर व्यय	151.51	6.64	(125.98)	79.69	(374.58)
7	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (5-6)**	**377.60**	**13.90**	**(138.78)**	**111.62**	**(1,202.48)**
8	**अन्य व्यापक आय**					
	(i) वे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	101.83	(19.77)	34.15	98.01	(8.51)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	25.63	(4.97)	8.60	24.67	(2.14)
	कुल अन्य व्यापक आय (i-ii)	**76.20**	**(14.80)**	**25.55**	**73.34**	**(6.37)**
9	**कुल व्यापक आय / (हानि) (7 + 8)**	**453.80**	**(0.90)**	**(113.23)**	**184.96**	**(1,208.85)**
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹1000 / - प्रत्येक)	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00
11	**प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹1000 / - प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)**					
	क) बेसिक	**81.08**	**2.98**	**(29.80)**	**23.97**	**(258.21)**
	ख) डाइल्यूट	**81.08**	**2.98**	**(29.80)**	**23.97**	**(258.21)**
12	**उत्पादन (कच्चा कोयला) (मि.ट. में)**	10.42	7.72	7.15	30.51	24.66

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही की समाप्ति पर			वर्ष की समाप्ति पर	
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
13	ऑफटेक (कच्चा कोयला) (मि.ट. में).	9.22	7.51	6.37	32.28	23.13
14	ओबीआर (घन मीटर में)	**31.03**	**26.88**	**27.56**	**106.12**	**103.84**

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
सदस्य सं.- 402203

दिनांक: 06.05.2022
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08073913

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन- 09494689

(राकेश कुमार सहाय)
विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31.03.2022 को तुलन-पत्र

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
		31.03.2022	31.03.2021
परिसंपत्तियां			
गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	2,331.73	1,884.86
(ख) पूंजीगत जारी कार्य	4	1,447.35	1,389.92
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	167.13	417.88
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1	-	-
(ङ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	6.2	18.58	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	607.18	528.13
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		867.08	971.44
(ज) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	10	349.91	357.66
कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां (क)		**5,788.96**	**5,549.89**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)	12	978.45	1,187.88
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	13	1,037.01	3,004.80
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य	14	617.33	48.67
(iv) अन्य बैंक जमा शेष	15	7.24	126.99
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	37.22	274.68
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां		151.44	122.72
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	2,549.23	2,112.88
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		**5,377.92**	**6,878.62**
कुल परिसंपत्तियां (क+ख)		**11,166.88**	**12,428.51**

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
		31.03.2022	31.03.2021
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	4,657.00	4,657.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(1,383.23)	(1,568.19)
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी इक्विटी		3,273.77	3,088.81
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		**3,273.77**	**3,088.81**
देयताएं			
गैर-मौजूदा देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		156.35	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	283.71	232.75
(ख) प्रावधान	21	1,535.59	1,732.65
(ग) आस्थगित कर देयताएं			
(घ) अन्य गैर-मौजूदा देयताएं	22	2.75	3.62
कुल गैर-मौजूदा देयताएं (ख)		**1,978.40**	**1,969.02**
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	18	-	2,052.08
(ii) पट्टा देयताएं		43.93	-
(iii) व्यापार देय -	19		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		25.40	8.23
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		774.86	1,200.30
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,507.92	1,462.63
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	23	2,529.82	1,769.81
(ग) प्रावधान	21	1,032.78	877.63
कुल वर्तमान देयताएं (ग)		**5,914.71**	**7,370.68**
कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)		**11,166.88**	**12,428.51**

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
सदस्य सं.- 402203

दिनांक: 06.05.2022
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08073913

(राकेश कुमार सहाय)
विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी)

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन- 09494689

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ 'करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
			31.03.2022	31.03.2021
	परिचालनों से प्राप्त आय			
क.	बिक्री (शुद्ध सांविधिक शुल्क के बाद)	24	9,445.58	6,149.81
ख.	अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध सांविधिक शुल्क के बाद)	24	682.28	417.48
(I)	**परिचालनों से प्राप्त आय (क+ख)**		10,127.86	6,567.29
(II)	अन्य आय	25	451.97	182.28
(III)	**कुल आय (I+II)**		**10,579.83**	**6,749.57**
(IV)	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत	26	634.63	475.09
	तैयार माल / चालू कार्य की सूची में परिवर्तन	27	229.13	(463.45)
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	5,788.32	5,565.72
	बिजली खर्च		244.10	225.42
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	2.99	6.12
	मरम्मत	30	144.64	138.76
	संविदात्मक व्यय	31	1,962.11	1,476.37
	वित्त लागत	32	77.75	121.69
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		315.48	208.79
	प्रावधान	33	36.57	29.16
	बट्टे खाते में	34	-	-
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		88.44	(193.17)
	अन्य खर्चे	35	864.36	736.13
	कुल खर्चे (IV)		**10,388.52**	**8,326.63**
(V)	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)**		**191.31**	**(1,577.06)**
(VI)	असाधारण मदें		-	-
(VII)	**कर से पहले लाभ (V-VI)**		**191.31**	**(1,577.06)**
(VIII)	**कर व्यय**	36		
	वर्तमान / पूर्व वर्ष से संबंधित कर		-	21.37
	आस्थगित कर		79.69	(395.95)
	कुल कर व्यय (VIII)		**79.69**	**(374.58)**
(IX)	**अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**111.62**	**(1,202.48)**
(X)	**अन्य व्यापक आय**	37		
	क (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		98.01	(8.51)
	घटाएं: (ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले मदों से संबंधित आय कर		24.67	(2.14)
	ख (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	घटाएं: (ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले मदों से संबंधित आय कर		-	-
	कुल अन्य व्यापक आय		**73.34**	**(6.37)**

(₹ 'करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर	
		31.03.2022	31.03.2021
(XI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय को मिलाकर)		**184.96**	**(1,208.85)**
निम्न से संबंधित लाभ :			
कंपनी के मालिकों से		**111.62**	**(1,202.48)**
अनियंत्रित ब्याज से		**-**	**-**
		111.62	**(1,202.48)**
निम्न से संबंधित अन्य व्यापक आय :			
कंपनी के मालिकों से		**73.34**	**(6.37)**
अनियंत्रित ब्याज से		**-**	**-**
		73.34	**(6.37)**
कुल व्यापक आय :			
कंपनी के मालिकों से		**184.96**	**(1,208.85)**
अनियंत्रित ब्याज से		**-**	**-**
		184.96	**(1,208.85)**
(XII) प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत जारी परिचालन के लिए): (₹ में)			
(1) बेसिक		**23.97**	**(258.21)**
(2) डाइल्यूटेड		**23.97**	**(258.21)**
(XIII) प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए): (₹ में)			
(1) बेसिक		**-**	**-**
(2) डाइल्यूटेड		**-**	**-**
(XIV) प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत जारी और बंद परिचालन के लिए): (₹ में)			
(1) बेसिक		**23.97**	**(258.21)**
(2) डाइल्यूटेड		**23.97**	**(258.21)**

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
सदस्य सं.- 402203

दिनांक: 06.05.2022
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08073913

(राकेश कुमार सहाय)
विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी)

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन- 09494689

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

नकद और नकद समतुल्य के प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि के तहत)

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
1. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह :				
कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) :		191.31		(1,577.06)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
(i) मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		315.48		208.79
(ii) ब्याज और लाभांश आय		(23.30)		(56.87)
(iii) वित्त लागत		76.96		121.69
(iv) (लाभ)/संपत्ति की बिक्री पर हानि		2.31		1.92
(v) देयता और प्रावधान वापस लिखा गया		(331.43)		(75.67)
(vi) व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता		23.21		25.06
(vii) अन्य प्रावधान		13.36		4.10
(viii) स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		88.44		(193.17)
वर्तमान/गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ		**356.34**		**(1,541.21)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
(i) व्यापार प्राप्य (भत्तों का शुद्ध)		1,967.79		(590.08)
(ii) मालसूची (इन्वेंटरी)		209.43		(487.11)
(iii) ऋण और अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		12.30		279.94
(iv) वित्तीय और अन्य देयताएं		1,193.85		(150.20)
(v) व्यापार देय		(408.27)		240.71
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी		**3,331.44**		**(2,247.95)**
आयकर भुगतान / वापसी		(28.72)		(54.59)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)		**3,302.72**		**(2,302.54)**
2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(638.39)		(392.13)
(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय		(8.21)		(10.81)
(iii) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति में वृद्धि (-)/कमी (+)		(4.20)		-
(iv) बैंक जमा में आय/(निवेश)		43.03		1,239.75
(v) म्युचुअल फंड, शेयरों आदि में आय/(निवेश)		-		4.00
(vi) निवेश से ब्याज		23.21		128.78
(vii) म्यूचुअल फंड से ब्याज / लाभांश		-		-
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी (ख)		**(584.56)**		**969.59**

(₹' Crore)

विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
3.वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
(i) उधार में चुकौती/वृद्धि		(2,052.08)		2,052.08
(ii) वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		(66.77)		(121.69)
(iii) पट्टा देयता का पुनर्भुगतान		(30.65)		-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (ग)		**(2,149.50)**		**1,930.39**
(I) नकदी एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क+ख +ग)		**568.66**		**597.44**
(II) अवधि के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य:				
क. आरम्भिक नकद एवं नकद समतुल्य		48.67		(548.77)
(III) अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य:				
क. अंतिम नकद एवं नकदी समतुल्य		617.33		48.67
नकद और नकद समकक्षों का समाधान (टिप्पणी-14)				
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		**617.33**		**48.67**
नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी-14)		617.33		48.67
बैंक ओवरड्राफ्ट (टिप्पणी-18 का फुटनोट 2 देखें)		-		-

(कोष्ठक के सभी आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं)

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
सदस्य सं.- 402203

दिनांक: 06.05.2022
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08073913

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन- 09494689

(राकेश कुमार सहाय)
विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31.03.2022 को वर्ष के समापन पर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2022 को

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	01.04.2021 तक बकाया शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2021 को पुनर्वयक्त बकाया शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को बकाया शेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 4,65,70,000 इक्विटी शेयर	4,657.00	-	4,657.00	-	4,657.00

31.03.2021 को

विवरण	01.04.2020 को बकाया शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2020 को पुनर्वयक्त बकाया शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को बकाया शेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 4,65,70,000 इक्विटी शेयर	4,657.00	-	4,657.00	-	4,657.00

ख. अन्य इक्विटी

31.03.2022 को

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	संयोजित वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष				परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
			पूंजी मोचन आरक्षित	संपत्ति कोष	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय		
01.04.2021 को बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(1,783.38)	74.20	**(1,568.19)**
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2021 को पुनर्व्यक्त बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(1,783.38)	74.20	(1,568.19)
कुल व्यापक लाभ	-	-	-	-	-	111.62	73.34	**184.96**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान इज़ाफ़ा	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी खरीद (बाय बैक)	-	-	-	-	-	-	-	-
बाय बैक पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों का जारी किया जाना	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2022 को बकाया शेष	-	-	-	-	**140.99**	**(1,671.76)**	**147.54**	**(1,383.23)**

31.03.2021 को

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	संयोजित वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष				परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
			पूंजी मोचन आरक्षित	संपत्ति कोष	समान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय		
01.04.2020 को बकाया शेष	-	-	-	-	**140.99**	**(580.90)**	**80.57**	**(359.34)**
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2020 को पुनर्व्यक्त बकाया शेष	-	-	-	-	140.99	(580.90)	80.57	(359.34)
कुल व्यापक लाभ	-	-	-	-	-	(1,202.48)	(6.37)	**(1,208.85)**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान इज़ाफ़ा	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी खरीद (बाय बैक)	-	-	-	-	-	-	-	-
बाय बैक पर कर	-	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों का जारी किया जाना	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 को बकाया शेष	-	-	-	-	**140.99**	**(1,783.38)**	**74.20**	**(1,568.19)**

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
सदस्य सं.- 402203

दिनांक: 06.05.2022
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08073913

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन- 09494689

(राकेश कुमार सहाय)
विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी)

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

टिप्पणी 1 : कॉरपोरेट जानकारी

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक मिनीरत्न लोक उपक्रम कंपनी है और यह 100% कोल इंडिया (भारत सरकार की एक सार्वजनिक कंपनी) की एक अनुषंगी कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद- 826005 है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा, की स्थापना 1972 में झरिया एवं रानीगंज कोलफील्ड्स में अवस्थित कोयला खदानों से कोकिंग कोल उत्खनन के लिए की गयी थी। 16 अक्टूबर, 1971 को भारत सरकार द्वारा देश में मौजूद दुर्लभ कोकिंग कोल के स्रोतों का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया था। तब से यह कंपनी प्रमुख रूप से झारखंड राज्य एवं आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में कोयला खनन एवं इससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। देश में कोकिंग कोल का सर्वाधिक उत्पादक होने के कारण इस कंपनी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(टिप्पणी-2)

1.1. वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किया गया है।

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण मापन की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:-

- उचित मूल्य पर मापी गयी कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित लेखांकन नीति देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं- उचित मूल्य पर मापी गयी योजनागत परिसंपत्तियां (परिभाषित लाभ योजनाओं पर लेखांकन नीति देखें) ;
- लागत पर वस्तु-सूची या एनआरवी, इनमें से जो भी कम हो (इन्वेंटरी से संबंधित लेखांकन नीति देखें)।

1.2 राशियों को पूर्ण अंकों में दर्शाना

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो अंको तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में दर्शाया गया है।

2. वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब -

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बेचने या इनका उपयोग करने की इच्छा रखती हो,
ख) कंपनी परिसंपत्तियों को मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती हो,
ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा
घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला-बदली (एक्सचेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब :

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो
ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;
ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना, अथवा
घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी लिखत जारी करके इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 115, निर्माण अनुबंध से संबंधित भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व की मान्यता को अधिगृहीत करता है और यह इसके ग्राहक-अनुबंध से प्राप्त सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ने ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व प्राप्त करने के लिए लेखा हेतु एक पांच-स्तरीय मॉडल को स्थापित किया है और यह आवश्यक है कि राजस्व की उस राशि को मान्यता देने पर विचार किया जाय, जिसमें ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी के विशेषज्ञों को विनिमय करने का अधिकार प्राप्त हो सके। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ('बीसीसीएल' या 'कंपनी') ने अंगीकरण की पूर्वव्यापी विधि को अपनाते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अंगीकृत किया है।

भारतीय लेखा मानक 115 में आवश्यक है कि प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। मानक एक अनुबंध के प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और अनुबंध को पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय धनबाद, झारखंड, भारत में है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले माल या सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी हो और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हों;

ख) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान की जा सकती हो;

ग) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान-शर्तों की पहचान की जा सकती है;

घ) अनुबंध में व्यावसायिक निहितार्थ (इस संविदा के परिणामस्वरूप जोखिम, समय या कंपनी के भावी नकदी प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है) मौजूद हो, और

ङ) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी प्रतिफल एकत्र करे जिसका कि उसे अधिकार है। प्रतिफल राशि, जिसके लिए कि कंपनी को अधिकार है, अनुबंध में लिखित कीमत से कम या अधिक हो सकती है। प्रतिफल राशि में अंतर हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, राहत, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या समान मदों के लिए हकदार हो सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पाये जाते हैं तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पक्षों) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में लेखांकित किया जा सकता है:

क) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो;
ख) यदि एक अनुबंध में भुगतान किए जाने वाली प्रतिफल-राशि, अन्य अनुबंध के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर हो, या
ग) यदि अनुबंध में दी गयी वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दी गयी कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व से संबंधित हो।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में लेखांकित कर सकती है:

क) यदि दी गयी विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ इजाफा होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाय और
ख) यदि अनुबंध की कीमत प्रतिफल की उस राशि से बढ़ती है जो कंपनी के वचन दिए गए अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए स्वतंत्र बिक्री
ग) कीमतों तथा किसी विशेष अनुबंधों की परिस्थितियों को प्रतिफलित (प्रतिबिंबित) करने के लिए कीमतों में उचित समायोजन प्रदर्शित करती है।

चरण 2: कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध के आरंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गयी वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को निम्न में से किसी को अंतरित करने के लिए प्रत्येक वचन को कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करती है या तो:

क) एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) या
ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक समान तरीका है।

चरण 3: लेन-देन कीमत का निर्धारण

लेन-देन का कीमत का निर्धारित करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों तथा इसकी प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिससे कंपनी ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरण के बदले में, अन्य पक्षों की ओर से वसूली की गई राशियों को छोड़कर, हकदार होने की आशा करती है।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पक्षों के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनीय प्रतिफल;
- परिवर्तनीय प्रतिफल को बाधित करने वाले प्राक्कलन
- महत्वपूर्ण वित्तीय घटक की मौजूदगी
- गैर-नकदी प्रतिफल
- ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य, रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा की गयी प्रतिफल राशि भी भिन्न हो सकती है यदि कंपनी के विचार करने का अधिकार किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर निर्भर हो।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के की विषयवस्तु के आधार पर दंड आधारित होता है। जहां लेनदेन के निर्धारण में जुर्माना निहित है, वहां यह परिवर्तनशील विचार का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल 'अनुमानित चर विचार' के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल हैं, जबकि इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक कि 'चर विचार' के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती।

कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए चर विचार वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है, जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है।

यदि कंपनी ग्राहक से विचार प्राप्त करती है और कुछ या सभी चर विचार ग्राहक को रिफंड करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस चर विचार प्राप्त (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं है)। लेन-देन मूल्य में रिफंड देयता तथा चर विचार परिवर्तन है और इसलिए परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध देयता को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिससे चर विचार की राशि में परिवर्तन होता हो, के संकल्प सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा की गयी वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी।

चरण 4: लेनदेन की कीमत का आवंटन:

कंपनी का उद्देश्य है कि लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित किया जाय, जो चर विचार की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्वचालित विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर स्वचालित (स्टैंड-अलोन) विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जो अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के तहत आता है और उन स्वचालित बिक्री मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत आवंटित की जाती है।

चरण 5: राजस्व को पहचानना:

जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तु एवं सेवा को हस्तांतरित कर उसके निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व की मान्यता करती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या के रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी निष्पादन दायित्व और राजस्व को स्वीकृत किया जाता है:

क) यदि कंपनी के निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से लाभ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है।
ख) यदि कंपनी के निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो।
ग) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरे किए गए निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो।

कंपनी समय-समय पर संतुष्ट प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्य करती है।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापक विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धति का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने निष्पादन दायित्व की प्रगति को पुन: मापती है।

कंपनी, अनुबंध के तहत वादा की गई शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता करने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है। आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन - सर्वेक्षण, प्राप्त परिणाम के मूल्यांकन, नए बनाए गए रिकॉर्ड (milestones), बीते समय तथा उत्पादित या सौंपी गई इकाइयां जैसी विधियों का शामिल किया जाता है।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है।

कंपनी, यदि निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगति को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकारती है। जब (या के रूप में) कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन-मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें चर विचार के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किए गए हैं)।

यदि समय के साथ कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय सीमा को निर्धारित करने के लिए जब वादा की गयी किसी वस्तु एवं सेवा पर एक ग्राहक का अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है, जिसमें एक सीमा तक निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक स्वामित्व को हस्तांतरित कर दिया है
घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल होता है
ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार किया है।

जब अनुबंध में कोई भी पक्ष (पार्ची) कार्य-निष्पादन कर देता है, तो कंपनी अनुबंध को अपने तुलन-पत्र (बैलेंस-शीट) में अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है, जो कंपनी के कार्य-निष्पाद और ग्राहक के भुगतान के संबंध पर निर्भर करता है। कंपनी प्रतिफल के लिए किसी बिना शर्त अधिकार को अलग से प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। अगर कंपनी ग्राहक के प्रतिफल भुगतान करने या भुगतान देय से पहले वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके कार्य-निष्पादन करती है तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति की पहचान सशर्त रूप में की जाती है ।

कारोबार प्राप्य:

एक प्राप्य राशि प्रदर्शित करती कि किसी प्रतिफल राशि पर कंपनी का बिना शर्त अधिकार है। (यानी, प्रतिफल राशि के बकाया भुगतान से पूर्व केवल कुछ समय बीतना अपेक्षित हो)।

अनुबंध दायित्व:

एक अनुबंध दायित्व वह बाध्यता है जिसमें किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की प्राप्य राशि) प्राप्त हो चुका हो। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान कर देता है, तो कंपनी अनुबंध को अनुबंध दायित्व के रूप में पहचान करेगी लेकिन जब भुगतान हो गया है या देय है (इनमें से जो भी पहले हो)। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करके ब्याज से प्राप्त आय की पहचान की जाती है।

लाभांश:

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

अन्य दावे:

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से देर से वसूली होने पर मिले ब्याज सहित) का लेखांकन वसूली की सुनिश्चितता तथा उसके मूल्यांकन की वास्तविकता होने पर ही किया जाता है।

4. सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/सहायता स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि विवरण के एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल ख़र्च में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही ख़र्च हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त हैं जिसके लिए वे प्राप्य होते हैं ।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे ''कैपिटल रिजर्व'' में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

5. पट्टे (भारतीय लेखा मानक 116)

एक अनुबंध तब एक पट्टा होता है अथवा इसमें पट्टा निहत होता है, जब अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित समयाविध के लिए पहचानी गयी परिसंपत्ति के उपयोग के नियंत्रितण का अधिकार प्रदान करता है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

प्रारंभिक तिथि को पट्टेदार उन पट्टा दायित्व का माप पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर करेगा जो उस तिथि को अदा नहीं किये गये हैं।

इसके बाद, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को कॉस्ट मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज़ देयता को पट्टा दायित्व पर ब्याज प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि को बढ़ाकर; किये गये पट्टा भुगतानों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि घटा कर; तथा किसी पुनःआंकलन अथवा पट्टा संशोधनों को प्रदर्शित करने के लिए अग्रणीत राशि का पुनर्माप करके मापा जाता है

पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में ।

एक पट्टे को एक वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित करता है। एक पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से प्रासंगिक सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को सारभूत रूप से अंतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टे-

परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतानों को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि कोई अन्य सुव्यवस्थित आधार उस ढंग (पैटर्न) का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के प्रयोग से लाभ कम होता है।

वित्त पट्टे-

एक वित्त पट्टे के तहत धारित परिसंपत्तियों को आरंभ में इनके तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में पहचाना जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इसके बाद, पट्टा अवधि में वित्त आय को ऐसे ढांचे (पैटर्न) के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमे पट्टेदार के पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर प्रतिबिंबित होती हो।

6.बिक्री के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,
- वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,
- वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के अंदर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

7. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (PPE)

भूमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल हैः-

क) इसका खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

ग) सामानों के पुरजे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अवधि के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अवधि के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, प्लांट और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहन राशि (Carrying Amount) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद होती है अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्यह्रास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित हैं –

अन्य भूमि

(पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना अवधि अथवा पट्टा अवधि जो कम हो
बिल्डिंग	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिये गए उपयोगी जीवन अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन उस उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग ग में निर्धारित है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपदा, संयंत्र और उपकरण का अपशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, वैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निपटान की गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास के योग/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोल बियरिंग एरिया (एक्विजिसन एण्ड डेवलपमेंट) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन पर लम्बी अवधि के लिए अंतरण आदि के तहत अभिग्रहीत की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को सर्वे-ऑफ परिसंपत्तियों के रूप में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं इनके हानिकरण की जांच कर जाती है। उत्पादन, सामानों की आपूर्ति अथवा कंपनी की किसी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक किसी खास परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत परिसंपत्तियों को सक्षम/सक्रिय बनाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार रखाव मूल्य के साथ जारी रखने का कंपनी ने निर्णय लिया (पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए)।

8.खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं बंदीकरण दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार खुली एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी खर्च अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चों के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चों के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति की पहचान उसी अवधि में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को पीपीई . में एक अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट में कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

9. अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- अन्वेषण करने हेतु अधिकारों की प्राप्ति
- शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण डाटा का विश्लेषण;

- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए अन्वेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग एवं नमूना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं करना।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययन करना।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं पृथक विचार न करने योग्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत अन्वेषणात्मक खर्चों के साथ इन खर्चों को अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को "विकास" के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

10. विकास खर्च

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो "विकास" मद के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चों को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध होता है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है:

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(ग) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहीत की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से सृजित अप्रत्यक्ष/अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन के साथ किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (यानी ब्लॉक के लिए, सीआइएल के लिए अलग से नहीं) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए मदद पहुंचाने वाली अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को फिर भी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है।

जैसा और जब भी होअनुसंधान और विकास को एक व्यय के रूप में माना जाता है।

12. परिसंपत्तियों का ह्रास (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

13. निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासनिक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

14. वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

एक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

14.1.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

लाभ या हानि और ट्रांजेक्शन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को ट्रेड की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

14.1.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज।
- अन्य सघन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (FVTOCI) के जरिए।
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज, डेरिवेटिव एवं इक्विटी दस्तावेज (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज (FVTOCI)

14.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ़ने देती है जो बकाये मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज (एसएसपीआई) का एकमात्र भुगतान होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना- अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

14.1.2.2 एफवीटीओसीआई (FVTOCI) पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण दस्तावेज'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह के एसपीपीआई के निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट की जाती है।

14.1.2.3. एफ वी टी पी एल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज

एफवीटीपीएल ऋण पर/दस्तावेज के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण -पत्र/दस्तावेज को नामित/निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफ वी टी पी एल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

14.1.2.4. मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया गई है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब -

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

14.1.2.5. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,

(ग) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और

(घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण"अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

14.2. वित्तीय देयताएं

14.2.1. प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ़्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

14.2.2. परिवर्ती मापन/मूल्यांकन

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

14.2.2.1. लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनोशिंयल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी यदि भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) की कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए आरोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में लाभ और हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देनदारी को निर्दिष्ट नहीं किया है।।

14.2.2.2. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।।

14.2.2.3. मान्यता समाप्त करना

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

14.3. वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।
एफ वी टी पी एल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नए सकल वहन शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन शेष राशि के आधार पर ई आई आर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओ सी आई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ई आई आर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफ वी टी ओ सी आई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालांकि, ओ सी आई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी आई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नयी वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफ वी टी ओ सी आई	एफ वी टी पी एल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनर्वर्गीकरण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

14.4. वित्तीय दस्तावेजों (लिखतों) का समायोजन (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

15. उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

16. कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है "आयकर पूर्व लाभ" से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि कर इसकी संभावना है कि कर कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उस कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटान नहीं किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

17. कर्मचारियों को लाभ

17.1. अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ (समापन लाभों के अलावा) हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले है।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

17.2. नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

17.2.1. परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित-अंशदायी योजना एक नियोजन पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए फंड में एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी अथवा संरचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।।

17.2.2. परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना परिभाषित अंशदान योजना के अलावा रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है।

जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

17.3. अन्य दीर्धकालीन कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों, नियोजन पश्चात लाभों और सेवांत लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल होती हैं जिनके पूर्णतः निपटान की उम्मीद कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्टिंग के बाद बारह महीने से पहले नहीं होती है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ या हानि के विवरण में मान्य किया जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनर्मापन

18. विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) है जो कि इसके संचालन क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

19. स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

खुली खदानों से खनन मामले में, कोयले की सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान से बने खदान अपशिष्ट पदार्थ (ओवर बर्डेन) को कोयले तक पहुंचने और इसके निष्कर्षण के लिए निकालने की आवश्यकता होती है। यह अपशिष्ट हटाने की गतिविधि 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जानी जाती है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक ऐसे खर्चो का सामना करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

इसलिए, नीतिगत रूप से, प्रति वर्ष एक मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को खदान से राजस्व मिलने के बाद अनुपात-विचलन लेखा और स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के विधिवत समंजन के साथ प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोल) पर प्रभारित किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति और अनुपात के विचलन के कुल शेष को मामले के अनुसार गैर-मौजूदा प्रावधान/अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन के रूप में दिखाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखा के अनुपात के लिए माना जाता है, जहां बताई गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के निचले भाग के अंदर है -

खान के ओबीआर का वार्षिक घनत्व	भिन्नता की अनुमत सीमाएं (%)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां भिन्नता ऊपर की अनुमति सीमा से परे है, वहां मापी गई मात्रा मानी जाती है।
एक लाख टन से कम की रेटेड क्षमता वाली खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ-हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

20. वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)

20.1. कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "भारित औसत" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन वित्तीय विवरणों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- 5% से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

20.2. स्टोर और पुर्जे

केंद्रीय एंड क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले टूल्स भी शामिल हैं) का स्टॉक स्थिर मूल्य लेखा बही में प्रदर्शित शेष के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है। कोलियरियों/उप भंडार/ड्रिलिंग कैंप्स /उपभोग केंद्रों में स्टोर और स्पेयर्स पार्ट्स की सूची को वर्ष की समाप्ति पर केवल वास्तविक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं तथा 5 साल एक ही स्थान पर रखे स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

20.3. अन्य वस्तु सूचियां (इन्वेंटरी)

चालू कार्य सहित कर्मशाला के कार्य का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस के कार्यों के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्री तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री का स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़ी ऐसी सामग्रियों के अलावा) ईंट, बालू, दवाइयां (केंद्रीय अस्पताल में है, उन्हें छोड़कर) एयरक्राफ्ट के समान एवं रद्दी माल का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें माल सूची में स्वीकार नहीं किए जाते है।

21. नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा और हस्तगत नकद तथा तीन महीने या उससे कम समय के लिए मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में ऊपर परिभाषित किए गए नकदी और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध को शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यकता होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है तो संबंधित संपत्ति कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है और यह मान्यता उचित है।

23. प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

24. निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चों की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमानों के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (Ongoing basis) की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

24.1. निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

24.1.1. लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

क)प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

ख)उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना; (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और (v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(क)समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(ख)ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखांकन के आकस्मिक आधार का प्रयोग करते हुए चालू संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

24.1.2. सारवानता (महत्ता)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण/सारवान हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरणों में कोई खास एकल मद या मदों के समूह महत्वपूर्ण है या नहीं। सारवानता (महत्ता) को वस्तु के प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णायक कारक यह होता है कि क्या किसी सूचना को एकल रूप से या अन्य सूचना के संयोजन में हटाने या गलत बताने अथवा अस्पष्ट करने से वे निर्णयों प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सारवानता (महत्ता) के निर्णय का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानूनी रूप से आवश्यक होने पर सारहीन मदों को अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी होने के साथ, चालू वर्ष में ज्ञात हुई पूर्व वर्ष से संबंधित त्रुटियों / चूकों को सारहीन समझा जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक शुल्क के बाद) का 1% से अधिक नहीं हैं।

24.1.3. परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

24.2. प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

24.2.1. गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

24.2.2. कर (Taxes)

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

24.2.3. परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ लाभ योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और दायित्वों का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है।

24.2.4. वित्तीय लिखतों/साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो प्रेक्षणीय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट /प्रतिफलों का विचार किया जाता है। इन कारकों में अनुमान और प्राक्कलन में परिवर्तन वित्तीय लिखतों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित कर सकता है।

24.2.5. विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

24.2.6. खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

25. प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

क	सीजीयू	(CGU)	नकद उत्पाद इकाई
ख	डीसीएफ	(DCF)	रियायती नकदी प्रवाह
ग	एफवीटीओसीआई	(FVTOCI)	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
घ	एफवीटीपीएल	(FVTPL)	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य
ड.	जीएएपी	(GAAP)	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
च	इंडस्ट्रीज़ एएस	(Ind AS)	भारतीय लेखा मानक
छ	ओसीआई	(OCI)	अन्य व्यापक आय
ज	पी एंड एल	(P&L)	लाभ व हानि
झ	पीपीई	(PPE)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
ट	एसपीपी आई	(SPPI)	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान
ठ	ईआईआर	(EIR)	प्रभावी ब्याज दर

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ 'करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	भूमि पुनर्स्थापना / साइट बहाली लागत	भवन (पानी कजलपूर्ति, सड़कों और पुलिया आदि सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर और जुड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	अप्रयुक्त परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल 2020 को	108.95	2.07	241.93	322.53	1,612.03	2.90	9.74	8.48	23.26	5.46	-	169.66	43.79	0.88	2,551.68
परिवर्धन	3.40	-	38.78	48.67	426.98	0.13	65.63	3.85	8.37	0.79	-	127.00	10.91		734.51
विलोपन / समायोजन	(0.82)	-	(1.03)	-	(80.42)	-	-	-	(0.91)	(0.31)	-	(31.86)	(8.89)		(124.24)
31 मार्च 2021 को	**111.53**	**2.07**	**279.68**	**371.20**	**1,958.59**	**3.03**	**75.37**	**12.33**	**30.72**	**5.94**	**-**	**264.80**	**45.81**	**0.88**	**3,161.95**
1 अप्रैल 2021 को वर्ष के समापन	111.53	2.07	279.68	371.20	1,958.59	3.03	75.37	12.33	30.72	5.94	-	264.80	45.81	0.88	3,161.95
परिवर्धन	3.00	26.46	14.16	29.04	254.01	182.75	6.80	1.21	16.41	15.24	-	229.67	9.44	-	788.19
विलोपन / समायोजन	0.82	(0.82)	(19.96)	(2.19)	(94.11)	12.81	0.19	2.01	(5.07)	0.33	-	-	(5.90)	-	(111.89)
31 मार्च 2022 को	**115.35**	**27.71**	**273.88**	**398.05**	**2,118.49**	**198.59**	**82.36**	**15.55**	**42.06**	**21.51**	**-**	**494.47**	**49.35**	**0.88**	**3,838.25**
संचित मूल्यह्रास और नुक़सान															
1 अप्रैल 2020 को	-	0.87	68.71	72.61	844.98	0.64	4.33	4.97	8.95	2.86	-	121.35	1.08	-	1,131.35
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.17	20.44	14.90	151.47	0.30	5.68	1.07	6.65	0.27	-	7.37	-	-	208.32
क्षति	-	-	-	-	1.24	-	-	-	-	-	-	4.30	-	-	5.54
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	2.41	(69.82)	-	-	-	(0.71)	-	-	-	-	-	(68.12)
31 मार्च 2021 को	**-**	**1.04**	**89.15**	**89.92**	**927.87**	**0.94**	**10.01**	**6.04**	**14.89**	**3.13**	**-**	**133.02**	**1.08**	**-**	**1,277.09**
1 अप्रैल 2021 को	-	1.04	89.15	89.92	927.87	0.94	10.01	6.04	14.89	3.13	-	133.02	1.08	-	1,277.09
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.07	16.87	14.79	147.22	25.29	6.67	1.90	7.17	3.86	-	57.74	-	-	281.58
क्षति	-	-	5.72	-	-	-	-	-	-	-	-	5.73	1.60	-	13.05
विलोपन / समायोजन	-	-	-	2.11	(72.78)	(0.03)	0.03	0.09	(3.01)	(0.06)	-	8.45	-	-	(65.20)
31 मार्च 2022 को	**-**	**1.11**	**111.74**	**106.82**	**1,002.31**	**26.20**	**16.71**	**8.03**	**19.05**	**6.93**	**-**	**204.94**	**2.68**	**-**	**1,506.52**
निवल वहन राशि															
31 मार्च 2022 को	**115.35**	**26.60**	**162.14**	**291.23**	**1,116.18**	**172.39**	**65.65**	**7.52**	**23.01**	**14.58**	**-**	**289.53**	**46.67**	**0.88**	**2,331.73**
31 मार्च 2021 को	**111.53**	**1.03**	**190.53**	**281.28**	**1,030.72**	**2.09**	**65.36**	**6.29**	**15.83**	**2.81**	**-**	**131.78**	**44.73**	**0.88**	**1,884.86**

टिप्पणी

भूमि:

1. भूमि सुधार / साइट बहाली लागत में अनुमानित लागत शामिल है जो खदान बंद होने के चरण में मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत रूप से बढ़ी है और फिर 8% छूट दर पर छूट दी गई है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।
2. कंपनी के स्वामित्व वाली लगभग 443.54 एकड़ भूमि गंभीर रूप से अतिक्रमित क्षेत्र है जिसमें से कुछ हिस्से का कब्जा वापस ले लिया गया है, जिसके परिमाणीकरण प्रगति पर है।

3. अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक अथवा प्रमोटर*/ निदेशक या कर्मचारी का रिश्तेदार# है?	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	115.35	केवल कंपनी द्वारा सीधे खरीदे जाने के मामले में (1132.37 हेक्टेयर)	लागू नहीं	विविध तारीखें	1. बीसीसीएल के कब्जे में 17276.79 हेक्टेयर की कुल (फ्रीहोल्ड और अन्य भूमि) में से 16120.11 हेक्टेयर भूमि फ्री होल्ड तथा 1156.68 हेक्टेयर अन्य भूमि है। 2. कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ केन्द्रीय अस्पताल और चार अन्य अस्पतालों, भारत सरकार के खान बचाव केन्द्रों सहित कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के अधिग्रहण के लिए अधिग्रहित 14987.74 हेक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि, सेल के चार वाशरियों, पूर्ववर्ती कोल बोर्ड और केन्द्रीय झरिया परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा कोयलाधारित क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि परिवर्तन का कानूनी प्रश्न नहीं उठता, चूंकि इसका अधिकार, हक और हित पूर्णतः केन्द्र सरकार में निहित है, जो कि एक सरकारी कंपनी के रूप में बीसीसीएल को हस्तांतरित है। 3. अधिग्रहीत भूमि के लिए अन्य सभी स्वामित्व विलेख कब्जे में हैं और फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं, जहां कानूनी औपचारिकताओं के लंबित होने पर यह प्रगति के अधीन है।
अन्य भूमि	27.71	लागू नहीं	लागू नहीं	विविध तारीखें	1156.68 हेक्टेयर भूमि अन्य भूमि की श्रेणी में है जिसे कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में अधिग्रहित किया गया था, जिसमें तदनुरूपी भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेखों की आवश्यकता नहीं होती है। लोयाबाद स्टेशन पर रेलवे की 3.98 हेक्टेयर भूमि को मार्च, 2022 से 35 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया है।

4. अन्य भूमि में ₹ 25.29 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की उपयोग के अधिकार की सकल वहन राशि शामिल है और मार्च 2022 तक उस पर संचित परिशोधन ₹ 0.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) है।

संयंत्र और उपकरण:

"इसमें स्टैंड बाय इक्विपमेंट और स्टोर तथा कलपुर्जे शामिल हैं जो पीपीई के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक स्टोर से जारी नहीं किए गए हैं।"

वाहन:

"इसमें ₹ 13.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की उपयोग के अधिकार की संपत्ति की सकल वहन राशि शामिल है और मार्च 2022 तक उस पर संचित परिशोधन ₹ 3.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) है।"

रेलवे साइडिंग्स:

"इसमें ₹ 23.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23.24 करोड़) की उपयोग के अधिकार की संपत्ति की सकल वहन राशि शामिल है और मार्च 2022 तक उस पर संचित परिशोधन ₹ 3.32 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 0.44 करोड़) है।"

दूरसंचार:

"इसमें ₹ 181.42 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की उपयोग के अधिकार की संपत्ति की सकल वहन राशि शामिल है और मार्च 2022 तक उस पर संचित परिशोधन ₹ 24.19 करोड़ रुपये (पिथले वर्ष शून्य) है।"

अन्य

1. माइंस रेस्क्यू स्टेशन तथा कोयला श्रमिक संगठन से संबंधित परिसंपत्तियों, जिन्हें कंपनी में हस्तांतरित किया गया है और जिन्हें कंपनी द्वारा अधिग्रहीत किया जा चुका है, को लेखा में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उपर्युक्त इकाइयों के हस्तांतरण के समय लेखा- मूल्य कंपनी को उपलब्ध नहीं था।
2. कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कवर की गई संपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा ₹ 0.88 करोड़ मूल्य की जमीन सहित कुल ₹ 11.46 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों को अधिग्रहण किया गया है। (जिनका मात्रात्मक एवं मूल्य वार विवरण उपलब्ध नहीं है), जिन पर जमीन छोड़कर , मूल्यह्रास का लेखा में पूर्णतया प्रावधान किया गया है।

मूल्यह्रास / हानि:

1. चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 13.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.54 करोड़) की निरंतर घाटे वाली खदानों में हानि को लाभ और हानि के विवरण में लाया गया है।
2. वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास में विकास के चरण में खदानों के लिए ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.51 करोड़ रुपये) की अवधि के दौरान पूंजीकृत मूल्यह्रास भी शामिल है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी)

(₹ 'करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुल सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	क्रमागत उन्नति	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
1 अप्रैल 2020 को वर्ष के समापन पर	754.65	560.93	71.18	362.11	-	1,748.87
परिवर्धन	51.05	271.77	43.05	115.74	-	481.61
पूंजीकरण / विलोपन	(79.90)	(490.14)	(66.15)	(156.73)	-	(792.92)
31 मार्च 2021 को	**725.80**	**342.56**	**48.08**	**321.12**	**-**	**1,437.56**
1 अप्रैल 2021 को वर्ष के समापन पर	725.80	342.56	48.08	321.12	-	1,437.56
परिवर्धन	50.90	294.07	38.85	192.42	-	576.24
पूंजीकरण / विलोपन	(28.62)	(261.00)	(4.28)	(234.63)	-	(528.53)
31 मार्च 2022 को	**748.08**	**375.63**	**82.65**	**278.91**	**-**	**1,485.27**
संचित प्रावधान और नुक़सान						
1 अप्रैल 2020 को	5.91	23.58	-	17.12	-	46.61
वर्ष के लिए प्रभार	0.71	2.09	0.33	0.31	-	3.44
क्षति	-	-	-	-	-	-
विलोपन /समायोजन	(0.07)	(2.34)	-	-	-	(2.41)
31 मार्च 2021 को	**6.55**	**23.33**	**0.33**	**17.43**	**-**	**47.64**
1 अप्रैल 2021 को वर्ष के समापन पर	6.55	23.33	0.33	17.43	-	47.64
वर्ष के लिए प्रभार	0.49	0.99	0.41	0.43	-	2.32
क्षति	-	-	-	0.01	-	0.01
विलोपन /समायोजन	(2.57)	(1.09)	(0.03)	(8.36)	-	(12.05)
31 मार्च 2022 को	**4.47**	**23.23**	**0.71**	**9.51**	**-**	**37.92**
शुद्ध वहन राशि						
31 मार्च 2022 को	**743.61**	**352.40**	**81.94**	**269.40**	**-**	**1,447.35**
31 मार्च 2021 को	**719.25**	**319.23**	**47.75**	**303.69**	**-**	**1,389.92**

टिप्पणी:

1. पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत प्रदर्शित "विकास" पूर्ण होने वाले प्रतीक्षित कार्यों से संबंधित है।

2. संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास किया गया है जो कि तीन वर्षों से अधिक समय तक उपयोग नहीं किए गए हैं और चार से अधिक वर्षों तक अवमूल्यन की दर से पूंजीगत कार्य-प्रगति में अधूरे सिविल कार्य पड़े हैं जो अन्यथा ऐसी वस्तुओं पर लागू होता।

3. नूनीडीह और भूली सहित भीमकनाली टाउनशिप के ₹ 5.21 करोड़ मूल्य के "A" टाइप माइनर्स क्वार्टरों पर कब्जा किया जा रहा है और ये आवास उपयोग में हैं लेकिन मध्यस्थता / मुकदमे बाजी के कारण पूंजीकरण नहीं किया जा सका है। हालांकि, खातों में मूल्यह्रास की दर से आवश्यक प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। 31.03.2022 को संचित प्रावधान ₹1.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.84 करोड़) है।

पूंजीगत-कार्य प्रगति (CWIP)

क) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए काल क्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

	पूंजीगत कार्य प्रगति में राशि से संबंधित अवधि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित)	52.27	41.56	45.12	606.92	745.87
संयंत्र और उपकरण	90.44	26.34	56.07	202.78	375.63
रेलवे साइडिंग्स	39.34	16.46	5.50	21.35	82.65
विकास	128.82	46.16	8.47	88.96	272.41
अन्य	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित):					
ब्लॉक II क्षेत्र में टाउनशिप, गार्ड रूम, खनिक क्वार्टरों का उन्नयन	-	-	-	2.21	2.21
विकास:					
कपूरिया परियोजना	-	-	-	6.50	6.50
कुल	**310.87**	**130.52**	**115.16**	**928.72**	**1,485.27**

(ख) अतिदेय पूंजीगत-कार्य प्रगति (समय या लागत के संबंध में)

(₹ 'करोड़ में)

प्रगति पर परियोजनाएं:	पूरा होने से संबंधित अवधि			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियाओं सहित):				
ब्लॉक द्वितीय क्षेत्र में सिविल कार्य	-	0.18		-
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	31.11	-	-	-
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी		14.76		
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	0.63	-	-	-
संयंत्र और उपकरण				
तौल भारतीय निगम द्वारा निर्माणाधीन तौलपुल	0.13	-	-	-
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	23.91	-	-	-
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी		5.48		
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	6.10	-	-	-
रेलवे साइडिंग:				
ब्लॉक-II क्षेत्र में रेलवे साइडिंग के लिए अग्रिम	-	0.04	-	-
महेशपुर साइडिंग में सीएचपी-कम-साइलो	-	19.48	-	-
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	33.73	-	-	-
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी		3.19		
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	6.39	-	-	-
विकास:				
2 मि.ट. वार्षिक क्षमता की भोजूडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	11.57	-	-	-
2.5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी		7.64		
5 मि.ट. वार्षिक क्षमता की पाथरडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	1.19		-	-
अन्य	-	-	-	-
कुल	**114.76**	**50.77**	**-**	**-**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां
1 अप्रैल 2020 को	
परिवर्धन	645.16
विलोपन / समायोजन	22.72
31 मार्च 2021 को	(250.00)
	417.88
1 अप्रैल 2021 को	417.88
परिवर्धन	17.77
विलोपन / समायोजन	(250.00)
31 मार्च 2022 को	**185.65**
संचित प्रावधान और नुक़सान	
1 अप्रैल 2020 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षकि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2021 को	**-**
1 अप्रैल 2021 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति	18.52
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2022 को	**18.52**
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च 2021 को	**167.13**
31 मार्च 2020 को	**417.88**

टिप्पणी:

(क) अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लिए काल-क्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

	अन्वेषण एवं मूल्यांकन में राशि के संबंध में अवधि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक	कुल
ई एंड ई परियोजनाएं जो प्रगति पर हैं:	34.51	80.62	-	52.00	167.13
अस्थायी रूप से निलंबित ई एंड ई परियोजनाएं	-	-	18.52	-	18.52
					-
योग	**34.51**	**80.62**	**18.52**	**52.00**	**185.65**

(ख) अतिदेय पूंजीगत-कार्य प्रगति (समय या लागत के संबंध में)

(₹ 'करोड़ में)

	जिस अवधि में परिजनाएं पूर्ण होंगी			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक
ई एंड ई परियोजनाएं जो प्रगति पर हैं:				
सिंगारा एवं कपूरिया ब्लॉक, प. झरिया	-	-	46.49	-
ब्लॉक VIII, बस्ताकोला	-	-	6.85	-
योग	**-**	**-**	**53.34**	**-**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6.1 : अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:			
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 को	**-**	**-**	**-**
1 अप्रैल 2021 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 को	**-**	**-**	**-**
संचित परिशोधन और नुक़सान			
1 अप्रैल 2020 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
क्षति	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021 को	**-**	**-**	**-**
1 अप्रैल 2021 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
क्षति	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022 को	**-**	**-**	**-**
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2022 को	**-**	**-**	**-**
31 मार्च 2021 को	**-**	**-**	**-**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6.2 : विकास प्रक्रिया के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

		विकासाधीन ईआरपी
सकल वहन राशि:		
1 अप्रैल 2020 को		-
परिवर्धन		-
विलोपन / समायोजन		-
31 मार्च 2021 को		**-**
1 अप्रैल 2021 को		-
परिवर्धन		18.58
विलोपन / समायोजन		-
31 मार्च 2022 को		**18.58**
संचित परिशोधन और नुक़सान		
1 अप्रैल 2020 को		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
क्षति		-
विलोपन / समायोजन		-
31 मार्च 2021 को		**-**
1 अप्रैल 2021 को		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
क्षति		-
विलोपन / समायोजन		-
31 मार्च 2022 को		**-**
निवल वहन राशि		
31 मार्च 2022 को		**18.58**
31 मार्च 2021 को		**-**

टिप्पणी:

कंपनी ने 01 अगस्त 2021 से (ईआरपी) एसएपी सॉफ्टवेयर लागू किया है। उक्त तिथि से चरणबद्ध तरीके से पुराने लेखा सॉफ्टवेयर (कोलनेट) से सैप को स्थानांपन किया गया है और स्थिरीकरण अवधि पूरी नहीं हुई है।

(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए काल-क्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

	विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियों में राशि के संबंध में अवधि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष ले अधिक**	**कुल**
जारी परियोजनाएं					
विकास प्रक्रिया के अधीन ईआरपी	18.58	-	-	-	18.58
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
योग	**18.58**	**-**	**-**	**-**	**18.58**

(ख) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में अतिदेय (समय या लागत के संबंध में)

(₹ 'करोड़ में)

	To be completed in			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष ले अधिक**
विकास प्रक्रिया के अधीन ईआरपी	-	-	-	-
योग	**-**	**-**	**-**	**-**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ 'करोड़ में)

	इकाइयों की संख्या	प्रति इकाई एनएवी/एफवी	वर्ष के समापन पर	
			31.03.2022	31.03.2021
गैर-वर्तमान				
अन्य निवेश				
आरबीआई पावर बॉंड			-	-
कुल			**-**	**-**
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			**-**	**-**
उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य:			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि:			-	-
वर्तमान				
म्युचुअल फंड निवेश				
एसबीआई म्युचुअल फंड			-	-
यूटीआई म्युचुअल फंड			-	-
कुल			**-**	**-**
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			**-**	**-**
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			**-**	**-**
गैर-उद्धृत निवेशों का उचित मूल्य (एनएवी):			**-**	**-**
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि:			**-**	**-**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 8 : ऋण

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2022		31.03.2021	
गैर-वर्तमान				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- खराब साख	-		-	
	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- खराब साख	-		-	
	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कुल		**-**		**-**

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
उधारकर्ता का प्रकार	**सकल बकाया राशि**	**कुल सकल ऋण का %**	**सकल बकाया राशि**	**कुल सकल ऋण का %**
निदेशक	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
सम्बन्धित पक्ष	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

गैर-वर्तमान				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- खराब साख	-		-	
	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कॉर्पोरेट और कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
- खराब साख	-		-	
	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कुल		**-**		**-**

(₹ 'करोड़ में)

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	31.03.2022 को		31.03.2021 को	
उधारकर्ता का प्रकार	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋण का %	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋण का %
निदेशक	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
सम्बन्धित पक्ष	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2022		31.03.2021	
गैर-वर्तमान				
12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के बैंक जमा1		-		-
निम्न मदों के तहत बैंक में जमा राशि				
खदान बंदी योजना2	592.81		516.09	
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	592.81	-	516.09
प्रतिभूति जमा	14.23		12.67	
घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	0.67	13.56	0.67	12.00
अन्य जमा एवं प्राप्य	0.81		0.04	
घटाएं: संदिग्ध जमाओं और प्राप्यों के लिए भत्ता	-	0.81	-	0.04
कुल		**607.18**		**528.13**

टिप्पणी:

1. बैंक जमाओं के अंतर्गत 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएं आती हैं।

2. खदान बंदी योजना के तहत बैंक के पास जमा:

क. खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से दिशानिर्देशों के बाद, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार खदान बंदी योजना के आवधिक परीक्षण के अनुसार एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 50% तक हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली / खदान बंदी के प्रावधान के लिए टिप्पणी 21.1 देखें)।

(₹ 'करोड़ में)

ख. एस्क्रो खाते के जमाशेष का मिलान	31.03.2022	31.03.2021
एस्क्रो खाते में आरंभिक ताकीख को जमाशेष	516.09	455.63
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान जमा राशि	66.86	68.29
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गयी ब्याज	17.33	28.59
घटाएं: वर्तमान वर्ष के दौरान समायोजन	0.00	0.00
घटाएं: वर्तमान वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि	7.47	36.42
अंतिम तारीख को एस्क्रो खाते में जमाशेष	**592.81**	**516.09**

3. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(7)(च) देखें

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2022		**31.03.2021**	
वर्तमान				
होल्डिंग कंपनी (सीआईएल) के साथ चालू खाता		-		-
आईआईसीएम के साथ बकाया शेष		-		-
अर्जित ब्याज		0.10		0.01
प्रतिभूति जमा	-		-	
घटाएं : संदिग्ध प्रतिभूति जमाओं के लिए भत्ता	-	-	-	-
अन्य जमा और अन्य प्राप्य 1	42.07		279.62	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	4.95	37.12	4.95	274.67
कुल		**37.22**		**274.68**

टिप्पणी:

1. अन्य जमा और प्राप्तियों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम), 1957 के प्रावधानों के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा मंदार पर्वत और पीरपैंती बाराहाट कोयला ब्लॉकों के समर्पण के कारण अग्रिम शुल्क की वापसी के लिए ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष 250.00 करोड़) की राशि शामिल हैं।
2. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(7)(च) देखें

Note :

1. Other deposit and receivables includes ₹ 0.00 Crore (P/Y ₹ 250.00 Crore) for Refund of Upfront fees on account of surrender of Mandar Parvat and Pirpainti Barahat Coal Blocks allocated by Ministry of Coal under the provisions of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.
2. For dues from directors - Refer Note 38(7)(f)

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 10 : अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2022		**31.03.2021**	
(i) पूंजीगत अग्रिम	116.89		124.64	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	4.40	112.49	4.40	120.24
(ii) अन्य जमा और अग्रिम	0.36		0.36	
घटाएं : संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ता	-	0.36	-	0.36
(iii) प्रगतिशील खदान बंदी के लिए व्यय1		237.06		237.06
(iv) संबंधित पक्षों के लिए अग्रिम		-		-
कुल		**349.91**		**357.66**

टिप्पणी:

1. खदान बंदी के लिए होने वाले व्यय इस उद्देश्य के लिए रखे गए एस्क्रो खाते से प्राप्त किए जाने हैं। 2013-14 से 2017-18 की ब्लॉक अवधि के लिए ₹220.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 220.94 करोड़ रुपये) के खदान बंदी खर्चों की लेखा परीक्षा सीसीओ द्वारा आईआईईएसटी, शिवपुर के माध्यम से की गई है और वित्त वर्ष 2020-21 में इसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। लेखा परीक्षित राशि में से ₹43.88 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष तक ₹ 36.42 करोड़ रुपए) की संचयी राशि प्राप्त हो चुकी है और शेष में से ₹137.83 करोड़ रुपए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के हैं और ₹39.23 करोड़ रुपए वर्तमान परिसंपत्तियों से संबंधिक हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किए गए प्रगतिशील खदान बंदी खर्चों के तहत कोई बुकिंग नहीं है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर			
		31.03.2022		**31.03.2021**	
(क)	राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तुएं एवं सेवाएं)	30.93		25.58	
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	1.10	29.83	1.10	24.48
(ख)	सांविधिक देय राशियों का अग्रिम भुगतान	45.10		57.16	
	घटाएं : संदिग्ध सांविधिक देयों के लिए भत्ता	-	45.10	-	57.16
(ग)	संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम		-		-
(घ)	अन्य जमा और	1,382.98		1,118.73	
	घटाएं : अन्य संदिग्ध जमाओं और अग्रिमों के लिए भत्ता	-	1,382.98	-	1,118.73
	प्रगतिशील खान बंद करने के खर्च 1		39.23		46.69
	इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य		1,052.09		865.82
	कुल		**2,549.23**		**2,112.88**

टिप्पणी:

1. खदान बंदी के लिए होने वाले व्यय इस उद्देश्य के लिए रखे गए एस्क्रो खाते से प्राप्त किए जाने हैं। 2013-14 से 2017-18 की ब्लॉक अवधि के लिए ₹220.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 220.94 करोड़ रुपये) के खदान बंदी खर्चों की लेखा परीक्षा सीसीओ द्वारा आईआईईएसटी, शिवपुर के माध्यम से की गई है और वित्त वर्ष 2020-21 में इसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। लेखा परीक्षित राशि में से ₹43.88 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष तक ₹ 36.42 करोड़ रुपए) की संचयी राशि प्राप्त हो चुकी है और शेष में से ₹137.83 करोड़ रुपए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के हैं और ₹39.23 करोड़ रुपए वर्तमान परिसंपत्तियों से संबंधिक हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किए गए प्रगतिशील खदान बंदी खर्चों के तहत कोई बुकिंग नहीं है।
2. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(7)(च) देखें

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 12 : वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर			
		31.03.2022		**31.03.2021**	
क.	कोयले का स्टॉक	897.95		1,126.84	
	विकास के तहत कोयला1	0.15		-	
	कोयले का स्टॉक (शुद्ध)3		898.10		1,126.84
ख.	भंडार और पुर्जों का स्टॉक (शुद्ध)	71.87		52.61	
	जोड़ें: पारगमन के तहत भंडारण	1.18		2.36	
	भंडार और पुर्जों का शुद्ध स्टॉक4		73.05		54.97
ग.	केन्द्रीय अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक		4.17		2.55
घ.	कर्मशाला और प्रेस कार्य और अन्य		3.13		3.52
	कुल		**978.45**		**1,187.88**

टिप्पणी:

1. एनएलडब्ल्यू मधुबन वाशरी में परीक्षण के लिए पड़े हुए कोयले के मूल्य को दर्शाता है।
2. मूल्यांकन की विधि: टिप्पणी संख्या 2.20 -"इन्वेंट्री" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, देखें।
3. कोयले का स्टॉक ₹ 304.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 418.95 करोड़ रुपये) के प्रावधान का समायोजन है।
4. स्टोर्स और पुर्जों का स्टॉक ₹ 76.96 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 63.68 करोड़ रुपये) के प्रावधान का समायोजन है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक **तालिका: क**

31.03.2022 को वर्ष के समापन पर आरंभिक स्टॉक, उत्पादन, उठाव (ऑफटेक) और अंतिम स्टॉक का विवरण

(मात्रा लाख टन में) (₹ 'करोड़ में)

	कुल स्टॉक		गैर-बिक्री योग्य स्टॉक		बिक्री योग्य स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. 01.04.2021 को आरंभिक स्टॉक	**38.93**	**676.36**	**0.15**	**-**	**38.78**	**676.36**
आरंभिक स्टॉक में समायोजन	0.03	0.27	0.08	-	(0.05)	0.27
2. उत्पादन 1	305.11	8,437.54	-	-	305.11	8,437.54
3. उप-योग	**344.07**	**9,114.17**	**0.23**	**-**	**343.84**	**9,114.17**
4. उठान (ऑफ टेक) :						
(क) बाहरी प्रेषण	286.86	7,716.03	-	-	286.86	7,716.03
(ख) वाशरियों में खपत	35.65	989.22	-	-	35.65	989.22
(ग) निजी खपत	0.24	0.65	0.22	-	0.02	0.65
4. उप-योग	**322.75**	**8,705.90**	**0.22**	**-**	**322.53**	**8,705.90**
5. व्युत्पन्न स्टॉक (3-4)	21.32	408.27	0.01	-	21.31	408.27
6. मापा गया स्टॉक	21.03	403.49	0.01	-	21.02	403.49
7. अंतर (5-6)	**0.29**	**4.78**	**(0.00)**	**-**	**0.29**	**4.78**
8. अंतर का विवरण:						
(क) 5% के भीतर की अधिकता	0.10	2.32	-	-	0.10	2.32
(ख) 5% के भीतर की कमी	0.39	7.10	-	-	0.39	7.10
(ग) 5% से ऊपर की अधिकता	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी	-	-	-	-	-	-
9. 31.03.2022 को लेखा में लिया गया अंतिम स्टॉक	**21.32**	**408.27**	**0.01**	**-**	**21.31**	**408.27**

टिप्पणी:

1. उत्पादन में कच्चे कोयले की मात्रा में 55 टन तौल-वृद्धि (शुद्ध) तथा 161.00 टन जब्त किया गया कोयला शामिल है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक **तालिका : ख**

31.03.2022 को वर्ष के समापन पर आरंभिक स्टॉक, उत्पादन, उठाव (ऑफटेक) और अंतिम स्टॉक का विवरण

(मात्रा लाख टन में) (₹ 'करोड़ में)

विवरण	कच्चा कोयला				धुला हुआ / स्लेटी पत्थर रहित कोयला				अन्य उत्पाद		सभी उत्पादों का योग	
	कोकिंग		गैर-कोकिंग		कोकिंग		गैर-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)	**35.62**	**627.95**	**3.31**	**48.41**	**0.77**	**21.43**	**0.20**	**2.26**	**62.76**	**845.74**	**102.66**	**1,545.79**
घटाएं: गैर-बिक्री योग्य कोयला	**0.01**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
बिक्री योग्य आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)	**35.61**	**627.95**	**3.31**	**48.41**	**0.77**	**21.43**	**0.20**	**2.26**	**62.76**	**845.74**	**102.65**	**1,545.79**
बिक्री योग्य स्टॉक का समायोजन	0.03	0.27	-	-	(0.01)	(0.08)	(0.02)	(0.19)	-	-	(0.00)	-
उत्पादन (जब्त किए गए कोयला सहित)	**290.41**	**8,170.57**	**14.70**	**266.97**	**12.09**	**973.38**	**-**	**-**	**24.26**	**680.84**	**341.46**	**10,091.76**
उठाव (ऑफटेक): प्रेषण	273.80	7,456.30	13.06	259.73	11.73	951.97	-	-	27.76	777.58	326.35	9,445.58
वाशरी के लिए इस्तेमाल किया गया कोयला	31.26	938.83	4.39	50.39	-	-	-	-	-	-	35.65	989.22
निजी खपत / सीडब्ल्यूआईपी	0.24	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.65
कुल उठाव (ऑफटेक)	**305.30**	**8,395.78**	**17.45**	**310.12**	**11.73**	**951.97**	**-**	**-**	**27.76**	**777.58**	**362.24**	**10,435.45**
अंतिम स्टॉक/ लेखा बही में स्टॉक	**20.75**	**403.01**	**0.56**	**5.26**	**1.12**	**42.76**	**0.18**	**2.07**	**59.26**	**749.00**	**81.87**	**1,202.10**
कमी / अधिशेष (- / + 5 % से ऊपर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री योग्य अंतिम स्टॉक	**20.75**	**403.01**	**0.56**	**5.26**	**1.12**	**42.76**	**0.18**	**2.07**	**59.26**	**749.00**	**81.87**	**1,202.10**

(₹ ' Crore)

उत्पाद का नाम	31.03.2022 को			31.03.2021 को		
	स्टॉक का सकल मूल्य	प्रावधान	स्टॉक का शुद्ध मूल्य	स्टॉक का सकल मूल्य	प्रावधान	स्टॉक का शुद्ध मूल्य
कच्चा कोयला	408.27	0.96	407.31	676.36	3.68	672.68
धुला हुआ कोयला	44.83	8.94	35.89	23.69	8.92	14.77
अन्य उत्पाद	749.00	294.10	454.90	845.74	406.35	439.39
कुल	**1,202.10**	**304.00**	**898.10**	**1,545.79**	**418.95**	**1,126.84**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 13 : व्यापार प्राप्तियां

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर			
	31.03.2022		31.03.2021	
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां[3]				
- सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के[4]	6.67		44.04	
- असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के[5]	1,030.34		2,960.76	
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- खराब साख	378.57	1,415.58	510.99	3,515.79
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋण के लिए छूट	378.57	378.57	510.99	510.99
कुल		**1,037.01**		**3,004.80**

टिप्पणी:

2. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - टिप्पणी 38(7)(च) देखें।

3. उपर्युक्त व्यापार प्राप्य ₹ 187.07 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹123.24 करोड़ रुपए) की राशि के कोयला गुणवत्ता भिन्नता के लिए प्रावधान का समायोजन है।

4. व्यापार प्राप्य- सुरक्षित: ₹ 6.67 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 52.35 करोड़ रुपये) की बैंक गारंटी के समक्ष सुरक्षित हैं।

5. व्यापार प्राप्तियां: अच्छी माने जाने वाली असुरक्षित व्यापार प्राप्तियों में संबंधित वैधानिक देयता बकाया के साथ बाजार शुल्क के कारण सेल से प्राप्य ₹ 126.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 114.26 करोड़) की राशि शामिल है। सेल ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड में कई आधारों पर बाजार शुल्क की ऐसी मांग के संबंध में एक याचिका दायर की है।

व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची

(₹ 'करोड़ में)

विविरण	लेन-देन दिनांक से निम्न अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 वर्ष से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष ले अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे जाने वाले	873.35	40.93	6.89	5.12	104.05	1,030.34
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
"(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छे समझे जाने वाले "	-	-	-	-	-	-
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
"(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित "	86.91	23.46	8.02	86.64	173.54	378.57
कुल	**960.26**	**64.39**	**14.91**	**91.76**	**277.59**	**1,408.91**
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	86.91	23.46	8.02	86.64	173.54	378.57
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	**9.05%**	**36.43%**	**53.79%**	**94.42%**	**62.52%**	**26.87%**

कोयला गुणवत्ता विचरण का सामंजस्य

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2022 को वर्ष के समापन पर	31.03.2021 को वर्ष के समापन पर
कोयला गुणवत्ता विचरण का प्रारंभिक शेष	123.24	5.24
वर्ष के दौरान संवृद्धि	180.33	118.32
वर्ष के दौरान उलटाव	116.50	0.32
कोयला गुणवत्ता विचरण का समापन शेष	**187.07**	**123.24**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 14 : नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर	
		31.03.2022	**31.03.2021**
(क)	बैंकों में जमा शेष		
	- जमा खातों में	545.00	-
	- चालू खातों में	-	
	ब्याज के साथ (सीएलटीडी)	8.30	18.27
	गैर-ब्याज के साथ	41.35	12.49
	- नकद क्रेडिट खातों में	-	-
(ख)	भारत के बाहर बैंक जमा शेष	-	-
(ग)	हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	-	-
(घ)	हस्तगत नकदी	-	0.01
(ङ)	भारत के बाहर हस्तगत नकदी	-	-
(च)	अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता / जीईएम खाता / इम्प्रेस्ट जमा शेष 2 और 3	22.68	17.90
	कुल	**617.33**	**48.67**

टिप्पणी:

1. नकदी और नकदी समतुल्य में हस्तगत और बैंक नकदी, स्वीप खाते तथा बैंकों के साथ तीन महीनों या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमाएं शामिल है।
2. ईएमडी पूल खाते के समक्ष एक्सिस बैंक में पड़े ₹ 0.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹6.77 करोड़ रुपए) शामिल हैं।
3. जीईएम पूल खाते के समक्ष भारतीय स्टेट बैंक में पड़े ₹22.37 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹11.13 करोड़ रुपए) शामिल हैं।"

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 15 : अन्य बैंक जमा शेष

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022	**31.03.2021**
बैंकों में जमा शेष		
- जमा खाते	-	120.65
- विशेष उद्देश्य के लिए जमा खाते	7.24	6.34
- खदान बंदी योजना	-	-
- चालू परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधि	-	-
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
- शेयरों की वापसी खरीद (बाय-बैक) के लिए एस्क्रो खाता	-	-
- अदत्त लाभांश खाते	-	-
- लाभांश खाते	-	-
कुल	**7.24**	**126.99**

टिप्पणी:

1. अन्य बैंक बैलेंस में 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता की सावधि जमाएं एवं अन्य बैंक जमाएं शामिल हैं।
2. विशिष्ट प्रयोजन के लिए जमा खातों में बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में विभिन्न बैंकों के पास गिरवी रखी गई ₹ 3.61 करोड़ की सावधि जमा (उपार्जित ब्याज सहित) राशि शामिल है।
3. कीमत में अंतर के कारण 03.01.03.2006 से 30.03.2006 की अवधि के लिए विस्फोटक आपूर्तिकर्ताओं से ₹1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस राशि को विभिन्न बैंकों में अलग-अलग परिपक्वता अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप जमा किया गया था। अंतिम परिपक्वता राशि ₹ 3.56 करोड़ (अर्जित ब्याज ₹ 0.07 करोड़ को छोड़कर) को दिनांक 02.11.2021 को भारतीय स्टेट बैंक / केनरा बैंक में 5.00 % / 5.10 % वार्षिक ब्याज दर पर सावधि जमा के रूप में पुनः जमा कर दिया गया। उक्त सावधि जमा पर अर्जित ब्याज और 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के बीच का अंतर जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर भविष्य में देय हो सकता है, की राशि 2.91 करोड़ को 31.03.2022 तक आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022	**31.03.2021**
अधिकृत		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 5,10,00,000 (गत वर्ष 250,00,000) इक्विटी शेयर[2]	5,100.00	5,100.00
	5,100.00	**5,100.00**
निर्गत, अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः नकदी में चुकता 2,03,30,126 इक्विटी शेयर	2,033.01	2,033.01
नकदी के अलावा पूर्णतः भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित ₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 2,62,39,874 (गत वर्ष 2,62,39,874) इक्विटी शेयर[3]	2,623.99	2,623.99
कुल	**4,657.00**	**4,657.00**

टिप्पणी:

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी)	46570000	100	0.00

2. वर्तमान अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (100%) द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विवरण के लिए, टिप्पणी संख्या 38.15.n: पूंजी संरचना में परिवर्तन, देखें।

3. कंपनी के पास केवल ₹ 1000 / - प्रति शेयर अंकित मूल्य के एक वर्ग के इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयर धारिता के अनुपात में मतदान अधिकारों के हकदार हैं। "

4. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समंजन:-"

(₹ 'करोड़ में)

विविरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2019 को बकाया शेष	2,11,80,000	2118.00
जोड़ें: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा वरीयता शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने के कारण जारी किए गए शेयर	2,53,90,000	2539.00
31.03.2020 को बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बदलाव	-	-
31.03.2021 को बकाया शेष	4,65,70,000	4657.00
वित्त वर्ष 31.03.2022 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 का बकाया शेष	**4,65,70,000**	**4657.00**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ 'करोड़ में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	पूंजी आरक्षित निधि				
01.04.2020 को शेष	-	-	**140.99**	**(580.90)**	**80.57**	**(359.34)**
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2020 को पुनर्विवर्णित शेष	-	-	**140.99**	**(580.90)**	**80.57**	**(359.34)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	(1,202.48)	(6.37)	**(1,208.85)**
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-		-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2021 को शेष	-	-	**140.99**	**(1,783.38)**	**74.20**	**(1,568.19)**
01.04.2021 को शेष	-	-	**140.99**	**(1,783.38)**	**74.20**	**(1,568.19)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	111.62	73.34	**184.96**
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
धारित आय से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर की बायबैक	-	-	-	-	-	-
बायबैक पर कर				-	-	-
31.03.2022 को शेष	-	-	**140.99**	**(1,671.76)**	**147.54**	**(1,383.23)**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 18 : उधारियां

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022	**31.03.2021**
गैर-मौजूदा		
मियादी ऋण		
- बैंकों से	-	-
- अन्य पक्षों से	-	-
संयुक्त वित्तीय लिखत/दस्तावेज के देयता घटक	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
वर्तमान		
मांग पर चुकौती योग्य ऋण		
बैंकों से		
- बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा	-	-
- बैंकों से अन्य ऋण 1 - 3	-	2,052.08
अन्य पक्षों से	-	-
लंबी अवधि के उधारियों की वर्तमान परिपक्वता	-	-
कुल	**-**	**2,052.08**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	2,052.08

टिप्पणी:

1. सीआईएल द्वारा कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए एसबीआई कंसोर्टियम के साथ ₹ 10440 करोड़ की कुल राशि का कार्यशील पूंजी कंसोर्टियम करार किया गया और सीआईएल तथा इसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए स्वीकृत किया गया और ₹ 10440 करोड़ की सीमा तक अपनी सभी वर्तमान परिसंपत्तियों के बंधक रख कर कुल प्रभार का सृजन किया। 31.03.2022 तक बीसीसीएल द्वारा कुल ₹ 271.60 करोड़ की गैर-निधि आधारित सुविधा का तथा ₹ 0.00 करोड़ की निधि-आधारित सुविधा का उपयोग किया गया।
2. कार्यशील पूंजी में एचडीएफसी बैंक से ₹ 2000.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1200.00 करोड़) की मांग ऋण सीमा (असुरक्षित) स्वीकृत की गयी। इसमें से ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1051.86 करोड़) का उपयोग किया गया।
3. आईसीआईसीआई बैंक से ₹ 50.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1200.00 करोड़) की अल्पावधि ऋण स्वीकृत सीमा (असुरक्षित)। इसमें से ₹ 0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।
4. कार्यशील पूंजी में एक्सिस बैंक से ₹ 200.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) की मांग ऋण सीमा (असुरक्षित) स्वीकृत की गयी। इसमें से ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) का उपयोग किया गया।
5. निदेशकों या अन्य द्वारा ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।
6. 31.03.2022 को कोई सुरक्षित ऋण नहीं है।
7. सभी डब्ल्यूसीडीएल सीमाएं असुरक्षित हैं.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 19 : व्यापार देयताएं

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022	**31.03.2021**
वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	25.40	8.23
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा'	774.86	1,200.30
कुल	**800.26**	**1,208.53**

टिप्पणी:

सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	**31.03.2022**	**31.03.2021**
1. मूलधन और ब्याज राशि भुगतान के लिए शेष, लेकिन बकाया नहीं	25.40	8.23
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा अवधि के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ-साथ भुगतान किया गया ब्याज।	-	-
3. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4. अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और भुगतान के लिए बाकी	-	-
5. आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज, जब तक कि उपरोक्त ब्याज के रूप में बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं हो जाती।	-	-

1. व्यापार देयताओं की कालक्रम अनुसूची

विविरण	**लेन-देन दिनांक से निम्न अवधियों के लिए बकाया**				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) एमएसएमई	25.40	-	-	-	25.40
(ii) अन्य	659.82	41.99	5.06	67.99	774.86
(iii) विवादित देयताएं - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iii) विवादित देयताएं - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**685.22**	**41.99**	**5.06**	**67.99**	**800.26**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022	**31.03.2021**
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति जमा	276.83	225.45
अग्रिम धन	-	-
अन्य	6.88	7.30
कुल	**283.71**	**232.75**

वर्तमान		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि	-	-
निम्नलिखित के साथ चालू खाता		
- सी आई एल	371.01	315.86
- आई आई सी एम	0.91	-
	371.92	315.86
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमा	180.45	186.19
अग्रिम धन	35.65	38.00
पूंजीगत व्यय	93.58	132.16
कर्मचारी लाभों के लिए दायित्व	822.63	790.28
अन्य	3.69	0.14
कुल	**1,507.92**	**1,462.63**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022	**31.03.2021**
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	627.26	804.60
- अवकाश नकदीकरण	404.25	542.28
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	458.62	403.53
- अन्य कर्मचारी लाभ	42.13	68.31
	1,532.26	1,818.72
अन्य प्रावधान		
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	483.35	482.39
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन1	(480.02)	(568.46)
अन्य	-	-
कुल	**1,535.59**	**1,732.65**

टिप्पणी: 1. साइट पुनर्स्थापना/खदान बंदी के लिए प्रावधान

खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खातों में एक प्रावधान किया गया है। ऐसा प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक खदान के खदान बंदी व्यय (सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुमानित) के लिए देयता को 8% की दर सेछूट दी गई है और इस तरह के प्रावधान के निर्माण के 1 वर्ष के लिए खदान बंद करने की देयता पर पहुंचने के लिए पूंजीकृत किया गया है। तत्पश्चात प्रावधान को 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार प्रावधान पर आने की छूट को समाप्त करके बाद के वर्ष में पुन: आकलित किया गया है।

वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	279.45	357.45
- अवकाश नकदीकरण	42.62	49.94
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	27.82	33.12
- अनुग्रह राशि	286.95	288.79
- प्रदर्शन आधारित भुगतान (पीआरपी)	156.21	119.35
- अन्य कर्मचारी लाभ	239.73	28.98
	1,032.78	877.63
अन्य प्रावधान		
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	-	-
अन्य	-	-
कुल	**1,032.78**	**877.63**

भूमि बहाली / स्थल पुनर्स्थापना/ खदान बंदी का समंजन	**31.03.2022**	**31.03.2021**
आरंभिक तारीख को साइट बहाली प्रावधान का सकल मूल्य	482.39	424.76
जोड़ें: वर्ष के दौरान पूंजीकरण / समायोजन के लिए प्रावधान	14.16	38.78
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए छूट शुल्क की समाप्ति	37.62	56.30
घटाएं: चालू वर्ष के दौरान समायोजन	43.35	1.03
घटाएं: चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	7.47	36.42
समापन तिथि पर खदान बंद करने का प्रावधान	**483.35**	**482.39**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 22 : अन्य गैर-मौजूदा देयताएं

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022	**31.03.2021**
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि	-	-
आस्थगित आय[1 व 2]	2.75	3.62
कुल	**2.75**	**3.62**

टिप्पणी:

1. पूर्वी झरिया क्षेत्र में रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 1.37 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेलवे साइडिंग को पूंजीकृत किया गया है। चालू वर्ष के दौरान रेलवे साइडिंग्स के समक्ष ₹ 0.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़ रुपए) की आनुपातिक राशि को अन्य आय के माध्यम से परिशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष राशि में से ₹ 0.09 करोड़, जिसे अगले एक वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2. पश्चिमी झरिया क्षेत्र में टेली-मॉनिटरिंग और मैन-राइडिंग सिस्टम के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोयला मंत्रालय से ₹ 4.71 करोड़ की पूंजी सहायता प्राप्त हुई। टेली-मॉनीटरिंग प्रणाली को पूंजीकृत कर दिया गया है और तदनुसार अब तक टेली-मॉनीटरिंग से संबंधित पूंजीगत सहायता में से ₹ 2.46 करोड़ रुपए को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अन्य आय के माध्यम से आबंटित किया गया है। मैन-राइडिंग प्रणाली अभी भी पूंजीगत जारी कर्य के अंतर्गत है और तदनुसार इससे संबंधित पूंजीगत सहायता आस्थगित आय के अंतर्गत पड़ी हुई है। चालू वर्ष के दौरान, टेली-मॉनीटरिंग प्रणाली के विरुद्ध ₹0.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.69 करोड़) की आनुपातिक राशि को अन्य आय के माध्यम से परिशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष राशि में से ₹ 0.69 करोड़, जिसे अगले एक वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 23 : अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022	**31.03.2021**
वैधानिक बकाया[1 एवं 2]	837.73	803.01
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	
ग्राहकों / अन्य से अग्रिम	1,150.94	628.97
उपकर समानीकरण खाता[3]	61.09	56.02
अन्य देयताएं[4]	480.06	281.81
कुल	**2,529.82**	**1,769.81**

टिप्पणी:

1. सांविधिक देय शुद्ध प्राप्य और देय के बाद है।
2. सांविधिक देय राशि में 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 150.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 129.00 करोड़) का बाज़ार शुल्क शामिल है, जिसमें (i) जनवरी-मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 23.63 करोड़ की कुल देनदारी, सेल (SAIL) को छोड़कर और (ii) सेल से मार्च 2022 तक बाजार शुल्क की वसूली न की गई राशि ₹ 126.81 करोड़ राशि जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, शामिल है
3. सीवी क्षेत्र (पं.बं. भाग) के मामले में, पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला आधारित भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित दर पर मूल्यांकित और पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से की गई वसूली के संबंध में ₹ 61.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 56.02 करोड़) की देय राशि शेष है जिसे उपकर समतुल्यीकरण खाते के अंतर्गत दर्शाया गया है।
4. टिप्पणी-22 के फ़ुटनोट 1 और 2 देखें।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 24 : परिचालनों से राजस्व

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर 31.03.2022		वर्ष के समापन पर 31.03.2021	
क.	**कोयला की बिक्री**	12,867.34		8,521.62	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	3,421.76		2,371.81	
	बिक्री- शुद्ध (क)		**9,445.58**		**6,149.81**
ख.	**अन्य परिचालन से राजस्व**				
	बालू भराई और संरक्षा कार्यों के लिए अनुदान		-		-
	लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	521.74		319.83	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	24.96	496.78	15.21	304.62
	निकासी सुविधा शुल्क	194.82		118.50	
	घटाएं: वैधानिक लेवी	9.32	185.50	5.64	112.86
	अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) ख		**682.28**		**417.48**
	परिचालन से राजस्व (क + ख)		**10,127.86**		**6,567.29**

टिप्पणी:

1. बिक्री में ईंधन आपूर्ति करार के अंतर्गत निष्पादन बिल प्रोत्साहन के रूप में ₹ 76.40 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं।
2. पार्टियों को जारी किए गए/जारी किए जा रहे डेबिट/क्रेडिट नोट के कारण, ग्रेड के उन्नयन/(गिरावट) से कच्चे कोयले की बिक्री में ₹ (80.60) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (158.48) करोड़) वृद्धि/(कमी) हुई है।
3. कच्चे कोयले की बिक्री में 13.55 लाख टन (गत वर्ष 12.79 लाख टन) की ई-नीलामी की मात्रा और ₹ 196.25 करोड़ (गत वर्ष ₹ 113.75 करोड़) का ई-नीलामी लाभ शामिल है।
4. उपरोक्त कोयले की बिक्री में अनुमानित कोयला गुणवत्ता भिन्नता (रिवर्सल समायोजन) के कारण ₹ (63.83) करोड़ राशि (पिछले वर्ष ₹ 118.00 करोड़) की वृद्धि/(कमी) हुई है।
5. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व को वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त टिप्पणियों (टिप्पणी संख्या-38) में मद सं 15.i.iv के तहत दर्शाया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2022	**31.03.2021**
ब्याज से आय1	22.56	56.87
सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश आय	-	-
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-संचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.18	0.51
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर वृद्धि-लाभ	-	-
पट्टा किराया	4.63	3.69
देयता / प्रतिलेखन प्रावधान	331.99	75.67
विविध आय2	92.61	45.54
कुल	**451.97**	**182.28**

1. उत्पाद शुल्क वापसी पर ब्याज ₹ 0.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) शामिल
2. इसमें ₹ 0.78 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 0.69 करोड़) की आस्थगित आय (पूंजीगत अनुदान) का परिशोधन शामिल है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 26 : खपत की गई सामग्री की लागत

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2022	**31.03.2021**
विस्फोटक	280.22	199.87
टिंबर / लकड़ी	0.29	1.45
तेल और स्नेहक	286.96	182.90
भारी मशीनों (एचईएमएम) के पुर्जे	31.30	45.48
अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे	35.86	45.39
कुल	**634.63**	**475.09**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 27 : तैयार माल,/चालू कार्य की माल-सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2022	**31.03.2021**
कोयले का आरम्भिक स्टॉक	1,126.84	630.50
राजस्व में लाया गया स्टॉक	-	31.86
कोयले का अंतिम स्टॉक	898.10	1,126.84
कोयले की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क)	**228.74**	**(464.48)**
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का आरम्भिक स्टॉक	3.52	4.55
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक	3.13	3.52
कर्मशाला की इन्वेंटरी में परिवर्तन (ख)	**0.39**	**1.03**
कारोबारी स्टॉक की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क + ख) {कमी/ (वृद्धि)}	**229.13**	**(463.45)**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 28 : कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

(₹' Crore)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2022	**31.03.2021**
वेतन एवं मजदूरी (भत्तों एवं बोनस आदि सहित)	4,504.03	4,164.10
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,056.19	1,122.93
कर्मचारी कल्याण व्यय	228.10	278.69
कुल	**5,788.32**	**5,565.72**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 29 : कॉरपोरेट सामाजिक व्यय (सीएसआर) व्यय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2022	वर्ष के समापन पर 31.03.2021
सीएसआर व्यय	2.99	6.12
कुल	**2.99**	**6.12**

टिप्पणी

(₹' Crore)

	31.03.2022	31.03.2021
क. सीएसआर व्यय का गतिविधि-वार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	2.82	4.69
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	0.17	1.38
लैंगिक समानता और सामाजिक एवंआर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा झेली जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	-	-
पर्यावरणीय स्थिरता	-	-
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	-
सशस्त्र बलों के वरिष्ठों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	-	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	-	0.05
मलिन बस्तीक्षेत्र का विकास	-	-
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन	-	-
कुल	**2.99**	**6.12**
ख. व्यय करने हेतु सीएसआर और सीएसआर व्यय खंड-वार विवरण		
क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	-	-
ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	4.93	5.55
ग) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	0.21
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	2.99	5.91

ग. चल रही परियोजना के अलावा खर्च न की गयी राशि [धारा 135(5)]

(₹ 'करोड़ में)

	प्रारंभिक जमा	अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष राशि
चल रही परियोजना के अलावा खर्च न की गयी राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

सीएसआर में कमी का कारण:

घ. अधिक खर्च की गई राशि [धारा 135(5)]

वर्ष-वार विवरण	प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	अंतिम शेष राशि
2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00

ड़. चालू परियोजना [धारा 135(6)]

वर्ष-वार विवरण	प्रारंभिक शेष राशि		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		अंतिम शेष राशि	
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
2021-22	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94
कुल	-	-	**1.94**	-	-	-	**1.94**

च. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान

	आरंभिक शेष	अवधि के दौरान जोड़ी गयी राशि	वर्ष के दौरान समायोजन	अंतिम शेष
सीएसआर खर्चों की देयता के लिए प्रावधान (अन्य व्यापार देय में शामिल - टिप्पणी संख्या 19)	7.16	0.57	0.23	7.50

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2022	**31.03.2021**
भवन	34.94	28.71
संयंत्र एवं मशीनें	105.59	107.27
अन्य	4.11	2.78
कुल	**144.64**	**138.76**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां
टिप्पणी - 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2022	**31.03.2021**
परिवहन शुल्क	320.32	186.14
वैगन लदाई	19.33	14.60
संयंत्र और उपकरणों को भाड़े पर लेना	1,431.49	1,146.21
अन्य संविदात्मक कार्य	190.97	129.42
कुल	**1,962.11**	**1,476.37**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागतें

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2022	**31.03.2021**
ब्याज खर्चे		
छूट का विवरण	48.60	56.30
समूह के अंदर पार्क की गई धनराशि	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत	29.15	65.39
कुल	**77.75**	**121.69**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 33 : प्रावधान

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
	31.03.2022	**31.03.2021**
संदिग्ध ऋण	23.21	25.06
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	0.31
भंडार एवं पुर्जे	13.36	3.79
अन्य	-	-
कुल	**36.57**	**29.16**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर		वर्ष के समापन पर	
	31.03.2022		31.03.2021	
संदिग्ध ऋण	16.58		245.93	
घटाएं:- पहले दिया गया	16.58	-	245.93	-
संदेहास्पद अग्रिम	-			
घटाएं:- पहले दिया गया	-	-		-
अन्य	-		-	
घटाएं:- पहले दिया गया	-	-	-	-
कुल		**-**		**-**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 35 : अन्य खर्चे

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2022	वर्ष के समापन पर 31.03.2021
यात्रा खर्च	4.56	5.70
प्रशिक्षण व्यय	5.25	2.00
टेलीफोन एवं डाक	2.16	12.71
विज्ञापन एवं प्रचार	1.15	1.92
माल भाड़ा प्रभार	28.32	11.54
विलम्ब शुल्क	11.72	23.13
सुरक्षा व्यय	312.33	320.48
कोल इंडिया लिमिटेड का सेवा-शुल्क	30.51	24.66
किराया प्रभार	24.39	24.44
सीएमपीडीआई को परामर्श शुल्क	17.73	26.59
कानूनी खर्च	2.10	3.65
परामर्श शुल्क	2.51	1.52
कम/ अधिक भराई शुल्क	71.62	31.18
परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/अप्रयुक्तता पर हानि	2.49	2.43
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं खर्च		
- लेखा-परीक्षण शुल्क हेतु	0.44	0.45
- कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.02	0.02
- अन्य सेवाओं हेतु	-	-
- खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.17	0.22
आंतरिक एवं अन्य लेखा-परीक्षा खर्चे	3.18	2.82
पुनर्वास पर व्यय	19.39	14.49
पट्टा किराया	0.08	0.58
दरें एवं कर	248.76	183.92
बीमा	1.14	1.12
विनिमय दर में अंतर के कारण घाटा	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	1.81	1.27
अनिवार्य किराया / सरफेस रेंट	1.94	1.94
साइडिंग रख-रखाव प्रभार	5.43	7.17
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	7.76	5.03
दान/चंदा	0.04	-
विविध खर्चे	57.36	25.15
कुल	**864.36**	**736.13**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ 'करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31.03.2022	वर्ष के समापन पर 31.03.2021
चालू वर्ष	-	-
आस्थगित कर	79.69	(395.95)
पहले के वर्ष	-	21.37
कुल	**79.69**	**(374.58)**

टिप्पणी :

दिनांक 31.03.2022 के लिए भारतीय घरेलू कर दर से गुणित कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2022	31.03.2021
कर से पहले लाभ / (हानि)	**191.31**	**(1,577.06)**
भारत की सांविधिक आयकर दर पर	25.17%	25.17%
आयकर व्यय	-	-
घटाएं: आयकर से मुक्त आय	-	-
घटाएं: कर प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनुमत खर्च		
जोड़ें: कर प्रयोजनों के लिए गैर-कटौती योग्य खर्च		
जोड़ : पूर्व के वर्षों के लिए समायोजन	-	21.37
जोड़ : आस्थगित कर देयता / (संपत्ति)	79.69	(395.95)
लाभ-हानि के विवरण में दर्शाया गया आयकर व्यय	**79.69**	**(374.58)**
प्रभावी आयकर दर:	**41.65%**	**23.75%**

आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित है:

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2022	31.03.2021
आस्थगित कर संपत्ति:		
व्यापार प्राप्य, दावों, आदि से संबंधित।	164.52	159.63
कर्मचारी लाभ	259.73	294.60
अन्य (कर योग्य हानि सहित)	549.95	593.08
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति (क)	**974.20**	**1,047.31**
आस्थगित कर देयता:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	40.66	(0.58)
अन्य	91.13	74.31
कुल आस्थगित कर देयता (ख)	**131.79**	**73.73**
शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति (ग) (क-ख)	**842.41**	**973.58**
घ. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन [डीटीएल(+)/डीटीए(-)]	24.67	(2.14)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता) (ग+घ)	**867.08**	**971.44**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ 'करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर 31.03.2022	वर्ष के समापन पर 31.03.2021
(क)	**(i) वे मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे**		
	परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन 1	98.01	(8.51)
		98.01	(8.51)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हे लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन 2	24.67	(2.14)
		24.67	(2.14)
	कुल (क)	**73.34**	**(6.37)**
(ख)	**(i) वे मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे**		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
		-	-
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाने वाले मदों से संबंधित आयकर		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
		-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**
	कुल (क+ख)	**73.34**	**(6.37)**

1. ग्रेच्युटी के लिए ₹ 196.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (8.51) करोड़ रुपये) और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए ₹ (98.17) करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.00 करोड़) के लिए शामिल है।"

2. परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्निधारण पर आयकर में 31.03.2022 को समाप्त वर्तमान अवधि के लिए ₹ 0.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 0.00 करोड़) और 31.03.2022 को समाप्त वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति /(देयता) ₹ (24.67) करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 2.14 करोड़) शामिल हैं।"

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

(एक मिनी रत्न कंपनी)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियां
(टिप्पणी 38)

1. उचित मूल्यांकन (भारतीय लेखा मानक 113)

(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन/दस्तावेज

(₹ 'करोड़ में)

	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति						
निवेश :						
सुरक्षित बांड						
अनुषंगी कंपनी में अधिमान शेयर						
म्युचुअल फंड	0.00			0.00		
ऋण			0.00			0.00
जमा एवं प्राप्य			644.40			802.81
कारोबारी प्राप्य			1037.01			3004.80
नकद और नकद समतुल्य			617.33			48.67
अन्य बैंक शेष			7.24			126.99
वित्तीय देयताएं						
उधारियां			0.00			2052.08
पट्टा देयताएं			200.28			0.00
व्यापार देनदारियां			800.26			1208.53
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि			492.93			449.64
अन्य देनदारियां			1298.70			1245.74

ख) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय साधनों में निर्धारित निर्णय और अनुमानों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं (क) उचित मूल्य पर मान्यता एवं मूल्यांकन (ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकन और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं। उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में इस बात का संकेत देने के लिए कंपनी अपने लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वित्तीय साधनों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक स्तर की एक व्याख्या तालिका में निम्नलिखित है।

(₹ 'करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियां-	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
म्युचुअल फंड	0.00			0.00		
वित्तीय देनदारियां						
अगर कोई मद हैं तो						

(₹ 'करोड़ में)

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देनदारियां, जिसके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया हैं	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
जेवी में इक्विटी शेयरों						
म्युचुअल फंड						
ऋण			0.00			0.00
जमा और प्राप्य			644.40			802.81
प्राप्य योग्य व्यापार			1037.01			3004.80
नकद और नकदी समकक्ष			617.33			48.67
अन्य बैंक शेष			7.24			126.99
वित्तीय देनदारियां						
उधारियां			0.00			2052.08
पट्टा देयताएं			200.28			0.00
व्यापार देनदारियां			800.26			1208.53
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि			492.93			449.64
अन्य देनदारियां			1298.70			1245.74

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रम में उद्धृत मूल्यों से प्राप्त मूल्यांकित वित्तीय साधनों को भी शामिल किया है। इसमें म्युचुअल फंड भी शामिल है, जिसमें उद्धृत मूल्य और समापन एनएवी का उपयोग कर इसके मूल्य को जाना जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधनों के उचित मूल्य कि एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं मूल्यांकन तकनीक जो नमूदार बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करने और इकाई विशेष के अनुमानों पर यथासंभव कम भरोसा करते हैं, का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। यदि महत्वपूर्ण उचित मूल्य के लिए सभी प्रविष्टियां आवश्यक है तो एक साधन देखा जाता हैं, यह साधन स्तर 2 में शामिल है।

स्तर 3: यदि एक या इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो यह साधन स्तर 3 में शामिल है। यह मामला गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधार, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के स्तर 3 में शामिल है।

ग) उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

वित्तीय साधनों के मूल्य निर्धारण में इस्तेमाल होने वाले मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपकरणों की उद्धृत बाजार की कीमतों का उपयोग
- शेष वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग कर किया जाता है।

घ) उचित मूल्य का मूल्यांकन महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रविष्टियों का उपयोग कर किया जाता है। वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रविष्टियों का उपयोग कर किसी भी उचित मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया हैं।

ड़) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य का मूल्यांकन

व्यापार प्राप्तियां, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार देय के अल्पकालिक प्रकृति के कारण इन्हें इनके उचित मूल्यों के बराबर ही माना जाता है।

कंपनी यह मानती है कि "प्रतिभूति जमा" में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। यह महत्वपूर्ण भुगतान (प्रतिभूति जमा) कंपनी के प्रदर्शन के अनुरूप होगा और संविदा हेतु आवश्यक रकम का प्रतिधारण वित्तीय प्रावधानों अतिरिक्त कारणों के लिए होगा। प्रत्येक महत्वपूर्ण भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना, कंपनी के हित के लिए अपेक्षित है, ताकि संविदा के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में असफल रहने वाले ठेकेदार से निपटा जा सके। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की ट्रांजेक्शन लागत को आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य के रूप में विचार किया जाता है और उसके बाद परिशोधित लागत पर इसका मूल्यांकन किया जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: किसी सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारित मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया जाता है। किसी विधि का चयन करने और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएं बनाने के लिए कंपनी अपने निर्णय का उपयोग करती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

क. वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधारी, व्यापार और अन्य देयताओं को भी शामिल किया गया है। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषण करना और इसके संचालन का पक्ष में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियों, और नकद और सीधे अपने परिचालन से प्राप्त होने वाले नकदी समकक्ष को शामिल किया गया हैं।

कंपनी ने बाजार के जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने प्रबंधन को इन जोखिम से अवगत कराया है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जो वित्तीय जोखिमों पर परामर्श देने के साथ-साथ कंपनी के लिए उचित एवं शासकीय वित्तीय जोखिम से भी अवगत कराती है। यह जोखिम समिति निदेशक मंडल यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा शासित हो रही है और यह वित्तीय जोखिम कंपनी की नीतियों एवं जोखिम उद्देश्यों के आलोक में चिह्नित, मूल्यांकित एवं प्रबंध की जा रही है। निदेशक मंडल ने इन प्रत्येक जोखिमों की प्रबंधकीय व्यवस्था की समीक्षा की है और इसपर अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसका सारांश निम्नलिखित है।

कंपनी ने बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और साख जोखिम को उजागर किया है। इस टिप्पणी में इक्विटी के जोखिम के स्रोतों को परिभाषित किया गया है और यह बताया गया है कि इन जोखिमों का प्रबंध कंपनी द्वारा कैसे किया जाएगा और वित्तीय विवरणी में इस बचाव लेखांकन का क्या प्रभाव होगा।

जोखिम	उजागर का स्रोत	मूल्यांकन	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्तियों, परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्यांकन	एजिंग विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधारी और अन्य देनदारियां	आवधिक नकद प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन और उधार लेने की सुविधा की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा विनिमय	भविष्य वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और आईएनआर में शामिल नहीं की गई देनदारियों	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से घड़ी और समीक्षा।
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों (डीपीई विभाग) के दिशा निर्देशों, वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।

ख. कंपनी जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश कवर करने वाली पालिसियों के लिए लिखित सिद्धांतों को उपलब्ध कराती है।

ग. ऋण जोखिम: ऋण जोखिम नकद और नकदी समकक्ष, परिशोधित लागत और बैंकों और वित्तीय संस्थानों साथ-साथ बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न होती है।

i. ऋण जोखिम प्रबंधन:

समष्टि-आर्थिक सूचना (जैसे विनियामक प्रभार) को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ii. ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए):

जैसा कि एनसीडीपी (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ या राज्य नामांकित एजेंसियों के ग्राहकों के साथ कानूनी रूप से उचित वितरण व्यवस्था बनाने के लिए ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया है। हमारे ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विद्युत उपयोगी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत संयंत्रों (PPUs) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) से ईंधन आपूर्ति करार (FSAs) किया गया है।
- गैर-विद्युत उद्योगों के उपभोक्ताओं (कैप्टिव पॉवर प्लांट CPPs)) के उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs), और
- राज्य नामित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (FSAs)

iii. ई-नीलामी योजना:

इस कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत ग्राहकों तक सरल तरीके से कोयला पहुंचाने के लिए की गई है, जो पहले विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपने कोयला की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिए एनसीडीपी के तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन होता था, उनकी कोयले की आवश्यकता मौसम की वजह से प्रभावित होती थी और कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया गया था। ई-नीलामी के तहत प्रस्तुत कोयले की मात्रा की कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। (टिप्पणी-13, व्यापार प्राप्तियां देखें।)

घ) अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान:

कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध / खराब क्रेडिट संपत्ति के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि उपलब्ध कराती है।

महत्वपूर्ण अनुमान एवं निर्णय- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

ड.) तरलता जोखिम

विवेक पूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य है पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां और दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त राशि की उपलब्धता। अंतर्निहित कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी द्वारा राजकोष प्रतिबद्ध क्रेडिट के तहत उपलब्धता बनाए रखने में लचीलापन बनाए रखती है।

प्रबंधन अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी के तरलता की स्थिति (आहरित नहीं की गई निम्नलिखित उधार सुविधाएं शामिल हैं) और नकद और नकदी समकक्ष पर नज़र रखता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति एवं सीमा के अनुसार कंपनी को स्थानीय स्तर पर संचालित करने वाले समूहों में किया जाता है।

i. वित्तीय व्यवस्था

कंपनी के पास समीक्षाधीन अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित नहीं की गई उधार सुविधाएं उपलब्ध है:

(₹ 'करोड़ में)

	31.03.2022	31.03.2021
एक वर्ष के भीतर समाप्त हो रही है (ओवरड्राफ्ट सुविधाएं)	2250.00	1348.14
एक वर्ष से परे समाप्त हो रही है (बैंक ऋण)	0.00	0.00

ii. वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

संविदात्मक परिपक्वताओं पर आधारित प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण निम्नलिखित है।

तालिका में प्रकटित राशि संविदात्मक गैर-मूल्यांकित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण 12 महीने के अंदर जमा शेष पिछले शेष के बराबर है।

(₹ 'करोड़ में)

31.03.2022 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 5 वर्ष तक	कुल
उधारियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
वित्तीय पट्टा के तहत दायित्व	12.22	12.22	19.49	48.82	107.53	**200.28**
व्यापार देनदारियां	800.26	0.00	0.00	0.00	0.00	**800.26**
अन्य वित्तीय देनदारियां	1151.46	136.73	219.73	10.85	272.86	**1791.63**
कुल	**1963.94**	**148.95**	**239.22**	**59.67**	**380.39**	**2792.17**
31.03.2021 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	**3 माह से कम**	**3 माह से 6 माह तक**	**6 माह से 1 वर्ष तक**	**1 वर्ष से 2 वर्ष तक**	**2 वर्ष से 5 वर्ष तक**	**कुल**
उधारियां	2052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	**2052.08**
वित्त पट्टा के तहत दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
व्यापार देनदारियां	1208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	**1208.53**
अन्य वित्तीय देनदारियों	1159.91	135.22	167.50	17.76	214.99	**1695.38**
कुल	**4420.52**	**135.22**	**167.5 0**	**17.76**	**214.99**	**4955.99**

च) बाजार जोखिम

i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा के लेनदेन से होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम से प्रभावित हो सकती है। विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम नगण्य माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और इसके जोखिम पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है। कंपनी के एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाने की स्थिति में कार्यान्वित किया जाता है।

ii) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा में ब्याज दर के बदलाव से होता है, जिसे कंपनी द्वारा नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम में प्रकट किया गया है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा को स्थिर दर पर बनाए रखना है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का उपयोग कर इस जोखिम का प्रबंधन करती है।

छ) पूंजी प्रबंधन

कंपनी के एक सरकारी संस्था होने के नाते वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नलिखित हैः

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
इक्विटी शेयर पूंजी	4657.00	4657.00
दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता एवं मापन (भारतीय लेखा मानक-19) (टिप्पणी 21 एवं 28)

क. परिभाषित लाभ योजना

i. ग्रेच्युटी (उपदान)

कंपनी, ग्रेच्युटी के लिए नियोजन उपरांत पात्र कर्मचारियों को एक परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्यूटि स्कीम) प्रदान करती है। यह ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित ट्रस्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्तपोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान उनके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 2.01% है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा-अवधि पूरी कर ली हो, वे कंपनी से अलग होते समय ग्रेच्युटी भुगतान की रकम प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसकी गणना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के यथा संशोधित प्रारूप के तहत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (महीने में 15 दिन/26 दिन * अंतिम आहरित वेतन एवं महंगाई भत्ता * पूर्ण सेवा-वर्ष) के बराबर, अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ तक होगी। ग्रेच्युटी योजना से संबंधित तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटा है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग कर परिभाषित लाभ दायित्व की गणना बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुन: मापी लाभ एवं हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे सीधे तौर पर दूसरे व्यापकआय (ओसीआइ) में घटित होते हैं।

ii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ- अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति अथवा चिकित्सकीय आधार पर कंपनी की सेवा से अलग होने अथवा कॉमन कोल कैडर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने अथवा समय-समय पर प्रतिपादित एवं लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेने पर अधिकारियों एवं उनके जीवनसाथी को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक ''सीआइएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत मेडिकेयर स्किम (सीपीआरएमएसई)'' नामक सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना है, जिसका लाभ एक निर्धारित सीमा तक देश में मौजूद कंपनी-अस्पतालों/पैनल में शामिल अस्पतालों या आउट पेशेंट/अधिवास में प्राप्त किया जा सकता है। सीआईएल और उसकी अनुषंगियों की सेवाओं से त्याग-पत्र देने वाले अधिकारियों को इसकी सदस्यता नहीं प्रदान जाती है। कुछ निर्दिष्ट बीमारियों को छोड़कर जिनके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके पति या पत्नी के लिए संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से पूरे जीवन काल में प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि की सीमा ₹ 25 लाख है। इस योजना को सीआइएल द्वारा सामूहिक स्तर पर संचालित एक ट्रस्ट द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसे मात्र इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है।

iii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ- कर्मचारी (सीपीआरएमएसई-एनई)

कंपनी द्वारा वेतन समझौता के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (CPRMSE-NE) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त अथवा कंपनी द्वारा चिकित्सकीय आधार पर सेवामुक्त अथवा समय-समय पर तैयार एवं लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले अथवा 57 वर्ष या उससे अधिक आयु में कंपनी की सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों को और कर्मचारी के मृत्यु के मामले में, उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों को केवल देश के अंदर तथा एक निर्धारित व्यय-सीमा तक की शर्त के आधार पर कंपनी के अस्पतालों/ सूचीबद्ध अस्पतालों में ऑउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथी एवं दिव्यांग बच्चे/बच्चों द्वारा अपने पूरे जीवनकाल के दौरान संयुक्त रूप से या अलग-अलग अधिकतम ₹ 8 लाख तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, किंतु कुछ निर्दिष्ट बीमारियों के मामले में कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना का वित्तपोषण सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से समूह स्तर पर किया जाता है, जो केवल इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। CPRMSE-NE के मौजूदा कर्मचारियों को छोड़कर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व का निर्धारण किया जाता है, जो चालू वर्ष से शुरू होता है।

ख) परिभाषित अंशदायी योजनाएं:

i. भविष्यनिधि एवं पेंशन:

कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए पात्र कर्मचारियों के वेतन से पूर्व निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अर्थात मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का क्रमश: 12% एवं 7% कटौती कर कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नाम कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

ii. सीआइएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को पोस्ट-एंप्लायमेंट अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है, जिसे ''सीआइएल एक्सक्यूटिव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना-2007'' (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है। एनपीएस का संचालन समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका गठन पूरी तरह से इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। कंपनी का दायित्व है कि वह भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-अधिकारी (सीपीआरएमएसई) अथवा किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान सहित, मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का अधिकतम 30% ट्रस्ट में योगदान करे। मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का 6.99% के वर्तमान नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण हेतु प्रभारित किया जा रहा है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i) अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई माह के पहले अर्धवार्षिकी आधार पर अनुपात में 30 दिनों का अर्जित अवकाश (ई एल) तथा 20 दिनों का एचपीएल प्रदान करती है। सेवाकाल के दौरान, 75% जमा ईएल शेष, अधिकतम 60 दिनों तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार नकदीकरण योग्य है। सेवाकाल के दौरान संचित किए गए एचपीएल को नकदीकरण करने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल एवं एचपीएल को एक साथ नकदीकरण किया जा सकता है, जो एचपीएल रूपांतरण के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। कर्मचारियों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (NCWA) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कर्मचारी प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित अवकाश (ईएल) के नकदीकरण के हकदार हैं तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता तथा वीआरएस के कारण सेवामुक्त होने की स्थिति में शेष अवकाश या 150 दिन, इनमें से जो भी कम हो, को नकदीकरण करने की अनुमति है। इसलिए, ईएल की देनदारियों को कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान तथा सेवनिवृत्ति के बाद निपटान करने की उम्मीद की जाती है। अत: उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा संबंधी किए जाने वाले अपवादित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के तौर पर मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार मुनाफा का उपयोग कर लाभ में छूट दी जाती है जिसमें संबंधित बाध्यता की शर्तों के अनुसार शर्तें होती है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ii) लाइफ कवर स्कीम (एलसीएल)

वेतन-समझौते के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में कंपनी के पास श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित डिपॉजिट लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत एक लाइफ कवर योजना है, जिसे "लाइफ कवर स्कीम ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड" (एलसीएल) के तौर पर जाना जाता है। दिनांक 01.01.2017 तक इस योजना के तहत ₹ 1,25,000/- की राशि का भुगतान किया गया है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा योजना के तहत देयता का वहन किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

iii) सेटलमेंट एलाउंस

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, दिनांक 31.10.2010 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले एनसीडब्लूए के कर्मचारियों को सेटलिंग भत्ते के तौर पर एकमुश्त ₹ 12000/- की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के दायित्व की पहचान की जाती है। योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

iv) ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंश्योरेंस (जीपीएआइएस)

कंपनी ने अपने अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक सामुहिक बीमा योजना ली है, जिसे ''कोल इंडिया एक्सक्यूटिव ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंश्योरेंस स्कीम'' (जीपीएआइएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआइएस दुनिया भर में सभी प्रकार की घटनाओं को 24 घंटे कवर करती है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

v) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, कर्मचारी 4 वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार अपने "गृह नगर" तथा एक बार "भारत भ्रमण" की यात्रा के लिए हकदार हैं। गृह नगर तथा भारत भ्रमण के लिए क्रमश: ₹ 8000/- तथा ₹ 12000/- की राशि दी जाती है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इस योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

vi) खदान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में कंपनी कर्मचारियों को मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से यदि खदान में किसी कर्मचारी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन को मुआवजे के रूप में ₹ 15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

परिभाषित लाभ योजनाएं, परिभाषित अंशदायी योजनाएं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित हैं:

(i) वित्त पोषित

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण
- सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा

(ii) गैर-वित्तपोषित

- जीवन बीमा योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- सामुहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत एल टी सी
- खदान दुर्घटना के मामले में आश्रितों को मुआवजा

बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2022 को कुल देयता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ 'करोड़ में)

मद	01 अप्रैल, 2021 को आरंभिक बीमांकिक प्रावधान	वृद्धि / (ह्रास) प्रावधान	31 मार्च, 2022 को अंतिम बीमांकिक प्रावधान
उपदान (ग्रेच्युटी)	3420.28	(-)286. 17	3134.11
छुट्टी	604.35	(-)44.72	559.63
जीवन बीमा योजना	11.82	(-)11.82	0.00
निपटान भत्ता	28.54	(-)2.70	25.84
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.12	(-)0.12	0.00
एलटीसी / एलटीसी / आरआरएफ	45.88	(-)10.13	35.75
चिकित्सा लाभ (अधिकारी)	220.75	(-)14.41	206.34
चिकित्सा लाभ (कर्मचारी)	319.83	178.31	498.14
खान दुर्घटना लाभ	10.93	(-)10.93	0.00
कुल	**4662.50**	**(-)202.69**	**4459.81**

क) बीमांकक के प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित), छुट्टी नकदीकरण (वित्त पोषित) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित) हेतु कर्मचारी लाभ के लिए बीमांकिक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है: -

(i) 31.03.2022 को उपदान (ग्रेच्युटी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1: परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क. लाभ एवं हानि		
वर्तमान सेवा लागत	120.65	145.28
पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	0.00	0.00
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	**120.65**	**145.28**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	71.01	54.83
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
लाभ-हानि में मान्य लागत	**191.66**	**200.11**
ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(-)210.90	64.99
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	10.69	(-)60.10
बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	(-)200.21	4.89
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	4.03	3.62
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	**(-)196.18**	**8.51**
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	120.65	145.28
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	71.01	54.83
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	(-)196.18	8.51
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
परिभाषित लाभ लागत	**(-)4.52**	**208.62**
घ. निम्नलिखित के संबंध में अनुमान		
छूट दर	6.8 0%	6.85%
वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

तालिका 2 : शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)3134.11	(-)3420.28
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	2227.40	2258.23
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(-)906.71	(-)1162.05
एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)906.71**	**(-)1162.05**
ख . शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान		
पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)1162.05	(-)971.53
सेवा लागत	(-)120.65	(-)145.28
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)71.01	(-)54.83
ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	196.18	(-)8.51
नियोक्ता योगदान	18 0.77	18.10
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	70.05	0.00
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
अनावरण	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)906.71**	**(-)1162.05**
ग. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	6.80%	6.85%
वेतन वृद्धि की दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

तालिका 3: लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	3420.28	3391.61
वर्तमान सेवा लागत	120.65	145.28
डीबीओ पर ब्याज लागत	219.69	220.61
कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(-)210.90	64.99
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	10.69	(-)60.10
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)426.30	(-)342.11
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	**3134.11**	**3420.28**
ख. संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	2258.23	2420.08
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	148.68	165.78
नियोक्ता योगदान	18 0 .77	18.10
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	(-)4.03	(-)3.62
भुगतान किया गया लाभ	(-)356.25	-(-)342.11
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	**2227.40**	**2258.23**

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च , 2023	288.80
31 मार्च, 2024	303.78
31 मार्च, 2025	338.10
31 मार्च, 2026	329.83
मार्च 31, 2027	340.70

(₹ 'करोड़ में)

31 मार्च, 2028 से 31 मार्च, 2032	1486.49
10 वर्ष से परे	2638.21
ख. 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	95.73
ग. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	7 वर्ष
घ. 31 मार्च, 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व	2227.54
ङ. 31 मार्च, 2022 को योजना की संपत्ति की जानकारी	%आयु
भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	**100.00%**
च. 31 मार्च, 2022 का वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का खंडवार विवरण	
वर्तमान में दायित्व	279.45
गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	2854.66
31 मार्च, 2022 तक दायित्व	**3134.11**

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
31 मार्च, 2022 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**3134.11**
क. छूट दर	
31 मार्च, 2022 तक छूट दर	**6.80%**
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)103.89
प्रतिशत प्रभाव	*-3%*
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	110.85
प्रतिशत प्रभाव	*4%*

(₹ 'करोड़ में)

ख. वेतन वृद्धि दर	
31 मार्च, 2022 तक वेतन वृद्धि दर	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	61.45
प्रतिशत प्रभाव	*2%*
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(-)66.34
प्रतिशत प्रभाव	*-2%*

ii. समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना को अपनाया है और जिसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पहले ही दर्ज किया जा चुका है। पूर्वोक्त योजना के प्रबंधन के लिए न्यासियों के साथ एक ट्रस्ट डीड में प्रवेश करके एक कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2022 को उक्त योजना के तहत एलआईसी के पास शेष राशि इस प्रकार है:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष	2258.23	2420.08
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	180.77	18.10
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	144.65	181.51
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए एलआईसी द्वारा लिया गया शुद्ध प्रीमियम	16.90	19.35
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा जारी ग्रेच्युटी फंड	339.35	342.11
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष	2227.40	2258.23

iii. 31.03.2022 को छुट्टी नकदीकरण लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1: परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क.लाभ एवं हानि		
वर्तमान सेवा लागत	95.21	90.98
पिछले सेवा लागत-योजना संशोधन	0.00	0.00
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	**95.22**	**90.98**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	32.14	41.56
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	(-)26.67	(-)117.11
लाभ-हानि में मान्य लागत	**100.68**	**15.43**

(₹ 'करोड़ में)

ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(-)28.33	(-)101.43
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.49	(-)13.66
बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	(-)25.84	(-)115.09
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	(-)0.83	(-)2.03
ओसीआई में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियां	**0.00**	**0.00**
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	95.21	90.98
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज/(संपत्ति)	32.14	41.56
ओसीआई में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियां	0.00	0.00
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	(-)26.67	(-)117.11
परिभाषित लाभ लागत	**100.68**	**15.43**
घ. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	6.80%	6.85%
वेतन वृद्धि की दर	**अधिकारी: 9%** **कर्मचारी: 6.25%**	**अधिकारी: 9%** **कर्मचारी: 6.25%**

तालिका 2: शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)559.63	(-)604.35
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	112.76	12.13
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(-)446.87	(-)592.22
परिसंपत्ति उच्चतम सीमा का प्रभाव	0.00	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)446.87**	**(-)592.22**
ख. शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान		
पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)592.22	(-)636.80
सेवा लागत	(-)95.21	(-)90.98
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)32.14	(-)41.56
बीमांकिक (हानि)/लाभ	26.67	117.11
नियोक्ता योगदान	196.01	60.00
कंपनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	50.02	0.00
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
अनावरण	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)446.87**	**(-)592.22**

(₹ 'करोड़ में)

ग. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	6.80%	6.85%
वेतन वृद्धि की दर	**अधिकारी: 9%** **कर्मचारी: 6.25%**	अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%

तालिका 3: लाभ दायित्वों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	604.35	646.25
वर्तमान सेवा लागत	95.21	90.98
डीबीओ पर ब्याज लागत	36.24	42.21
कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	0.00	0.00
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	(-)28.33	(-)101.43
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	2.49	(-)13.66
कंपनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)150.33	(-)60.00
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	**559.63**	**604.35**
ख. परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	12.13	9.45
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	4.10	0.65
नियोक्ता योगदान	196.01	60.00
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	0.83	2.03
भुगतान किया गया लाभ	(-)100.31	(-)60.00
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	**112.76**	**12.13**

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2023	44.05

31 मार्च, 2024	46.38
31 मार्च, 2025	54.18
31 मार्च, 2026	57.63
मार्च 31, 2027	52.18
31 मार्च, 2028 से 31 मार्च, 2032	224.54
10 वर्ष से परे	797.52
क.31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	140.03
ख.परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	9 years
ग.31 मार्च, 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व	335.85
घ.31 मार्च, 2022 तक योजना की संपत्ति की जानकारी	%age
भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
बीमा की योजनाएं - पारंपरिक उत्पाद	100.00%
बीमा की योजनाएं - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	**100.00%**
ङ.31 मार्च, 2022 को वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का खंडवार (ब्रेकअप) विवरण	
वर्तमान में दायित्व	42.62
गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	517.01
31 मार्च, 2022 तक दायित्व	**559.63**

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
डीबीओ 31 मार्च, 2022 को आधार अनुमानों पर आधारित है	**591.23**
क. छूट दर	
31 मार्च, 2022 तक छूट दर	**6.80%**
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)23.24
प्रतिशत प्रभाव	*-4%*
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	25.12
प्रतिशत प्रभाव	*4%*

(₹ 'करोड़ में)

ख. वेतन वृद्धि दर	
31 मार्च, 2022 को वेतन वृद्धि दर	**अधिकारी: 9% कर्मचारी: 6.25%**
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	24.93
प्रतिशत प्रभाव	*4%*
वेतन वृद्धि दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(-)23.29
प्रतिशत प्रभाव	*-4%*

iv. अवकाश नकदीकरण वित्त पोषण

कोल इंडिया बोर्ड ने भारतीय जीवन बीमा निगम और आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के साथ 70:30 के अनुपात में अवकास नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए 13 नवंबर, 2015 को संपन्न 322वीं बैठक में अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन सीआईएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस बीच, सीआईएल द्वारा अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों को अवकास नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया की न्यू ग्रुप लीव एनकैशमेंट प्लान को अपनाने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, कंपनी ने एलआईसी के मास्टर प्रस्ताव अर्थात 'नई समूह अवकाश नकदीकरण नकद संचय योजना (UIN512N282V01)' को अपनाते हुए बीसीसीएल कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण देयता का वित्तपोषण शुरू कर दिया है। उक्त योजना के तहत एलआईसी के पास शेष राशि इस प्रकार है:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष राशि	12.13	9.45
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	196.01	60.00
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	4.93	2.88
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए एलआईसी को भुगतान किया गया निवल शुल्क	0.31	0.20
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान एलआईसी द्वारा जारी की गई निधि	100.00	60.00
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष राशि	112.76	12.13

v. 31.03.2022 को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1 : परिभाषित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क. लाभ एवं हानि (पी एंड एल)		
वर्तमान सेवा लागत	15.61	0.00
पिछले सेवा लागत-योजना संशोधन	306.34	0.00
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
सेवा लागत	**321.95**	**0.00**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	24.56	0.00
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
लाभ-हानि में मान्य लागत	**346.51**	**0.00**

(₹ 'करोड़ में)

ख. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	79.21	0.00
डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	37.13	0.00
बीमांकिक (लाभ)/अवधि के दौरान होने वाली हानि	116.34	0.00
योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	(-)18.17	0.00
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्य हानियां	**98.17**	**0.00**
ग. परिभाषित लाभ लागत		
सेवा लागत	321.95	0.00
निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	24.56	0.00
बीमांकिक (लाभ)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त हानियां	98.17	0.00
(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	0.00	0.00
परिभाषित लाभ लागत	**444.68**	**0.00**
घ. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	6.80%	
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	

तालिका 2: शुद्ध तुलन पत्र की स्थिति

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क. शुद्ध तुलन-पत्र स्थिति का विकास		
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(-)704.49	0.00
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (FVA)	218.05	0.00
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(-)486.44	0.00
एसेट सीलिंग का प्रभाव	0.00	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)486.44**	**0.00**
ख. शुद्ध तुलन-पत्र की स्थिति का समाधान		
पूर्व अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(-)215.72	0.00
सेवा लागत	(-)321.95	0.00
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	(-)24.56	0.00
ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(-)98.17	0.00
नियोक्ता योगदान	96.16	0.00
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	77.80	0.00
अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	0.00	0.00
(अनावरण)	0.00	0.00
समाप्ति लाभ की लागत	0.00	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	**(-)486.44**	**0.00**
ग. अनुमानों के रूप में		
छूट की दर	6.80%	
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	0.00%	

तालिका 3: लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)		
पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	319.65	0.00
वर्तमान सेवा लागत	15.61	0.00
डीबीओ पर ब्याज लागत	34.62	0.00
कटौती (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
निपटान (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	306.34	0.00
अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - अनुभव	79.20	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - जनसांख्यिकीय धारणाएं	32.80	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि - वित्तीय अनुमान	4.34	0.00
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)88.07	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ	**704.49**	**0.00**
ख. परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	103.93	0.00
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजना संपत्ति पर ब्याज आय	10.06	0.00
नियोक्ता योगदान	96.17	0.00
छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	18.16	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(-)10.27	0.00
वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	**218.05**	**0.00**

तालिका 4: अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
क. समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
31 मार्च, 2023	28.75
31 मार्च, 2024	32.75
31 मार्च, 2025	36.85
31 मार्च, 2026	40.77
मार्च 31, 2027	44.36
31 मार्च, 2028 से 31 मार्च, 2032	262.64
10 वर्ष से परे	1518.89
ख. परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	13 years
ग. 31 मार्च, 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व	704.49

घ. 31 मार्च, 2022 का वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता का खंडवार विवरण	
वर्तमान में दायित्व	27.82
गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	676.67
31 मार्च, 2022 तक दायित्व	**704.49**

तालिका 5: संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	(₹ 'करोड़ में)
31 मार्च, 2022 के अनुमानों पर आधारित डीबीओ	**704.49**
क. छूट दर	
31 मार्च, 2022 तक छूट दर	**6.80%**
छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(-)41.50
प्रतिशत प्रभाव	*-6%*
छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	45.87
प्रतिशत प्रभाव	*7%*

vi. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ अनुदान

31.03.2022 को निधि की स्थिति इस प्रकार है:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
वर्ष की शुरुआत में आरंभिक शेष	103.93	92.63
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान निवेश	96.17	11.76
जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	28.22	0.00
घटाव: अवधि/वर्ष के लिए निवल शुल्क	0.00	0.00
घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान निकाली गई निधि	10.27	0.46
अवधि/वर्ष के अंत में अंतिम शेष राशि	218.05	103.93

6. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (भारतीय लेखा 37)

क.) आकस्मिक देयताएं

i. कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
1.	**01.04.2021 को आरंभिक**	**1481.32**	**18423.85**	**0.00**	**594.56**	**20499.73**
2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	739.72	33.67	0.00	29.68	803.07
3.	**वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे**					
	क. ओपनिंग बैलेंस से	59.53	9.43	0.00	4.07	73.03
	ख. वर्ष के दौरान अतिरिक्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग. वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे (क+ख)	59.53	9.43	0.00	4.07	73.03
4.	**31.03.2022 को अंतिम**	**2161.51**	**18448.09**	**0.00**	**620.17**	**21229.77**

(₹ 'करोड़ में)

विवरण		आकस्मिक देयता	
		31.03.2022 को	**31.03.2021 को**
केन्द्रीय सरकार	आयकर	1334.77	815.73
	बिक्री कर : सीएसटी	556.07	550.78
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	265.72	107.23
	सेवा कर	4.95	7.58
	उप कुल	**2161.51**	**1481.32**
राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण	बिक्री कर : वैट	496.49	472.84
	जीएसटी	0.04	0.04
	रॉयल्टी	315.79	315.85
	होल्डिंग टैक्स	252.23	252.23
	कॉमन कॉज केस के खिलाफ मुआवजा	17344.46	17344.46
	बिजली शुल्क	22.80	22.15
	अन्य सांविधिक बकाया (आरई/पीई उपकर)	16.28	16.28
	उप -योग	**18448.09**	**18423.85**
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		0.00	0.00
	उप- योग	**0.00**	**0.00**
अन्य	कंपनी के खिलाफ मुकदमा मुकदमेबाजी के तहत	487.82	467.18
	मध्यस्थता कार्यवाही	71.12	71.12
	विविध (भूमि)	61.23	56.26
	उप कुल	**620.17**	**594.56**
	कुल योग	**21229.77**	**20499.73**

कंपनी को यथोचित उम्मीद है कि कंपनी के खिलाफ कानूनी विवादों/मुकदमों में सभी दावों/सूट (अन्य कंपनियों द्वारा दायर मुकदमा सहित) का जब अंततः निष्कर्ष निकलेगा और निर्धारण होगा तो कंपनी के परिचालन के परिणाम एवं वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

ii. 2014 के डब्ल्यूपी (सिविल) 114 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जुर्माना- सामान्य कारण मामला: कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2014 डब्ल्यू पी (सी) नं. 114 के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02.08.2017 के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा कंपनी की 47 परियोजनाओं/ खानों/ कोलियरियों के संबंध में ₹ 17344.46 करोड़ के मांग नोटिस जारी किए गए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि कोयला का उत्पादन या तो पर्यावरण संबंधी अनुमति, वन संबंधी अनुमति, परिचालन के लिए स्वीकृति के बिना किया गया और बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थापन सहमति के किया गया है अथवा इन अनुमतियों के तहत दी गई उत्पादन की अनुमोदित सीमाओं से ज्यादा उत्पादन किया गया है। उपरोक्त मांग नोटिसों का निष्पादन खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55(5) के तहत एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के साथ पठित शक्ति के प्रयोग में अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तदनुसार, उपरोक्त राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

iii. क्षेत्रों के कोयला स्टॉक के कमी पर राजस्व से संबंधित कई प्रमाणन मामले, जिला खनन अधिकारी (डी.एम.ओ.) के कार्यालय में प्रमाणन अधिकारी के समक्ष लंबित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित जिला खनन अधिकारी को यह निदेश दिया है कि मुद्रास्फीति से हुई कमी, चोरी एवं कोयले उत्पादन की ओवर रिपोर्टिंग आदि के निर्धारण के बाद ही मांगे गये राजस्व की देय राशि को तय करें।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के आलोक में, प्रमाणन मामले से संबंधित उक्त राशि को डी.एम.ओ. द्वारा अभी संशोधित/ सुनिश्चित नहीं किया गया है। अतः इस लेखा में इसको उपलब्ध नहीं कराया गया है, किंतु उपर्युक्त में दर्शाए गयी आकस्मिक देयता में यह विचारित है।

iv. कैप्टिव पावर प्लांट (पश्चिमी झरिया क्षेत्र) के लीज समझौते विवाद के कारण, वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही (2014-15 के लीज रेंट बकाये का पहली तीमाही के लिए सेवा कर का भुगतान पहले ही कर दिया गया है) से 2015-16 की तीसरी तिमाही (कंपनी को दिनांक 15.12.2016 को संयंत्र सौंपा गया) तक ₹ 1.06 करोड़ के सेवा कर की राशि को आकस्मिक देयता के तहत दर्शाया गया है।

v कंपनी ने धनबाद नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के रूप में ₹ 252.23 के डिमांड नोटिस के खिलाफ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2015 में रिट याचिका सं. WP (T) 3583 दायर की है, और चूंकि अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इसे होल्डिंग टैक्स की मद के तहत आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

vi. विवादित प्राप्य / देय खाता डीएलएफ

मधुबन कोल वाशरी द्वारा डीएलएफ़ को (i) रिजेक्ट तथा (ii) स्टार्टअप/बैक-अप/आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की लागत के एवज में डीएलएफ से प्राप्तियां है। इसके अलावा डीएलएफ द्वारा स्थापित कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) से मधुबन कोल वाशरी को प्राप्त विद्युत के लिए डीएलएफ को विद्युत ऊर्जा लागत देय है। इस स्तर पर देय/प्राप्य ब्याज का लेखांकन नहीं किया गया है चूंकि रिजेक्ट की कीमत/गुणवत्ता तथा इस विषय में सीपीपी द्वारा कम गारंटी विवाद होने के कारण मामला न्यायालयाधीन (एक मामला धनबाद न्यायालय में और दूसरा विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में) है। तदनुसार, इस स्तर पर शुद्ध बकाया पर देय ब्याज / देय का लेखांकन नहीं किया गया है। हालांकि, 31 मार्च, 2022 तक 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से डीएलएफ को शुद्ध देय ब्याज ₹ 33.54 करोड़ (मार्च, 2021 तक ₹ 31.83 करोड़) बनता है और इसे आकस्मिक देयता में मान्य किया गया है।

क) कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31.03.2022 तक	**31.03.2021 तक**
वर्तमान परिसंपत्तियों पर फ्लोटिंग प्रभार के विरूद्ध	261.08	56.08

ख) कंपनी द्वारा जारी साख-पत्र

(₹ 'Crore)

विवरण	राशि	
	31.03.2022 तक	**31.03.2021 तक**
बैलेंस शीट की तारीख तक बकाया	10.52	425.08

घ) प्रतिबद्धता

i. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31.03.2022 तक	**31.03.2021 तक**
पूंजीगत लेखा पर दर्शायी जाने वाली अनुबंध की अनुमानित शेष राशि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होगी।		
क) भूमि	1.26	0.04
ख) भवन इमारत	203.32	230.87
ग) संयंत्र और मशीनरी	195.24	491.67
घ) अन्य	659.91	565.31

ii. राजस्व / अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31.03.2022 तक	**31.03.2021 तक**
राजस्व/ अन्य लेखा पर दर्शायी जाने वाली अनुबंध की अनुमानित शेष राशि निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं होगी।		
क) भाड़े के एचईएमएम	10780.39	13140.76
ख) कोयला परिवहन	336.99	403.22
ग) अन्य	88.68	168.46

ड.) प्रावधान

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के दौरान दीर्घावधि/लघु अवधि के प्रावधानों में परिवर्तन/बदलाव का विवरण निम्नानुसार है: -

i. निम्नलिखित के लिए गैर-वर्तमान प्रावधान:

(₹ 'करोड़ में)

टिप्पणी सं.	प्रावधान	1 अप्रैल 2021 तक आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रावधान/जोड़	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन	31 मार्च, 2022 तक अंत शेष
21	ग्रेच्युटी	804.60	0.00	177.34	627.26
21	अवकाश नकदीकरण	542.28	0.00	138.03	404.25
21	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	403.53	55.09	0.00	458.62
21	अन्य कार्मिक लाभ	68.31	0.00	26.18	42.13
21	भूमि पुनर्स्थापन / खदान बंदी	482.39	51.78	50.82	483.35
21	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
21	स्ट्रिपिंग गतिविधि का समायोजन	(-)568.46	88.44	0.00	(-)480.02
9&10	संदिग्ध पूंजी अग्रिम, सुरक्षा जमा और अन्य जमा - अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	5.07	0.00	0.00	5.07
9&10	संदिग्ध जमा और प्राप्तियां - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00

8	संदेहास्पद ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
5	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (हानि सहित)	0.00	18.52	0.00	18.52
4	पूंजी डब्ल्यूआईपी (हानि सहित)	47.64	2.33	12.05	37.92
3	परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) की हानि	82.63	13.05	0.00	95.68
	कुल	**1867.99**	**229.21**	**404.42**	**1692.78**

II) कंपनी ने वार्षिक संविदात्मक गुणवत्ता (एसीक्यू) के अनुसार कोयला आपूर्ति के लिए कोयला उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते के रूप में दीर्घकालिक करार किया है। इस ईंधन आपूर्ति समझौतों के तहत एसीक्यू के 90% से ऊपर कोयला आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है और 90% / 80% / 60% से नीचे कोयले की आपूर्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जैसा भी मामला हो। प्रोत्साहन एवं दंड का निर्धारण वार्षिक आधार पर वर्ष के अंत में/उपभोक्तावार किया जाएगा। कंपनी ने लंबे समय के लिए कोई भी यौगिक अनुबंध नहीं किया है।

III) .निम्नलिखित के लिए वर्तमान प्रावधान

(₹ 'करोड़ में)

टिप्पणी सं.	प्रावधान	1 अप्रैल 2021 तक आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्रावधान/जोड़	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान/ समायोजन/ प्रतिलेखन	31 मार्च, 2022 तक अंत शेष
21	ग्रेच्युटी	357.45	0.00	78.00	279.45
21	अवकाश नकदीकरण	49.94	0.00	7.32	42.62
21	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	33.12	0.00	5.30	27.82
21	अनुग्रह राशि	288.79	287.50	289.34	286.95
21	पीआरपी	119.35	90.41	53.55	156.21
21	अन्य कार्मिक लाभ	28.98	210.75	0.00	239.73
21	भूमि पुनर्स्थापन / खदान बंदी	0.00	0.00	0.00	0.00
13	कोयले की गुणवत्ता में अंतर	123.24	180.33	116.50	187.07
13	खराब और संदेहास्पद ऋण	510.99	23.21	155.63	378.57
12	माल-सूची- कोयला स्टॉक सूची	418.95	0.00	114.95	304.00
12	माल-सूची- स्टोर एवं पुर्जों की स्टॉक सूची	63.68	13.36	0.08	76.96
11	संदिग्ध अग्रिम, जमा और प्राप्तियां - अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	1.10	0.00	0.00	1.10
9	संदिग्ध जमा और दावे- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.95	0.00	0.00	4.95
8	संदेहास्पद ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**2000.54**	**805.56**	**820.67**	**1985.43**

च) कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य प्रतिभूतियां

I) कंपनी के पास आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ग्राहकों आदि से प्राप्त निम्नलिखित निधि आधारित/गैर-निधि-आधारित प्रतिभूति है, जिसका लेखांकन नहीं किया गया है।

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिभूति की प्रकृति	राशि	
		31.03.2022 को	31.03.2021 को
1	बैंक गारंटी	1368.91	1279.60
2	साख पत्र	58.00	14.00
3	एनएससी	0.22	0.15
4	एफडीआर/टीडीआर	3.31	1.52

II) अप्रैल 2012 में मेसर्स एएमआर-बीबीबी कंसोर्टियम को "कपुरिया ब्लॉक के विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेज द्वारा कपूरिया ब्लॉक से कोयले की निकासी के लिए टर्नकी आधार पर 2.0 एमटीवाई के न्यूनतम गारंटीकृत उत्पादन" के लिए एक ठेका दिया गया था। उक्त अनुबंध 21.01.2021 को रद्द कर दिया गया है और मेसर्स एएमआर बीबीबी कंसोर्टियम की तीन प्रदर्शन बैंक गारंटी को बीसीसीएल द्वारा ₹ 41.20 करोड़ का नकदीकरण किया गया है। कंपनी के पास ₹ 38.23 करोड़ का बकाया पूंजी अग्रिम था जिसे नगद बैंक गारंटी के विरुद्ध समायोजित किया गया है और ₹ 2.97 करोड़ की शेष राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2021 के अनुसार जमा कर दी गई है। उक्त राशि ₹ 2.97 करोड़ को लेखा बहियों में न्यायालयों में जमा के रूप में दर्शाया गया है। एक बैंक गारंटी को बैंक द्वारा ₹ 12.78 करोड़ का नकदीकरण किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2021 के निर्देशानुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिया गया है। अत: ₹ 15.75 करोड़ (₹ 2.97 करोड़ + ₹ 12.78 करोड़) की कुल राशि दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जमा है। पश्चिमी झरिया क्षेत्र के शीर्ष "विकास" (सीडब्ल्यूआईपी नोट -4) के तहत डीपीआर के लिए भुगतान की गई राशि 6.50 करोड़ आईसीसी, जहां मध्यस्थता मामला दायर किया गया है, के परिणाम के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी के खिलाफ समायोजित की जाएगी।

5. **संचालन भाग (ऑपरेटिंग सेगमेंट): (भारतीय लेखा मानक 108)**

भारतीय लेखा मानक 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के प्रावधानों के संदर्भ में, सेगमेंट की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान आंतरिक निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है ताकि सेगमेंट को संसाधन आवंटित किए जा सकें और उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। भारतीय लेखा मानक 108 के संदर्भ में निदेशक मंडल (बीओडी) कंपनी का प्रधान निर्णायक मंडल है।

कंपनी मुख्य रूप से कोयला खनन क्षेत्र में काम करती है; और अन्य सभी गतिविधियां मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसलिए, कंपनी के लिए कोई अन्य ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं हैं।

निम्नलिखित ग्राहक के साथ लेनदेन की राशि राजस्व का 10 प्रतिशत या कंपनी के राजस्व से अधिक:-

ग्राहक क्र. सं.	अवधि के दौरान कोयले की बिक्री की राशि	कुल बिक्री का प्रतिशत (%)
1	4369.54	32.02%
2	2247.60	16.47%

6. प्रति शेयर आय (भारतीय लेखा मानक-33) लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ 'करोड़ में/शेयरों की संख्या)

विवरण	निरंतर परिचालन से लाभ	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
टैक्स के बाद लाभ / (हानि)	111.62	(-)1202.48
घटाएं : अधिमानी शेयर धारक को आरोप्य लाभ	0.00	0.00
इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद शुद्ध लाभ	111.62	(-)1202.48

बकाया इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या	46570000	46570000
रुपए में प्रति शेयर आधारित और मिश्रित आय (अंकित मूल्य ₹ 1000)	23.97	(-)258.21

7. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (भारतीय एएस-24)

क) नियोजन उपरांत लाभ कोष:

1. कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
2. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
3. कोल इंडिया सुपरनेशन बेनिफिट फंड ट्रस्ट
4. कर्मचारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना संशोधित
5. सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट

संबंधित पार्टियों की सूची निम्नलिखित है:-

नाम	पदनाम	प्रभावी
श्री पी.एम. प्रसाद	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	01.02.2021 से 28.12.2021
श्री समीरन दत्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	28.12.2021; जारी
श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन	निदेशक (कार्मिक)	01.06.2020; जारी
श्री समीरन दत्ता	निदेशक (वित्त)	18.07.2019; जारी
श्री जे. पी. गुप्ता	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)	01.04.2021 to 05.02.2022
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी/ओपी)	05.02.2022; जारी
श्री चंचल गोस्वामी	निदेशक (तकनीकी/ओपी)	04.11.2019 to 28.02.2022
श्री बिनय दयाल	अंशकालिक निदेशक [निदेशक (तकनीकी) सीआईएल]	09.11.2017 to 31.01.2022
श्री बी. वीरा रेड्डी	अंशकालिक निदेशक [निदेशक (तकनीकी) सीआईएल]	24.02.2022; जारी
श्री बी. पी. पति	अंशकालिक निदेशक (संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित)	03.10.2018 to 03.01.2022
श्री आनंदजी प्रसाद	अंशकालिक निदेशक (परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित)	03.01.2022; जारी
लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10.07.2019; जारी
श्रीमती शशि सिंह	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021; जारी
श्री आलोक कुमार अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021; जारी
श्री सत्यब्रत पांडा	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021; जारी
श्री राम कुमार रॉय	स्वतंत्र निदेशक	31.12.2021; जारी
श्री बी.के. पारुई	कंपनी सचिव	30.08.2013; जारी

ख) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रबंधन के प्रमुख अधिकारियों को भुगतान किए गए मुआवजे से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक		अन्य निदेशक एवं कंपनी सचिव		कुल	
वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि कर्मचारी लाभ						
सकल वेतन	0.06	0.17	0.93	1.81	**0.99**	**1.98**
कार्य निष्पादन/दक्षता संबंधी वेतन	0.00	0.00	0.10	0.84	**0.10**	**0.84**
अनुलाभ	0.02	0.01	0.31	0.18	**0.33**	**0.19**
चिकित्सा लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
एलटीसी/एलएलटीसी/लीव नकदीकरण	0.00	0.00	0.13	0.12	**0.13**	**0.12**
नियोजन उपरांत लाभ						
पीएफ और एफपीएफ योगदान	0.02	0.02	0.18	0.17	**0.20**	**0.19**
अवकाश नकदीकरण	0.00	0.00	0.15	0.31	**0.15**	**0.31**
ग्रेच्युटी	0.00	0.00	0.20	0.40	**0.20**	**0.40**
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
सेवा समाप्ति लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
कुल	**0.10**	**0.20**	**2.00**	**3.83**	**2.10**	**4.03**

ग) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों को किए गए नाम-वार पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित है : -

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का नाम	वेतन	अवकाश नकदीकरण	पीएफ और एफपीएफ	अन्य	कुल
1	श्री पी. एम. प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
2	श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.06	0.00	0.02	0.02	**0.10**
3	श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त)	0.18	0.00	0.05	0.06	**0.29**
4	श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी), परि. एवं योजना	0.24	0.06	0.06	0.14	**0.50**
5	श्री राकेश कुमार, पूर्व निदेशक (तकनीकी), परिचालन	0.00	0.15	0.00	0.20	**0.35**
6	श्री जे.पी. गुप्ता, पूर्व निदेशक (तकनीकी) परि. एवं योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
7	श्री पी.वी.के.आर.मल्लिकार्जुन, निदेशक (कार्मिक)	0.28	0.05	0.04	0.14	**0.51**
8	श्री बी. के. पारूई (कंपनी सचिव)	0.23	0.02	0.03	0.07	**0.35**
	कुल	**0.99**	**0.28**	**0.20**	**0.63**	**2.10**

घ) 31 मार्च, 2022 को प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों के उपदान (ग्रेच्युटी), अर्जित अवकाश (ईएल), एचपीएल का बीमांकिक मूल्यांकन निम्नलिखित है :-

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों का नाम	उपदान (ग्रेच्युटी)		आवकाश		योग	
		31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21
1	श्री पी. एम. प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
2	श्री समीरन दत्ता, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	0.16	0.00	0.27	0.00	**0.43**	**0.00**
3	श्री समीरन दत्ता, निदेशक (वित्त)	0.00	0.14	0.00	0.16	**0.00**	**0.30**
4	श्री चंचल गोस्वामी, निदेशक (तकनीकी), परि. एवं योजना	0.00	0.19	0.00	0.16	**0.00**	**0.35**
5	श्री राकेश कुमार, पूर्व निदेशक (तकनीकी), परिचालन	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**

6	श्री जे.पी. गुप्ता, पूर्व निदेशक (तकनीकी) परि. एवं योजना	0.20	0.18	0.11	0.11	**0.31**	**0.29**
7	श्री पी.वी.के.आर.मल्लिकार्जुन, निदेशक (कार्मिक)	0.19	0.00	0.00	0.00	**0.19**	**0.00**
8	श्री बी. के. पारूई (कंपनी सचिव)	0.16	0.14	0.25	0.21	**0.41**	**0.35**
	कुल	**0.71**	**0.65**	**0.63**	**0.29**	**1.34**	**1.29**

ड.)31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को नाम-वार भुगतान किया गया बैठक शुल्क इस प्रकार है:-

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों का नाम	बैठक शुल्क	
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	डॉ क्षमादेवी शंकरराव खोबरागड़े (06.09.2017- 05.09.2020)	0.00	0.03
2	श्री। नरेंद्र सिंह	0.05	0.07
3	श्रीमती शशि सिंह	0.02	0.00
4	श्री आलोक कुमार अग्रवाल	0.01	0.00
5	श्री सत्यब्रत पांडा	0.01	0.00
6	श्री राम कुमार रॉय	0.01	0.00

च) 31.03.2021 को प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों पर बकाया शेष:-

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्ति योग्य राशि	शून्य	शून्य

छ) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

छ) ज) समूह के अंतर्गत संबंधित पार्टी लेन-देन

सीआइएल ने अपनी अनुषंगियों के साथ सौदा किया है, जिसमें एपेक्स शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, अनुषंगियों द्वारा रखे गए धन पर ब्याज, आइआइसीएम शुल्क तथा चालू खाता के माध्यम से अन्य अनुषंगियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

झ) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

(₹ 'करोड़ में)

संबंधित पार्टी का नाम	संबंधित पार्टी को ऋण	संबंधित पार्टी से ऋण	अन्य सेवाएं					चालू खाता शेष (देय) / प्राप्य	बकाया शेष राशि (देय) / प्राप्य
			शीर्ष प्रभार	पुनर्वास प्रभार	अनुषंगी कंपनियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	आईआईसीएम प्रभार	कोई अन्य		
सीआईएल	0.00	0.00	30.51	19.39	0.00	0.00	0.00	(371.01)	0.00

आईआई सीएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	(0.00)	(0.91)
सीएमपीडी आईएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	(43.05)

8. आयकर (भारतीय लेखा मानक-12) (टिप्पणी 36 एवं 37)

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए कर योग्य हानि को आगे लाने के कारण कर व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए निवल आस्थगित कर देयता (डीटीए) का समायोजन ₹ 104.36 करोड़ किया गया है।

9. पट्टे (भारतीय लेखा मानक-116) (टिप्पणी 25)

क) कंपनी (सीवी क्षेत्र) ने विस्तारित अवधि दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिए ₹4.60 करोड़ की लीज रेंट पर दामागोरिया रेलवे साइडिंग की दूसरी लाइन को मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) को दिया था। 31 मार्च, 2022 को पट्टे पर दी गई कथित परिसंपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	कुल ब्लॉक	वर्तमान वर्ष में ह्रास	वर्तमान वर्ष में हानि	प्रगामी मूल्यह्रास	प्रगामी हानि
1	दामागोरिया रेलवे साइडिंग	0.11	0.00	0.00	0.10	0.00

कंपनी की संपत्ति होने के नाते, लीज के तहत संपत्ति पर मूल्यह्रास, कंपनी की लेखा नीति के अनुसार लगाया जाता है।

ख) कंपनी (वाशरी निर्माण प्रकोष्ठ) ने धनबाद मंडल के अंतर्गत 5 एमटीपीए पीइएच पर प्राइवेट साइडिंग के निर्माण एवं परिचालन के लिए लीज एग्रीमेंट दिनांक 12.06.2020 के तहत लगभग 10.647 एकड़ की रेलवे भूमि 01.04.2017 से 31.03.2053 तक 35 वर्षों के लिए ली थी। दिनांक 07.08.2019 को इस सबंध में ₹ 23.24 करोड़ की अग्रिम भुगतान किया गया था।

ग) कंपनी (सिजुआ क्षेत्र) ने दिनांक 22.03.2022 से 35 वर्षों के लिए आद्रा मंडल के अंतर्गत लोयाबाद स्टेशन पर कोयले में लगी आग को नियंत्रित करने हेतु ओपेनकास्ट परियोजना के लिए दिनांक 22.03.2022 को हुए पट्टा- समझौता के माध्यम से लगभग 9.55 एकड़ रेलवे की भूमि ली थी, जिसके लिए दिनांक 22.03.2022 को ₹ 25.09 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

घ) कंपनी ने वाहनों/दूरसंचारों को किराए पर लेने के लिए पट्टा समझौता किया है। यह पट्टा समझौता 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा। भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं. एवं मद	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
1.	सकल वहन राशि	नोट संख्या: 3 (वाहन) नोट संख्या: 3 (दूरसंचार)	13.25 181.42	0.00
2.	प्रगतिशील परिशोधन	नोट संख्या: 3 (वाहन) नोट संख्या: 3 (दूरसंचार)	3.62 24.19	0.00
3.	लिखित मूल्य	नोट संख्या: 3 (वाहन) नोट संख्या: 3 (दूरसंचार)	9.63 157.23	0.00
4	पट्टा देयता	बी/एस फेस (पट्टा देयता)	200.28	0.00
5	वित्तीय लागत	नोट सं. 32 (छूट की समाप्ति)	10.98	0.00

पट्टे की अवधि के दौरान कुल भावी न्यूनतम देय पट्टा राशि ₹ 200.28 करोड़ है। इस भावी देय पट्टा भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ 'करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
1.	एक साल बाद नहीं	43.93	0.00
2.	एक वर्ष से अधिक और तीन वर्षों से कम	48.82	0.00
3.	तीन वर्षों से अधिक और पट्टे की अवधि तक	107.53	0.00
	कुल	**200.28**	**0.00**

ङ) पश्चिमी झरिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर संयंत्र

दिनांक 18 मार्च, 2010 को हुए पट्टे समझौते के अनुसार ₹ 6.60 करोड़/प्रतिवर्ष (कर सहित) की दर से पट्टेदार मैसर्स ओएसडी कोक (कंसोर्टियम) प्राइवेट लि. से पश्चिमी झरिया क्षेत्र के कैप्टिव पावर प्लांट के लिए पट्टा किराया वसूली जाने वाली थी। यह पट्टा 20 वर्षों के लिए मान्य था, किंतु पट्टेधारी ने टैरिफ मूल्य आदि और इस पावर प्लांट के परिचालन को बंद करने के साथ-साथ पट्टे के किराए संबंधी विवाद को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विवाचक के निर्णय के अनुसार दिनांक 16 दिसंबर, 2015 को यह प्लांट कंपनी को सौंप दिया गया है। उपर्युक्त के आलोक में, बकाया लीज रेंट वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 6.60 करोड़ और वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 4.67 करोड़ (15 दिसंबर, 2015) का लेखांकन नहीं किया गया।

10. बीमा और वृद्धि दावा

प्रवेश/अंतिम विवरण के आधार पर बीमा और वृद्धि दावा का लेखांकन किया गया हैं।

11. वित्तीय विवरणों में बनाए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले/नहीं चलने वाले/अप्रयुक्त भण्डार, प्राप्य दावे, अग्रिम, संदेहपूर्ण ऋण आदि के लिए लेखा में बनाए गए प्रावधानों को संभावित हानि को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

12. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन की राय में, अचल परिसंपतियां और गैर मौजूदा निवेश के अलावा अन्य परिसंपतियां सामान्य रूप से व्यवसाय में वसूली मूल्य हैं, जो कम से कम उस राशि के बराबर है, जिसमें वह वर्णित है।

13. वर्तमान देयताएं

जहां वास्तविक दायित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है वहां अनुमानित दायित्व दी गई है।

14. बकाया शेष पुष्टीकरण

शेष राशि पुष्टि/पुनर्मिलान नकदी और बैंक की शेष राशि, व्यापार प्राप्तियों और कुछ ऋण एवं अग्रिमों के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक देनदारियों और वर्तमान देयताओं की शेष की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र लिखा जाता है।

15. विविध

क) कंपनी द्वारा न्यायालय में दायर दावे

कंपनी (बीसीसीएल, कोलकाता कार्यालय) ने मेसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता के विरूद्ध कोलकाता उच्च न्यायालय में एक व्यावहारिक मुकदमा (2013 का जीए नंबर 2797/ 2013 का सी.एस. नं. 11) दायर किया गया है, जो इस बात के लिए है कि (i) यह कंपनी यह घोषित करे कि वह अपने वर्तमान कार्यालय परिसर 6, लियोन्स रेंज, कोलकाता 700001., कोलकाता की कानूनी मालिक है (ii) यह घोषित करें कि मकान मालिक के रूप में और इसमें रहने वाले पट्टेधारियों की बीच कोई संबंध नहीं है और (iii) कंपनी पहले ही न्यायिक आदेश पर किराए आदि के रूप में ब्याज सहित ₹ 187.74 करोड़ का भुगतान मैसर्स टर्नर मॉरिसन लिमिटेड, कोलकाता को कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (भुगतान कार्यालय, मुखयालय) का ₹ 0.04 करोड़ की राशि के दावे से संबंधित कुछ और मामला न्यायालय में लंबित है।

ख) तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र का बकाया शेष

पीबी एरिया के अंकेक्षित खातों में प्रदर्शित तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की देनदारियां परीक्षण/ जांच के अधीन हैं। इसी तरह, तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र के अग्रिम, जमा और दावे इत्यादि भी सत्यापन/ जांच के अधीन है। परीक्षा/ जांच / सत्यापन / संवीक्षा के परिणाम के आधार पर, देनदारियों का प्रतिलेखन या भुगतान कर दिया जाएगा और उसी तरह अग्रिम आदि को समायोजित कर दिया जाएगा या बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

ग) पी. बी. क्षेत्र में विलय किए गए तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा परीक्षा और आश्वासन प्रबंधन, कोयला खदानों की परिसंपतियों की भौतिक सत्यापन का काम को उस पर दिए गए के अवलोकन को देखते हुए पी. बी. क्षेत्र में विलय की गई तत्कालीन कुस्तौर क्षेत्र की कोलियरी/ इकाइयों और उसके संपत्ति रजिस्टर / संयंत्र कार्ड आदि का मिलान करने के लिए इस काम को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म को सौंपा गया था। इस फर्म ने अपने भौतिक सत्यापन के आधार पर यह जानकारी दी है कि सकल ब्लॉक को बढ़ाकर ₹ 9.63 करोड़ बताया गया है और विलय की तारीख को मूल्यह्रास प्रावधान के लिए खातें में ₹ 16.06 करोड़ दिखाया गया है। लेकिन इस फर्म द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि इस सूचित सीमा के तहत वर्तमान परिसंपत्तियों (प्राप्त) के भौतिक शुद्ध मूल्य की मुद्रस्फीति हुई है, यहां पर कोई विकल्प नहीं है, किंतु सकल मूल्य, मूल्यह्रास एवं लेखा में उसी रूप में दर्शाया गया शुद्ध मूल्य के अंकेक्षित आंकड़ों पर विचार करने के लिए इन्हें वास्तविक परिसंपत्तियों के रूप में ही दर्शाया गया है। प्रबंधन ने उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

घ) परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान का अधिग्रहण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड को परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान (बोकारो) का आवंटन दिनांक 31.03.2015 को रद्द कर दिया गया और इसके बाद कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी डीओ संख्या 13016/36/2015-सीए-III दिनांक 31.03.2015) के प्रावधानों के संदर्भ में तथाकथित खदान नामित अभिरक्षक यानी 'अध्यक्ष, कोल इंडिया' को सौंप दी गई। अध्यक्ष, सीआईएल ने सीआईएल की ओर से कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को अधिकृत किया (सीआईएल/सीएच/सीयूएसटीओडीआाइएएन/ 27/1608, दिनांक 31.03.2015) है। तदनुसार, परबतपुर (केन्द्रीय) कोयला खदान को बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है (कंपनी सचिव, बीसीसीएल द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या बीसीसीएलःसीएसःएफ-17 (ए), दिनांक 03/04/2015)।

अब, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन No.13016 / 77/2015-CA-III दिनांक 06.10.2015 के माध्यम से परबतपुर (केन्द्रीय) कोयले की खान को मेसर्स सेल को आवंटित कर दिया गया है और मनोनीत अभिरक्षक यानी सीआइएल के अध्यक्ष को यह परामर्श दी गई थी कि वे इसे सेल को सौंप दें। तदनुसार जैसा कि पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक ने अपने पत्र सं बीसीसीएल/जीएम/ईजेए2016/1429 दिनांक 28.07.2016 के माध्यम से पुष्टि की है। इसे सेल को सौंप दिया गया है, जिसके साथ हैंडओवर एवं टेकओवर की रिपोर्ट भी संलग्न है। इसके अलावा, कंपनी ने इस दौरान एक अभिरक्षक होने के नाते इस खदान के रखरखाव पर अब तक 28.07.2016 तक ₹ 5.08 करोड़ (पावर बिल ₹ 4.04 करोड़, मरम्मत और रखरखाव और अन्य पर ₹ 1.04 करोड़) खर्च कर चुकी है, जिसे लेखा में 'प्राप्य योग्य' के रूप में लिखा गया है। यह राशि खदान में पड़े कोयले के स्टॉक से बिक्री आय से समायोज्य है।

यह अद्यतन किया जाता है कि बीसीसीएल के ₹ 5.08 करोड़ के दावा के विरूद्ध, एसएआइएल (सेल) ने भी खदान से जल निकासी के लिए ₹ 17.00 करोड़ का दावा किया है, जिसे बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

पुन: भारत सरकार ने भारत के गजट (F. No. CBA2-13016/1/2018-CBA2 दिनांकित 13 फरवरी, 2020) में अधिसूचना के माध्यम से पर्बतपुर सेंट्रल कोल माइन के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए अध्यक्ष, सीआइएल को नियुक्त किया है। अध्यक्ष, सीआइएल ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथा संशोधित कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार उक्त खदान के प्रबंधन एवं संचालन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।

तदनुसार, परबतपुर (सेंट्रल) कोयला खदान को कंपनी के पूर्वी झरिया क्षेत्र (धनबाद) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था और महाप्रबंधक (पूर्वी झरिया क्षेत्र), बीसीसीएल को पर्वतपुर सेंट्रल कोल माइन को अपने अधिकार में लेने और तत्काल प्रभाव से इसके प्रबंधन एवं संचालन के लिए अधिकृत किया गया है। (कंपनी के निदेशक (तक.), परि. एवं यो. द्वारा निर्गत प्राधिकरण पत्र सं: BCCL/D(T)P&P/F-83(B)/2020/45 दिनांकित 03.03.2020)।

अभिरक्षक के रूप में दूसरी बार खदान का स्वामित्व लेने की तिथि से 31 मार्च , 2022 तक, कंपनी ने संरक्षक के रूप में खदानों के रखरखाव पर ₹ 16.48 करोड़ खर्च किए हैं, जिसे वित्तीय विवरणों में 'प्राप्य' के रूप में दर्ज किया गया है।

ड.) मार्च, 2011 से फरवरी, 2013 के दौरान राजस्व एवं सेस पर उत्पादन शुल्क

पूर्व में, कंपनी रॉयल्टी और एसईडी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं कर रही थी, लेकिन सीआईएल की सलाह पर, कंपनी ने 01.03.2011 से 28.02.2013 की अवधि के लिए ₹ 73.99 करोड़ का भुगतान जारी किया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रॉयल्टी और एसईडी पर उत्पाद शुल्क के नियमित बिलिंग के अलावा, पूर्व अवधि के लिए उपभोक्ताओं पर ₹ 78.10 करोड़ के पूरक बिल बनाए गए थे। कंपनी ने अब तक (31.03.2022 तक) ₹ 73.15 करोड़ की वसूली की है और शेष राशि जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वह ₹4.95 करोड़ है। अप्राप्त राशि अधिकतर ई-नीलामी उपभोक्ताओं की है, जिसमें से 17 उपभोक्ताओं ने कंपनी द्वारा ₹0.28 करोड़ की मांग का न्यायालय में विरोध किया है। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार ₹ 4.95 करोड़ की राशि के सामने ₹ 4.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

च) योग्य इनपुट सेवाओं पर सेवाकर

सीएमपीडीआइएल/सीआइएसएफ/एमएसटीसी/एम-जंक्शन इत्यादि जैसे कुछ सेवा प्रदाताओं को मुख्यालय में किए गए भुगतान के संबंध में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंजीकरण के अभाव में सेनवेट क्रेडिट (अक्टूबर, 2013 तक) प्राप्त करने हेतु योग्य इनपुट सेवाओं पर सेवाकर, कंपनी के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में वितरित नहीं किया जा सका। इसके बाद अधिसूचना सं. 21/2014 सीइ(एन टी) दिनांकित 11.07.2014 के माध्यम से छ: माह बाद सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगने के कारण बाद में अधिसूचना सं. 6/2015 सीइ (एन टी) दिनांकित 01.03.2015 के तौर पर संशोधित किया गया था। पूर्वोक्त सेनवेट क्रेडिट की अनुपलब्धता के कारण सीएजी ने एक ज्ञापन दिया जो बाद में मसौदा पैरा में परिवर्तित हो गया। हालांकि हमारे टैक्स सलाहकार के परामर्श से मामले का विश्लेषण/ पुनरीक्षण किया गया था, जिसने अंतत: यह सामने आया कि इस तथ्य के कारण सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने की गुंजाइश थी कि (i) सेनवेट क्रेडिट के लाभ पर प्रतिबंध केवल आउटपुट सेवाओं के निर्माता या प्रस्तुत करने वाले के लिए लागू था न कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रिव्यूट पर और (ii) बराबर यह माना गया कि कार्यविधिक आधार पर सेनवेट क्रेडिट से इनकार नहीं किया जा सकता है, जब माल और सेवाओं पर क्रेडिट सैद्धांतिक रूप से क्रडिट के उपयुक्त थे। तदनुसार अक्टूबर, 2013 तक ₹ 30.48 करोड़ की राशि सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया, साथ ही 2013-14 तथा 2014-15 की शेष अवधि को वर्तमान विवरणियों (सितंबर, 2016 के ईआर 1 तथा अप्रैल-सितंबर, 2016 का एसटी 3) के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद विभाग के क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को पूरे तथ्यों का खुलासा करने की सूचना के साथ प्राप्त किया गया है।

₹ 30.48 करोड़ की सेनवेट क्रेडिट राशि को ईआर-1 रिटर्न में आगे बढ़ाया गया था और बाद में दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद जीएसटी टीआरएएन-01 के सीजीएसटी क्रेडिट में शामिल किया गया था और अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त राशि का जीएसटीआर-3बी रिटर्न में पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

छ) मास्टर प्लान के तहत निधि

कंपनी को आग से निपटने और कंपनी पट्टाधृत भूमि में कोयला धारित क्षेत्र/आग प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु बने मास्टर प्लान के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से निधि प्राप्त होती है। यह कंपनी आग से निपटने और कंपनी के आवासों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए बनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JRDA) बीसीसीएल आवासों में नहीं रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें बीसीसीएल एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। नोडल एजेंसी के रूप में प्राप्त फंड जेआरडीए को दिया जाता है और इस तरह के अग्रिम (नोट-11 में अन्य जमा और अग्रिम के तहत प्रदर्शित) के साथ-साथ संबंधित निधि, दोनों को जेआरडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोग विवरण के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2022 तक जेआरडीए को ₹ 428.86 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 198.14 करोड़) की राशि अग्रिम दी गई है और समायोजन के लिए जेआरडीए से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिक्षाधीन है।

31 मार्च, 2022 को मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि की स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
वर्ष/अवधि के आरंभ में मास्टर प्लान के तहत अप्रयुक्त निधि का आरंभिक शेष	287.28	313.17
अवधि/वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	197.48	269.00
अवधि/वर्ष के दौरान उपयोगिता/समायोजन	13.20	294.89
अप्रयुक्त निधि का अंत शेष	471.56	287.28

ज) बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन

पुराने/अनलिंक्ड/ स्थिर /अदावी/अप्राप्त देयताओं/अग्रिम आदि के लिए क्षेत्र प्रबंधन द्वारा अनुमोदित 'अदेय'/'गैर-वसूली योग्य' के रूप में निम्नलिखित प्रितिलेखन / बट्टे खाते में डालने को वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में माना गया है। बीसीसीएल बोर्ड द्वारा संबंधित प्रावधान को बट्टे खाते में डालने तथा प्रतिलेखन करने को मंजूरी दी गई थी।

(₹ 'करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	बट्टे खाते में डाली गयी / प्रतिलेखन की गयी राशि (वर्तमान वर्ष)		बट्टे खाते में डाली गयी / प्रतिलेखन की गयी राशि (गत वर्ष)	
1	प्रतिलेखन (क) देयताएं/प्रावधान (ख) प्रगतिशील खदान बंदी व्यय	25	331.99 0.00	331.99	75.67 0.00	75.67
2	बट्टे खाते : (क) संदिग्ध अग्रिम (ख) अन्य	34	16.58 0.00	16.58	245.93 0.00	245.93
3	संबंधित प्रावधान का प्रतिलेखन: : (क)संदिग्ध अग्रिम (ख)अन्य	34	16.58 0.00	16.58	245.93 0.00	245.93
	लाभप्रदता पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव			**331.99**		**75.67**

झ) ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व (भारतीय लेखा मानक-115)

i. जब प्राप्ति की निश्चितता होती है तो अन्य दावों का हिसाब लगाया जाता है। तदनुसार, भूली टाउन प्रशासन के किरायेदारों से प्राप्त होने वाले हाउस रेंट के उप-न्यायिक मामले में, राजस्व का नकद आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

ii. कर प्राधिकरणों से ब्याज के साथ-साथ धनवापसी/समायोजन का हिसाब अंतिम आकलन/ धनवापसी के आधार पर किया जाता है।

iii. अंतिम नुकसान के आधार पर तरल क्षति और दंड की वसूली का हिसाब लगाया जाता है।

iv. अलग-अलग राजस्व जानकारी

ग्राहकों के साथ अनुबंध से कंपनी के राजस्व का निर्धारित अंतर निम्नलिखित है:

(₹ 'करोड़ में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वस्तु या सेवा के प्रकार		
कोयला	9445.58	6149.81
अन्य	0.00	0.00
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	**9445.58**	**6149.81**
ग्राहकों के प्रकार		
विद्युत क्षेत्र	7090.69	4344.41
गैर-विद्युत क्षेत्र	2354.89	1805.40

ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	**9445.58**	**6149.81**
अनुबंध के प्रकार		
एफएसए	7243.12	4963.76
ई-नीलामी	1120.90	545.46
अन्य	1081.56	640.59
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	**9445.58**	**6149.81**
वस्तु या सेवा का समय		
एक ही समय पर माल/सेवा का स्थानांतरण	9445.58	6149.81
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल आय	**9445.58**	**6149.81**

ञ) अनुपात

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	अंतर (विसंगति)
1	**वर्तमान अनुपात**	**0.91**	**0.93**	**-2.57%**
वर्तमान अनुपात कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने से संबंधित निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।				
2	**ऋण-इक्विटी अनुपात**	**0.00**	**0.44**	**-100.00%**
डेट-टू-इक्विटी अनुपात में किसी कंपनी के कुल कर्ज की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी किया जाता है। इन दोनों नंबरों को कंपनी की बैलेंस शीट में देखा जा सकता है। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।				
3	**ऋण सेवा कवरेज अनुपात**	**6.20**	**-7.63**	**181.27%**
ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज एवं किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए उपार्जन = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन, जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि। ऋण सेवा = ब्याज एवं पट्टा भुगतान + मूलधन पुनर्अदायगी "कर के बाद शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि) की रिपोर्ट की गई राशि" और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।				
4	**इक्विटी अनुपात पर वापसी**	**3.51%**	**-32.56%**	**110.78%**
यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। इस अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा शेयर-धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह शेयर-धारकों के लिए अर्जित प्रतिशत लाभ को भी मापता है। इस अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ घटाव अधिमानी लाभांश (यदि कोई हो तो)) को औसत शेयरधारक के शेयर (इक्विटी) से विभाजित की जाती है।				

5	**इन्वेंटरी कारोबार अनुपात**	**9.33**	**7.00**	**33.29%**

इस अनुपात को स्टॉक कारोबार अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत अथवा अवधि के दौरान बिक्री तथा अवधि के दौरान औसत धारित इन्वेंटरी के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिससे कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंटरी कारोबार अनुपात की गणना बेची या बिक्री की गई वस्तुओं की लागत को औसत इन्वेंटरी से विभाजित करके की जाती है।

औसत इन्वेंट्री = (आरंभिक + अंतिम शेष / 2)

जब इन्वेंट्री के आरंभिक एवं अंतिम शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो इस अनुपात की गणना COGS या बिक्री को इन्वेंट्री के अंतिम शेष से विभाजित करके की जा सकती है।

6	**व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात**	**5.53**	**2.67**	**107.15%**

यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्तियों का प्रबंधन कर रही है।

व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य लेखा

शुद्ध क्रेडिट बिक्री, सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री लाभ घटाने के बाद प्राप्त होता है। व्यापार प्राप्तियों में विविध देनदार तथा प्राप्य बिल शामिल हैं।

औसत व्यापार देनदार = (आरंभिक + समापन शेष / 2)

जब व्यापार देनदारों के क्रेडिट बिक्री, आरंभिक एवं समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो इस अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्तियों के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।

7	**व्यापार देय कारोबार अनुपात**	**3.83**	**2.80**	**36.67%**

यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध ऋणदाताओं को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध ऋणदाताओं को भुगतान करने हेतु नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना शुद्ध ऋण खरीद को औसत ऋणदाताओं से विभाजित करके की जाती है।

व्यापार देय कारोबार अनुपात = शुद्ध क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय

शुद्ध क्रेडिट खरीद, सकल क्रेडिट खरीद में से खरीद रिटर्न घटाने के बाद प्राप्त होता है

जब क्रेडिट खरीद, व्यापार ऋणदाताओं के आरंभिक एवं समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो इस अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार ऋणदाताओं के समापन शेष से विभाजित करके की जाती है।

8	**शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात**	**-17.60**	**-12.50**	**-40.79%**

यह किसी कंपनी के अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में उसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: समान अवधि के दौरान शुद्ध बिक्री को कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित करके की जाती है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी

शुद्ध बिक्री की गणना, कुल बिक्री घटाव बिक्री रिटर्न करके की जाएगी।

कार्यशील पूंजी की गणना, वर्तमान परिसंपत्तियों घटाव वर्तमान देनदारियां करके की जाएगी।

9	**शुद्ध लाभ अनुपात**	**1.18%**	**-19.55%**	**106.04%**
यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ एवं बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री कर के बाद शुद्ध लाभ होगा। शुद्ध बिक्री की गणना, कुल बिक्री घटाव बिक्री लाभ करके की जाएगी।				
10	**नियोजित पूंजी पर लाभ**	**8.22%**	**-0.28%**	**129.03%**
नियोजित पूंजी पर लाभ, ऋण धारकों एवं इक्विटी धारकों दोनों के लिए लाभ अर्जित करने में कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। उच्च अनुपाल, इस बात को दर्शाता है कि लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी द्वारा नियोजित की जा रहीं पूंजी में अधिक दक्षता है। आरओसीई (ROCE) = ब्याज एवं कर से पहले आय / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता				
11	**निवेश पर प्रतिफल**	**3.41%**	**-38.93%**	**108.76%**
निवेश पर लाभ (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है, जिसका उपयोग कंपनी द्वारा किये गए निवेश-लागत पर प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। इस अनुपात का अधिक होना, अधिक अर्जित लाभ को दर्शाता है।				

ट) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, लेखा प्राक्कलन और त्रुटियों में परिवर्तन (भारतीय लेखा मानक 8)

कंपनी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) के अनुरूप है।

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की बेहतर समझ के लिए, महत्वपूर्ण लेखा नीति को खंड 2.11 अमूर्त संपत्ति, 2.17 कर्मचारी लाभ तथा 2.24.2 आकलन एवं अनुमान में संशोधित/पुन: परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपर्युक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

ठ) नई घोषणाएं

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने समय-समय पर यथा निर्गत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने GSR 255 (E) के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू है। कंपनी ने इस संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ड) रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाली घटनाएं (भारतीय लेखामानक 10)

रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन या गैर-समायोजन की कोई घटना नहीं हुई।

ढ) पूंजीगत संरचना में बदलाव

वर्तमान अवधि में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी (100%) में कोई उतार-चढ़ाव नहीं है।

पूर्ववती 5% गैर परिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय पूर्वाधिकार शेयरों पर ₹ 888.65 करोड़ का सांकेतिक लाभांश बकाया नहीं था क्योंकि कंपनी संचित घाटा उठा रही थी।

ण) कच्चे माल की कुल खपत (टिप्पणी 12)

(₹ 'करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
	रकम	उपभोग का कुल%	रकम	उपभोग का कुल%
1. वर्ष के दौरान वाशरियों में कच्चे कोयले की खपत				
आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वदेशी	989.22	100.00	781.61	100.00

त) कोयले के स्टॉक का विवरण (कच्चा कोयला, धुला हुआ कोयला और अन्य उत्पाद)

(₹ ' करोड़ एवं मात्रा मीट्रिक टन में)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभिक स्टॉक	**10.25**	**1545.79**	**8.01**	**1039.59**
आरंभिक स्टॉक में समायोजन	0.00	0.00	0.12	31.86
उत्पादन	34.15	10091.76	27.32	7407.41
बिक्री	32.64	9445.58	22.57	6149.81
खुद की खपत	0.01	0.65	0.00	1.65
वाशरी कोयला के लिए प्रयुक्त कोयला	3.56	989.22	2.63	781.61
(कमी) / अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम स्टॉक	**8.19**	**1202.10**	**10.25**	**1545.79**

थ) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है वहां निम्नानुसार पुनः समूहीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है :

मद का विवरण	पुरानी टिप्पणी संख्या	पुनः समूहीकृत टिप्पणी संख्या	राशि [₹ करोड़ में]
अन्य देयताएं	23	21	220.93
प्रावधान (उलटाव)	33	लाभ और हानि भाग (मूल्यह्रास)	3.44
लाभ और हानि भाग (मूल्यह्रास)	लाभ और हानि भाग	25	8.51

द) टिप्पणी 1 एवं 2 क्रमशः कॉरपोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को दर्शाता है। टिप्पणी सं. 3 से 23, 31 मार्च, 2021 तक के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का हिस्सा है और टिप्पणी सं. 24 से 37, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रहे वर्ष के लाभ-हानि के विवरण का हिस्सा है। टिप्पणी- 38 वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियों का दर्शाता है।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. सी. बनर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. – 302081E

(सीए अरविन्द कुमार)
साझीदार
सदस्य सं.- 402203

दिनांक: 06.05.2022
स्थान: धनबाद

बोर्ड की ओर से

(समीरन दत्ता)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं सीईओ
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 08073913

(राकेश कुमार सहाय)
विभागाध्यक्ष (वित्त/ प्रभारी)

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन- 09494689

(बी. के. पारूई)
कंपनी सचिव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनी रत्न कंपनी)

कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद - 826005, झारखंड

www.bcclweb.in

#Gautam Advertisement